केंद्रीय सर्वेक्षण और ए. एन. आर.

वी.

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। *140-151 2012* का*)*

05 जुलाई, *2019*

[अरुण मिश्रा और वाइन सरन, जे. जे.*]*

दंड संहिता, *1860:*

एसएस। *120* बी, *302,307,201/120* बी-एसएस। *25 (1) (* बी*) (*ए*), 27 (1)* और शस्त्र अधिनियम, *1959* की धारा *5*। *3 (1) , (2) , (3)* और *(4)* और एस। *4* की रोकथाम

आतंकवाद अधिनियम, *2002 (*पोटा*)*-हत्या और हत्या का प्रयास-दो अलग-अलग घटनाओं में-सी. बी. आई. द्वारा जांच-जांच में पाया गया कि दोनों घटनाएं एक ही लेन-देन का हिस्सा थीं और गोधरा दंगों के बाद हिंदू समुदाय के बीच आतंक फैलाने के उद्देश्य से साझा साजिश का अनुसरण करती थीं-*4* आरोपी

प्रावधान-उच्च न्यायालय ने भी सजा को कम कर दिया ए-*2*-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः पीडब्लू-*39* की हत्या के प्रयास और घातक हमले की साजिश के बारे में पर्याप्त सबूत हैं

मृतक पर-चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की जाती है-उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का आकलन करने में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और मामूली विसंगतियों द्वारा स्थानांतरित किया गया जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं और अभियोजन पक्ष के मामले के मूल संस्करण को हिलाते हैं।

अभियोजन का मामला फोरेंसिक साक्ष्य से भी साबित होता है।

अभियुक्त के कॉल-रिकॉर्ड और उसके लिए उपयोग किए गए वाहन की बरामदगी

अपराध और अपराध का हथियार भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान, जिनके पास है - एस के उचित अनुपालन के बाद दर्ज किया गया। *32* , साथ ही एस। *52* पोटा की संलिप्तता भी प्रत्येक अभियुक्त की संलिप्तता साबित करती है

आपराधिक षड्यंत्र-इकबालिया बयानों की विधिवत पुष्टि अन्य साक्ष्यों द्वारा की गई है-ए-*1*, ए-*4*, ए-*5*, ए-*6*, ए-*7*, ए-*8*, ए-*9*, ए-*10* और ए-*11* यू/एस. एस. की सजा। *3 (1) , (2)* और *(3)* का

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पोटा और एस। *302* आर/डब्ल्यू एस। *120* बी आई. पी. सी. को बहाल किया गया है-जहां तक ए-*2*, ए-*3* और ए-*12* का संबंध है, आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उनकी याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।

एस. *174* ए-फरार अभियुक्त-आई. पी. सी. के प्रावधानों के तहत हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों के लिए अभियोजन और

पोटा-यू/एस पर भी मुकदमा चलाया गया। *174* ए-ट्रायल कोर्ट ने उसे यू/एस दोषी ठहराया। *174* ए और उसे लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया

संदेह उच्च न्यायालय ने रुपये का जुर्माना लगाकर सजा को संशोधित किया। *21* डिफ़ॉल्ट खंड के साथ लाख-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः निचली अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया-चूंकि आरोपी पहले ही *17* महीने की सजा काट चुका है और जुर्माना भी चुका चुका चुका है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002:* एस. *32* - कन्फेशनल स्टेटमेंट-इसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय

चर्चा की।

प्रमाणः

चिकित्सीय साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य-प्रभाव के बीच असंगतता-आयोजितः इस तरह की असंगति के मामले में, नेत्र साक्ष्य प्रबल होगा-नेत्र साक्ष्य को केवल तभी त्याग दिया जा सकता है जब चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य को पूरी तरह से असंभव बना देता है।

पुस्तक-साक्ष्य मूल्य-आयोजितः किसी व्यक्ति की राय नहीं है

साक्ष्य के क्षेत्र में-पुस्तक में राय अनुमानों, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित हो सकती है और इसलिए कोई नहीं है

प्रमाणिक मूल्य।

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की रिपोर्ट-साक्ष्य मूल्य-आयोजितः समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों का गठन नहीं होता है।

साक्ष्य-समाचार पत्र में एक बयान केवल एक पाखंड है और इसलिए अदालत में गवाही देने वाले बयान के निर्माता के अभाव में सबूत में अस्वीकार्य है कि उसने रिपोर्ट किए गए तथ्य को माना है।

भारत का संविधानः

कला. *32* लिखित याचिका/पी. आई. एल.-एक संगठन द्वारा-एक आपराधिक/हत्या के मामले में आगे की जांच की मांग-इस आधार पर कि

उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में अभियुक्त को जांच-स्वामित्व और रखरखाव-पर संदेह करते हुए बरी कर दिया थाः पी. आई. एल. तब दायर की गई थी जब आपराधिक मामले की सुनवाई सुप्रीम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v* में की जा रही थी।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

न्यायालय-यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने जनहित याचिका दायर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी-उचित मार्ग एक

व्यक्तियों द्वारा आगे या पुनः जाँच की मांग करने वाला आवेदन संबंधित या रिट याचिकाकर्ता द्वारा-जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य तिरछा, अनुचित और अनुशासन के खिलाफ था और यह स्पष्ट रूप से जनहित याचिका के मंच का दुरुपयोग है-योग्यता के आधार पर भी कोई सामग्री या आधार नहीं है

मामले में आगे की जांच या पुनः जांच का निर्देश देने के योग्य

रिट याचिका को *Rs.50,000/-* की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

जनहित याचिकाः

आयोजित होने का क्षेत्रः जनहित याचिका व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी अप्रत्यक्ष विचार के लिए दायर नहीं की जा सकती है।

अभियोजन पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप कभी-कभी अभियुक्त के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।

अधिवक्ताः

व्यावसायिक नैतिकता-बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक नैतिकता का नियम-भाग *VI*, अध्याय *II*, धारा *I*, *r*। *8* – उस संगठन/संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता के लिए निषेध जिसमें अधिवक्ता कार्यकारी सदस्य है -

न्यायालय में अधिवक्ता, ऐसे नियम की अवहेलना करते हुए, पेशेवर कदाचार के बराबर होगा।

आपराधिक अपील संख्या को खारिज करना। *141* , *147* और *2012* का *148*,

आपराधिक अपील सं। *981* , *982* और *2019* की *983,2019* की रिट याचिका *(*आपराधिक*)* संख्या *26* और बाकी अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः *1.* इस मामले में उस साजिश के बारे में सबूत पेश किए गए हैं जिससे पीडब्लू-*39* की हत्या का प्रयास किया गया और

हत्या तक और अंत में हत्या के बाद हमलावरों के भागने तक। साक्ष्य पाकिस्तान में प्रशिक्षण, समय-समय पर विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों की मस्जिदों में विभिन्न बैठकों आदि को दर्शाते हैं। के इकबालिया बयानों का सबूत है दोषियों, ई-मेल पर संचार, गिरफ्तारी के समय दस्तावेजी साहित्य की जब्ती, रसद सहायता और अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करने, आवास, किराए के संबंध में नकद या चेक द्वारा धन प्रदान करने के प्रमाण भी हैं।

अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर परिवहन। मोबाइल फोन, *[2019] 8* एस. सी. आर. प्रदान करने के संबंध में भी साक्ष्य उपलब्ध हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवहन, और मोटरसाइकिल आदि प्रदान करना। इकबालिया बयान के आधार पर, साइबर कैफे से कंप्यूटर हार्ड डिस्क की जब्ती सहित प्रकटीकरण बयानों के अनुसार बरामदगी और जब्ती की गई थी। दस्तावेजी साक्ष्य की भी बरामदगी हुई है, होटल केटरर्स, पीसी मालिकों द्वारा साबित यात्री पुस्तकें और हस्तलेखन विशेषज्ञों की राय। पीडब्लू-*39* की हत्या के प्रयास और मृतक की हत्या में ए-*1* के साथ अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। लॉ गार्डन की रेकी करने के प्रमाण हैं, जहां मृतक सुबह की सैर करने के लिए अक्सर आता था, मोबाइल कॉल मृतक पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा घातक हमले के समय को दर्शाते हैं। मोबाइल फोन के मोबाइल टावर स्थान और डेटा के अलावा

पीडब्लू पर हमले से कुछ समय पहले और बाद में भी टेलीफोन का उपयोग-*39*

साथ ही मृतक पर भी। *[* पैरा *15] [483*-एफ-एच*; 484*-ए-डी*]*

राज्य वी। नलिनी *(1999) 5* एससीसी *253: [1999] 3* एस. सी. आर. *1;* याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2013) 13 एससीसी *1: [2013] 15* एस. सी. आर. *1*-संदर्भित।

'हरि सिंह द्वारा भारत के दंड कानून पर टिप्पणी

गौर *(*खंड। *2), 11* वां संस्करण। *1138* - संदर्भित किया गया।

2.1 अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू-*55* द्वारा दिया गया बयान, चोट संख्या *7* के कारण की दिशा पूरी तरह से समझाई गई है और एक चश्मदीद गवाह को इन सभी विवरणों को गणितीय सटीकता के साथ बताने के लिए नहीं कहा जा सकता है। पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। *[* पैरा *48] [509*-सी*]*

सुखदीप सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्न।
(2010) 2 एससीसी *177: [2009] 15* एससीआर *1252*

संदर्भित किया गया।

एक लंबी प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिया गया। इस रेखा पर लंबी क्रॉस परीक्षा पूरी तरह से अनावश्यक और पूरी तरह से थी। अनावश्यक और गवाह से ऐसे सभी विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है

सटीकता के साथ। हालाँकि गवाह ने प्रतिपरीक्षा की परीक्षा का सामना किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र साक्ष्य को केवल उस मामले में असंभव बनाता है, अन्यथा नेत्र साक्ष्य को त्यागना नहीं पड़ता है।

[पारस *49-50] [509-D-F]* केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

अब्दुल सईद बनाम। मध्य प्रदेश राज्य *(2010) 10* एस. सी. सी. *259 [2010] 13* एस. सी. आर. *311;* राजस्थान राज्य बनाम। भंवर सिंह *(2004) 13* एससीसी *147: [2004] 4* पूरक।

एस. सी. आर. *409* पर भरोसा किया।

नल्लापति शिवैया बनाम। उप-मंडल अधिकारी, गुंटूर,
ए. पी. *(2007) 15* एस. सी. सी. *465: [2007] 10* एससीआर *347;* शिंगारा सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्न। *(2003) 12*

एस. सी. सी. *758;* राम नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य
(1975) 4 एससीसी *497: [1976] 1* एस. सी. आर. *27*-संदर्भित।

2.3 यह कहना सही नहीं है कि गोली की चोटों की संख्या, पाई गई चोटों की संख्या से मेल नहीं खा रही है। मृतक के शरीर से *5* गोलियां बरामद की गईं, जबकि *7* गोली के घाव थे। *5* गोली की चोटें पी. डब्ल्यू.*-55* के नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार लगी थीं कि *5* गोलियां चोट के रूप में पाई गई थीं और *6* संचारित करने वाली चोटें थीं जिससे अंततः चोट संख्या *1* हो गई थी। इस प्रकार, कोई विसंगति नहीं है बल्कि नेत्र साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा मजबूत किया जाता है। *[* पैरा *39] [505-*डी-ई*]*

रछपाल सिंह और अन्न। वी. पंजाब राज्य आकाशवाणी *2002*

एस. सी. *2710* निर्दिष्ट किया गया है।

*"*ए कलर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी *";"* ग्रेज़

एनाटॉमी *"*और मोदी का न्यायशास्त्र-संदर्भित।

2.4 तत्काल मामले में, पीडब्लू*-55* के नेत्र साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है। किसी भी विसंगति के मामले में नेत्र या चिकित्सा साक्ष्य के बीच, नेत्र साक्ष्य प्रबल होगा। *[* पैरा *57] [515-*बी-सी*]*

योगेश सिंह बनाम। महाबीर सिंह और अन्य। *(2017) 11* एस. सी. सी. *195: [2016] 7* एस. सी. आर. *713;* सुनील कुंडू और अन्न। वी. राज्य

झारखंड *(2013) 4* एस. सी. सी. *422: [2013] 5* एससीआर
924 ; बस्तीराम वी। राजस्थान राज्य *(2014) 5* एससीसी

398 [2014] 2 एससीआर *567*-पर निर्भर।

राम नारायण सिंह बनाम। पंजाब राज्य *(1975) 4* एससीसी *497: [1976] 1* एस. सी. आर. *27;* हरियाणा राज्य बनाम। राम सिंह *(2002) 2* एससीसी *426 [2002] 1* एससीआर *208*

प्रतिष्ठित।

2.5 उच्च न्यायालय ने पाया है कि चालक की सीट के पास बहुत कम खून पाया गया था। मृतक के कपड़ों की बोरिंग

उसकी गर्दन और अग्र-भुजा और मोबाइल फोन और सीट के नीचे पड़ी चाबियों पर चोटों से अत्यधिक रक्तस्राव के संकेतों पर खून के धब्बे थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीट के साथ-साथ मोबाइल फोन और फर्श पर पड़ी चाबियों पर भी खून था। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वह कहाँ था। उसकी लंबी जांच की गई है, कपड़े पर खून पाया गया था, कितना, कहाँ पाया गया था, यह ऑक्युलर संस्करण और एक पूरी घटना को बदनाम करने वाला नहीं है। *[* पारस *64-65] [518-*डी-ई*]*

2.6 यह कहना सही नहीं है कि चूंकि पीडब्लू-*55* द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए उनका आचरण आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है और वह था

कोई चश्मदीद गवाह नहीं। पीडब्लू-*55* चिट्टी बैंग, सीडब्ल्यू-*1* के मालिक को घटना की जानकारी देने गया था। पीडब्लू-*55* ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वह किसी व्यक्ति के लिए असामान्य नहीं है। सबसे पहले उन्होंने

हत्या के बारे में जगह के मालिक को सूचित करना चाहता था। वे पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं थे। सी. डब्ल्यू.-*1* ने पी. डब्ल्यू.-*55* के संस्करण का भी समर्थन किया है, पी. डब्ल्यू.-*55* द्वारा सी. डब्ल्यू.-*1* को घटना का वर्णन काफी स्वाभाविक है और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है और इसकी उचित पुष्टि होती है। सी. डब्ल्यू.-*1* द्वारा संस्करण। इन परिस्थितियों में, जिस व्यक्ति ने पी. डब्ल्यू.-*55* को रिक्शा में लिफ्ट दी थी और उसे सी. डब्ल्यू.-*1* के घर ले गया था, उसे पेश न करने से अभियोजन पक्ष के बयान में कोई कमी नहीं आती है। केवल किसी अन्य गवाह से पूछताछ न करने के आधार पर पीडब्लू-*55* के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब तक पीडब्लू-*55* मौके पर वापस आया, पुलिस पहले ही पहुँच चुकी थी और मृतक के शव को दूसरे वाहन में अस्पताल ले जाया गया था। पीडब्लू-*55* या सीडब्ल्यू-*1* में अभियुक्त के खिलाफ कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सी. डब्ल्यू.-*1* से अदालत के गवाह के रूप में या अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी। एक बार जब किसी गवाह से पूछताछ की जाती है, तो उसके साक्ष्य के मूल्य पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। एक बार जब उसकी जाँच की जाती है तो अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। *[* पैरा *70,71] [519* जी-एच*; 520-*ए-ई*]*

2.7 इसमें कोई अलंकरण या सामग्री में सुधार नहीं है।

धारा *161 Cr.P.C* के तहत दर्ज किए गए बयान की तुलना में अदालत का बयान। यह सवाल कि क्या सी. डब्ल्यू.-*1* ने पी. डब्ल्यू.-*55* से पूछा था कि क्या वह केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* में सच बोल रहा था और उसे छोड़ रहा था।

धारा *161* के तहत बयान को भौतिक चूक नहीं कहा जा सकता है। बयान में भौतिक तथ्यों को बताया गया है और धारा *161 Cr.P.C* के तहत बयान के साथ भौतिक तथ्यों के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है. समय के सन्निकटन के बारे में भी आरोपी द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता है।

[पैरा *72] [520-*जी-एच*; 521-*ए*]*

रेखाचित्र के साक्ष्य का बहुत महत्व नहीं है। कभी-कभी स्केच एक गवाह द्वारा दिए गए संस्करण से मेल नहीं खा सकता है। उच्च न्यायालय को रेखाचित्र द्वारा स्थानांतरित किया जाता है जो तैयार किया गया था। पीडब्लू-*55* ने इस तरह के रेखाचित्र के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। प्रतिपरीक्षा में और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कि क्या यह हमलावर के साथ मिलान करता है, रेखाचित्र को पीडब्लू *55* पर नहीं रखा गया था। इस पहलू पर पीडब्लू-*55* की प्रतिपरीक्षा के अभाव में, बचाव पक्ष विसंगति, यदि कोई हो, का कोई लाभ नहीं उठा सकता है। आई. ओ. पीडब्लू-*120* ने कहा है कि रेखाचित्र पीडब्लू-*55* की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था। यह केवल धारा *161 Cr.PC* के तहत दर्ज उनके बयान के आधार पर तैयार किया गया था। जिस तरह से रेखाचित्र खींचा गया था, उसे विश्वसनीय और भरोसेमंद रेखाचित्र नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त के संदर्भ में रेखाचित्र को उच्च न्यायालय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि यह पीडब्लू-*55* की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था।

[पैरा *75-76] [521-G-H; 522-A-B]*

2.9 परीक्षण पहचान परेड में गवाह द्वारा की गई पहचान को देखते हुए, तथाकथित पहचान से कोई नुकसान नहीं होता है।

पीडब्लू-*55* के नेत्र साक्ष्य में रेखाचित्र। जाँच की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, टी. आई. पी. आयोजित करने में कोई अनुचित देरी नहीं हुई। यह अभियुक्त की गिरफ्तारी के *20* दिनों के बाद आयोजित किया गया था। उसी में आरोपी की पहचान की गई थी। *(* पीडब्लू-*39)* भी, बाद में पर, हमलावर के रूप में ए-*1* की सही पहचान की थी। *[* पैरा *77] [522-*सी डी*]*

सुभाष और शिव शंकर बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1987) 3* एससीसी

331 [1987] 2 एससीआर *962-*प्रतिष्ठित।

2.10 यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की आंतरिक योग्यता के विवरण की जांच करे। द हाई न्यायालय ने पीडब्लू *55* के साक्ष्य का आकलन करने में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है और मामूली विसंगतियों *[2019] 8* एस. सी. आर. द्वारा पेश किया गया है।

जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं और अभियोजन पक्ष के गवाह के मूल संस्करण को हिलाते हैं। *[* पैरा *78] [522-*एफ*; 523-*ए-बी*]*

यू. पी. राज्य बनाम सहाय और ओआरएस। ए. आई. आर. *1981* एस. सी. *1442;* विजय @चीनी बनाम। एम. पी. राज्य *(2010) 8* एस. सी. सी. *191: [2010] 8* एस. सी. आर. *1150;* भजन सिंह @हर्भजन सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य *[2011] 7* एससीआर *1*

पर भरोसा किया।

3.1 याचिका में कहा गया था कि बरामद की गई गोली को बैलिस्टिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था और अदालत में पेश की गई गोलियों का रंग और पोस्टमॉर्टम के दौरान दर्ज की गई विकृति की स्थिति अलग-अलग थी।

हालाँकि, यह स्पष्ट है कि डॉक्टर को यह नहीं बताया गया था कि अदालत में पेश की गई गोलियां वही नहीं थीं जो उन्होंने बरामद की थीं। वास्तव में, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि सफेद गोलियां जब्त की गई थीं और उन्हें भेजा गया था

बैलिस्टिक परीक्षण और उन्हें सी. एफ. एस. एल. से प्रस्तुत किया गया है। पीडब्लू की प्रतिपरीक्षा करना आवश्यक था-*8* तथ्य कि अदालत में पेश की गई गोलियां वही नहीं थीं जो पोस्टमार्टम के समय बरामद की गई थीं, जो नहीं की गई हैं। इस प्रकार उनकी गवाही को इस पहलू पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। *[* पारस *80-82] [523-G-H; 524-A]*

3.2 पीडब्लू-*75,* फोरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा है कि एक ही मानक हथियार से *5* गोली चलाई गई थी। उन्होंने मुहरों की तुलना की। गोलियाँ ए से चलाई गई थीं। *32* रिवॉल्वर। *[* पैरा *82] [524-*बी*]*

3.3 अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश किए जाने तक पांच गोलियों की जब्ती की श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

मृतक के शव से बरामद किया गया। पीडब्लू-*8* ने कहा है कि शव परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर से पाँच गोलियां बरामद की गईं जिन्हें सीलबंद अवस्था में पुलिस कांस्टेबल *(*पीडब्लू-*170)* को सौंप दिया गया था। पीडब्लू-*170* ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने कहा है कि उसे सीलबंद हालत में पाँच गोलियां मिलीं और

पंच-गवाह, पीडब्लू-*2* की उपस्थिति में सीलबंद पाँच गोलियां पुलिस निरीक्षक को सौंप दी हैं। इसके अलावा, पीडब्लू-*101* के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि उसने बरामद की गई पाँच गोलियां सौंपी हैं। मृतक का शव पीडब्लू-*107* को सौंप दिया गया, जिन्होंने जाँच के दौरान इसे *28.3.2003* पर पीडब्लू*120* को सौंप दिया था। साक्ष्य से आगे पता चलता है कि पीडब्लू-*120,* डीवाई। एस. पी. ने उक्त पाँच गोलियों को सीलबंद में *4.4.2001* दिनांकित पत्र के माध्यम से अग्रेषित किया

निदेशक के माध्यम से *V.S.G.H./EBAB/Forensic* चिकित्सा की शर्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली द्वारा दिनांकित *25.4.2004* का पत्र। *Exh.442* रसीदों का दस्तावेज़ है जिसके द्वारा पाँच गोलियों को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को सील के साथ भेजा गया था और नमूना। *Exh.458* बताता है कि पाँच गोलियों पर पाया गया खून, कुर्ता पायजामा और कार से उठाया गया खून 'बी' समूह का था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मुहरें बरकरार पाई गई हैं और अपीलार्थियों की अभिरक्षा के

सकारात्मक सबूत हैं। इस प्रकार, बचाव पक्ष के लिए यह कहना दूर की बात है और जानबूझकर किया गया है कि गोलियों को बदल दिया गया है। *[पैरा 84] [524-ई-एच; 525-ए-बी]*

3.4 पीडब्लू-*75* ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी गोलियां सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली से सीलबंद स्थिति में प्राप्त की गई थीं। उन्होंने खाखी आवरण के पीछे की ओर लगाई गई मुहर में वस्तुओं *18/1* से *18/5* की भी पहचान की है, जिसे मुद्दमल वस्तु *18/5* कहा जाता है, जो कि उन्होंने लगाई गई मुहर है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लेख *18/1* से *18/5* की जांच की है, जिसका विवरण उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी जाँच में आगे कहा है कि गोलियां काले भूरे रंग की थीं लेकिन जैकेट वाली गोलियों में तांबा या एल्यूमीनियम का रंग होगा। यदि गोली सफेद धातु की है तो धातु स्टील या एल्यूमीनियम से बनी होगी लेकिन उसने न तो सफेद रंग की जैकेट की गोली को देखा है और न ही उसकी जांच की है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अदालत में जो प्रस्तुत किया गया है वह वही लेख हैं जिनकी फोरेंसिक विशेषज्ञ *(*पीडब्लू-*75)* द्वारा जांच की गई थी। *[पैरा 85] [525-एफ-जी]* *3.5* कपड़ों के रासायनिक परीक्षण के अभाव में भी, साक्ष्य निर्णायक रूप से स्थापित करते हैं कि रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था

विचाराधीन गोलियों को चलाने के अपराध में और वह अपराध का हथियार साबित हुआ है और बरामद भी किया गया है।

[पैरा 86] [525-बी]

3.6 हथियार के प्रकटीकरण और इसकी खोज का कार्य

3.7 डी. डब्ल्यू.-*8* के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल उल्लंघन का चेहरा राय की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है यदि वे पाया जाता है दोहराए जाने वाले और एक व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र के कारण होने वाले प्रहारों के दोहराए जाने वाले चरित्र का भी एक विशेष *[2019] 8* एस. सी. आर. से संबंधित हो सकता है।

बन्दूक। वर्तमान मामले में, दूसरी बार पाए गए फायरिंग पिन से छेड़छाड़ के कारण होने वाले अंतर को नजरअंदाज करते हुए, मूल स्ट्रैशन के निशान वही रहते हैं जो प्रत्येक रिवॉल्वर के लिए अलग-अलग होते हैं और ऐसे किसी अन्य हथियार में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार, साक्ष्य यह साबित करने के लिए निर्णायक है कि मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को चलाने के लिए रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य, इस प्रकार, पीडब्लू-*55* के संस्करण का समर्थन करते हैं। *[पैरा 97] [528-जी-एच; 529-ए-बी]*

3.8 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले पीडब्लू-*8* को बचाव पक्ष के गवाह के बयान पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया है।

डी. डब्ल्यू.-*6*, जिन्होंने कहा था कि चोटें *5* और *6* संचार चोटों के रूप में हैं। ऑटोप्सी डॉक्टर की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उन्होंने चोटों को देखा था। *[पैरा 98] [529-बी-सी]*

तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया बनाम। गुजरात राज्य *(1997) 7* एस. सी. सी. *156: [1997] 1* पूरक। एस. सी. आर. *96;* ईश्वरैया और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य, *(1994) 2* एस. सी. सी. *677 [1994] 1* एस. सी. आर. *387* पर निर्भर था।

4. उच्च न्यायालय द्वारा स्थल मानचित्र को इस आधार पर बदनाम करने की मांग की गई थी कि सी. बी. आई. के पी. डब्ल्यू.-*120,* आई. ओ. ने एक विरोधाभासी जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मूल स्थल मानचित्र पेंसिल से तैयार किया गया था और बाद में

स्याही में खींची गई। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसे फिर से बनाने के समय, बाद में, ए *1* का नाम उल्लेख किया गया था क्योंकि यह उस समय तक जाना जाता था। उक्त उल्लेख के कारण कोई कमी नहीं आती है अभियुक्त का नाम और पीडब्लू-*120* द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि नाम बाद में जोड़ा गया है।

[पैरा *100] [530-*ई-एफ*]*

5. मृतक की पत्नी और अन्य व्यक्तियों की जाँच न होने से कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि वे चश्मदीद गवाह नहीं थे। किसी भी संदेह के मामले में, उनसे बचाव पक्ष के गवाहों के रूप में पूछताछ की जा सकती थी। यदि मृतक की पत्नी की जाँच की जाती, तो भी यह तथ्य साबित हो जाता कि मृतक सुबह लगभग *7* बजे बगीचे के लिए रवाना हुआ था और वह सुबह लगभग *7:10* बजे वहाँ पहुँचा होगा। उपरोक्त पहलू से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। जाँच न किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। *[* पैरा *102] [531-*डी-ई*]* *6.* ट्रायल कोर्ट ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड के विवरण और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v* को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर व्यापक रूप से विचार किया है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

मोटरसाइकिलों को ए-*4* को सौंप दिया। इसके बाद, ए *4* ने एक को अपने पास रखा और ए-*14* और ए-*5* को एक-एक सौंप दिया। बाद में, इन मोटरसाइकिलों का उपयोग एक अपराध के लिए किया गया था। चोरी की मोटरसाइकिलों में से एक को ए-*10* ने अहमदाबाद से भागते समय पीडब्लू-*45* को सौंप दिया था। पी. डब्ल्यू.-*45* ने उसे थिएटर में खड़ा किया और बाद में पी. एस. कागदापीठ द्वारा लाया गया जहां से पी. डब्ल्यू.-*45* की ओर इशारा करते हुए सी. बी. आई. ने इसे जब्त कर लिया। पीडब्लू-*52* से ए-*7* और ए-*8* द्वारा एक नकली नंबर प्लेट तैयार की गई थी। यह नंबर प्लेट हीरो होंडा की दूसरी मोटरसाइकिल पर लगाई गई थी। एक अपराध का कमीशन। उक्त मोटरसाइकिल को ए-*10* और ए-*11* ने अहमदाबाद से भागते समय छोड़ दिया था। *[* पैरा *104] [532-*सी-एच*; 533-*ए*]*

8. स्पॉट मैप स्वीकार्य होगा जहाँ तक यह सभी को इंगित करता है।

कि इंस्पेक्टर ने खुद को मौके पर देखा। गवाह द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर मौके के नक्शे पर कोई भी निशान

धारा *162 Cr.P.C* के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए निरीक्षक अस्वीकार्य होगा। भले ही गवाह स्थल योजना में प्रतिबिंबित न हों, लेकिन यह अभियोजन पक्ष को ऐसे *[2019] 8* एस. सी. आर. को पेश करने से नहीं रोकता है।

मुकदमे के दौरान गवाह। चूँकि पीडब्लू-*55* को स्थल योजना के साथ सामना नहीं किया गया है और गवाह से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, इसलिए उसके नेत्र साक्ष्य को आधार पर बदनाम नहीं किया जा सकता हैः उपरोक्त चूक। *[* पैरा *106,107] [533*-ई-एफ; *534*-जी-एच*]*

तोरी सिंह और अन्र। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *399: [1962]* एससीआर *589;* प्रताप सिंह और अन्र। वी. एम. पी. राज्य *(2005) 13* एस. सी. सी. *624: [2005] 5* पूरक। एससीआर *439*

पर भरोसा किया।

9. उच्च न्यायालय ने यह कारण भी बताया है कि पुलिस निरीक्षक पीडब्लू-*101* को दोपहर *2* बजे जाँच करनी थी।

26.3.2003 अपराध स्थल पर, जबकि उसे उपस्थित दिखाया गया था

दोपहर *2.15* बजे पोस्टमॉर्टम में पीडब्लू-*101* ने इस संबंध में बताया कि उन्होंने हेड कांस्टेबल को कागजात सौंप दिए। पोस्टमॉर्टम दोपहर *2.15* बजे किया गया होगा लेकिन वह उस समय पोस्टमॉर्टम कक्ष में मौजूद नहीं थे। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में गवाहों के बयान प्रबल होने चाहिए थे।

[पैरा *108] [535*-ए-बी*]*

10. उच्च न्यायालय ने कहा है कि साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े के बारे में विशाल रिकॉर्ड और विवादों की संख्या से निपटना आवश्यक नहीं था। इसे उच्च न्यायालय का उचित दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय को करना चाहिए

किन तथ्यों और तथ्यों के बारे में पूरी पृष्ठभूमि की जांच की है परिस्थितियाँ प्रबल रहीं और क्या साजिश का मामला बनाने के लिए श्रृंखला पूरी हो गई थी। यह बिल्कुल आवश्यक था

साजिश का पता लगाने के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना पूरी तरह से अनावश्यक था और मूल रूप से एक गलत दृष्टिकोण पर आधारित है। उच्च न्यायालय का यह दायित्व था कि वह निचली अदालत द्वारा नियोजित तर्क और निचली अदालत द्वारा बहुत सावधानी के साथ किए गए गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन विस्तृत तरीके से करे। उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा है कारण और निष्कर्ष पर पहुँच गए हैं। *[* पैरा *111] [535*-एफ-एच*; 536*-ए*]*

11.1 आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002 (*पोटा*)* की धारा *32* के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्तियों का इकबालिया बयान साबित होता है।

अपराधी में प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की भागीदारी

षड्यंत्र। पोटा की धारा *32* में एक गैर-बाध्यकारी खंड है जैसे कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* में कुछ भी होने के बावजूद।

या साक्ष्य अधिनियम में और पुलिस अधिकारियों को दिए गए कुछ इकबालिया बयानों को स्वीकार्य बनाता है। हालाँकि, वही विषय है

धारा *32* के प्रावधान। *[* पारस *112,113] [536*-बी-डी*]* *11.2* अधिनियम की धारा *32* में निहित प्रावधानों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय हैं *(i)* व्यक्ति द्वारा एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किया जाने वाला इकबालिया बयान जो किसी पद से कम नहीं है।

पुलिस अधीक्षक। *((ii)* इसे या तो लिखित रूप में या किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या साउंडट्रैक पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। *((iii)* पुलिस अधिकारी को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले अभियुक्त का लिखित मूल्यांकन करना होता है कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो भी ऐसा ही होगा।

उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। *((iv)* उस अभियुक्त को कोई अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। *(v)* स्वीकारोक्ति को धमकी या प्रलोभन से मुक्त वातावरण में दर्ज किया जाएगा। *(vi)* स्वीकारोक्ति को उसी भाषा में दर्ज करना जिसमें इसे बनाया गया है। *(vii)* जिस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया है, उसे *48* घंटे के भीतर दर्ज किए गए अपराध स्वीकारोक्ति के साथ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या सी. जे. एम. की अदालत में पेश किया जाएगा। *(viii)* सी. एम. एम./सी. जे. एम. इस प्रकार प्रस्तुत किए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को दर्ज करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त करेगा। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा यातना की कोई शिकायत है, तो उसे चिकित्सा जांच के लिए सहायक सिविल सर्जन या किसी उच्च अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

रैंक में। *(ix)* व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा न कि पुलिस हिरासत में। *[* पैरा *114] [537*-सी-एच*; 538*-ए*]*

11.3 मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पोटा की धारा *32 (1), (2)* और *(3)* के प्रावधानों का पालन किया गया है। अभियुक्त को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया

सी. बी. आई. के मजिस्ट्रेट। धारा के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था।

32 (4) अभियुक्त को पेश करने के लिए पोटा। यह उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त द्वारा इकबालिया बयान दिया गया है

एस. पी., सी. बी. आई., ए. सी. पी. द्वारा दर्ज किए गए भय, धमकी या प्रलोभन के बिना स्वेच्छा से। मजिस्ट्रेट ने आरोपी से पूछताछ की है कि क्या हिरासत में इकबालिया बयान दर्ज करते हुए सीबीआई ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया या उसे प्रताड़ित किया।

नकारात्मक। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया है। उस पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

4.7.2003 तक। *[2019] 8* एस. सी. आर. की रिकॉर्डिंग करते समय भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पोटा की धारा *32* के तहत पीडब्लू-*21* द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों का इकबालिया बयान। *[* पारस *121,122* और *123] [543*-एफ-एच*; 544*-ए*]*

11.4 धारा *32* में बनाए गए विभिन्न प्रावधानों में सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय सुरक्षा उपायों की कमी थी

टाडा में उप-धारा *(4)* और *(5)* पाई जाती हैं। आम तौर पर व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। असाधारण मामलों में, पुलिस हिरासत दी जा सकती है और अन्यथा नहीं। सामान्य अभिरक्षा आवश्यकता के साथ गैर-अनुपालन स्वयं को दूषित नहीं करता है

स्वीकारोक्ति। तत्काल मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और धारा *32* के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया है। *[* पैरा *125] [546*-सी-डी*]*

राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) v.* नवजोत संधू आदि *(2005) 11*

एस. सी. सी. *600 [2005] 2* पूरक। एस. सी. आर. *79*-निर्भर।

11.5 धारा *32 (4)* में यह अपेक्षा की गई है कि जिस व्यक्ति का इकबालिया बयान दर्ज किया गया है, उसे अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

मजिस्ट्रेट के भीतर स्वीकारोक्ति के एक सामान्य बयान के साथ *48* घंटे। मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, यदि कोई हो, दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठा प्राप्त करेगा।

जाँच का आदेश दिया जाना है और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने आरोपी द्वारा दिया गया बयान दर्ज किया है और प्राप्त किया है हस्ताक्षर किए। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से पूछताछ की है कि क्या हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था या उन्हें प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक इकबालिया बयान दर्ज किया था, जिसका उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया था। आरोपी से पूछा गया कि वह क्या कहना चाहता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने स्वैच्छिक इकबालिया बयान दिया है। फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस. पी. रैंक के अधिकारी ने विधिवत दर्ज किया है कि उन्होंने पढ़ा है

बयान और अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि यह सही है, जैसा कि धारा *32* के प्रावधानों के उचित अनुपालन में है, इसलिए मजिस्ट्रेट के लिए इसे फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी

अभियुक्त, धारा *32 (4)* और *(5)* में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट को विधिवत कर्तव्यों का आदेश दिया गया है।

देखा गया। मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति वाले सीलबंद लिफाफे को खोलने और आरोपी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिच्छेद *126-128] [546*-एफ-एच*; 547*-ए-डी*]* केंद्रीय अन्वेषण खंड।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत चगनलाल राघानी और

ओआरएस। *(2001) 9* एससीसी *1: [2001] 3* एससीआर *840*-पर निर्भर था।

आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अन्य। वी. गुजरात राज्य, *(2014) 7* एससीसी *716: [2014] 7* एससीआर *48*

प्रतिष्ठित।

11.6 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी कोई लंबी हिरासत नहीं थी ताकि

केवल के कारण किसी भी तरह से संदिग्ध इकबालिया बयान

पुलिस अभिरक्षा का तथ्य। पुलिस हिरासत का प्रभाव प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इकबालिया बयान पर पुलिस हिरासत का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्तों को सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था जो तत्काल मामले में दिया गया था। उनके पास कानूनी सहायता भी थी क्योंकि उन्होंने वकीलों के साथ संवाद भी किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एस. पी. ने उन्हें लिखित रूप में इस तरह का बयान देने के परिणामों के बारे में बताया। एस. पी. ने सुनिश्चित किया कि वे

वे किसी भय या लालच आदि के अधीन नहीं थे और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया था। इसके बाद इकबालिया बयान दिया गया था। चिंतन के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया था। *[* पैरा *131]*

[549 - डी-एफ*]*

नाथू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1956* एससी *56*

- प्रतिष्ठित।

11.7 जब कई अभियुक्त व्यक्ति विभिन्न मामलों में शामिल होते हैं और एक अभियुक्त कई मामलों में शामिल पाया जाता है, जाहिर है, उसकी पुलिस रिमांड किसी विशेष मामले में ली जानी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ अन्य मामलों में पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जिससे स्वीकारोक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह परिकल्पना की गई है कि एक ही अपराध के संबंध में, एक बार अपराध करने के बाद उसे आम तौर पर पुलिस रिमांड के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

उसके कबूलनामे के संबंध में अदालत में बयान

धारा *32 (4)* और *(5),* उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना है। इसका सटीक पालन किया गया है। तत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया था या उन्होंने यह विश्वास खो दिया था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा।

[पैरा *132] [549-*एच*; 550-*ए-बी*]*

11.8 तत्काल मामले में, पोटा की धारा *32* के तहत, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान *[2019] 8* एस. सी. आर.

स्वीकार्य है। अन्यथा भी धारा *32 (1), (2)* और *(3)* के तहत एस. पी. और धारा *32* की उप-धारा *4* और *5* के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन किया है। *[* पैरा *133] [550-*सी-डी*]*

शिवप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य *(1995) 2* एससीसी *76: [1994] 6* पूरक। एस. सी. आर. *171;* आलोक नाथ दत्ता और अन्य। वी. पश्चिम बंगाल राज्य *(2007) 12* एससीसी *230: [2006] 10*

पूरक। एससीआर *662-*प्रतिष्ठित।

11.9 यह मामले की प्रकृति और प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों और साक्ष्य पर निर्भर करता है कि क्या

व्यवसायी जब पोटा अधिनियम की धारा *52* के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई। *[* अनुच्छेद *136,137] [554-*सी*; 555-*बी*]* *11.10* किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के लिए धारा *32 (5)* के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। धारा *32* के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है। *[* पैरा *141] [559-*डी*]*

केहर सिंह बनाम। राज्य *(*दिल्ली प्रशासन*) (1988) 3* एससीसी *609: [1988] 2* पूरक। एस. सी. आर. *24-*संदर्भित।

क्या वे यह बताए जाने के बाद स्वीकारोक्ति करना चाहते थे कि इसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है, यह उपरोक्त सिद्धांत के पालन का मामला था और यह मामला नहीं है कि अभियुक्त ने उस अवधि के दौरान कानूनी सहायता मांगी थी और इससे वंचित थे। स्वीकारोक्ति के प्रभाव के कानूनी पहलू को अभियुक्त व्यक्तियों को लिखित रूप में पहले से ही विधिवत सूचित कर दिया गया था शब्द, और चिंतन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था ताकि स्वीकारोक्ति करने के परिणाम पर विचार किया जा सके। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था।

एक वकील द्वारा सलाह दी गई है। इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वकील की सहायता प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मामला, जहां विचार के समय के दौरान यह नहीं पूछा गया था, इस धारणा पर भी कि यह आवश्यक था, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे जांच का केंद्रीय आधार थे।

चिंतन के लिए पर्याप्त समय दिया गया, क्या वे स्वीकारोक्ति करना चाहते थे क्योंकि इसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता था। इस प्रकार, अनुच्छेदों से प्राप्त किसी भी संवैधानिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। *21 , 22 (3)* और भारत के संविधान के *20 (3)*। जब रिमांड आदि की मांग की गई तो मुख्य मामले में भी वकीलों ने उनकी सहायता की।

यह निवेदन कि पीडब्लू*-21* ने कहा है कि पुलिस हिरासत की स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति पर कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो कि वकील के अनुसार स्थापित न्यायशास्त्र के खिलाफ है, इस कारण से भी असमर्थनीय

है कि धारा *32* किसी व्यक्ति के लिए स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करती है। पुलिस अधिकारी स्वीकार्य। *[* पैरा *142] [559*-ई-एच*; 560*-ए-बी*]*

11.12 "सुरक्षा", "प्रबंध" जैसे शब्दों का उपयोग,

एक मुसलमान की पृष्ठभूमि जिसमें उनका पालन-पोषण हुआ है। बस। इस तथ्य से कि ए*-1* एक मुसलमान है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह इन शब्दों को नहीं जानता होगा, विशेष रूप से जब यह उनकी अपनी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें उनका पालन-पोषण किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त शब्दों के उपयोग के कारण इकबालिया बयान की की गई आलोचना कि उन्हें ए*-1* या अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा नियोजित नहीं किया जा सकता था, न केवल अनुचित है, बल्कि अस्वीकार्य भी है। *[* पैरा *143] [560*-सी-एफ*]*

11.13 यह कहना सही नहीं है कि ए*-9* उस समय अस्पताल में था जब बयान दर्ज किया गया था।

इकबालिया बयान अविश्वसनीय है। उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान पीडब्लू*-21* को सुबह *10* बजे अस्पताल में ए*-9* की उपस्थिति के बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ए*-9* को पोटा की धारा *32* के तहत आवश्यकतानुसार *48* घंटों के भीतर *9.6.2003* पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक था। न ही उसने इकबालिया बयान के लिखित प्रत्यावर्तन में ऐसा कहा कि वह उस समय अस्पताल में था जब इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। पीडब्लू*-21* द्वारा स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग को बदनाम करना आवश्यक था ताकि इसे प्रतिपरीक्षा में रखा जा सके और उसका स्पष्टीकरण लिया जा सके। प्रतिपरीक्षा प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि सार का विषय है। *[* पैरा *147] [561*-डी-एफ*]*

जय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर *1963* एस. सी.

1906 - पर भरोसा किया।

ए. ई. जी. कैरापिएट बनाम ए. वाई. डर्डेरियन एयर *61* कैल।

359 ; मारौती बंसी तेली बनाम। बधाई डब्ल्यू/ओ तुकाराम कुंबी, *[2019] 8* एस. सी. आर.

ए. आई. आर. *1945* नागपुर *60;* कर्निदन सारदा बनाम। शैलजा

कान्ता मित्र ए. आई. आर. *1940* पटना *683*-संदर्भित।

11.14 सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने इकबालिया बयान को वापस लेने के लिए अलग-अलग कारण बताए हैं। अदालत ने कहा है कि

प्रत्येक अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने पेश किए जाने पर पहले अवसर पर अपना इकबालिया बयान वापस नहीं लिया है। पीछे हटने के कारण भी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। अभिलेख पर उचित सुरक्षा उपायों और अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के पालन के बाद जिन विवरणों के साथ इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं, वे इस तथ्य का संकेत देते हैं कि वापस लेने के कारण सही नहीं हैं। इस

बात का कोई आरोप नहीं है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया था। इसकी अनुपस्थिति में, यह विश्वास पैदा नहीं करता है कि उन्होंने खाली हस्ताक्षर किए हैं कागज आदि। एक सामान्य बयान था कि वे कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए डर में थे। तथ्य यह है कि बयान एस. पी., एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए हैं, जैसा कि पोटा की धारा *32* के तहत परिकल्पित है, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हल्के में बदनाम नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *148] [561-*जी-एच*; 562-*सी-ई*]*

मोहम्मद अमीन और अन्र। वी. केंद्रीय जांच ब्यूरो

(2008) 15 एससीसी *49: [2008] 16* एस. सी. आर. *155-*पर निर्भर।

11.15 चूँकि कोई दुर्व्यवहार नहीं था, यातना की कोई स्पष्ट शिकायत नहीं थी, स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक प्रतीत होती है और सभी अभियुक्त व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। स्वीकारोक्ति के बाद वापस लेने का कोई परिणाम नहीं है, वही एक है

विचार के बाद। *[* पैरा *149] [563-*बी*]*

के अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता पर बरी किए जाने को रद्द करते हुए न्याय प्रदान करने के लिए भारत का संविधान।

ए*-4* मृतक की हत्या की साजिश का हिस्सा था। *[* पैरा *165,166] [572-*एफ-जी*]*

के. आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य *(2005) 12* एस. सी. सी. *631: [2005] 4* पूरक। एस. सी. आर. *498;* केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हैदराबाद बनाम। के. नारायण राव *(2012) 9* एससीसी *512: [2012] 9* एस. सी. आर. *54;* राजस्थान राज्य बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

इस्लाम और ओआरएस। *, (2011) 6* एससीसी *343: [2011] 6* एस. सी. आर. *988;* दिल्ली राज्य बनाम श्री राम लोहिया एयर *1960* एससी *490*

- संदर्भित किया गया।

12.2 ए*-1* के इकबालिया बयान का समर्थन रिकॉर्ड पर मौजूद कई अन्य साक्ष्यों जैसे फोन कॉल, हथियार की बरामदगी,

वाहन, कमरों को किराए पर लेना आदि। इसके पुष्टिकारक प्रमाण हैं -

ए*-1,* शूटर के संबंध में स्वीकारोक्ति। उसने पीडब्लू *39* को निकाल दिया और मृतक की हत्या कर दी जैसा कि पाकिस्तान से लौटने के बाद दिसंबर *2002* में अपने कबूलनामे में कहा गया था। ए*-1* के खिलाफ समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मृतक की हत्या और पोटा अपराध के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी करने के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए और निचली अदालत के आदेश के अनुसार दोषसिद्धि और सजा को बहाल किया जाना चाहिए। *[* पैरा *155,160* और *162] [567-*ए-बी*; 568-*डी-ई*; 569-*ई*]*

12.3 साजिश का समर्थन इकबालिया बयान द्वारा किया जाता है। ए*-4* ने साजिश रची थी और वह स्पष्ट रूप से मृतक की हत्या की साजिश का हिस्सा था। ए*-4* को निचली अदालत ने पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित

धारा *3 (2)* के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। आई. पी. सी. की धारा *172* के साथ पठित धारा *120*-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, उन्हें डिफ़ॉल्ट खंड के साथ *5,000* रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बनाए रखा है और पुष्टि की है

पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि और सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया है *5, 000/-* प्रत्येक के जुर्माने के साथ जेल में उसके द्वारा, और जुर्माने का भुगतान न करने पर, वह *6* महीने के लिए आर. आई. से गुजरेगा। उच्च न्यायालय ने

धारा *120*-बी के साथ पठित धारा के तहत आरोपों से ए-*4* को बरी कर दिया गया।

3 (1) पी. ओ. टी. ए. की धारा *3 (3)* के साथ पढ़ें और आई. पी. सी. की धारा *120* बी के साथ पढ़ें जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। *[* पैरा *173] [575*-एफ-एच; *576* - ए-बी*]*

12.4 जहाँ तक ए *5* का इकबालिया बयान है

संबंधित, *24* घंटे प्रतिबिंब समय देने की प्रक्रियात्मक सुरक्षा का विधिवत पालन किया गया था। उन्हें सभी सावधानियां दी गई थीं। स्वैच्छिकता सुनिश्चित की गई थी। शारीरिक चोट के कोई संकेत नहीं हैं। जाँच में पाया गया, न ही उसे किसी *[2019] 8* एस. सी. आर. में धमकी दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही। पिस्तौल और ई-मेल प्रिंटआउट दोनों का प्रकटीकरण, खोज और जब्ती पीडब्लू-*65 (*पंच गवाह*)* द्वारा समर्थित है। पिस्तौल ए *5* की उपस्थिति में मिली थी। इस गवाह से। ईमेल-आईडी और पासवर्ड ए *5* द्वारा दिए गए थे। इस गवाह की उपस्थिति में ईमेल के प्रिंटआउट निकाले गए।

इस गवाह ने उपरोक्त के संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन किया। प्रदर्शनी *685* शस्त्र अधिनियम के तहत ए *5* सहित कई अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए पीडब्लू-*115* द्वारा दी गई मंजूरी है। अन्य अभियुक्त ए *1*, ए *3* और ए *6* हैं। शस्त्र अधिनियम की धारा *39* के तहत यह मंजूरी प्रभारी पुलिस होने के नाते पीडब्लू-*115* द्वारा दी गई थी।

प्रासंगिक समय पर अहमदाबाद शहर के आयुक्त। दिनांक *1* की अधिसूचना के अनुसार, गुजरात राज्य को पोटा के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। केवल अधिसूचित क्षेत्र में आग्नेयास्त्र रखना पोटा की धारा *4* के अनुसार एक अपराध है। *[* पारस *174 (*ए*), 175] [576*-एफ; *578*-ए-सी*]*

12.5 सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ने कहा कि शरीर से बरामद गोली पी. डब्ल्यू.-*39* थी जिसे शरीर से दागा गया था।

ए *5* के कहने पर *7.65* मिमी की पिस्तौल मिली। पीडब्लू-*39* की दुकान से बरामद तीन खाली कारतुस भी उसी हथियार से दागे गए थे, जो शस्त्र अधिनियम, *1959* के अनुसार एक आग्नेयास्त्र है। पीडब्लू *87,65,108* और *120* के साक्ष्य में कोई अंतर विसंगतियां नहीं हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के अंतर सेलुलर मोबाइल संचार के लिए, पीडब्लू-*11*, पीडब्लू-*17*, पीडब्लू-*33* पीडब्लू-*36* और पीडब्लू-*46* की गवाही विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। इनके अलावा, पीडब्लू *25,26,35,40* पुष्टि करने वाले साक्ष्य भी प्रदान करते हैं। इस साक्ष्य के बावजूद, ए *5* से

मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी न होना, वास्तव में, उसके खिलाफ एक दोषपूर्ण परिस्थिति होगी। ए-*5* ने साजिश के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शुरुआत से ही, मृतक की हत्या और उसके बाद खुद सहित विभिन्न अभियुक्तों के फरार होने तक। उन्होंने अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों की खरीद, संचालन और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। *7.65* वास्तव में एमएम पिस्तौल की खोज की गई और उसके पास से बरामद की गई।

उदाहरण। इस प्रकार, उन्हें पोटा की धारा *3 (1)* आर/डब्ल्यू *3 (3)* के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120* बी और *120* बी के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *3 (1)* आर/डब्ल्यू *3 (3)* के तहत अपराध करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा ठीक ही दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

मृतक की हत्या का अपराध। वही पुनर्स्थापित किया जाता है। *[* पारस *176,177,178* और *179] [578*-डी-एच*; 579*-ए-बी*]*

12.6 ए *6* का इकबालिया बयान दिया गया है

पीडब्लू-*11*, पीडब्लू-*13*, पीडब्लू-*17*, पीडब्लू-*33* और पीडब्लू-*110* द्वारा पुष्टि की गई। वे सिम कार्ड की बरामदगी के गवाह हैं। की निकटता

ए-*6* समूह के बाकी सदस्यों के साथ, ए-*1* को लॉ गार्डन ले जाने और समाचार पत्र पढ़ने के बहाने मृतक की हत्या तक प्रतीक्षा करने और उसके बाद ए-*1* को शाहपुर मिल परिसर में ले जाने और हथियार और वाहन सौंपने में उनका स्पष्ट कार्य और सावधानीपूर्वक विवरण के साथ सब कुछ पूरा करना सभी इकबालिया बयानों में परिलक्षित होता है। पीडब्लू-*11*, पीडब्लू-*13*, पीडब्लू-*17*, पीडब्लू-*33* और इकबालिया बयान की पुष्टि करने वाले गवाह हैं।

वे सिम कार्ड की बरामदगी के भी गवाह हैं। पीडब्लू-*27* ने ए-*6* के घर पर लैंडलाइन संख्या साबित की थी और उक्त तथ्य को ए-*6* द्वारा भी स्वीकार किया गया था। मोबाइल फोन लोकेशन के रिकॉर्ड से भी सबूतों से साबित होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का पता चलता है। अपराध के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरबाइक को पीडब्लू-*45* को सौंप दिया गया, जो अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध करने लगा। वह ए-*1* को देखने के लिए ले गया था और उसे वापस भी ले आया था और एक हथियार भी ले गया था। समूह के बाकी सदस्यों के साथ उसकी निकटता और मृतक को मारने की साजिश में उसकी संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत द्वारा ए-*6* को आई. पी. सी. की धारा *120* बी के तहत और पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के तहत दोषसिद्धि और सजा उचित पाई गई है। *[* पारस *182* और *185] [581*-बी, जी-एच*; 583*-बी-एफ*]*

12.7 अभिलेख से यह स्पष्ट है कि ए-*7* प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान नहीं जा सका क्योंकि रमजान के महीने में उसके माता-पिता

अमेरिका से आने वाले थे और उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। हालाँकि, उन्होंने प्रशिक्षण के लिए जाने वाले सभी लोगों को पूर्ण रसद सहायता प्रदान की है। ए-*7* के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है। विचारण न्यायालय ए-*7* द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के साथ-साथ मृतक की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा *120* बी आर/डब्ल्यू धारा *302* के तहत उचित पाई गई है।

[पैरा *187,192* और *193] [584-ई; 587-*जी-एच*]*

12.8 कुल मिलाकर, ए *8* का इकबालिया बयान ए *6* के समान है। हालाँकि उन्होंने जबरन *[2019] 8* एस. सी. आर. की शिकायत की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उसके इकबालिया बयान का निष्कर्ष निकालना

खाली कागजात, निचली अदालत ने उनके देर से वापस लेने के मद्देनजर इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसे कानूनी सलाह पर माना गया था, किसी भी न्यायिक अधिकारी को कोई पूर्व शिकायत नहीं की गई थी और धारा *32*, पोटा के सभी सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था।

पीडब्लू-*21*, पीडब्लू-*120* और पीडब्लू-*91*

एस. पी.

साबित करें

ए-*8* के इकबालिया बयान के संबंध में, अनुरोध का समकालीन रिकॉर्ड, प्रारंभिक पूछताछ, जो सावधानी बरती गई थी और पोटा की धारा *32 (4)* के तहत पुष्टि प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त, ए-*7* के अपराध को साबित करने के लिए जाँच किए गए सभी गवाहों से ए-*9* की संलिप्तता को भी साबित करने के लिए जाँच की जाती है। पुष्टि करने वाले साक्ष्य पीडब्लू-*11*, पीडब्लू-*17*, पीडब्लू-*21*, पीडब्लू-*45*, पीडब्लू-*52*, पीडब्लू-*60*, पीडब्लू-*77*, पीडब्लू *91*, पीडब्लू-*114*, पीडब्लू-*117* और पीडब्लू-*120* से भी सामने आते हैं। पीडब्लू-*119* और

पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (1)* के साथ-साथ धारा *120* बी और *120* बी के तहत अपराध करना। मृतक की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा *307*। वही पुनर्स्थापित किया जाता है। *[* पारस *198,199* और *202] [589-*एफ-एच*; 590-*ए-बी; जी-एच*; 591-*ए*]*

12.9 पाकिस्तान में ए-*9* के प्रशिक्षण और वहां से लौटने का विवरण

वहाँ, ए. एम. टी. एस. विस्फोटों में अपने ज्ञान और भूमिका के साथ,

बयान में पीडब्लू-*39* पर हमला और मृतक की हत्या का उल्लेख किया गया है। ए *9* षड्यंत्र के पूरे क्रम में दूसरों द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण भी प्रदान करता है। *60* उन्हें चिंतन के लिए घंटों का समय दिया गया था। इच्छाशक्ति को फिर से सत्यापित किया गया

बयान दर्ज करें। ए *9* ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। शाम *4.5* बजे उसकी हिरासत पीडब्लू-*120* को सौंप दी गई। अगले दिन रविवार होने के कारण, उन्हें *09.06.03* पर सुबह *10.35* पर पीडब्लू-*91* के सामने पेश किया गया। नहीं।

पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के हाथों किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी की कोई शिकायत नहीं की गई थी। समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने दोषी ठहराया और

उसे पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (1)* के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120* बी और आई. पी. सी. की धारा *120* बी के साथ मृतक की हत्या के लिए भी सजा सुनाई गई। वही पुनर्स्थापित किया जाता है। *[* अनुच्छेद *203* और *209] [591*-बी-डी; *592*-डी*]* केंद्रीय अन्वेषण खंड।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

12.10 इस बात के प्रमाण हैं कि ए-*10* ने साजिश को अंजाम देने के लिए सभी रसद समर्थन प्रदान किए हैं और बाहर से आए लोगों के ठहरने की व्यवस्था और उनके परिवहन, मोटरसाइकिल, हथियार और गोला-बारूद की व्यवस्था। साक्ष्य स्पष्ट रूप से मृतक की हत्या की साजिश में ए-*10* की भूमिका को साबित करता है और उसे पोटा के तहत और मृतक की हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त के खिलाफ उपलब्ध समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे निचली अदालत द्वारा पोटा की धारा *3 (1)* और धारा *3 (3)* के साथ-साथ मृतक की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा *120* बी और धारा *120* बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बहाल किया जाता है। *[* अनुच्छेद *218* और *223] [596*-डी; *598*-सी; *600*-ई*]*

12.11 ए-*2* को निचली अदालत ने पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे इसका लाभ दिया गया था पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. के तहत अन्य सभी अपराधों का संदेह। राज्य/सी. बी. आई. द्वारा उसे बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जाती है। निचली अदालत ने ए-*2* को पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दोषी ठहराया है और उसे *7* साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की है।

और दोषसिद्धि के साथ-साथ जुर्माने की राशि यानी *Rs.10,000/-* को बनाए रखा। कठोर कारावास की सजा को पहले से जेल में बिताए गए अवधि यानी *5* साल में संशोधित किया गया है।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सी. बी. आई. अपील में है। पोटा की धारा *3 (3)* के तहत न्यूनतम सजा *5* साल है और अब तक *8* साल बीत चुके हैं और आरोपी पहले ही *5* साल से थोड़ा अधिक गुजर चुका है। आगे कोई मामला नहीं हस्तक्षेप की मांग की जाती है क्योंकि सी. बी. आई. ने निचली अदालत के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद नहीं किया। पोटा के तहत दोषसिद्धि और सजा के बारे में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। *[* पैरा *224] [600*-एफ-एच; *601*-ए-बी*]*

12.12 ए-*3* के संबंध में विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किया है

आई. पी. सी. की धारा *307* के साथ पठित धारा *120* बी के तहत दोषसिद्धि और उसे *7* साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। *3, 000* रुपये के जुर्माने के साथ। पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. के तहत उन पर लगाए गए अन्य सभी अपराधों के लिए भी उन्हें संदेह का लाभ दिया गया था। उच्च न्यायालय ने भी बनाए रखा है और *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत द्वारा उसे दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। चूंकि सी. बी. आई. ने इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की थी। ए-*3* के विरुद्ध विचारण न्यायालय, आगे हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है। *[* पैरा *225] [601*-एफ*]*

12.13 ए-*12* उन्हें केवल धारा *3 (3)* के तहत दोषी ठहराया गया था।

पोटा और ट्रायल कोर्ट द्वारा *5* साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है और पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखा। *[* पैरा *226] [601*-डी-ई*]*

12.14 बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने कोई अपील नहीं की थी

ए-*2*, ए-*3* और ए-*12* और चूंकि उन्होंने ए-*2* के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई सजा को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, इसलिए उनके खिलाफ दोषसिद्धि और दी गई सजा के फैसले में और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सी. बी. आई. द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। *[* पैरा *227] [601*-एफ*]*

12.15 मुकदमे द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और सजा

पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के तहत ए-*1*, ए-*4*, ए-*5*, ए-*6*, ए-*7*, ए-*8*, ए-*9*, ए-*10* और ए-*11* और *120*-बी और धारा *305* पर न्यायालय ने कहा कि

आई. पी. सी. की धारा *120*-बी के साथ, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, बहाल किया जाता है। गुजरात राज्य द्वारा दायर अपीलों का निपटारा *2012* की आपराधिक अपील *Nos.140-151* में दिए गए निर्णय के संदर्भ में किया गया है। *[* पैरा *270,271* और *272] [623*-सी-डी*]*

13.1 फरार अभियुक्त के मामले में, जिस पर मुकदमा चलाया गया था

अलग से, निचली अदालत ने पाया कि हालांकि उनकी मुंबई यात्रा साबित हुई है, लेकिन मुंबई में कोई साजिश नहीं रची गई थी। धारा *164 (1) Cr.P.C* के तहत उनका बयान शुरू में एक गवाह के रूप में दर्ज किया गया था जिसे दर्ज नहीं किया गया है।

अदालत। यहां तक कि बयान को पी. डब्ल्यू. *39* की हत्या के प्रयास या मृतक की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। उन्होंने घटना की तारीख को मुख्य आरोपी *(*ए-*1)* के साथ नहीं था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

पीडब्लू *39* की हत्या के प्रयास और मृतक की हत्या की साजिश में आरोपी की कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है। *[* पैरा *233] [623*-सी-डी; जी-एच*]* *13.2* उसने ए-*1* को आवास में लाने के लिए एक अन्य आरोपी की कार ली थी, जिससे वह हत्या का साजिशकर्ता नहीं बन सकता।

मृतक की, क्योंकि यह एक बाद की घटना थी। टिफिन बम दुर्घटना के बाद पीडब्लू *39* को मारने की साजिश रची गई और

मृतक जिसका आरोपी हिस्सा नहीं था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष को बाधित नहीं किया था। सन्देह का लाभ विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से बढ़ाया गया है। मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही *17* महीने की सजा काट चुका है और *Rs.21* का जुर्माना भी चुका चुका है। लाख, इस प्रकार, उसके खिलाफ हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया जाता है। *[* अनुच्छेद *233* और *234] [603*-बी-ई*]*

14.1 रिट याचिका मामले में आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर आरोपी के वकील के रूप में दायर की गई है।

अनुशासन, विशेष रूप से जब आपराधिक अपीलों की सुनवाई अंततः की जा रही थी और यह न्यायालय मामले के नियंत्रण में था और निर्णय अंततः *31.1.2019* पर सुरक्षित रखा गया है। प्रासंगिक समय पर जब याचिका दायर की गई थी, जाहिर है कि याचिकाकर्ता सीपीआईएल था आपराधिक अपीलों की सुनवाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं और यह तथ्य रिट याचिका में नहीं कहा गया है कि आपराधिक अपील की जा रही थी

पिछले कई महीनों से डब्ल्यू. ई. एफ. *1.11.2018* के गुण-दोष के बारे में सुना गया। यह चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि अभियुक्तों ने पी. आई. एल. *[2019] 8* एस. सी. आर. की आड़ में याचिका दायर करने के उपरोक्त तरीके का सहारा लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. आई. एल. को उनके स्वहित में दस्तावेजों की आपूर्ति करके और

वस्तुतः अभियोजन पक्ष के मामले पर उसी आधार पर हमला करना और जो भी नई सामग्री दायर की गई है। *[* पैरा *245] [608*-ए-जी*]*

14.2 जिस बयान पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया वह पूरी तरह से एक आपराधिक मामले के संदर्भ से बाहर था जिसमें उन्होंने

पदच्युत कर दिया। यह स्पष्ट रूप से किसी अन्य मामले के बारे में बयान को विवाद के लिए अप्रासंगिक बनाने का एक विचार के रूप में एक प्रयास था। यह स्पष्ट रूप से एक प्रेरित और झूठ का पुलिंदा प्रतीत होता है।

क्योंकि वह पिछले में चूक का कोई कारण नहीं दे सका था बयान जिसमें यह मुद्दा भी शामिल नहीं था। *[* पैरा *246* और *247] [609*-ए-बी, जी*]*

14.3 राणा अयूब की पुस्तक, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया,

इसका कोई उपयोग नहीं है। यह अनुमानों, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है और इसका कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। किसी व्यक्ति की राय साक्ष्य के दायरे में नहीं है। इसके राजनीति से प्रेरित होने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। गोधरा घटना के बाद गुजरात में जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, इस तरह के आरोप और जवाबी आरोप असामान्य नहीं हैं और कई बार उठाए गए हैं और इन्हें असमर्थनीय और बाद में सोचा गया पाया गया है। *[* पैरा *248] [610*-बी-सी*]* *14.4* जहाँ तक मृतक के परिवार द्वारा

लगाए गए आरोप हैं। मृतक के पिता और पत्नी द्वारा, मामले को उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। आरोप पत्र में मृतक की पत्नी को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। *16.11.2006* पर, अभियोजन पक्ष ने मृतक की पत्नी सहित गवाहों को छोड़ने के लिए अंतिम पर्ची और पर्ची प्रस्तुत की। इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि आवेदक ने आगे की जांच से इनकार करते हुए पारित आदेश को चुनौती नहीं दी। एक समान आवेदन था

समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर *18.12.2006* पर प्रस्तुत किया गया जो

पोटा न्यायाधीश द्वारा *25.6.2007* पर भी खारिज कर दिया गया था। की एक प्रति मृतक की पत्नी, आवेदक को भी आदेश दिया गया था। इसके बाद, मृतक के पिता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसका निर्णय *20.6.2008* के फैसले और आदेश के माध्यम से किया गया था। *[*पैरा *249] [610*-डी-एफ*]*

14.5 उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि गैर

मृतक की पत्नी की जांच आगे केंद्रीय जांच के लिए कोई आधार नहीं है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

जांच पड़ताल की। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि

साक्षात्कार में, मृतक की पत्नी द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि उसके पास राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में कोई सबूत/सामग्री नहीं है। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोप पर, आगे की जांच या पुनः

जाँच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। आई. ओ. ने कहा है कि जाँच के दौरान उन्हें मृतक के पिता के अस्पष्ट बयान के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में कोई सामग्री नहीं मिली, राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ आगे की जाँच का आदेश दिया जाना संभव नहीं था। आवेदक के पास कोई सामग्री नहीं है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की सामग्री की पुष्टि करें। सामग्री के अभाव में, आगे की जांच या पुनः जांच के लिए कोई आदेश नहीं हो सकता है। योग्यता के आधार पर, आवेदक आगे की जाँच या पुनः जाँच के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। *[*पैरा *250] [613*-बी-डी*]*

14.6 मृतक की पत्नी चश्मदीद गवाह नहीं थी,

मान लीजिए, और उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। वह मामले में जाँच के लिए एक चश्मदीद गवाह नहीं थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उसे रोक दिया है और उसने किसी भी आंशिक कहानी का खुलासा किया होगा जो मामले के लिए सामग्री थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं थी, ने भी अंतिमता प्राप्त की। *[*पैरा *251* और *252] [613*-ई-एच*; 614*-ए-बी*]*

14.7 इसके बाद, मृतक की पत्नी ने एक और प्रयास किया, हालांकि वह कोई याचिका दायर करने की हकदार नहीं थी यह मृतक के पिता द्वारा निचली अदालत के समक्ष की गई प्रार्थना को देखते हुए दायर किया गया था क्योंकि पिता ने निचली अदालत के समक्ष उसके द्वारा दायर आवेदनों पर पारित आदेशों पर सवाल उठाया था। उच्च न्यायालय ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। *[*पैरा *253] [614*-बी-सी*]*

14.8 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामला अंतिम रूप ले चुका है। एक बार फिर आपराधिक अपीलों में मामले की जांच गुण-दोष के आधार पर की गई है जैसा कि मामला मृतक से संबंधित है। गुण-दोष के आधार पर, आजम खान के बयान और राणा अयूब की पुस्तक सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखते हुए, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर कोई मामला नहीं बनाया गया है ताकि आगे की जांच या पुनः जांच का निर्देश दिया जा सके। उस उद्देश्य के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। एसएलपी की बर्खास्तगी के कारण मामला पहले ही अंतिम रूप ले चुका है। अन्यथा भी याचिका समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की रिपोर्टों पर आधारित रही है। समाचार पत्र रिपोर्ट *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सबूत न बनाएँ। एक समाचार पत्र में निहित तथ्य का एक बयान केवल सुनी-सुनाई बात है और इसलिए इसमें अस्वीकार्य है।

बयान देने वाले की अनुपस्थिति में अदालत में पेश होने और बयान देने वाले ने रिपोर्ट किए गए तथ्य को स्वीकार किया है। *[* पैरा *254* और *258] [615-*डी-एफ*; 616-*सी*]*

कुसुम लता बनाम। भारत संघ *(2006) 6* एससीसी *180: [2006] 3* पूरक। एस. सी. आर. *462;* रोहित पांडे बनाम भारत संघ

(2005) 13 एस. सी. सी. *702;* होलिको पिक्चर्स *(*प्राइवेट*)* लिमिटेड बनाम प्रेम चंद्र मिश्रा *(2007) 14* एस. सी. सी. *281: [2007] 12* एससीआर *1068;* लक्ष्मी राज शेट्टी बनाम। तमिलनाडु राज्य

विनय त्यागी बनाम। इरशाद अली *(2013) 5* एससीसी *762: [2012] 13* एससीआर *1005;* मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रमुख सचिव
टेरी और ओआरएस। *(2014) 2* एस. सी. सी. *532;* ज़हिरा हबीबुल्ला

शेख और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्य। *(2004) 4* एससीसी *158: [2004] 3* एस. सी. आर. *1050;* पूजा पाल बनाम। भारत संघ *(2016) 3* एससीसी *135: [2016] 11* एससीआर *560;* तहसीन

पूनावाला बनाम. भारत संघ *(2018) 6* एससीसी *72:*

[2018] 9 एस. सी. आर. *1-*संदर्भित
15.1 जनहित याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर नहीं की जा सकती है।

लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या कोई अप्रत्यक्ष विचार। अभियोजन पक्ष के खिलाफ किए गए आपराधिक मामले में अनावश्यक निष्कर्ष

कभी-कभी अभियुक्त के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। *[* पैरा *259] [616-*डी*]* *15.2* तत्काल मामले में, पी. आई. एल. के मंच का दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी अपराध के संबंध में निजी शिकायत दर्ज की गई हो। सीबीआई ने

मामले की पूरी तरह से और बारीकी से जांच की गई और आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश स्थापित की गई है। अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में आपराधिक अपीलों में भारी सबूतों पर चर्चा की

जाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच किसी भी तरह से अनुचित, एकतरफा, असफल या गलत तरीके से की गई थी। पूरी निष्पक्षता में, ऐसी याचिका सी. पी. आई. एल. द्वारा दायर नहीं की जानी चाहिए थी

अभियुक्त, यह स्पष्ट रूप से पी. आई. एल. के मंच का दुरुपयोग है। *[* पैरा *263] [619-*जी-एच*; 620-*ए-सी*]*

राजीव रंजन सिंह *'*ललन*' (viii) v.* भारत संघ

(2006) 6 एससीसी *613: [2006] 4* पूरक। एससीआर *742;* गुलजार अहमद आज़मी बनाम।

भारत संघ, *(2012) 10* एस. सी. सी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

731 : [2012] 9 एस. सी. आर. *287;* सिमरजीत सिंह मान बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. *(1992) 4* एससीसी *653;* अशोक कुमार

पांडे बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, *(2004) 3* एस. सी. सी. *349: [2003] 5*

पूरक। एस. सी. आर. *716-*पर निर्भर।

ए. आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और अन्न।

(1984) 2 एससीसी *500: [1984] 2* एस. सी. आर. *914;* बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर. *1984* एससी

802 [1984] 2 एस. सी. आर. *67-*लागू नहीं होता

16.1 सी. पी. आई. एल. की ओर से पेश होने वाला वकील सी. पी. आई. एल. द्वारा दायर मामले में वकील के रूप में पेश नहीं हो सकता है क्योंकि वह सी. पी. आई. एल. की कार्यकारी समिति का सदस्य है। भारतीय बार काउंसिल द्वारा भाग *VI* के अध्याय *II* की धारा *I* में निहित व्यावसायिक नैतिकता का नियम, नियम *8* केवल तभी अपवाद बनाता है जब ऐसा सदस्य न्याय मित्र के रूप में या बार काउंसिल, निगमित लॉ सोसाइटी या बार एसोसिएशन की ओर से शुल्क के बिना उपस्थित हो रहा हो। सी. पी. आई. एल. जैसी संस्था कोई अपवाद नहीं है। *[* पैरा *266* और *267] [621-*ई-एफ*; 622-*बी*]*

16.2 नियम *8* के उल्लंघन में उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, इस आधार पर कि नियम मनमाना या अधिकार से परे है। न्यायालय द्वारा अब तक इस नियम को अवैध या अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया गया है। नियम *8* बार के सदस्यों के लिए तब तक बाध्यकारी है जब तक कि विचाराधीन नियम में संशोधन नहीं किया जाता है या किसी भी कारण से मनमाना या अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जाता है, इसका बार के सदस्यों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। पेशेवर नैतिकता के नियमों का पालन सभी संबंधित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि उनका पालन एक उल्लंघन में किया जाता है, वह भी इस न्यायालय के समक्ष और वह भी यह जानते हुए कि उपरोक्त अप्रमाणित आधार पर निहितार्थ, नैतिकता के नियमों के उल्लंघन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर बार काउंसिल के बाद

बयान देने से नियम में संशोधन नहीं हुआ है, एक उपयुक्त याचिका में नियम पर नए सिरे से सवाल उठाया जाना चाहिए था। सी. पी. आई. एल. की ओर से एक वकील द्वारा उपस्थिति, जो उक्त केंद्र की कार्यकारी समिति में है, को उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह नियमों के तहत कदाचार को परिभाषित करता है। इस में

है उपरोक्त नियमों के नियम *8* का उल्लंघन। जब तक इसे अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जाता है, हम मानते हैं कि अधिवक्ता इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। *[* पैरा *268] [622-*डी-एफ*]*

17. परिणामस्वरूप, याचिका को ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि

ईमानदारी से दाखिल किया गया। अन्यथा भी, याचिका योग्यता से रहित है।

मुख्य रूप से वही प्रश्न उठाते हैं जिन पर अपील में विचार किया गया है। मामले में आगे की जाँच या पुनः जाँच का निर्देश देने के लिए ऐसी कोई और सामग्री नहीं है। मामला आखिरकार शांत हो जाना चाहिए था क्योंकि परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका भी इस अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है, इस मामले को फिर से उठाया गया है।

और फिर से, अनुमेय नहीं है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुचित था। यही राजनीतिक प्रतिशोध के बराबर है। रिट याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा किए जाने के लिए *Rs.50,000/-*की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

अधिवक्ता कल्याण कोष। *[* अनुच्छेद *269* और *274] [622-*जी-एच*; 623-*ए*; 624-*सी-डी*]*

मामला कानून संदर्भ

[1999] 3 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *18*

[2013] 15 एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *19*

संदर्भित किया गया है

पैरा *43*

ए. आई. आर *2002* एस. सी. *2710*

[2009] 15 एससीआर *1252*

पैरा *46*

संदर्भित किया गया है

[2010] 13 एससीआर *311*

उस पर भरोसा करें

पैरा *50*

[2007] 10 एससीआर *347*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

[2004] 4 पूरक। एससीआर *409*

उस पर भरोसा करें

पैरा *52*

(2003) 12 एस. सी. सी. *758*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53*

[1976] 1 एससीआर *27*

संदर्भित किया गया है

पैरा *54*

प्रतिष्ठित

पैरा *55*

[2002] 1 एससीआर *208*

प्रतिष्ठित

पैरा *56*

[2016] 7 एससीआर *713*

उस पर भरोसा करें

पैरा *58*

[2013] 5 एस. सी. आर *924*

उस पर भरोसा करें

पैरा *59*

[2014] 2 एससीआर *567*

उस पर भरोसा करें

पैरा *60*

[1987] 2 एससीआर *962*

प्रतिष्ठित

पैरा *77*

उस पर भरोसा करें

ए. आई. आर *1981* एस. सी. *1442*

पैरा *78*

[2010] 8 एससीआर *1150*

उस पर भरोसा करें

पैरा *78*

[2011] 7 एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *78*

[1997] 1 पूरक। एससीआर *96*

उस पर भरोसा करें

पैरा *98*

[1994] 1 एससीआर *387*

उस पर भरोसा करें

पैरा *99*

[1962] एससीआर *589*

उस पर भरोसा करें

पैरा *106*

[2005] 5 पूरक। एससीआर *439*

उस पर भरोसा करें

पैरा *107* केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम

उस पर भरोसा करें

2 पूरक। एससीआर *79*

पैरा *124*

3 एससीआर *840*

उस पर भरोसा करें

पैरा *128*

| 7 एससीआर *48*

प्रतिष्ठित

पैरा *130*

प्रतिष्ठित

पैरा *131*

1956 एससी *56*

| 6 पूरक। एससीआर *171*

प्रतिष्ठित

पैरा *133*

| 10 पूरक। एससीआर *662*

प्रतिष्ठित

पैरा *134*

| 2 पूरक। एससीआर *24*

संदर्भित किया गया है

पैरा *140*

945 नागपुर *60*

पैरा *147*

संदर्भित किया गया है

1940 पटना *683*

संदर्भित किया गया है

पैरा *147*

51 कैल। *359*

संदर्भित किया गया है

पैरा *147*

उस पर भरोसा करें

1963 एससी *1906*

पैरा *147*

उस पर भरोसा करें

पैरा *149*

| 16 एससीआर *155*

| 4 पूरक। एससीआर *498*

संदर्भित किया गया है

पैरा *163*

| 9 एससीआर *54*

संदर्भित किया गया है

पैरा *164*

6 एससीआर *988*

संदर्भित किया गया है

पैरा *165*

पैरा *169*

संदर्भित किया गया है

1960 एससी *490*

| 13 एससीआर *1005*

संदर्भित किया गया है

पैरा *240*

2 एस. सी. सी. *532*

संदर्भित किया गया है

पैरा *240*

| 3 एससीआर *1050*

संदर्भित किया गया है

पैरा *240*

पैरा *240*

| 11 एससीआर *560*

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

| 12 एससीआर *1068*

पैरा *242*

उस पर भरोसा करें

3 एससीआर *706*

पैरा *24*

संदर्भित किया गया है

| 9 एससीआर *1*

पैरा *243*

3 पूरक। एससीआर *462*

उस पर भरोसा करें

पैरा *254*

उस पर भरोसा करें

13 एस. सी. सी. *702*

पैरा *256*

| 4 पूरक। एससीआर *742*

उस पर भरोसा करें

पैरा *259*

उस पर भरोसा करें

पैरा *260*

19 एससीआर *287*

उस पर भरोसा करें

पैरा *261*

4 एस. सी. सी. *653*

5 पूरक। एससीआर *716*

उस पर भरोसा करें

पैरा *262*

अप्रयोज्य रखा गया

2 एससीआर *914*

पैरा *263*

अप्रयोज्य रखा गया

| 2 एससीआर *67*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील/मूल न्यायनिर्णयः

आपराधिक अपील सं। *140-151 2012* का आपराधिक अपील संख्या में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित *29.08.2011* के निर्णय और आदेश से। *975 981,984* से

986 , 1049 और *2007* का *1188*

के साथ

आपराधिक अपील सं। *83-94 2012* का *981-982,2019* का *983,*

लेखन याचिका *(*सीआरएल*) 2019* की संख्या *26*।

तुषार मेहता, एस. जी., अमरेंद्र शरण, राजू रामचंद्रन, शांति भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय कुमार त्यागी, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, राजेश कुमार सिंह, रंजन कुमार चौरसिया, प्रकाश गौतम,

श्यामल कुमार, कबीर शंकर बोस, श्रीमती दीपानविता प्रियंका,

संदीप सिंह, अजय कुमार पांडे, सुजीत सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, संतोष के. पांडे, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री विशाखा, संजय कुमार त्यागी, मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री नित्या रामकृष्णन, सादुज्जमान, शादन फरासत, सुश्री श्रुति नारायण, सुश्री जाहनवी सिंधु, समर्थ खन्ना, सुश्री सुकृति भटनागर, सुश्री अपराजित मुखर्जी, संचित गुरु, इरशाद अहमद, मृगांक प्रभाकर, ईश्वर मोहंती, सुश्री हमसिनी।

शंकर, साद, प्रशांत भूषण, रोहित के. सिंह, रजत नायर, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौसरिया, बीवी बलराम दास, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. *1.* संक्षेप में, तथ्य यह बताते हैं कि शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा गुजरात राज्य के पूर्व गृह मंत्री श्री हरेन पांड्या की हत्या और अहमदाबाद के विश्व हिंदू परिषद *(*वीएचपी*)* के नेता श्री जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास के संबंध में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। हत्या का मामला शुरू में श्री जनक सिंह परमार द्वारा आई-सी. आर. वाली एफ. आई. आर. के आधार पर दर्ज किया गया था। एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन, अहमदाबाद में *No.272/2003,26.3.2003* पर। दो दिनों के बाद, गुजरात सरकार ने *28.3.2003* पर मामले की जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया। बाद में श्री जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास का मामला भी सी. बी. आई. को सौंप दिया गया और इसे *2.6.2003* पर दर्ज किया गया। *2.* मामलों में जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से पता चला कि दोनों घटनाएं एक ही लेन-देन का हिस्सा थीं और एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई आम साजिश के अनुसरण में, वे की गई थीं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इसका उद्देश्य हिंदुओं में दहशत फैलाना था। यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। श्री हरेन पांड्या एक भाजपा नेता थे जो पहले गृह मंत्री के पद पर थे। उन्होंने अहमदाबाद में गोधरा के बाद के दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक भीड़ का नेतृत्व किया था जिसने पालदी इलाके में एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था और इसके पुनर्निर्माण का विरोध किया था। एक मुफ्ती सूफियान, फरार आरोपी, लाल मस्जिद में एक उपदेशक

माचिसवाला *(ए-5)* ने अत्याचारों का बदला लेने की साजिश रची और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में इसे लागू किया। अहमदाबाद शहर की एएमटीएस बसों में *29.5.2002* पर कई मुस्लिम युवाओं द्वारा टिफिन बम लगाए जाने की घटना हुई, जिसके बाद मुफ्ती सूफियान, सोहेल खान पठान और अन्य लोगों को उकसाया गया। उन्होंने बड़ी साजिश की योजना बनाई और सत्ता में बैठे लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेजने पर विचार किया। इसके अलावा, अहमदाबाद और हैदराबाद के कई युवाओं को हथियारों

के प्रशिक्षण के लिए समूहों में पाकिस्तान भेजा गया था ताकि वे अपनी वापसी पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकें। उनमें से कुछ के पास पासपोर्ट थे और अन्य ने कथित तौर पर भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार किया और पाकिस्तान चले गए जहाँ उन्होंने पिस्तौल, राइफल, एल. एम. जी., एस. एल. आर., हथगोले, विस्फोटक उपकरणों, रेकी, धोखाधड़ी आदि के उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें प्रशिक्षण के उद्देश्य से भेजा गया था और उसे प्राप्त करने के बाद वे जनवरी में अहमदाबाद लौट आए।

2003 और मार्च *2003*।

3. कराची *(*पाकिस्तान*)* में स्थानांतरित होने से पहले रसूल खान उर्फ सुलेमान हैदराबाद में रहते थे। उन्होंने एक स्थानीय राजनेता मोहम्मद अब्दुल रउफ *(ए-2)* को गुजरात में मुसलमानों पर किए गए कथित अत्याचारों का बदला लेने और हिंदू समुदाय के सदस्यों के मन में आतंक पैदा करने की साजिश में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुलेमान के कहने पर, मोहम्मद अब्दुल रउफ ने आंध्र प्रदेश के *14* लड़कों को चुना, प्रेरित किया और हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा, जिसमें हैदराबाद के एक ज्ञात अपराधी असगर अली *(ए 1)* भी शामिल थे। उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था और वे इसके लिए प्रेरित थे

गुजरात में काम करें और आतंक पैदा करें। असगर अली बड़ा काम करना चाहते थे आतंकवादी कृत्य और अंततः पाकिस्तान में स्थानांतरित होना चाहता था। उन्होंने *[2019] 8* एस. सी. आर. के अनुसार कार्य किया।

रसूल खान और मुफ्ती सूफियान की सलाह पर वे उदयपुर गए जहाँ से वे अहमदाबाद पहुँचे। असगर अली *(ए 1)* ने अपने दोस्त, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा निवासी मोहम्मद शफीउद्दीन को अहमदाबाद में अपने साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया। षड्यंत्रकारियों ने सबसे पहले श्री जगदीश तिवारी को खत्म करने का फैसला किया, जिन्होंने कथित तौर पर गोधरा के बाद के दंगों के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह तय किया गया कि असगर अली और उनके दोस्त मोहम्मद

शफीउद्दीन अन्य षड्यंत्रकारियों द्वारा दिए गए आवश्यक रसद समर्थन के साथ, श्री जगदीश तिवारी पर *11.3.2003* पर हमला करेगा।

4. घटना के कुछ दिनों बाद *11.3.2003* पर एक बैठक हुई थी

श्री हरेन पांड्या को खत्म करने के लिए मुफ्ती सूफियान और अन्य लोगों ने व्यवस्था की और यह सोहेल खान द्वारा *17/18.3.2003* पर अन्य साजिशकर्ताओं को बताया गया कि योजना के निष्पादन के सूक्ष्म पहलुओं को अंतिम रूप दिया गया जिसके परिणामस्वरूप असगर अली *(A1)* द्वारा *26.3.2003* पर अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के समर्थन से लॉ गार्डन के सामने सुबह *7:30* बजे इसे निष्पादित किया गया। जाँच के दौरान जैसे ही साजिश का पता चला, आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002 (*संक्षेप में *'*पोटा*')* के प्रावधानों को लागू किया गया था और तदनुसार, संबंधित मजिस्ट्रेट को जानकारी भेजी गई थी। ये मामले विशेष अदालत को सौंपे गए थे

पोटा के तहत। *8.9.2003* पर मामले में एक संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया था। *5.* चार अभियुक्त व्यक्ति फरार थे जो ए*-13*, ए*-14*, ए*-18* और ए*-19* हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सका जबकि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

भारतीय दंड संहिता, *1860 (*संक्षेप में, "आई. पी. सी"*.)* की धारा *120* बी के साथ पठित धारा *120* बी, *302,307,201* और शस्त्र अधिनियम, *1959* की धारा *25 (1) (*बी*) (*ए*), 27 (1)* और धारा *5 (*संक्षेप में, "शस्त्र अधिनियम"*)* और पोटा की धारा *3 (1), 3 (2), 3 (3), 3 (4)* और धारा *4* के तहत दंडनीय। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। निचली अदालत आगे बढ़ी

12 अभियुक्त व्यक्तियों के मुकदमे के साथ। अभियोजन पक्ष ने सभी *122* गवाहों से पूछताछ की। बहुत सारे दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किए गए हैं। धारा *313 Cr.P.C* के तहत आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और आग्रह किया कि उनमें से प्रत्येक के खिलाफ जबरन इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं और इसमें स्वैच्छिकता का कोई तत्व नहीं है। यह है मामला

असली दोषियों को बचाने के लिए उनके खिलाफ बनाया गया। बचाव में *8* गवाहों से पूछताछ की गई है। दोषसिद्धि और दण्डादेश

निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित और अवधि निम्नानुसार रही हैः

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

दोषसिद्धि और सजा का नाम

सजा द्वारा दोषसिद्धि और सजा

उच्च न्यायालय

एल. डी. द्वारा लगाया गया। ट्रायल

द.

गुजर चुका है

आरोपित

अदालत

मोहम्मद यू के *3 (1)* आर/डब्ल्यू *3 (3)* के तहत दोषी ठहराए गए, मुकदमे द्वारा दी गई सजा

8 वर्षों

न्यायालय यू/एस *307* आर/डब्ल्यू *120*-बी

एस. *4* आर/डब्ल्यू एस. *3 (3)* ऑफ पोटा

असगर अली *[*ए*-1]*

आई. पी. सी., पोटा की यू/एस 4 आर/डब्ल्यू 3 (2) (बी)

साथ ही आई. पी. सी. की यू/एस 120-बी

और यू/एस। 120 - बीआर/डब्ल्यू302 आईपीसी

और धारा 25 [1-बी] (ए) और

और यू/एस 120-बीआर/डब्ल्यू 307 का

धारा 27 (1) का समर्थन किया गया।

आईपीसी.

धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया (1)

धारा 120 के तहत अपराध के लिए बरी

ख) (क) और 27 (1) शस्त्र

बी. आर./डब्ल्यू. आई. पी. सी. आई. पी. सी. और यू/एस. 3 (1)

की धारा 3 (2) (ए) के अधीन दंडनीय

एक्ट करें।

के लिए सजा

पोटा।

अपराधः

बीस के लिए कारावास
वर्षों से।

यूएस 120-बीआर/डब्ल्यू 307 -

10 वर्ष का कारावास।

पोटा के हम 4-कठोर

सात की कैद

वर्षों से।

हम 25 (1-बी) (ए) हथियार

अधिनियम-पाँच वर्ष

शस्त्र अधिनियम की धारा 27 (1) के अधीन
के लिए कठोर कारावास

सात साल का

मोहम्मद

यू/एस *3 (3)* के तहत दोषी ठहराया गया

5 वर्षों

दोषसिद्धि की पुष्टि हुई और

बनाए रखा, ठीक रखा,

अब्दुल

पोटा।

कठोर कारावास

रउफ *[ए-2]* कठोर सजा

संशोधित और घटाया गया

7 वर्ष का कारावास।

पहले से गुजर चुकी अवधि

उसे जेल में।

धारा *120*-बी. आर. डब्ल्यू. *307* के तहत दोषसिद्धि पूरी हुई

मोहम्मद

यू/एस *120*-बीआर/डब्ल्यू के तहत दोषी ठहराया गया

शफीउद्दीन

307 आईपीसी की।

आई. पी. सी. ने पुष्टि की।

वाक्य

कठोर सजा

[ए-3]

अवधि

सात की कैद

वर्षों से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू/एस 3 (1) आर/डब्ल्यू 3 (3) के तहत दोषी ठहराया गया

के लिए बरी किया गया

कलीम

यू.

अहमद @

पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 120-बी

सजा यू/एस

आई एम

कमीमुल्ला

और यू/एस 120-बी आर/डब्ल्यू 302 आई. पी. सी. और यू/एस

120 - बी आर/डब्ल्यू 302 का

में

आई. पी. सी. और यू/एस 3 (1)

(टी.

[ए-4]

120 - आई. पी. सी. की बी आर/डब्ल्यू 307।

आजीवन कारावास की सजा।

दंडनीय यू/एस

सी ए

3 (2) (ए) पोटा का।

यू/एस 3 (3) में दोषसिद्धि

पोटा की पुष्टि हुई

और बनाए रखा और

संशोधित और

कम हो गया है

गुजरने की अवधि

उसे जेल में।

3 (3) के साथ पठित यू/एस *3 (1)* के तहत दोषी ठहराया गया

के लिए बरी किया गया

अनस माचिसवाला पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. की यू/एस *120*-बी

सजा यू/एस

120 - बी आर/डब्ल्यू *302* का

[ए-5]

और यू/एस *120*-बी आर/डब्ल्यू *302* आई. पी. सी. और यू/एस

आई. पी. सी. और यू/एस *3 (1)*

120 - आई. पी. सी. की बी आर/डब्ल्यू *307*।

यू/एस *4* आर/डब्ल्यू एस के तहत भी दोषी ठहराया गया। *3 (3)* में से

दंडनीय यू/एस

पोटा और यू/एस *25 (1*-बी*) (ए)* ऑफ आर्म्स

3 (2) (ए) पोटा ऑन

एक ही आधार

एक्ट करें।

आजीवन कारावास की सजा।

कि एक ही था

पोटा की यू/एस *4* कठोर

इससे आगे साबित नहीं हुआ

पाँच साल की कैद।

एक उचित संदेह।

शस्त्र अधिनियम पाँच की धारा *25 (1*-बी*) (ए)*

वर्षों से।

3 (2) के साथ पठित यू/एस *3 (1)* के तहत दोषी ठहराया गया

मोहम्मद

8

के लिए बरी किया गया

पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120*-बी

सजा यू/एस

यूनुस

पा.

सारेशवाला

और यू/एस *120*-बी आर/डब्ल्यू *302* आई. पी. सी. और यू/एस

120 - बी आर/डब्ल्यू *302* का

आई. पी. सी. और यू/एस *3 (1)*

120 - आई. पी. सी. की बी आर/डब्ल्यू *307*।

दंडनीय यू/एस

यू/एस *4* आर/डब्ल्यू एस के तहत भी दोषी ठहराया गया। *3 (3)* में से

पोटा और यू/एस *25 (1*-बी*) (ए)* ऑफ आर्म्स

3 (2) (ए) पोटा का।

एक्ट करें।

आजीवन कारावास की सजा।

दोषसिद्धि

परीक्षण द्वारा अभिलिखित

यू. एस. *4* ऑफ पोटा हार्ड

पाँच साल की कैद।

के लिए अदालत

दंडनीय अपराध

शस्त्र अधिनियम पाँच की धारा *25 (1*-बी*) (ए)*

की धारा *4* के अधीन

वर्षों से।

पोटा और

धारा *25 [1*-बी*] (*ए*)*

शस्त्र अधिनियम

और वाक्य

उसे सम्मानित किया जाता है

पुष्टि की और

बनाए रखा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

के लिए बरी किया गया

8 बिना वर्षों के

मोहम्मद परवेज पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (1)* के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120*-बी के तहत दोषी ठहराया गया और

सजा यू/एस

पैरोल

शेख

आई. पी. सी. यू/एस. *120*-बी. आर./डब्ल्यू. *302* और यू/एस. *120*-बी

120 - बी आर/डब्ल्यू *302* का

आई. पी. सी. और यू/एस *3 (1)*

*[*ए*-9]*

आई. पी. सी. का आर/डब्ल्यू *307*।

दंडनीय यू/एस

आजीवन कारावास की सजा

3 (2) (ए*)* पोटा का।

यू/एस *3 (3)* के तहत दोषसिद्धि

पोटा का

पुष्टि की और

बनाए रखा और

संशोधित और

कम हो गया है

पहले से ही अवधि

जेल में बिताए।

8 बिना वर्षों के

के लिए बरी किया गया

3 (3) के साथ पठित यू/एस *3 (1)* के तहत दोषी ठहराया गया

परवेज

पैरोल

पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120*-बी और

सजा यू/एस

खान पठान यू/एस *120*-बी. आर/डब्ल्यू. आई. पी. सी. और यू/एस *120*-बी। *120*-बी. आर/डब्ल्यू. आई. पी. सी.

आई. पी. सी. और यू/एस *3 (1)*

[ए-10]

आई. पी. सी. का आर/डब्ल्यू *307*।

आजीवन कारावास की सजा

दंडनीय यू/एस

3 (2) (ए) पोटा का।

यू/एस *3 (3)* के तहत दोषसिद्धि

पोटा का

बनाए रखा और

कारावास है

संशोधित और

कम हो गया है

पहले से ही अवधि

जेल में बिताए।

8 बिना वर्षों के

मोहम्मद

3 (3) के साथ पठित यू/एस *3 (1)* के तहत दोषी ठहराया गया

के लिए बरी किया गया

फारुक *[*ए।

पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120*-बी और

सजा यू/एस

पैरोल

11]

आई. पी. सी. यू/एस. *120*-बी. आर./डब्ल्यू. *302* और यू/एस. *120*-बी

120 - बी आर/डब्ल्यू *302* का

आई. पी. सी. और यू/एस *3 (1)*

आई. पी. सी. का आर/डब्ल्यू *307*।

आजीवन कारावास की सजा

दंडनीय यू/एस

3 (2) (ए*)* पोटा का।

यू/एस *3 (3)* के तहत दोषसिद्धि

पोटा का

बनाए रखा और

कारावास है

संशोधित और

कम हो गया है

पहले से ही अवधि

जेल में बिताए।

पूरा किया।

शाहनवाज़ ने हमें पोटा के *3 (1) 3 (3)* में दोषी ठहराया।

दोषसिद्धि और

वाक्य अवधि की धारा *3 (3)* के अंतर्गत वाक्य।

गांधी को कठोर कारावास की सजा

पाँच साल के लिए।

[ए-12]

पोटा की पुष्टि हो गई है।

और बनाए रखा।

6. अपील पर उच्च न्यायालय ने सम्मान के साथ अपील को खारिज कर दिया है

धारा *120*-बी, आई. पी. सी. और धारा के साथ पठित धारा *307* के तहत दोषसिद्धि के लिए *4* पोटा की धारा *3 (2) (*बी*)*, धारा *3 (3)* और शस्त्र अधिनियम की धारा *25 (1) (*बी*) (*ए*)*, धारा *27 (1)* के साथ पढ़ें। हालांकि, इसने आंशिक रूप से अपीलों की अनुमति दी है।

और हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में दोषसिद्धि के फैसले को धारा *302* के तहत दर्ज अपराध के लिए रद्द कर दिया।

सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा *120*-बी और पोटा की धारा *3 (1)*। सी. बी. आई. श्री हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में अपीलों में आई है। *7.* यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी ए-*2*, मोहम्मद अब्दुल कादर के बेटे मोहम्मद अब्दुल रउफ और ए-*12*, शाह नवाज गांधी के खिलाफ।

मोहम्मद गांधी के बेटे, निचली अदालत ने उन्हें पोटा की धारा *3 (3)* के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. के तहत अन्य सभी अपराधों के संदेह का लाभ दिया। ए-*3*, स्वर्गीय यूसुफ अली के बेटे मोहम्मद शफीउद्दीन को आई. पी. सी. की धारा *307* के साथ पठित धारा *120* बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, और उन सभी अपराधों के लिए संदेह का लाभ दिया गया था जिन पर उन पर पोटा के साथ-साथ आई. पी. सी. के तहत आरोप लगाया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत उपरोक्त *3* व्यक्तियों को बरी करने के खिलाफ, सी. बी. आई. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की गई थी। पोटा की धारा *3 (3)* के तहत मोहम्मद अब्दुल कादर के बेटे ए-*2* मोहम्मद अब्दुल रउफ को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ, इस अदालत के समक्ष विचार के लिए सवाल यह है कि क्या सजा

निचली अदालत द्वारा धारा *3 (3)* के तहत अधिरोपित सजा उचित थी या अभियुक्त द्वारा अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा कम की गई सजा। *8.* अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जैसा कि आम आरोप पत्र में परिलक्षित होता है, दोनों मामले सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और हिंदू धर्म में भय पैदा करने के लिए गहरी आपराधिक साजिश का परिणाम हैं।

समुदाय। अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित आरोप लगाए हैं:

(i) अप्रैल/मई *2002* में लाल मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई थी।

इसमें मुफ्ती सूफियान *(ए-13* फरार आरोपी*)*, एक मुस्लिम मौलवी *(*कलीम अहमद, ए*-4)* और अनस माचिसवाला *(ए-5)* शामिल थे। उक्त बैठक के दौरान, ए*-13* ने वहां मौजूद व्यक्तियों से हत्या का बदला लेने का आग्रह किया।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

(ii) 29.5.2002 पर आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, टिफिन बॉक्स बम भीड़भाड़ वाली बसों में लगाए गए थे जो हिंदू इलाकों के लिए नियत थे। ए*-4*, ए*-5* मोहम्मद की सहायता से। यूनुस, अब्दुल रहीम सरशेवाला *(ए-5)*, रेहान अब्दुल माजी पुथावाला *(ए-7)*, मोहम्मद। रियाज *(ए-8)*, मोहम्मद। परवेल अब्दुल कयूम शेख *(ए-9)*, शाहनवाज गांधी *(ए-12)* और अन्य। तदनुसार, पोटा मामला संख्या *7* और *9* दर्ज किया गया था और विशेष रूप से,

ए*-4* और ए*-5* को उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में दोषी ठहराया है और वे उपरोक्त मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

(iii) सितंबर-अक्टूबर, *2002* में आरोपी रसूल खान पार्टी

(ए*-18-*फरार*)*, अहमदाबाद में रहने के दौरान एक वांछित अपराधी *1994* से *2002* तक हैदराबाद मोहम्मद के संपर्क में रहा। अब्दुल रउफ

(ए*-2)* और उसे मुस्लिम लड़कों को हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजने के लिए उकसाया। ए*-2* ने तदनुसार *14* लड़कों का चयन किया जिसमें हैदराबाद में लगभग *10* मामलों में एक कुख्यात अपराधी असगर अली *(ए-1)* शामिल था और उन्हें हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। *(iv)* नवंबर *2002* में ए*-5*, ए*-14* और ए*-12* को मुंबई और दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया था।

(v) पाकिस्तान से लौटने के बाद ए*-1* उदयपुर पहुँचा।

31.12.2002 और मुसलमान मुसाफिरखाने में रहे। कुछ समय तक रहने के बाद, वह धन की कमी के कारण हैदराबाद लौट आए, जहाँ उन्हें फिर से ए*-18* से ईमेल के माध्यम से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें उदयपुर पहुंचने और पीडब्लू*-29* से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार वे *20.1.2003* पर उदयपुर लौट आए।

(vi) 24.1.2003 पर, पीडब्लू*-49*, ए*-11* और ए*-13* के साथ पीडब्लू*-38* की चांदी के रंग की टाटा इंडिका कार में उदयपुर गया और ए*-1* लेकर आया। अहमदाबाद। बाद में, जनवरी के अंत/फरवरी की शुरुआत में,

ए*-1* और ए*-3* को ए*-10* और ए*-11* द्वारा फ्लैट नंबर *401*, रॉयल अपार्टमेंट, रखियाल में स्थानांतरित कर दिया गया। *5/6.3.2003* से कुछ समय पहले लाल मस्जिद में एक बैठक हुई थी और जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू*-39)* को मारने का फैसला किया गया था। ए*-14* ए*-1* और ए*-3* को ए*-4* की दुकान पर ले गया जहाँ उन्हें ए*-4* और ए*-5* के साथ पेश किया गया। ए*-4* ने दो-दो पिस्तौल ए*-1* और ए*-3* को लाइव *[2019] 8* एस. सी. आर. के साथ सौंपी।

कारतुस। *9.3.2003* के आसपास, *A-10* ने जगदीश तिवारी को अपनी दुकान पर *A-1* की ओर इंगित किया, और *9.3.2003* पर, जालीवाली मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई जहाँ *A 14* ने खुलासा किया कि जगदीश तिवारी उनका अगला लक्ष्य होगा। ए-*1* और ए-*3* ने उसे मारने के लिए जगदीश तिवारी के आने का इंतजार किया, लेकिन वह निर्धारित मार्ग से नहीं गुजरा।

(vii) इसके बाद, *11.3.2003* पर, लगभग *9.15* बजे, ए-*1* और ए-*3* पीडब्लू-*39 (*जगदीश तिवारी*)* की दुकान पर गए और दुकान की एक पट्टी मांगी।

(viii) कुछ समय बाद, *15/16.3.2003* पर, *A-13* ने *A-14* के परामर्श से *A-5* को बताया कि अगला लक्ष्य हरेन पांड्या होंगे, जो लॉ गार्डन में टहलने आते थे। *17/18.3.2003* को, जूनी जामा मस्जिद में एक बैठक में, यह खुलासा किया गया कि हरेन पांड्या अगला निशाना था। *22.3.2003* पर, जूनी मस्जिद में एक और बैठक आयोजित की गई। उस पर

23.3.2003 , सुबह लगभग *7* बजे, ए-*9* और ए-*6* ने लॉ गार्डन का दौरा किया जहां ए-*1* भी उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन वे हरेन पांड्या को नहीं देख सके।

(ix) 24.3.2003 पर, ए-*9* ने सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर लॉ गार्डन का दौरा किया और हरेन पांड्या को देखा। उन्होंने संख्या को नोट किया जिस वाहन में हरेन पांड्या जीजे-*1* एपी-*4606* के रूप में थे। बाद में जूनी जामा मस्जिद के पास एक बैठक हुई।

(x) 25.3.2003 पर हरेन पांड्या को मारने का असफल प्रयास किया गया था। फिर, अगले दिन *26.3.2003* पर, हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई।

9. सूचना मिलने पर पीडब्लू-*101* द्वारा एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस गश्ती जीप सुबह लगभग *10.40* आई।

इसके बाद नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन से पीडब्लू-*101* का आगमन हुआ। मृतक हरेन पांड्या को तुरंत पास के वी. एस. अस्पताल ले जाया गया। साथ ही, पीडब्लू-*1* ने हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में पीडब्लू-*101* में शिकायत दर्ज कराई। यह सुबह *11.30* बजे एलिसब्रिज पीएस में पंजीकृत किया गया था। पीडब्लू-*101* द्वारा जाँच तैयार की गई और उसके बाद उसी दिन दोपहर *2.15* बजे से शाम *4.5* बजे के बीच *4* डॉक्टरों के पैनल द्वारा मृतक का पोस्टमॉर्टम किया गया। अपराध स्थल की जांच पीडब्लू-*101* द्वारा तैयार की गई थी और उसी दिन चश्मदीद गवाह पीडब्लू-*55* का बयान भी दर्ज किया गया था।

10. आई. डी. *1* पर सी. बी. आई. को जाँच के हस्तांतरण के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके इकबालिया बयान केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* थे।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

11. 2/3.9.2003 को अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त को शस्त्र अधिनियम की धारा *39* के तहत मंजूरी के लिए एक पत्र लिखा गया था। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)*, ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)*, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेशवाला*) (*प्रदर्शनी *684)* के संबंध में अधिनियम। आई. डी. *1* पर, शस्त्र अधिनियम की धारा *39* के तहत पुलिस आयोग, अहमदाबाद की मंजूरी दी गई *(*प्रदर्शनी *685)*। उस पर

6.9.2003 , गुजरात सरकार ने आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए पोटा की धारा *50* के तहत मंजूरी दी *(*प्रदर्शनी *697)*। *8.9.2003* पर, ए-*1* से ए-*19* के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, पोटा मामलों की अदालत, अहमदाबाद में संयुक्त आरोप पत्र दायर किया गया था। *29.8.2005* पर, ए-*15*, ए-*16* और ए-*17* को केंद्रीय पोटा समीक्षा समिति द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया और उनके मुकदमे को अलग कर दिया गया। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा *122* गवाहों से पूछताछ की गई। आई. डी. *1* पर, अदालत द्वारा दो अदालती गवाहों से पूछताछ की गई और बचाव पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की। विद्वान विशेष न्यायाधीश *(*पोटा*)* ने दिनांक *1* के फैसले के माध्यम से सभी *12* अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया। उनमें से नौ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और शेष तीन को *5* से *7* साल तक की कठोर सजा सुनाई गई।

कारावास। उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा *307* के तहत आरोप से बरी कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *(*सी. बी. आई.*)* के बारे में प्रस्तुतियाँ

12. अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि इकबालिया बयानों की अन्य साक्ष्यों द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की जाती है। सी. बी. आई. की ओर से श्री तुषार मेहता ने सॉलिसिटर जनरल से आग्रह किया कि

अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित कर दिए हैं। निचली अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का लाभ मिला। उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं पर तर्क देने का आग्रह किया हैः

एः बड़ा षड्यंत्रः

(i) अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके सभी अभियुक्त व्यक्तियों के बीच बड़ी आपराधिक साजिश को साबित किया।
फरार अभियुक्त व्यक्तियों के साथ श्री हरेन पांड्या *(*मृतक*)* की हत्या करने के लिए जो गोधरा दंगों के बाद एक हिंदू नेता थे ताकि लोगों के एक वर्ग में आतंक फैलाया जा सके। हिंदू, इस प्रकार पोटा की धारा *3 (1)* और धारा के तहत अपराध करते हुए

120 - आई. पी. सी. का बी।

(ii) पोटा की धारा *32* के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयान आपराधिक साजिश में प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की भूमिका को पर्याप्त रूप से साबित करते हैं।

(iii) पोटा की धारा *32* के तहत दर्ज सभी अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयान स्वैच्छिक हैं और इस प्रकार उन पर भरोसा किया जा सकता है।

(iv) पोटा की धारा *32* के तहत प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपाय।

इकबालिया बयान दर्ज करने के समय विधिवत अनुपालन किया गया है

और इस प्रकार वही साक्ष्य में स्वीकार्य है।

(v) द्वारा इकबालिया बयानों का बाद में वापस लेना

अभियुक्त व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है।

(vi) 2003 के पोटा मामले *Nos.7* और *9* में टिफिन बॉक्स विस्फोट और उक्त पोटा मामले में ए-*4* और ए-*5* की दोषसिद्धि न केवल साबित होती है

उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि लेकिन यह एक भौतिक घटना भी है

हिंसक माध्यमों से हिंदुओं के बीच आतंक पैदा करने की आपराधिक साजिश के संबंध में घटनाओं की श्रृंखला।

(vii) श्री पर हमला। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* ने ए-*1* द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश में ए-*3* के साथ आग्नेयास्त्र का उपयोग किया, जिनकी धारा *307* के साथ *120*-बी के तहत दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक की एक ही श्रृंखला का हिस्सा है

हिंदुओं के समुदाय में आतंक पैदा करने की साजिश। *(viii)* साजिश की पूरी अवधि के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के कॉल रिकॉर्ड और अभियुक्तों के फोन का टावर स्थान

हत्या के दिन लॉ गार्डन के पास के लोग

मृतक के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा है

अभियुक्त व्यक्ति।

(बी*)* यह आगे आग्रह किया गया था कि अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करके

एन. सी. ई. ने साबित किया कि उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में, ए-*1* हर अली*)* ने *26.3.2003* पर मृतक की हत्या की औरसभी अभियुक्त व्यक्तियों ने आई. पी. सी. की धारा *120* बी के साथ पठित धारा *302* ओ और धारा *3 (1)* और पोटा के तहत अपराध किए। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया हैः

(क*)* पीडब्लू-*55,* जो एक चश्मदीद गवाह है, ने ए-*1* शूटिंग देखी है।

मृतक एक विश्वसनीय और सच्चा गवाह है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

(ख*) 4* डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, जिसे डॉ. प्रतीक पटेल *(*पीडब्लू-*8)* द्वारा विधिवत साबित किया गया था, मृतक के शरीर पर *5* गोलियों के कारण *7* गोली के घाव साबित हुए।

(ग*)* फोरेंसिक और जैविक रिपोर्ट रक्त की उपस्थिति को साबित करती है।

कार के अंदर मृतक। *(* घ*)* मृतक की हत्या में ए-*1* द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार और

अपराध के समय ए-*1* द्वारा पहने गए कपड़े ए-*1* के कहने पर कमर फ्लैटों से विधिवत बरामद किए गए थे।

(ई) पीडब्लू-*75* बैलिस्टिक विशेषज्ञ ने विधिवत साबित किया कि मृतक के शरीर से बरामद गोलियां उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थीं जो ए-*1* के कहने पर बरामद की गई थी।

(च) ए-*1* और ए-*6* द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटरबाइक

मृतक की हत्या का अपराध विधिवत बरामद किया गया था।

(छ) पीडब्लू-*55* जो मृतक की हत्या का चश्मदीद गवाह है और पीडब्लू-*39*, जो अपने जीवन की हत्या के प्रयास का घायल गवाह है, ने परीक्षण में हमलावर के रूप में ए-*1* की विधिवत पहचान की।

कार्यकारी मजिस्ट्रेट *(*पीडब्लू-*14)* के समक्ष पहचान परेड।

(ज) जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर ए-*1* द्वारा ए-*3* के साथ *6.3.2003* पर आग्नेयास्त्र का उपयोग करके हत्या के प्रयास का अपराध, जो अपराध विधिवत साबित हुआ है और अंतिमता प्राप्त कर चुका है, अहमदाबाद में ए-*1* और ए-*3* की उपस्थिति को साबित करता है।

प्रासंगिक अवधि।

(i) पीडब्लू-*95* अहमदाबाद में ए-*1* की उपस्थिति को *27.3.2003* पर साबित करता है।

साथ ही यह तथ्य कि फोन नंबर *9825491421* का उपयोग ए-*1* द्वारा *27.3.2003* पर किया जा रहा था, यानी हत्या के अगले दिन।

मृतक।

(ग) यह प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त गवाह यूसुफभाई *(*पीडब्लू एक स्वतंत्र गवाह जो उसी "शाही अपार्टमेंट" में रहते थे। *1.* उन्होंने अपनी गवाही में साबित किया कि ए-*1 27.3.2003* पर मोबाइल *325491421* का उपयोग कर रहा था, यानी मृतक की हत्या के अगले दिन *2003* में उपरोक्त नंबर से अपने भाई को फोन किया, जो उक्त नंबर के कॉल रिकॉर्ड में दिखाई दिया है। गवाह ने अदालत के समक्ष अपने बयान में ए-*1* की पहचान की। उनके बयान की प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

" 3. श्री हरेन पांड्या की हत्या के अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने बैंड बुलाया है।

मेरे माता-पिता की दिशा में स्कूटर रंगने का काम किया जा रहा था

आरोपी नं. *1* श्री असगर अली अफदान "।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि घोर विकृति है

उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय में जो प्रस्तुत साक्ष्य के साथ-साथ कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ है।

स्वयं को अभ्यारोपित करने पर टिप्पणियां

13. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से, यह विद्वान वरिष्ठ वकील की आकाशगंगा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि हत्या का दृश्य नहीं है आत्मविश्वास को बढ़ावा दें। श्री हरेन पांड्या की हत्या मारुति *800* कार में नहीं हुई है, न गोली का कोई अवशेष मिला है, न ही कार से कोई गोली बरामद हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

नेत्र साक्ष्य के साथ मेल नहीं खाता है। तथाकथित गवाह पीडब्लू-*55* अनिल यादराम पटेल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। उसे विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता है। उसकी गवाही समय के आधार पर बदनाम है और आचरण एक चश्मदीद गवाह के साथ असंगत है। जिस स्थिति में श्री पांड्या का शव कार में पड़ा था, उस पर विरोधाभास हैं। ए-*1* की पहचान और एक्स के रेखाचित्र की पहचान। *620* , रेखाचित्र से प्राप्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि यह कोई और था और ए-*1* ने अपराध नहीं किया है। सी. बी. आई. साइट मानचित्र दिनांक *29.3.2003* में हेरफेर किया गया है। भौतिक गवाहों को पेश नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा।

14. पीडब्लू-*55* की गवाही फोरेंसिक साक्ष्य द्वारा नकार दी जाती है। मारुति कार में खिड़की खुलने से हत्या संभव नहीं थी।

जैसा कि पीडब्लू-*55* द्वारा कहा गया है। सी. बी. आई. ने कार के अंदर और अंदर खून और जी. एस. आर. की कमी का अनुमान लगाया है। दागे गए गोलियों की गिनती या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v* से मेल नहीं खा रही है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

नेत्र या चिकित्सा साक्ष्य के साथ। बैलिस्टिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि गोलियों का बेमेल होना था। जैकेट वाली/बिना जैकेट वाली गोलियों के लिए वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए गए थे। गोलियों में विकृति थी, और अपराध का हथियार संदिग्ध है। गोलियों के साथ कथित रिवॉल्वर का कोई विश्वसनीय बैलिस्टिक मिलान नहीं किया गया था। रिवॉल्वर और पिस्तौल की बरामदगी संदिग्ध है। यह भी उसी कारण प्रस्तुत किया गया था कि पोटा के तहत मामला टाडा से अलग है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने इकबालिया बयान के रूप में कार्यवाही की पुष्टि करते हुए अवैधता की है। इकबालिया बयान दर्ज करना धारा *32* के तहत कानूनी आवश्यकता के अनुसार नहीं है। पीडब्लू-*21* को बदनाम करने वाले अन्य कारक भी हैं। इकबालिया बयान के भीतर कई विरोधाभास हैं और कोई नहीं है

पुष्टि। इस प्रकार तथाकथित लोगों पर कार्रवाई करना सुरक्षित नहीं होगा।

अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय और असंभव बनाते हुए मौके के नक्शे में बनाया गया है। अभियोजन पक्ष में महत्वपूर्ण खामियों से अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। वहाँ अपरिवर्तनीय हैं अभियोजन मामले में विसंगतियाँ। सी. बी. आई. द्वारा कई महत्वपूर्ण वस्तुओं को पेश नहीं किया गया है। फोरेंसिक साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य को गलत साबित करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानूनी रूप से सही है और बरी होने के मामले में इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। भले ही दो विचार संभव हों, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए विचार को बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

इन आरईः आतंक पैदा करने के लिए अनुसंधान और बड़ी गोपनीयता के तथ्य

15. साजिश के बारे में मामले में सबूत पेश किए गए हैं

जिसके कारण श्री जगदीश तिवारी, पीडब्लू-*39* की हत्या का प्रयास होता है और उसके बाद हरेन पांड्या पर घातक हमला होता है, आरोपी हत्या तक और अंत में हत्या के बाद हमलावरों के भागने तक इसके साथ जुड़े होते हैं। साक्ष्य पाकिस्तान में प्रशिक्षण, समय-समय पर विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों की मस्जिदों में विभिन्न बैठकों आदि को दर्शाते हैं। दोषियों के इकबालिया बयानों के सबूत हैं, ई पर संचार

डाक, गिरफ्तारी के समय दस्तावेजी साहित्य की जब्ती, रसद सहायता प्रदान करने और अन्य विभिन्न प्रकार के साक्ष्य भी हैं

सुविधा, *[2019]* एस. सी. आर. के संबंध में नकद या चेक द्वारा धन प्रदान करना।

पीडब्लू-*39* की हत्या के प्रयास और मृतक हरेन पांड्या की हत्या में ए-*1* के साथ अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता। लॉ गार्डन की रेकी करने के प्रमाण हैं जो पहले हुआ करता था मृतक द्वारा सुबह की सैर करने के लिए अक्सर किए जाने वाले मोबाइल कॉल मृतक पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा घातक हमले के समय को दर्शाते हैं। मोबाइल फोन की मोबाइल टावर लोकेशन और पी. डब्ल्यू.-*39* पर हमले से कुछ समय पहले और उसके बाद भी टेलीफोन उपयोग के डेटा के साथ-साथ मृतक हरेन पांड्या पर भी। उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में, जिसका विस्तार से उल्लेख किया गया है, इस पर आगे चर्चा की जानी चाहिए।

16. हम पहले विचार करते हैं कि क्या आपराधिक साजिश के लिए

लोगों के एक वर्ग में दहशत फैलाने के लिए श्री हरेन पांड्या की हत्या करना साबित हो गया है, क्योंकि आरोपी ने पोटा की धारा *3* के तहत अपराध किया है।

17. यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान मामले में पोटा की धारा *3 (1), 3 (2), 3 (3)* और *3 (4)* और धारा *4* को उचित रूप से लागू किया गया है। आरोपित

व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा *120* बी के तहत आपराधिक साजिश और पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* और धारा *4* के तहत आतंकवाद के कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किसी भी अपराध को करने के लिए एक साथ साजिश रची है, तो उनमें से किसी ने अपने सामान्य इरादे के संदर्भ में जो कुछ भी कहा, किया या लिखा है, वह प्रत्येक साजिशकर्ता के खिलाफ एक प्रासंगिक तथ्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने लोगों के एक वर्ग में दहशत फैलाने के इरादे से, गोलियों का इस्तेमाल किया, श्री हरेन पांड्या की हत्या का कारण बना और जगदीश तिवारी, पीडब्लू-*39* की हत्या का प्रयास किया। इस प्रकार, उन्होंने पोटा की धारा *3 (1)* के तहत अपराध किया। केंद्रीय पोटा समीक्षा समिति ने पोटा के प्रावधानों के आह्वान को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने पोटा की धारा *3 (3)* और धारा *4* के तहत अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा है और इसमें गलती की है।

पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (2) (ए)* के तहत अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करना। श्री तुषार मेहता ने ज्ञात किया कि सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि धारा केंद्रीय जांच ब्यूरो *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]3* आई. पी. सी. एक आपराधिक साजिश को एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित करता है। वह.

डॉ. श्री हरि सिंह गौर द्वारा आपराधिक साजिश के बारे में झूठ बोला

ज्ञात 'भारत के दंड कानून पर टिप्पणी', *(*खंड। *2 , 11* टी एडन।

1138) कानूनी स्थिति का सारांश निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

"एकल सामान्य षड्यंत्र का गठन करने के लिए, वहाँ होना चाहिए

एक सामान्य डिजाइन बनें। प्रत्येक षड्यंत्रकारी अपनी अलग भूमिका निभाता है

साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत और एकजुट प्रयास।

हर कोई जानता है कि उसे एक सामान्य साजिश में भूमिका निभानी है

हालांकि वह इसके सभी रहस्यों या साधनों को नहीं जानता है जिसके द्वारा

साझा उद्देश्य पूरा किया जाना है। बुरी योजना हो सकती है

कुछ लोगों द्वारा पदोन्नत, कुछ छोड़ सकते हैं और कुछ एक में शामिल हो सकते हैं बाद के चरण में, लेकिन साजिश तब तक जारी रहती है जब तक कि यह टूट नहीं जाती। द.

सामान्य डिजाइन को इस तरह से पूरा करने के लिए सामान्य योजना समय-समय पर उपयुक्त पाया जा सकता है।

यशपाल मित्तल बनाम पंजाब राज्य में रिपोर्ट की गई *[1977 (4)]*

एस. सी. सी. *540],* गोस्वामी, जे. ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए विश्लेषण किया

आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित कानूनी स्थिति। पृष्ठ *610* पर

611 , निम्नलिखित रूप में देखा गया:

"बहुत ही समझौता, संगीत कार्यक्रम या लीग का घटक है

अपराध "। और यह आवश्यक नहीं है कि सभी

षड्यंत्र। " तब यह देखा गया कि "एकता होनी चाहिए
उद्देश्य या उद्देश्य लेकिन साधनों की बहुलता हो सकती है

कभी-कभी एक-दूसरे के लिए अज्ञात भी,

षड्यंत्रकारी "।

(जोर दिया गया*)*

18. उन्होंने राज्य बनाम के मामले का भी उल्लेख किया है। नलिनी, *1999 (5) 253,* माननीय। एस. एस. एम. कादरी, जे. ने केस लॉ के एक सर्वेक्षण के बाद विंग प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" 662 ..... यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारियों को साजिश की शुरुआत से अंत तक भाग लेना चाहिए; कुछ इसमें शामिल हो सकते हैं।

उस समय के बाद की साजिश जब इस तरह का इरादा पहली बार था उनमें से किसी एक द्वारा मनोरंजन किया गया और कुछ अन्य साजिश से बाहर हो सकते हैं। उन सभी के साथ साजिशकर्ता के रूप में व्यवहार किया जा सकता है।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ समझौते के अनुसरण में षड्यंत्रकारी प्रतिबद्ध होते हैं

व्यक्तिगत रूप से अपराध या एक कानूनी कार्य करने के लिए अवैध साधन अपनाना जो

साजिश के उद्देश्य से संबंध है, वे सभी उत्तरदायी होंगे
ऐसे अपराधों के लिए भले ही उनमें से कुछ ने सक्रिय रूप से नहीं किया हो

उन अपराधों के आयोग में भाग लिया।

19. याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम राज्य के मामले में

महाराष्ट्र ने *(2013) 13* एस. सी. सी. *1* में बताया कि जहां बड़ी संख्या में आरोपी आपराधिक साजिश में शामिल थे और उन्होंने एक अलग भूमिका निभाई थी, इस अदालत ने कहा कि जहां एक आरोपी ने कथित रूप से हथियारों का परिवहन किया था

प्रशिक्षण केंद्र में, प्रशिक्षुओं को ले जाने पर, सवाल उठता है कि क्या यह साजिश के सामान्य उद्देश्य में योगदान देने वाले प्रत्यक्ष कृत्यों के बराबर है। देखने वाली बात यह है कि इस तरह का कार्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आतंक पैदा होता है, हिंसा होती है या राज्य के खिलाफ युद्ध छिड़ता है। इसलिए विशेष रूप से पीड़ित पर हत्या या हमले की जानकारी अनिवार्य नहीं थी। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने नामित न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए आगे कहा:

धारा *3 (3)* और *6* टाडा के विभिन्न शीर्षों के तहत, और उक्त
अपराध स्वयं साजिश का एक हिस्सा हैं, और विद्वान

नामित न्यायालय ने साजिश को विभिन्न भागों में विभाजित किया है।

घटक, वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, जहां अभियुक्त

बैठकें, हथियारों को संभालने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, उनकी सक्रियता
बम फेंकने या लगाए गए वाहनों की पार्किंग में भागीदारी

विस्फोटकों के साथ, या जहाँ अभियुक्त व्यक्तियों ने केवल भाग लिया था
निषिद्ध पदार्थों के उतरने और परिवहन में, लेकिन उन्हें पता नहीं था

कथित निषिद्ध पदार्थ की सामग्री, और आगे, एक अन्य

श्रेणी, जहाँ अभियुक्त को विषय-वस्तु की जानकारी थी
निषिद्ध, लेकिन साजिश में भी भाग नहीं लिया

आयोजित बैठकें, या किसी आतंकवादी गतिविधि की किसी भी वास्तविक घटना में,

और तदनुसार अलग-अलग दंड दिए हैं, हम नहीं करते हैं

उक्त अपील की अनुमति देने के लिए कोई ठोस कारण देखें। याचिका यह है कि

इसलिए, बर्खास्त कर दिया गया। "

(जोर दिया गया*)*

वर्तमान मामले में कानून के उपरोक्त सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, यह

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ निरंतर संपर्क में थे।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

एक-दूसरे के लिए, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को पैसे प्रदान करने, हथियारों की व्यवस्था करने, फोन और नकली सिम की व्यवस्था करने जैसे अपराध के लिए ए*-1* को सहायता प्रदान करने में अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित की गई थीं।

कार्ड, रसद और आवास, लक्ष्यों की पहचान, आदि। *20.* सितंबर/अक्टूबर *2002* में, ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को आंध्र प्रदेश के अन्य *13* लड़कों के साथ कराची, पाकिस्तान भेजा गया था।

ए*-2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* ए*-18* के उकसावे पर हथियार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। कराची में, उन्हें हिंदू नेताओं की हत्या करके दंगों के दौरान मुसलमानों पर किए गए कथित अत्याचारों का बदला लेने के लिए उदयपुर होते हुए अहमदाबाद पहुंचने का निर्देश दिया गया था। यही बात प्रदर्शनी *253* यानी ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के इकबालिया बयान और प्रदर्शनी *247* यानी ए*-2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* के इकबालिया बयान से साबित हुई थी।

21. पाकिस्तान से लौटने के बाद ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* रुके।

उदयपुर में मुस्लिम मुसाफिरखाना में *31.12.2002* से *5.1.2003* तक। यह प्रदर्शनी *298* यानी आगंतुक रजिस्टर द्वारा साबित किया गया था जो प्रविष्टि संख्या को दर्शाता है। *5846* उनके रहने के संबंध में किया गया*; 297* प्रदर्शित करें अर्थात मोहम्मद का बयान। जमील आईएस, प्रबंधक, मुस्लिम मुसाफिरखाना, मुस्लिम मुसाफिरखाना में अपने प्रवास के बारे में*;* डॉ. मोहम्मद एजाज अली, सीएफएसएल, दिल्ली *(*पीडब्लू*-88)* द्वारा प्रवेश संख्या पर ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की लिखावट के संबंध में सकारात्मक राय दी गई। *5846 298*

प्रदर्शित करें। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के रहने के बारे में तथ्यों की पुष्टि मोहम्मद जमील नासिर ने भी की थी।

मोहम्मद *(*पीडब्लू-*30)* और डॉ. मोहम्मद एजाज अली *(*पीडब्लू-*88)* और *253* प्रदर्शित करें, जो ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* का इकबालिया बयान है। इसके बाद, वह उदयपुर से हैदराबाद लौटे और ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* से *2,000,000/-* रुपये लिए। ए-*18* ने उन्हें ईमेल के माध्यम से उदयपुर पहुंचने और उस्मान खान नवाब से संपर्क करने का निर्देश दिया।

खान *(*पीडब्लू-*29)*।

22. ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*) 20.1.2003* पर उदयपुर पहुँचे और एक दिन के लिए मुस्लिम मुसाफिरखाना में रुके। वही साबित हुआ था

प्रदर्शनी द्वारा *No.299* अर्थात आगंतुक रजिस्टर प्रविष्टि *No.8682* दिखा रहा है; मुस्लिम मुसाफिरखाना के प्रबंधक मोहम्मद जमील नासिर मोहम्मद *(*पीडब्लू-*30)* के मुस्लिम में रहने के संबंध में बयान को प्रदर्शित करें।

मुसाफिरखाना; डॉ. मोहम्मद ऐजाज़ अली, सी. एफ. एस. एल. द्वारा दी गई सकारात्मक राय,

दिल्ली *(*पीडब्लू-*88)* प्रवेश संख्या पर ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की लिखावट के संबंध में। *8682 299* प्रदर्शित करें। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के ठहरने के बारे में तथ्यों की पुष्टि मोहम्मद जमील नासिर मोहम्मद *(*पीडब्लू-*30)* और डॉ. मोहम्मद एजाज अली *(*पीडब्लू-*88)* और प्रदर्शनी *253* द्वारा भी की गई थी, जो ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* का इकबालिया बयान है।

23. 2-3 दिनों तक वह उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29)* के आवास पर रहे, जिसकी पुष्टि उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29)* ने अदालत में भी की थी। उदयपुर में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के प्रवास के दौरान, वह ईमेल संचालित करने के लिए चेतक सर्कल, उदयपुर में स्थित नेटसावी साइबर कैफे जाता था। उदयपुर में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* से टेलीफोन पर संपर्क किया और उन्हें उस्मान खान नवाब खान का लैंडलाइन नंबर दिया। *(* पीडब्लू-*29)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* का मोबाइल नंबर *9426039937* और उन्हें अहमदाबाद आने के लिए कहा। यही बात प्रदर्शनी *250* यानी ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के इकबालिया बयान से साबित हुई थी।

24. ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* एडी*1* को उदयपुर पहुँचा और एक दिन के लिए मुस्लिम मुसाफिरखाना में रुका। यह साबित किया गया था कि

300 यानि आगंतुक रजिस्टर प्रदर्शित करें जिसमें प्रवेश संख्या दिखाई दे रही है। *8699* ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के ठहरने के संबंध में बनाया गया; मुस्लिम के प्रबंधक मोहम्मद जमील नासिर मोहम्मद *(*पीडब्लू-*30)* के बयान को प्रदर्शित करें। ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के ठहरने के संबंध में मुसाफिरखाना और डॉ. मोहम्मद एजाज अली, सी. एफ. एस. एल., दिल्ली, पीडब्लू-*88* की सकारात्मक राय

प्रवेश संख्या पर ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* की लिखावट। *8699 300* प्रदर्शित करें। मुस्लिम मुसाफिरखाना के तहखाने में स्थित पीसीओ के मालिक मोहम्मद शरीफ आमिर मोहम्मद *(*पीडब्लू-*31)* ने भी मुस्लिम मुसाफिरखाना, उदयपुर में ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* का ठहराव साबित किया था।

25. तुर्क सलीम पासा मजारीरुले इस्लाम *(*पीडब्लू-*49)* ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* और ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के साथ मोहम्मद मुस्लिम मोहम्मद शब्बीर अंसारी *(*पीडब्लू-*38)* की टाटा इंडिका कार *(*सिल्वर कलर*)* में उदयपुर गया और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को उदयपुर लाया।

अहमदाबाद। इस तथ्य को प्रदर्शनी *365* यानी तुर्क सलीम पासा मजारीरुले इस्लाम *(*पीडब्लू-*49)* के बयान से साबित किया गया था, जिन्होंने स्वीकार किया था कि वे ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को अहमदाबाद लाए थे। अहमदाबाद में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* मुश्ताक अहमद मुनीर अहमद अंसारी *(*पीडब्लू-*63)* के स्वामित्व वाले बापूनगर के लोखंडवालीचली में एक कमरे में रहता था। यह प्रदर्शनी *652* द्वारा भी साबित किया गया था, हालांकि मुश्ताक अहमद मुनीर अहमद अंसारी *(*पीडब्लू-*63)* शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के अनुरोध पर उनके घर पर रहे थे।

25 (क*)* ए-*3 (*मोहम्मद सैफुद्दीन*)* उदयपुर से अहमदाबाद पहुँचा और होटल गार्डन में रुका। होटल गार्डन में ए-*3 (*मोहम्मद सैफुद्दीन*)* का ठहराव प्रदर्शनी *220* केंद्रीय सर्वेक्षण खंड द्वारा सिद्ध किया गया था।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* द्वारा। उक्त फ्लैट की व्यवस्था ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ने तवाभाई यूसुफभाई शेख *(*पीडब्लू-*66)* और मोहम्मद जलिस अहमद राजपूत *(*पीडब्लू-*68)* के माध्यम से की थी। इस तथ्य को तवाभाई यूसुफभाई शेख *(*पीडब्लू-*66)* और मोहम्मद जलिस अहमद राजपूत *(*पीडब्लू-*68)* ने अदालत में अपने बयान में साबित किया था। *25 (* सी*)*। जनवरी और फरवरी *2003* के बीच, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* को फ्लैट *No.401,* रॉयल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अपार्टमेंट, ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* द्वारा रखियाल। उक्त फ्लैट का मालिक अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी था।

(पीडब्लू-*44-*शत्रुतापूर्ण गवाह*)* और ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* द्वारा उन्हें *5,000/-* रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। जब उक्त फ्लैट खाली किया गया था, *3, 500/-* रुपये अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी *(*पीडब्लू-*44)* द्वारा ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* को चेक संख्या के माध्यम से वापस कर दिए गए। *17296* गुजरात औद्योगिक सहकारी समिति पर आधारित। बैंक, जिसे ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ने भुनाया था। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के रहने की पुष्टि यूसुफभाई इडुभाई पठान *(*पीडब्लू-*95-*पड़ोसी फ्लैट में रहने वाले*)* ने की थी। *209* यानी रॉयल की एक नोटबुक प्रदर्शित करें।

शाही अपार्टमेंट में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के ठहरने के संबंध में यूसुफभाई मंसूरी *(*पीडब्लू-*59)*। *25 (* डी*)*। *31.1.2003* पर, एक मोबाइल नंबर। *9825491421* शिवाभाई वीराभाई राठौड़ *(*पीडब्लू-*53)* के मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके प्राप्त किया गया था और प्रदान किया गया था

ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* द्वारा ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिवाभाई वीराभाई राठौड़ *(*पीडब्लू-*53)* और हच कंपनी *(*पीडब्लू-*77)* के अधिकारी वी. श्रीनिवासन ने अपने बयान और मोबाइल नंबर के प्रिंट आउट में इसकी पुष्टि की थी। *9825491421* यह प्रदर्शनी *467* के रूप में भी दर्ज है।

25 (च)। *5/6.3.2003* से पहले लाल मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ए-*4 (*कलीम अहमद*)*, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)*, ए-*13* शामिल थे। *(* मुफ्ती सूफियान*)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)*, जिसमें जगदीश तिवारी को मारने का फैसला किया गया था।

25 (जी)। *5/6.3.2003* पर, ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने ए *1 (*मोहम्मद*)* पेश किया। असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* से ए-*4 (*कलीम अहमद*)* और ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)*। ए-*4 (*कलीम अहमद*)* ने दो सौंपे।

पिस्तौल प्रत्येक ए-*1 (*मोहम्मद। असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* जिंदा गोलियों के साथ। *9.3.2003, A-10 (*परवेज खान पठान*)* से पहले जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* ने अपनी दुकान पर ए-*1 (*मोहम्मद*)* को बताया। असगर अली*)*। आई. डी. *1* को जलीवाली मस्जिद में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)*, ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)*, ए-*7 (*रेहान पुथवाला*)*, ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)*, ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)*, ए-*12 (*शानवाज गांधी*)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने भाग लिया और उक्त बैठक में ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने खुलासा किया कि जगदीश तिवारी उनके निशाने पर होंगे। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* ने उसे मारने के लिए जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* के आने का इंतजार किया, लेकिन उस रात जगदीश तिवारी निर्धारित मार्ग से नहीं गुजरे। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* ने जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* का पीछा किया, जो अपनी मोटरसाइकिल पर थे और जब उन्होंने यू-टर्न सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v* लिया।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

अपने फ्लैट के लिए ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली बाहर नहीं आई।

25 (एच)। अगले ही दिन यानी रात करीब *9.15* बजे ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* दुकान पर गए।

जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* और ए-*3 (*मोहम्मद. शफीउद्दीन*)* ने सॉर्बिट्रेट गोली की एक पट्टी मांगी। जब वह दवा ले रहा था, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने अपनी पिस्तौल से जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर गोली चलाई, लेकिन गोली उनके बेल्ट के धातु के बकल पर लगी और रीकोचिंग के बाद नाभि के पास उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* का हथियार जाम हो गया और रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया में दुकान पर दो जिंदा कारतुस गिर गए। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू *39)* पर दो और गोलियां चलाई गईं, लेकिन वह एक खंभे और फ्रिज के पीछे छिप गया। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद

शफीउद्दीन) की पहचान प्रदर्शनी *329* यानी घायल चश्मदीद गवाह जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) के बयान से साबित हुई थी। *9: 16* बजे, ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) ने जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) पर हमले के बारे में अपने मोबाइल पर ए-*10* (परवेज खान पठान) को सूचित किया। उस समय उनका स्थान जय केमिकल्स, ओधव, जी. आई. डी. सी. के मीनार के नीचे था। *9: 20* बजे, ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) ने फिर से ए-*10* (परवेज खान पठान) को बुलाया और उस समय, उनका स्थान वोहरा मैरिज हॉल, चार रास्ता, रखियाल था। जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) को शारदाबेन अस्पताल ले जाया गया और डॉ. हसुबेन कलुभाई पटेल (पीडब्लू-*9*) ने उनका इलाज किया। इसके बाद उन्हें सर्जरी विभाग के आपातकालीन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना के संबंध में बापूनगर पुलिस स्टेशन में एक वार्डी प्राप्त हुई जिसके आधार पर, नागिंदास कालिदास बारोट (पीडब्लू-*96*) जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) की दुकान पर गए और वहां से वे अस्पताल गए। अस्पताल में, नागिंदास कालिदास बारोट (पीडब्लू-*96*) ने जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) की शिकायत लिखी और उसे बापूनगर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जहां आई-सीआर *No.101/03* को *11.35* बजे पंजीकृत किया गया था।

25 ((i)। *12.3.2003* पर, जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) के कपड़े नागिंदास कालिदास बारोट (पीडब्लू-*96*) ने प्रदर्शनी *491* के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिए।

(सुरेशभाई चेल्वाल्या पटेल (पीडब्लू-*81*) की उपस्थिति में)। अपराध स्थल का पंचनामा नागिंदास कालिदास बारोट (पीडब्लू-*96*) द्वारा पोपटभाई वीरचंदभाई पाढियार (पीडब्लू-*78*) की उपस्थिति में तैयार किया गया था। दो जिंदा कारतुस, तीन कारतुस केस और एक गोली चलाई गई थी। बरामद किया गया और प्रदर्शनी *474* के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। जगदीश तिवारी (पीडब्लू-*39*) का ऑपरेशन डॉ. प्रांजल देसाई और उनके वरिष्ठ द्वारा किया गया और एक गोली निकाली गई।

25 (जे)। डॉ. विरेंद्र कनैयालाल शाह (पीडब्लू-*10*) ने बरामद गोली हिम्मतसिंह रतनसिंह चौहान (राठौड़) को सौंप दी।

(मोहम्मद रियाज), ए-*12* (शाहनवाज गांधी) और ए-*14* (सोहेल खान पठान) जूनी जामा मस्जिद में, जहाँ ए-*14* (सोहेल खान पठान) ने अपने अगले लक्ष्य यानी हरेन पांड्या का खुलासा किया। ए-*12* (शाहनवाज गांधी) को ए-*14* (सोहेल खान पठान) ने हरेन पांड्या और उनकी कार के नंबर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए लॉ गार्डन की रेकी करने का निर्देश दिया था। *25 (* एम) जूनी जामा मस्जिद में ए-*4* (कलीम अहमद), ए-*5* (अनस माचिसवाला), ए-*7* (रेहान पुथवाला), ए-*8* (मोहम्मद रियाज), ए-*12* (शाहनवाज गांधी) और ए-*14* (सोहेल खान पठान) की उपस्थिति में ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख) को लॉ गार्डन की रेकी करने का काम सौंपा गया था क्योंकि ए-*12* (शाहनवाज गांधी) ऐसा करने में विफल रहे थे।

25 (एन)। ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख) ने ए-*7* (रेहान) के मोबाइल फोन से ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) को फोन किया।

पुथावाला) और उन्हें स्थलाकृति से परिचित होने के लिए लॉ गार्डन आने के लिए कहा। यह प्रदर्शनी *467* यानी मोबाइल नंबर के सी. डी. आर. से साबित हुआ था। *9825491421* ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) द्वारा अपराध के दौरान उपयोग किया गया। ए-*6* (मोहम्मद यूनुस सरेशवाला) और ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख) ने

लॉ गार्डन का दौरा किया जहां ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* भी आया था लेकिन वे हरेन पांड्या का पता नहीं लगा सके।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

25 (0) . 24.3.2003 पर ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* ने मोटरसाइकिल पर सुबह फिर से लॉ गार्डन का दौरा किया और हरेन को देखा।

पांड्या। उन्होंने अपनी कार का नंबर जी. जे.-*1* ए. पी.-*4606* लिखा। *24.3.2003* की रात में, जूनी जामा मस्जिद में फिर से एक बैठक आयोजित की गई, जो थी

ए-*4 (*कलीम अहमद*)*, ए-*5 (*अनस मचिसवाला*)*, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)*, ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* ने भाग लिया, जहां ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* को ए-*4 (*कलीम अहमद*)* द्वारा लॉ गार्डन में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को जगह दिखाने के लिए निर्देशित किया गया था। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को टेलीफोन पर बुलाया गया और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* द्वारा लॉ गार्डन ले जाया गया, जहाँ उसे वह स्थान दिखाया गया जहाँ हरेन पांड्या ने अपनी कार खड़ी की थी। अगली सुबह हरेन पांड्या की हत्या को अंजाम देने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई, जहां ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* को ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के चालक की भूमिका सौंपी गई और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* को ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* की सुरक्षा के लिए निगरानी रखने का काम सौंपा गया। ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* को ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* को शाहपुर मिल परिसर तक ले जाने का काम दिया गया था, जहां ए-*4 (*कलीम अहमद*)* और ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* को एक ऑटोरिक्शा में इंतजार करना था।

25 (पी)। *25.3.2003* पर लॉ गार्डन में हरेन पांड्या को मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* गोली नहीं चला सके क्योंकि

कई लोगों की उपस्थिति। दोपहर में, मारने का फैसला किया गया

अगली सुबह हरेन पांड्या।

पूरी घटना को अनिलराम यादराम पटेल *(*पीडब्लू-*55)* ने देखा, जिन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की पहचान की, जिसे उन्होंने हरेन पांड्या पर आग्नेयास्त्र से गोलीबारी करते देखा था और उन्होंने अपने बयान में पूरी घटना का वर्णन किया था। और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के पहचान ज्ञापन के माध्यम से अभियोजन पक्ष के संस्करण का पूरी तरह से समर्थन किया। घटना के बाद ए *1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने मोबाइल नंबर पर ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* को फोन किया। *9426039937* उनके मोबाइल नंबर से। *9825494421 7: 33* बजे और *8:17* बजे। इन मोबाइल नंबरों के स्थान ने लॉ गार्डन में ए *1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इन तथ्यों को मोबाइल नंबर *467* के प्रदर्शनी सीडीआर से साबित किया गया था। *9825494421 .* हेमंतकुमार रतिलाल पटेल, सहायक मंडल अभियंता, वस्त्रपुर टेलीफोन एक्सचेंज *[2019] 8* एस. सी. आर.

(पीडब्लू-*33)* ने टावर लोकेशन चार्ट के आधार पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का स्थान भी साबित किया था। सुबह *10.40* बजे, लॉ गार्डन पहुंचने के लिए सिटी कंट्रोल रूम द्वारा पीएस नवरंगपुरा और पीएस एलिस ब्रिज को एक संदेश भेजा गया था। हरेन पांड्या को पी. एस. नवरंगपुरा के पुलिस अधिकारियों द्वारा बी. एस. अस्पताल ले जाया गया। जनकसिंह खुसलसिंह परमार *(*पीडब्लू-*1)* ने यूसुफ़ मिया अहमद मियां शेख, पी. आई., पी. एस. एलिस ब्रिज *(*पीडब्लू-*101)* के पास हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में सुबह *11.30* पर, *I-CR No.272/02* को पीएस एलिस ब्रिज पर दर्ज किया गया था। पूछताछ पंचनामा यूसुफ मिया अहमद मियां शेख, पी. आई., पी. एस. एलिस ब्रिज *(*पी. डब्ल्यू.-*101)* द्वारा दोपहर *1* बजे से दोपहर *2* बजे के बीच तैयार किया गया था। हरेन पांड्या का पोस्टमार्टम दोपहर *2.15* बजे से शाम *4.5* बजे के बीच किया गया। अपराध स्थल का पंचनामा यूसुफ मिया अहमद मियां शेख, पी. आई., पीएस एलिस द्वारा तैयार किया गया था। पुल *(*पीडब्लू-*101)* दोपहर *2:30* बजे से *3:30* बजे के बीच। हरेन पांड्या की हत्या में सीबीआई द्वारा जांच के लिए डीएसपीई अधिनियम की धारा *6* के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। अनिलराम यादराम पटेल *(*पीडब्लू-*55)* का बयान दर्ज किया गया। *28.3.2003* पर, सी. बी. आई. द्वारा जाँच शुरू की गई और पी. एस. एलिस ब्रिज से एफ़. आई. आर. *No.272/03* के रिकॉर्ड जब्त किए गए।

26. आगे की जांच में भी पता चला और इसका समर्थन किया गया

षड्यंत्र। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)*, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)*, ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* को डी. सी. बी., अहमदाबाद *(*पी. डब्ल्यू.-*114)* के पी. आई. तरुणकुमार अमृतलाल बारोट ने पाकिस्तान में हथियार प्रशिक्षण प्राप्त करने के संदेह में गिरफ्तार किया था। आई-सी. आर. सं. *6 /*

03 राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के उपरोक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और रिमांड के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया। ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। *26 (* ए*)*। *6/7.4.2003* को, जब ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* को उसके मोबाइल फोन के संपर्क विवरण के साथ सामना करना पड़ा, जिसमें मेहमन और चाचा के नाम के सामने नंबर रखे गए थे, तो उसने खुलासा किया कि मेहमन हरेन पांड्या का हत्यारा है और चाचा ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* है, जिसने हरेन पांड्या की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही बात सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* के साक्ष्य, प्रदर्शनी *728* के माध्यम से साबित हुई थी। फोन की लोकेशन अहमदाबाद में पाई गई।

26 (बी*)*। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)*, ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)*, ए-*15* और ए-*16* को मेडचल बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।

हैदराबाद। ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* को वी. प्रभंजन ने जे. डी. मठ बस डिपो, आर. आर. जिला, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया।

कुमार *(*पीडब्लू-*118)*।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

26 (सी*)*। आई. डी. *1* पर हरेन पांड्या के शरीर से बरामद गोलियों को उनके कपड़ों के साथ सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली को सौंप दिया गया।

राय के लिए *(441* प्रदर्शित करें*)*।

26 (डी*)*। *23.4.2003* पर, ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने हाउस *No.206*, ब्लॉक *61*, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड में रहने के बारे में स्वीकार किया था।

(पीडब्लू*-23)* और हाउस *No.522*, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, बाबूनगर के स्वामित्व में है। ए*-10/*ए*-14* द्वारा। ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की ओर इशारा करते हुए, ए*-10/*ए*-14* के घर से पंजीकरण कागजात के साथ बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल *No.GJ-1* बीजी*-3849* जब्त की गई। इन तथ्यों को प्रदर्शनी *268,269,270* और *272* द्वारा साबित किया गया था।

26 (ई*)*। *25.4.2003* पर, सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल *No.GJ-1SS 5934* और हीरो होंडा मोटरसाइकिल नं. जी. जे.*-1* सी. डी.*-8973* को जब्त कर लिया गया।

कालुपुर रेलवे स्टेशन और पीएस कागदापीठ की पार्किंग। ए*-4 (*कलीम अहमद*)*, ए*-5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए*-12 (*शाहनवाज़ गांधी*)* को उधम सिंह रामकरण सिंह सोलंकी *(*पीडब्लू*-108)* द्वारा सदाशिव पेट बस स्टैंड, संगारेड्डी, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें *29.4.2003* तक ट्रांजिट हिरासत में भेज दिया गया था। इन तथ्यों को प्रदर्शनी *274,356,645,646,647* और *648* द्वारा साबित किया गया था।

26 (च*)*। *26.4.2003* पर, एक रिवॉल्वर नंबर बी*-40350* वेबले और स्कॉट और एक पिस्तौल नंबर। *EE-0330* की खोज *A-1 (*मोहम्मद*)* के उदाहरण पर की गई थी।

असगर अली*)* फ्लैट नंबर *4*-बी, कमर फ्लैट, शाहपुर, अहमदाबाद से श्रीनाथसिंह शंभौसिंह *(*पीडब्लू*-13)* की उपस्थिति में। यह तथ्य प्रदर्शनी *196* द्वारा सिद्ध किया गया था। उक्त फ्लैट की तलाशी के दौरान सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल की आरसी बुक *No.GJ 1* एसएस*-5934* बरामद की गई। यह प्रदर्शनी *197* और *198* द्वारा सिद्ध किया गया था।

26 (जी*)*। *28.4.2003* पर, ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने अहमदाबाद और उदयपुर में विभिन्न साइबर कैफे का उपयोग करने का खुलासा किया। दो हार्ड डिस्क

आधुनिक साइबर कैफे, अहमदाबाद से और मित्तल साइबर कैफे और नेट सेवी साइबर कैफे, उदयपुर से एक-एक हार्ड डिस्क जब्त की गई। प्रदर्शनी *601,336,410* और *576* में भी यही साबित किया गया था। *29.4.2003* पर, साइबर स्पेस कैफे, अहमदाबाद की एक हार्ड डिस्क भी जब्त की गई थी *(*प्रदर्शनी *762)*।

26 (एच*)*। *30.4.2003* पर ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए*-2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* ने अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और प्रिंट के बारे में खुलासा किया था।

ईमेलों में से प्रकाशभाई बाबूलाल मोध *(*पीडब्लू*-16)* की उपस्थिति में लिया गया था *(*प्रदर्शनी *214* और *215)*।

26 ((i)। *5.5.2003* पर, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की पहचान एक परीक्षण पहचान परेड के दौरान अनिलराम यादराम पटेल *(*पीडब्लू-*55)* द्वारा की गई थी। *26 (* जे*) 8.5.2003* पर ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के कहने पर उसके घर से एक पिस्तौल बरामद हुई। यह प्रदर्शनी *423* द्वारा सिद्ध किया गया था।

26 (के*)*। *22.5.2003* पर, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज़*)* ने स्टार नंबर की दुकान के बारे में खुलासा किया कि कहाँ से

उन्होंने नंबर वाली नकली नंबर प्लेट तैयार की। जीजे-*1* सीएफ-*5189*।

बाबरभाई मालजिभाई रबारी *(*पीडब्लू-*34)* उक्त प्रकटीकरण के पंच गवाह थे और उन्होंने अपने बयान के दौरान इसका पूरा समर्थन किया था। स्टार नंबर प्लेट के मालिक शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियान *(*पीडब्लू-*52)* ने भी नंबर प्लेट बनाने के संबंध में बयान दिया था। इन तथ्यों को प्रदर्शनी *312,313,314* और *325* द्वारा साबित किया गया था।

26 (1) . 1.6.2003 पर, एफ. आई. आर. नं. में पोटा लागू किया गया था। आर. सी. *2 (*एस*)/2003* एस. सी. यू. आई. और प्रधान सत्र न्यायाधीश को एक सूचना भेजी गई थी,

अहमदाबाद, और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद *(*प्रदर्शनी *744)*।

26 (एम*)*। *2.6.2003* पर, पीएस बापूनगर के *I-CR No.101/03* को सी. बी. आई. में एफ़. आई. आर. *No.RC.5 (S) 2003-- SCU* के रूप में दर्ज किया गया था। आई और जांच

लिया गया था *(*प्रदर्शनी *746)*। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)*, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)*, ए-*8 (*मोहम्मद रियास*)* और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* की पुलिस हिरासत को *9.6.2003 (*प्रदर्शनी *745)* तक बढ़ा दिया गया था। *26 (* एन*)*। *3.6.2003* पर, *I-CR No.101/03* के रिकॉर्ड सी. बी. आई. द्वारा डी. सी. बी. से एकत्र किए गए थे *(747* प्रदर्शित करें*)*।

26 (0) . ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* को स्थानांतरण वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* का बयान दर्ज किया गया, जिन्होंने दावा किया कि वह हमलावरों की पहचान कर सकते हैं। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)*, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)*, ए-*8 (*मोहम्मद रियास*)* और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* ने सुशील कुमार एस. गुप्ता, जांच अधिकारी *(*पीडब्लू-*120)* के सामने इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त की, जिन्होंने उन्हें पुलिस अधीक्षक विनायक प्रभाकर आप्टे के सामने पेश किया।

(पीडब्लू-*21)*।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

26 (पी*)*। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

26 (क्यू*)*। आईडी*1* पर जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* ने एक परीक्षण के दौरान ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* की पहचान की। पहचान परेड। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)*, जावेद अब्दुल राशिदखान पठान *(*पीडब्लू-*45)* और फरीदखान माजिदखान *(*पीडब्लू-*74)* के बयान दर्ज किए

गए। ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* ने भी एक इकबालिया बयान दिया, जिसे विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* ने दर्ज किया था। यही बात प्रदर्शनी *203,366,557,558* और *229* द्वारा साबित की गई थी।

26 (आर*)*। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* और ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* के इकबालिया बयान दर्ज किए गए।

विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* द्वारा। यही बात प्रदर्शनी *232* और *235* द्वारा साबित की गई थी। *26 (* एस*)*। *8.6.2003* पर, विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* ने ए-*8 (*मोहम्मद रियाज़*) (*प्रदर्शनी *238)* का इकबालिया बयान दर्ज किया।

26 (टी*)*। *11.6.2003* पर, पोटा को *RC. 5 (S)/2003-SCU* में लागू किया गया था। जगदीश तिवारी का मामला और इसकी सूचना प्राचार्य को भेजी गई थी।

सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,

अहमदाबाद *(*प्रदर्शनी *750* और *751)*।

26 (यू*)*। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)*, ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया। मामले में हस्तांतरण वारंट नं। आर. सी. *5 (*एस*)/2003-SCU.I* और *21.6.2003* तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हीरो होंडा मोटरसाइकिल को पीएस कोठ से जब्त किया गया था। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ने नंबर प्लेट और वीडियो सीडी के बारे में एक खुलासा बयान दिया। नंबर प्लेट थी

के उदाहरण पर तारापुर राजमार्ग के सड़क किनारे झाड़ियों से पाया गया ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के घर से ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और छह वीडियो सीडी और अन्य साहित्य मिले। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* ने भी सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* के समक्ष इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त की। इन तथ्यों को प्रदर्शनी *754,755,513,514* और *515* द्वारा साबित किया गया है।

26 (वी*)*। *15.6.2003* और *16.6.2003* पर क्रमशः ए-*11* और ए-*10* के इकबालिया बयान विनायक प्रभाकर आप्टे द्वारा दर्ज किए गए थे।

(पीडब्लू-*21)*। *(241* और *244* प्रदर्शित करता है*)*

26 (डब्ल्यू*)*। *17.6.2003* पर, ए-*4 (*कलीम अहमद*)*, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*12 (*शाहनवाज़ गांधी*)* को स्थानांतरण वारंट पर गिरफ्तार किया गया और

18.6.2003 पर, उन्हें *27.6.2003* तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)*, ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* ने सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* के समक्ष इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त की। *20.6.2003* पर, ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के इकबालिया बयान विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* द्वारा दर्ज किए गए थे। ए-*12*

*(*शाहनवाज गांधी*)* ने भी सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* के सामने स्वीकारोक्ति करने की इच्छा व्यक्त की। इन तथ्यों को प्रदर्शनी *759,595,247* और *250* द्वारा साबित किया गया था। *26 (x)*। *21.6.2003* पर, ए-*1 (*मोहम्मद*)* का इकबालिया बयान। असगर अली*)* विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और *22.6.2003* पर,

ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)* का इकबालिया बयान विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* द्वारा दर्ज किया गया था। प्रदर्शनी *253* और *256* में भी यही साबित किया गया था। इसके बाद, ए-*4 (*कलीम अहमद*)* और ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने भी विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* के सामने स्वीकारोक्ति देने की इच्छा व्यक्त की।

इन आरईः अनिल यादराम *(*पीडब्लू-*55)*

27. अभियोजन पक्ष की ओर से यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू-*55*, अनिल यदराम एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह है। सुबह *7:30* बजे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति और मृतक की उपस्थिति स्वाभाविक है और साबित होती है। यह बताया गया कि अपराध स्थल पर चश्मदीद गवाह की उपस्थिति स्वाभाविक थी क्योंकि वह ठाकुरभाई देसाई हॉल में चिट्टी बैंग के परिसर के अंदर अपनी धक्का गाड़ी रखता था, क्योंकि नगर निगम द्वारा ऐसी गाड़ियों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। चिट्टी बैंग सी. डब्ल्यू.-*1* के मालिक पी. डब्ल्यू.-*55* ने पुष्टि की है कि पी. डब्ल्यू.-*55* उनकी अनुमति से चिट्टी बैंग परिसर में अपनी हैंड कार्ट रखते थे और रात में वहीं सोते थे। पीडब्लू-*55* के संस्करण की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य और अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा भी की गई है। उनके स्वभाव की पुष्टि चिकित्सा के साथ-साथ बैलिस्टिक विशेषज्ञ, पीडब्लू द्वारा की गई है। *- 8 , 15 , 55 , 101* और *120* अभियुक्त की स्थिति और मृतक को लगी गोली की चोट के संबंध में। *4* डॉक्टरों द्वारा पोस्टमॉर्टम जांच की गई। डॉ. प्रतीक पटेल *(*पीडब्लू-*8)* ने साबित किया है कि *5* गोलियों से *7* गोलियां चली हैं।

फोरेंसिक और जैविक रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

कार के अंदर मृतक की मृत्यु साबित करें। अपराध के समय ए *1* द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार उसी फ्लैट से विधिवत बरामद किया गया था। बैलिस्टिक विशेषज्ञ पीडब्लू-*75* ने बयान दिया है कि मृतक के शरीर से बरामद गोलियां उसी रिवॉल्वर से चलाई गई थीं जो ए-*1* के कहने पर बरामद की गई थी। पीडब्लू-*39* के विरुद्ध अपराध के लिए जगदीश तिवारी ने अंतिमता प्राप्त कर ली है क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपील दायर करके उस पर सवाल नहीं उठाया गया है, जो प्रासंगिक अवधि के दौरान अहमदाबाद में ए-*1* और ए-*3* की उपस्थिति को भी साबित करता है। पीडब्लू-*95* प्रमाण

कि ए-*1* अहमदाबाद में *27.3.2003* पर मौजूद था और मृतक की हत्या के अगले दिन तक फोन *No.98254 91421* का इस्तेमाल करता था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बंद किए बिना खारिज करने में घोर विकृति दिखाई है।

विचारण न्यायालय द्वारा नियोजित तर्क के साथ-साथ विस्तृत रूप से साक्ष्य का समन्वय, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया है।

28. दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने पीडब्लू-*55* अनिल की गवाही और बयान को बदनाम करने की मांग की।

विभिन्न आधारों को उठाकर यदराम से आगे विस्तार से निपटा जाएगा। अनिल यदराम, पीडब्लू-*55* ने कहा है कि उन्होंने चिट्टी बंग, ठाकुरभाई देसाई हॉल के गेट के बाहर लॉ गार्डन के पास अपनी गाड़ी खड़ी की थी और नानुभाई चिट्टी बंग के मालिक हैं। वे रात में अपनी गाड़ी को नानुभाई *(*सी. डब्ल्यू.*-1)* के चिट्टी बैंग के परिसर में छोड़ जाते थे। यदि गाड़ी को बाहर रखा जाता है, तो निगम गाड़ी को हटा सकता है। इसलिए, वह रात के समय उक्त चिट्टी बैंग में गाड़ी रखता था। वे नानुभाई के स्थान चिट्टी बंग में सोते थे। *26.3.2003* पर वह प्रकृति की पुकार पर गया, और ब्रश करने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और सामने के गेट के पास आया और फिर उसने देखा कि कन्हैया लाल गेट के पास खड़ा था। उन्होंने उन्हें बताया कि निगम हाथगाड़ियों को खींच रहा था। कन्हैयालाल ने उनसे कहा कि वह *10'0* घड़ी में वहाँ होंगे। वह चिट्टी बैंग के गेट के अंदर थे जब उन्होंने एक मारुति फ्रंट को गज्जर हॉल क्रॉस रोडसाइड से आते देखा और वहीं रुक गए जहां उन्होंने अपनी गाड़ी रखी थी। हरेन पांड्या कार के अंदर थे। उसने गाड़ी खड़ी की और खिड़की का शीशा ऊपर लुढ़का रहा था। इस बीच जिस तरफ से कार आई थी, वहां से एक लड़का आया और उसने *4* से *5* राउंड गोलियां चलाईं। हरेन पांड्या के पैर ऊपर उठाए गए और वह पीछे की ओर गिर गए। गवाह चिल्लाया कि तुम क्या कर रहे हो*?* हमलावर भाग गया। इसके बाद रमेश,

स्वीपर आया और पूछा कि क्या हुआ था। वह लड़का न यहाँ था और न वहाँ। उन्होंने अभियुक्त की कुछ विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है।

कुछ देर तक डरकर बैठे रहे और फिर बी देसाई हॉल की ओर बढ़े और शुक्ला चाचा को रिक्शा में देखा। उन्होंने शुक्ला चाचा को सूचित किया कि हरेन पांड्या को मार दिया गया है। शुक्ला चाचा और वे दोनों रिक्शा में गए। चूंकि सामान भरा हुआ था और पंचवटी सर्कल पर यातायात पुलिस थी, इसलिए उसने उसे पंचवटी सर्कल पर रिक्शा से उतार दिया और फिर से उसे अंबावड़ी सर्कल पर रिक्शा में चढ़ने के लिए कहा। फिर वे नानुभाई के घर पहुँचे। उन्होंने नानुभाई को सूचित किया कि हरेन भाई पांड्या को उस स्थान पर *4* से *5* राउंड की गोलीबारी से मार दिया गया है जहां वे अपना घोड़ा रखते थे। नानुभाई ने बताया कि चाय पीने के बाद वे लॉ गार्डन पहुंचेंगे। वे लॉ गार्डन वापस चले गए, पुलिस आ गई थी, हरेन पांड्या को एक जीप में वी. एन. अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में आया और उससे हमलावर की विशेषताएँ पूछी। गवाह ने उसे उसी तरह समझाया जैसे उसने अदालत में गवाही दी थी। सी. बी. आई. ने नक्शा तैयार किया था। उन्होंने अपने अंगूठे का निशान लगाया है और कन्हैया ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं।

29. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि गवाह पीडब्लू-*55* द्वारा स्थापित बंदूक से गोलीबारी का मामला सही नहीं है।

मारुति *800* कार, गोली का कोई अवशेष *(*जी. एस. आर.*)* नहीं मिला है और कार से कोई गोली बरामद नहीं हुई है। यह विवाद में नहीं है कि गोलियां शरीर से बरामद की गई थीं क्योंकि वे कार में नहीं मिली थीं। ए-*1* के विद्वान वकील ने कहा कि सीट से कोई खून नहीं मिला, हालांकि कुर्ता और पायजामा और अंडरवियर पर खून के धब्बे थे। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, जैसे कि चालक की सीट के आवरण से खून पाया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, सी. बी. आई. की ओर से यह बताया गया कि मारुति कार से खून बरामद किया गया है और यह मृतक के समूह बी का था। इस प्रकार, केवल सीट के आवरण पर खून नहीं मिला, इस घटना को बदनाम नहीं करेगा। वास्तव में, यह घाव की प्रकृति और रक्तस्राव आंतरिक है या

नहीं और शरीर की स्थिति पर निर्भर करेगा कि कितना रक्त नीचे जाएगा। चाहे वह सीट कवर पर जाए या कार के नीचे, यह एक सार्वभौमिक सूत्र नहीं कहा जा सकता है कि जब भी कार में कोई घटना होती है, तो किसी विशेष स्थान पर खून पाया जाना चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त आधार पर गवाह के बयान को बदनाम करने का प्रयास कि कुछ खून नहीं हुआ है

कार के सीट कवर से बरामद, कार में हुई घटना पर संदेह करने वाली परिस्थितियाँ नहीं कही जा सकती हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-*55* एक स्वतंत्र गवाह है जो न तो मृतक से संबंधित है और न ही उसकी कोई शत्रुता है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

ए-*1* के साथ। उन्होंने पंचनामा देने वाले पीडब्लू-*7* के सामने *5.5.1981* पर एक परीक्षण पहचान परेड में ए-*1* की विधिवत पहचान की है। निचली अदालत ने उसे एक विश्वसनीय गवाह पाया है।

30. अभियुक्त की ओर से आग्रह किया गया कि कोई जी. एस. आर. नहीं है

वाहन के अंदर या बाहर जो अभियुक्त के अनुसार इसे बनाता है

अत्यधिक संदेह है कि कार शूटिंग की जगह थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि चूंकि गोलियां शरीर के अंदर मिली थीं, इसलिए जीएसआर वाहन के अंदर या बाहर नहीं मिला। इस प्रकार, इस घटना को संदिग्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वाहन के अंदर या बाहर जीएसआर की उपस्थिति नहीं पाई गई है।

31. यह पक्ष में उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अभियुक्त का कहना है कि कार की खिड़कियों में काले रंग के चश्मे थे। ड्राइवर का दाहिना हिस्सा थोड़ा खुला था। पीडब्लू-*55* ने यह भी कहा है कि कार की खिड़की खुली थी जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि लगभग *3* इंच के खुलने से, गोली की चोटों को असंभव बना दिया जाता है, विशेष रूप से चोट संख्या *7* के कारण, जो इसे संदिग्ध बनाता है कि कार शूटिंग का स्थान था। पीडब्लू-*55* ने कहा है कि हरेन पांड्या ने कार रोकने के बाद बोतल से पानी पिया और उसके बाद जब वह खिड़की का शीशा घुमा रहे थे तो उन पर गोली चला दी गई

32. हमारी राय में, कांच का सटीक रोलिंग जब उसे निकाल दिया गया था

पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा करना बहुत अधिक है कि खिड़कियों के कांच में कितना लुढ़का हुआ था

यह गोलीबारी के समय किया गया था। भले ही गवाह ने ऐसा कहा हो, यह केवल उसका अनुमान होगा। जब कोई व्यक्ति कांच को ऊपर लुढ़का रहा होता है, तो यह संभव है कि उसे तब गोली मारी गई होगी जब खिड़की काफी चौड़ी खुली थी और जब वह इसे ऊपर लुढ़कने की प्रक्रिया में था। गोलीबारी से खुद को बचाने के लिए व्यक्ति भी तेजी से कांच को ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा तो भी गोली चलाई जा सकती है।

प्रक्रिया।

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि जब गोलियां चलाई गईं तो *3* इंच का एक छोटा सा छेद था, इस तरह का बयान देने के लिए मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम के खिलाफ है और जिस तरह से घटना हुई है, यह

सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि गोलीबारी होने से पहले खिड़कियों के शीशे को कितना घुमाया गया था और कितना घुमाया गया था। कुछ गोली लगने के बाद या गोलीबारी की प्रक्रिया में किया जाता है। यह केवल इतना कहा जा सकता है कि जब गोलीबारी हुई तब वह शीशे को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में था।

33. पीडब्लू-*55* ने अपने बयान में कार के अंदर मृतक की स्थिति का प्रदर्शन किया है। चालक की ओर से गोली चलाने के संबंध में

कांच की पुष्टि चिकित्सकीय रूप से *1* से *4* तक की चोटों की दिशा से की जाती है जो ऊपर से नीचे और दाएँ से बाएँ होती हैं। पीडब्लू-*55* ने आगे कहा है कि मृतक के पैर ऊपर आ गए और वह सह-चालक की सीट पर गिर गया जो चोट संख्या *7* की भी व्याख्या करता है जो नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं है। पायजामा में प्रवेश छेद से इसकी पुष्टि होती है जो पायजामा के पिछले छेद में है। मृतक की स्थिति है

मृतक के शव को कार से बाहर निकालने वाले कांस्टेबल पीडब्लू-*85* ने इसकी पुष्टि की। पीडब्लू-*85* ने कहा है कि पैर घुटने के स्तर से थोड़े ऊपर थे। दाहिना पैर ऊपर की दिशा में थोड़ा अधिक था।

34. पीडब्लू-*55* के संस्करण को बदनाम करने के लिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि *7* चोटें और *5* गोलियों के घाव पाए गए थे। जैसा कि पीडब्लू-*8* द्वारा साबित किया गया है, पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतक के शरीर से कुल *5* आग्नेयास्त्रों की गोलियां बरामद की गईं। यह अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करता है। इस पहलू के लिए साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता है। ए-*1* की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि *4* डॉक्टरों द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में, *7* गोलियों के मुकाबले शरीर से सफेद धातु की गोलियों के रूप में वर्णित *5* गोलियां मिली थीं।

घाव। वे सभी चारों ओर काले पड़ गए थे। चोट संख्या *6* भी थी ब्लैकनिंग जैसा कि पीडब्लू-*19*, इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा पाया गया। दाहिनी हड्डी सहित खून के घावों के अनुरूप कपड़ों में छेद काला दिखाई देते हैं। कपड़ों पर उन सहित सभी *7* छेदों का उभरना

दाहिनी ओर जी. एस. आर. और बाद में सी. एफ. एस. एल. द्वारा जांच की गई। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि शव परीक्षण सर्जन पीडब्लू-*8* ने प्रश्न *Nos.64* के उत्तर में कहा है कि *66* कि शरीर के अंदर की सभी गोलियों का उल्लेख *5* घावों के लिए किया गया है, अर्थात् चोट संख्या। *1 4, 5* से *7* तक। चोट संख्या। *5* और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में *6* उनकी संचार चोट है। *5* और *6* चोटों का ट्रैक नोट नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि चोट *Nos.5* और *6* के मामले में, कलाई फ्रैक्चर होना चाहिए था और चोट हथेली क्षेत्र पर होनी चाहिए थी। इस प्रकार *5* गोली चलाने का प्रत्यक्षदर्शी विवरण विश्वसनीय नहीं है। चोट पहुँचाने के लिए हथियार को अंडकोश के स्तर पर होना चाहिए और

इसके बाईं ओर और शव परीक्षण सर्जन ने कहा है कि चोट नंबर *7* का कारण बनने वाले हमलावर को आगे और नीचे होना होगा। इस प्रकार मारुति कार में चोट संख्या *7* नहीं हो सकती थी। इसलिए यह घटना का स्थान नहीं है। इस पहलू के कारण, पीडब्लू *55* का नेत्र साक्ष्य विरोधाभासी है।

35. अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि बैलिस्टिक के साथ चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य की उस सुसंगत और संक्षिप्त प्रकृति का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करता है और

यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि हत्या ए-*1* द्वारा की गई थी। चोट *Nos.2* से *4* छाती पर सीधे शॉट थे; चोट संख्या। *1* , *5* और *6* एक ही गोली से हुए थे, चोट संख्या *1* गर्दन पर थी, चोट संख्या *5* दाहिने हाथ की धातु की हड्डी पर और चोट संख्या *6* हाथ के पीछे, चोट *Nos.5* और *6* संचारित चोटें हैं और उसके बाद चोट संख्या *1* गर्दन में उसी गोली से हुई है। पीडब्लू-*8* के बयान, डॉ. प्रतीक पटेल पर भरोसा किया गया है जिन्होंने कहा है कि एक ही गोली से *5* और *6* को गोली लगी है। डॉक्टर का मानना है कि अगर हाथ को चेहरे या गर्दन के क्षेत्र के सामने दाहिने तरफ रखा जाता है, तो हाथ के पीछे अगर पीड़ित के विपरीत तरफ मुंह किया जाता है, तो गोली बाहरी चोट नंबर *1* से फिर से प्रवेश कर सकती है।

36. अब हम विज्ञापन देते हैं कि क्या चिकित्सा साक्ष्य पीडब्लू-*55* के संस्करण को गलत साबित करते हैं। हरेन पांड्या की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट डी-*160* में निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया है:

"1. लगभग *0.8* से. मी. व्यास, उल्टे किनारों के साथ लाल संदूषित घावदार प्रवेश घाव गर्दन के सामने के निचले हिस्से में दाहिने तरफ, लगभग *1* से. मी. ऊपर और दाएं क्लैविकल के मध्य छोर से *2* से. मी. ऊपर मौजूद होता है। घाव के आसपास की त्वचा पर कालापन देखा जाता है।

2. लगभग *0.8* से. मी. व्यास, उल्टे किनारों के साथ लाल संदूषित घावदार प्रवेश घाव दाहिने छाती के सामने मौजूद है, लगभग *1.2* से. मी. दाएं दूसरे इंटरकोस्टल स्थान पर मध्य तल से।

3. लगभग *0.8* सेमी व्यास, पंच लाल संदूषित घाव प्रविष्टि

उल्टा किनारों वाला घाव दाहिनी छाती के सामने, *5* सेंटीमीटर नीचे और *1* सेंटीमीटर बाएं से दाएं निप्पल में मौजूद होता है।

4. लगभग *0.8* से. मी. व्यास, उल्टे किनारों के साथ लाल संदूषित घावदार प्रवेश घाव दाहिने छाती के सामने, *0.5* से. मी. नीचे और *3* से. मी. ऊपर उल्लिखित बाहरी चोट संख्या। *3* .

5. लगभग *0.8* सेमी व्यास, मुक्का लाल संदूषित घाव के साथ उल्टे किनारों के साथ दाहिने हाथ के पीछे *2* सेमी पर मौजूद है।

अनुक्रमणिका और बीच की उंगलियों के संगम के निकट। का ब्लैकनिंग

घाव के चारों ओर त्वचा दिखाई देती है।

6. उभरा हुआ घाव सामने की ओर होता है।
ऊपरी *2/3* से निचले *1/3* के जंक्शन पर दाहिने अग्र-भुजा, तिरछे रूप से

मध्यम रूप से नीचे की ओर, *2* सेमी।

7.0. 5 सेमी व्यास, बाएं अंडकोश के निचले हिस्से पर मौजूद उल्टे मार्जिन के साथ गोलाकार मुक्का घाव *1* सेमी _ _ _ _ _ मध्य तल

(स्क्रोटल रैफे*)* थक्के से ढका हुआ।

8. 0. 4 सेमी *x 0.4* सेमी, लाल रंग का, पार्श्व के मध्य में मौजूद घर्षण

दाहिने बीच की उंगली के फालेंक्स का पहलू "।

जब हम उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते हैं, तो चोट संख्या *1* गर्दन के सामने के निचले हिस्से में दाहिनी ओर होती है, जो कि दाहिनी खुरली पर होती है। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि चोट *Nos.5* और *6* हैं

संवाद करने वाले। वास्तव में, चोटों को संचारित करने में यह आवश्यक नहीं है कि गोली तर्जनी और बीच की उंगली के जंक्शन के निकटवर्ती में प्रवेश कर गई हो। यह क्षेत्र को छूते हुए गुजर सकता था और फिर चोट नंबर *1* का कारण बनने के लिए सामने के निचले हिस्से में ठीक सामने तक पहुंचने की प्रक्रिया में दाहिने अग्र-भुजा पर चोट लगा सकता था। चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि चोट संख्या *5* पहले हुई थी, उसके बाद *6* और संख्या *7* अंततः उसी गोली के कारण हुई थी और डॉक्टर ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया है। प्रश्न *No.14* का उत्तर देते हुए, डॉक्टर ने कहा कि यदि हाथ को दाहिने तरफ गर्दन क्षेत्र के सामने प्रतिबिंबित रूप से रखा जाता है और हाथ का पिछला हिस्सा पीड़ित के विपरीत तरफ होता है, तो गोली की चोट संख्या *1* चोट *Nos.5* और *6* के कारण हो सकती है।

37. उच्च न्यायालय का निष्कर्ष केवल इस हद तक सही है कि चोट *Nos.5* और *6* को प्रवेश और निकास घाव नहीं कहा जा सकता है। वे बल्कि इस प्रक्रिया में हुए घावों को संचारित कर रहे थे चोट नं. *1*। स्वतंत्र चोटों के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। पीडब्लू-*55* की गवाही को उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता है। चिकित्सा संस्करण और पीडब्लू*55* के नेत्र संस्करण में उपरोक्त पहलू के संबंध में कोई विसंगति नहीं है।

38. पीडब्लू-*8*, डॉ. प्रतीक पटेल, ऑटोप्सी सर्जन ने प्रश्न *No.73* के उत्तर में आगे कहा है।

"प्रश्न सं। *73 :* अपवाद क्या होगा और अपवाद पर विचार करने का अधिकार क्या है*?*

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

जवाबः यदि पहला प्रवेश और निकास शरीर के छोटे से हिस्से के माध्यम से होता है और नरम ऊतक और पुनः प्रवेश का पक्ष पहले प्रवेश घाव के निकास घाव के निकट होता है तो पुनः प्रवेश घाव पर प्रवेश घाव की विशेषताएं हो सकती हैं। मैं अपने जवाब के समर्थन में कुछ बयान भी दिखा सकता हूं। मेरे जवाब के समर्थन में मेडिको कानूनी बयानों पर एक किताब है। वहाँ है।

अब्दुल्ला फतेह, जे. बी. लिपिंग कंपनी द्वारा गन शॉट की मेडिकोलेगल जांच पर एक पुस्तक।

उपरोक्त उत्तर से यह स्पष्ट है कि घाव हो गया है।

डॉक्टर पीडब्लू-*8* द्वारा शरीर के एक छोटे से हिस्से और नरम ऊतक के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार, यह नरम ऊतक की एक संचारी चोट है जो कलाई के माध्यम से छेद नहीं करती है या प्रवेश नहीं करती

है। यह स्पष्ट है कि *5* और *6* चोटें संचारित चोटें हैं और चोट संख्या *1* एक ही गोली से हुई है। डॉक्टर द्वारा प्रवेश और निकास घावों को उपरोक्त तरीके से देखा और समझाया गया है जो केवल एक ही गोली के कारण होने वाले घावों को संचारित कर रहे हैं।

39. यह भी आग्रह किया गया कि गोली की कई चोटों का विवरण पाई गई चोटों की संख्या से मेल नहीं खा रहा है। मृतक के शरीर से *5* गोलियां बरामद की गईं, जबकि *7* गोली के घाव थे। जैसा कि पहले ही समझाया जा चुका है कि *5* गोलियों की चोटें पी. डब्ल्यू.*-55* के नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार लगी थीं कि *5* गोलियाँ चोट के रूप में पाई गई थीं और *6* संचारित चोटें थीं जो अंततः चोट संख्या *1* की ओर ले जा रही थीं जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। अतः वहाँ

कोई विसंगति नहीं है, बल्कि नेत्र साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा मजबूत किया जाता है।

40. अभियुक्त व्यक्ति ने यह तर्क देने के लिए "ग्रेज़ एनाटॉमी" और "ए कलर एटलस ऑफ़ ह्यूमन एनाटॉमी" पर भरोसा किया है कि हथेली में *32* कसकर भरी हुई हड्डियाँ हैं। सबसे तंग पैक कलाई की हड्डियाँ हैं और कार्पल टनल लगभग *8.3* मिमी गहराई में है *(*चिकित्सा पत्रिकाओं के अनुसार*)*। *0. 32* कैलीबर की गोली का व्यास *7.65* मिमी होता है। इसलिए, चोट *5* और *6* के ट्रैक के किसी भी विश्वसनीय सक्षम फोरेंसिक स्पष्टीकरण के अभाव में, तर्क के स्तर पर सी. बी. आई. द्वारा स्थापित इस सिद्धांत को खारिज किया जा सकता है।

41. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हथेली की हड्डियों को कसकर पैक किया गया है। तत्काल मामले में, क्योंकि गोली अंदर नहीं घुसी है और केवल *[2019] 8* एस. सी. आर. को छू गई है।

चोट संख्या *5* में नरम ऊतक, चोट नरम ऊतक पर लगी थी और फिर इसने कलाई को सतही रूप से छुआ है।

42. डॉक्टर ने पैरा *8* में कहा है कि बाहरी चोट *5* और *6* एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए पाए गए थे। दूसरे दाएँ का फ्रैक्चर

मेटाकार्पल हड्डी मौजूद थी। उन्होंने आगे कहा कि गोलियाँ थीं सफेद धातु से बने, उन्हें सील कर दिया गया, लेबल लगाया गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया। जब इलाज कर रहे डॉक्टर से पूछा गया कि *5* गोलियां और *6* प्रवेश घाव कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि एक चोट गोली के प्रवेश की होगी और वह ठीक संचारी चोट *5* और *6* थी जिससे चोट संख्या *1* हुई जो पुनः प्रवेश घाव था। चाहे चोट संख्या *1* मूल थी या पुनः प्रविष्टि, उन्होंने यह मत व्यक्त करने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का उल्लेख किया है कि चोट *Nos.5* और *6* संचारित चोटें हैं।

43. उच्च न्यायालय भी *7* घावों और *5* गोलियों की संख्या के आधार पर चोटों की संख्या के बारे में भ्रमित था। इस तरह की संचार चोटों के मामले में, यह आवश्यक नहीं है कि गोली अंदर प्रवेश करे

शरीर के किसी भी हिस्से में अंतिम चोट पहुँचते समय, यह खरोंच का कारण बन सकता है या शरीर के छोटे हिस्से या नरम ऊतक को छू सकता है जैसा कि तत्काल मामले में किया गया है। यह तत्काल मामले में हुआ है। इस तरह के चिकित्सा संस्करण के महत्व के संबंध में, यह न्यायालय रछपाल सिंह में और एन. आर. बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. *2002* एस. सी. *2710* ने इस प्रकार कहा है:

"*8.* डॉक्टर के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक पर चोट की प्रकृति के संबंध में उसके साक्ष्य में कुछ विसंगति है कि क्या घाव के किनारों को टाला गया था या उल्टा किया गया था। लेकिन यह, हमारी राय में, अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है। डॉक्टर ने यह स्वीकार करते हुए कि उनके साक्ष्य के साथ-साथ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कुछ भ्रम था, हमारी राय में, अपनी जांच के दौरान उक्त स्थिति को स्पष्ट किया है, हालांकि देर से। मृतक के शरीर पर पाए गए घावों की प्रकृति से, यह स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु गोली की चोटों से हुई थी जो गंभीर रूप से विवादित नहीं है। विद्वान वकील द्वारा जिस बात पर विवाद किया जा रहा है वह प्रवेश और निकास के बिंदु हैं जो इस मामले के तथ्यों पर बहुत कम अंतर लाएंगे क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृतक की मृत्यु गोली की चोटों से हुई थी। इस मामले के तथ्यों पर प्रवेश और निकास की प्रकृति के बारे में कुछ विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं बनाएगी।

यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v* के कारण अधिक है।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

तथ्य यह है कि गोलियों के आवरण जो बरामद किए गए थे जाँच अधिकारी बैलिस्टिक द्वारा सकारात्मक रूप से साबित हुए थे

उन गोलियों के रूप में विशेषज्ञ जो हथियारों से छोड़ी गई थीं

अपीलार्थियों से बरामद किए गए और ये आवरण पाए गए हैं

मृतक के शवों के पास उनके घर की छत पर

यह स्थापित करें कि मृतक की मृत्यु गोली से हुई थी

अपीलार्थियों से हथियार जब्त किए गए। इन परिस्थितियों में, घावों के प्रवेश या निकास का सवाल अपना महत्व खो देगा।

यदि इन हथियारों के साथ अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति स्थान और समय अन्यथा अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है। "

(जोर दिया गया*)*

44. मोदी के न्यायशास्त्र का भी उल्लेख किया गया है। के साथ

सी. टी. शरीर के अंदर गोली के रास्ते में जिसमें निम्नलिखित वाशन किए गए हैं:

"गोली की खोज करते समय, यह ध्यान रखना चाहिए कि यह हो सकता है

से गुजरते हुए एक बहुत ही अनियमित और असामान्य मार्ग लें

शरीर। उस दिशा के निर्धारण के संबंध में जहाँ से

हथियार को दागा गया था, इसमें आगे कहा गया है:

"आग की दिशा के बारे में सवाल, क्या दाएँ से

बाएँ या आगे से पीछे जाना चिकित्सकीय-कानूनी महत्व का है। को।

ऊतकों द्वारा कि इसका मार्ग बहुत अनियमित है, तब भी जब गोली लड़खड़ाते हैं "।

(जोर दिया गया*)*

हालांकि यह देखा गया है कि कुछ मामलों में यह मुश्किल है

एक दिशा का खनन करें लेकिन तत्काल मामले में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि

एस केवल दाईं ओर है जो चालक की तरफ है, *3* घावछाती पर चोट लगी और संख्या। *1* , *5* और *6* के कारण थे

गोली स्पष्ट रूप से चालक की तरफ की खिड़की से ही चलाई गई जैसा कि है

चोटों को संचारित करने की दिशा से भी। वहाँ कोई नहीं है तत्काल मामले में नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में स्थिरता।

45. यह उपस्थित विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुत किया गया था

वापस "वासा ना तरफ"। यह पीडब्लू-*8* की फोरेंसिक राय का मुकाबला करने के लिए एक सुधार है कि हथियार को अंडकोश के नीचे होना चाहिए। केवल सुधार के इस मामले में, पीडब्लू-*55* को बदनाम किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने सी. बी. आई. के बयान में या पुलिस को यह नहीं कहा है कि "पग उपर थाई गे"। आहता "।

46. सुखदीप सिंह बनाम में यह न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य

और एन. आर. *, 2010 (2)* एस. सी. सी. *177,* इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 17. इसलिए हम पाते हैं कि तर्क का आधार ही उठाया गया है

डॉ. सी. पी. के कथन के आधार पर विद्वान वकील द्वारा

श्रीवास्तव ने कहा कि चोटें नहीं लग सकती थीं, जबकि

वह मुद्रा जिसे मृतक या हमलावर पकड़े हुए थे
जिस समय गोलीबारी की घटना हुई थी। निचली अदालत थी

एक विपरीत निष्कर्ष पर आने में उचित नहीं है जैसा कि प्रतीत होता है

साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने का मामला।

(जोर दिया गया*)*

47. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस के बयान में पीडब्लू-*55*

उन्होंने कहा है कि हरेन पांड्या सामने की सीट पर गिर गए और फिर श्री पांड्या के चालक की सीट पर गिरने की बात करते हैं। बाद में वह बगल की सीट पर गिरने के बारे में बात करता है। सी. डब्ल्यू.-*1* ने कहा है कि

बड़े अच्छे हैं "। यह प्रस्तुत किया गया था कि वह पहले इस सवाल पर कहता है कि क्या वह कार में संचालन के नीचे घुटने देख सकता है, पीडब्लू-*55* ने जवाब दिया है कि वह छाती और घुटने का एक हिस्सा देख सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि जब चोट संख्या *7* लगी है, तो हथियार उसके बाईं ओर उसके अंडकोश के स्तर से नीचे हो सकता है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए हथियार जब पीडब्लू-*55* ने कहा है कि गोलीबारी छोटे से द्वार से बाहर से हुई थी, तो वह चिकित्सा साक्ष्य से बदनाम है। अभियुक्त की ओर से आगे यह आग्रह किया गया कि सी. बी. आई. का यह कहना कि मृतक के बाएं पैर में चोट संख्या *7* आई है, असंभव है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वी. एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

48. हमारी राय में, पीडब्लू-*55* के बयान से यह स्पष्ट है कि जब हरेन पांड्या कार में गिरे तो उनका पैर ऊपर आ गया। जाहिर है, बायां पैर ड्राइवर की तरफ ऊपर आएगा और जहां उसे चोट लगी है, जाहिर है कि यह उसी दिशा में होगा और उसी तरह से यात्रा करेगा जैसे उसने यात्रा की है। यही बात गवाह पीडब्लू-*55* के परीक्षण में दिए गए बयान को भी सुधार नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने जो देखा है उसे बता दिया है। हर मिनट बताना जरूरी नहीं है। धारा *161 Cr.P.C* के तहत बयान में विवरण। यह शव परीक्षण चिकित्सक के लिए एक स्पष्ट विवरण देने के लिए नहीं है कि मृतक ने उस समय कैसे प्रतिक्रिया दी जब उस पर गोली चलाई गई थी क्योंकि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू-*55* द्वारा दिया गया बयान, चोट संख्या *7* के कारण की दिशा पूरी तरह से समझाई गई है और एक चश्मदीद गवाह को इन सभी विवरणों को गणितीय सटीकता के साथ बताने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या वह अन्यथा विश्वसनीय है और क्या अन्य सबूत उसकी पुष्टि करते हैं। पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

49. गोलीबारी के समय सटीक दूरी इंच-वार स्थिति के बारे में, ऐसा कोई गवाह नहीं है जो एक लंबी प्रतिपरीक्षा में सुझाए गए सटीक विवरण दे सके। इस रेखा पर लंबी प्रतिपरीक्षा पूरी तरह से अनावश्यक और पूरी तरह से अनावश्यक थी और गवाह नहीं है।

इस तरह के सभी विवरणों को सटीकता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हालाँकि गवाह ने प्रतिपरीक्षा की परीक्षा का भी सामना किया है। *50.* पीडब्लू-*55* के बयान को इस आधार पर और बदनाम करने की कोशिश की गई कि जब पैर ऊपर आए, तो वह संचालन के संदर्भ में घुटनों की स्थिति का उल्लेख नहीं कर सकता था। गवाह को इन सभी सूक्ष्म विवरणों को नहीं देना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जहां चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र साक्ष्य को केवल उस मामले में असंभव बनाता है, अन्यथा नेत्र साक्ष्य को त्यागना नहीं पड़ता है। अब्दुल सईद बनाम पर अभियुक्त की ओर से रिलायंस को रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य, *2010 (10)* एससीसी *259* इस प्रकारः

" 39. इस प्रकार, उन मामलों में कानून की स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है जहां चिकित्सा साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य के बीच विरोधाभास है।

इस प्रभाव के लिए कि यद्यपि एक गवाह की नेत्र संबंधी गवाही का चिकित्सा साक्ष्य की तुलना में अधिक प्रमाणिक मूल्य है, जब चिकित्सा साक्ष्य नेत्र संबंधी गवाही को असंभव बनाता है, तो यह साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालाँकि, जहाँ तक चिकित्सा साक्ष्य जाता है कि यह पूरी तरह से *[2019] 8* एस. सी. आर.

नेत्र साक्ष्य के सही होने की सभी संभावनाओं को खारिज करता है, नेत्र साक्ष्य सबूतों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया*)*

51. नल्लापति शिवैया बनाम। उप-मंडल अधिकारी, गुंटूर, ए. पी.,

(15) एस. सी. सी. *465* अदालत ने कहाः

" 52. मरने वाली घोषणा को आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए ताकि

इस पर कार्रवाई करना सुरक्षित है। क्या मृत्यु घोषणा पर कार्रवाई करना सुरक्षित है

न केवल रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की गवाही पर निर्भर करता है

मृत्यु घोषणा-चाहे वह मजिस्ट्रेट भी हो, लेकिन सभी सामग्री भी

अभिलेख पर उपलब्ध और चिकित्सा सहित परिस्थितियाँ

सबूत। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री आवश्यक है।

उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रत्येक मामले में ठीक से विचार किया जाए।

अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति

घोषणा सचेत और बयान देने के लिए उपयुक्त थी जिसके लिए

उद्देश्य न केवल मृत्यु को दर्ज करने वाले व्यक्तियों के साक्ष्य

घोषणा लेकिन अन्य साक्ष्य का संचयी प्रभाव भी

चिकित्सीय साक्ष्य और परिस्थितियों सहित

ध्यान में रखा गया "।

(जोर दिया गया*)*

52. राजस्थान राज्य में *v.* भंवर सिंह, *2004 (13)* एससीसी

उन्होंने न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"6. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है

स्थिति. हालाँकि, व्यक्तिगत रूप से कुछ परिस्थितियाँ नहीं हो सकती हैं

अभियोजन पक्ष के संस्करण की सच्चाई को प्रभावित किया है, संयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई दुर्बलताओं का प्रभाव पर्याप्त है

दिखाएँ कि अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं हुआ है। द.

घटना के कथित स्थल पर पीडब्लू *3,4* और *8* की उपस्थिति है श्रेणीबद्ध को देखते हुए सही रूप से संदिग्ध माना गया

पीडब्लू *5* का बयान, वह विधवा जिसे उसने इन व्यक्तियों के लिए भेजा था

जाओ और उसके पति का शव ढूँढो। यह बहुत अस्वाभाविक है कि

उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन्होंने इसके बाद क्या किया मृतक पर हमले का गवाह। इसके अलावा,

प्राथमिकी दर्ज करने में एक दिन से अधिक की अस्पष्टीकृत देरी

अभियोजन पक्ष के संस्करण की सच्चाई पर गंभीर संदेह। द.

केवल एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

लेकिन वर्तमान मामले की परिस्थितियों पर, निश्चित रूप से, यह एक है

वे कारक जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को कम करते हैं।

अंत में, चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र के साथ पूरी तरह से भिन्न था।

सबूत। हालाँकि नेत्र साक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। चिकित्सा साक्ष्य पर, जहाँ चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से

ऑक्युलर संस्करण में सुधार करता है जिसे एक कारक माना जा सकता है

अभियोजन पक्ष के संस्करण की विश्वसनीयता को प्रभावित करना। द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

उच्च न्यायालय एक संभावित दृष्टिकोण है। अपील एक के खिलाफ है

बरी होने पर, हम इसे एक उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं जहां कोई

हस्तक्षेप की मांग की जाती है। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

(जोर दिया गया*)*

53. इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि नेत्र साक्ष्य को गलत बताया गया है

शैक्षिक साक्ष्य। यह भी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया था।

जब प्रत्यक्षदर्शी ने अपने आप में दर्ज किए गए चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप सुधार किया है, तो यह उसे बदनाम करने के लिए पर्याप्त है। एन. सी. ई. को शिंगारा सिंह बनाम पर रखा गया है। हरियाणा राज्य और *2003 (12)* एस. सी. सी. *758* जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष का महत्व। मुकदमे की सुनवाई अदालत ने पाया कि एफ. आई. आर. में और इसके तहत दर्ज किए गए बयानों में भी

धारा *161* सी. आर. पी. सी. गवाहों ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि दोनों

अपीलार्थी दीवार के ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ से

शिंगारा सिंह, ए-*2* ने सुरिंदर सिंह पर गोली चलाई। अगर यह संस्करण था

चिकित्सा अधिकारी द्वारा पाई गई प्रकृति जो स्पष्ट रूप से राय की थी, चोटों के प्रक्षेपवक्र को ध्यान में रखते हुए, कि गोली चलाने वाला व्यक्ति

बन्दूक पीड़ित की तुलना में निचले स्तर पर थी। अतः इसके साथ

अदालत में गवाही देना और उसके बाद उन सभी ने लगातार कहा कि जब ए-*1* दीवार के ऊपर चढ़ गया था तो ए-*2* उस पर खड़ा था

सीढ़ी इस तरह से कि केवल उसका चेहरा पार से दिखाई दे रहा था

दीवार और उस स्थिति में खड़े होने के दौरान, बैरल को रखते हुए

दीवार पर बंदूक और उसके खिलाफ बंदूक के बट को आराम दिए बिना अपने कंधे पर, उसने मृतक पर गोली चलाई। कोई विवाद नहीं था कि

अदालत में उनकी गवाही सुसंगत थी, लेकिन क्या देखा गया निचली अदालत द्वारा यह कहा गया था कि *[2019] 8* एस. सी. आर. के तरीके के बारे में उनका बयान।

उनके द्वारा अपदस्थ की गई घटना किस बात से भिन्न थी

पीडब्लू *5* द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था, और

पी. डब्ल्यू. *6* और *7* के बयान धारा *161* सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज किए गए। जब उनके पहले के बयानों का सामना किया गया, तो वे नहीं दे सके

एक संतोषजनक व्याख्या, जिसके परिणामस्वरूप उनकी विश्वसनीयता थी

पर्याप्त रूप से अभिशंसन। प्रत्येक द्वारा संस्करण का परिवर्तन

उन्हें, और उसी प्रभाव के लिए, जानबूझकर किया गया था और केवल नहीं

दुर्घटनावश या स्मृति की कमी के कारण। इसे विवादित नहीं किया जा सकता है।

कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसे विवादित भी नहीं किया जा सकता है।

कि परिवर्तन जानबूझकर सभी गवाहों द्वारा किया गया था

कि अभियोजन पक्ष का मामला चिकित्सा के अनुरूप हो गया

अभिलेख पर साक्ष्य। इसलिए, हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने में।

(जोर दिया गया*)*

54. रिलायंस को विद्वान वकील द्वारा भी रखा गया है

राम नारायण सिंह बनाम। पंजाब राज्य, *1975 (4)* एससीसी *497*

इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 2. ..... हम यहाँ यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि निश्चित मामला सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष यह था कि गोली चलाते समय

मृतक तेजा सिंह पर राम नारायण सिंह ने गोली चलाई थी दाहिने हाथ को अपनी छाती पर झुकाए रखा था। इस प्रकार कहा गया है कि

प्रत्यक्षदर्शी कि गोलीबारी के समय, मृतक ने रखा था

उसका दाहिना हाथ उसकी छाती पर। ये दो जोड़ या अलंकरण ऐसा लगता है कि हमें लाने के लिए आवश्यक किया गया है

के साक्ष्य के अनुरूप चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य

डॉक्टर के साथ-साथ बैलिस्टिक विशेषज्ञ का भी, और हम सौदा करेंगे मामले के इस पहलू के साथ थोड़ी देर बाद।

XXX

XXX

XXX

6. .... यह विशेष मुद्रा निस्संदेह सबसे अधिक थी।

विशिष्ट तथ्य जिसे गवाह द्वारा याद नहीं किया जा सकता था

अगर यह वास्तव में वहाँ था। इन परिस्थितियों में, हमें

उम्मीद की है कि इस तथ्य का उल्लेख एफ. आई. आर. में किया जाएगा लेकिन यह है

एफ. आई. आर. से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित, न ही इस तथ्य का उल्लेख किया गया था या तो सुरजीत सिंह या उनके भाई जोगिंदर सिंह द्वारा

पुलिस के समक्ष या अपराध करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान।

हमें ऐसा लगता है कि मृतक के सिद्धांत ने अपने केंद्रीय सर्वेक्षण खंड को रखा है।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

उनकी छाती के दाईं ओर की भुजा को तभी पेश किया गया है जब

डॉक्टर जिसकी जाँच सत्रों में दूसरे गवाह के रूप में की गई थी

न्यायालय ने अपनी जाँच-इन-चीफ में कहा कि यदि दाहिनी कोहनी

बाहू को छाती के सामने झुकाया जाता है, फिर नोस को चोट पहुँचाई जाती है। *1 4* तक

यह एक एकल आग्नेयास्त्र निर्वहन के कारण हो सकता है। यह दिखाई देगा

कि इस गवाह से मई में सत्र न्यायालय के समक्ष पूछताछ की गई थी

14 , 1973 , और पी. डब्ल्यू. सुरजीत सिंह से उसी दिन पूछताछ की गई थी।

डॉक्टर के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद। पीडब्लूएस सुरजीत सिंह

और जोगिंदर सिंह को मृतक के सिद्धांत को पेश करना पड़ा घटना को सामने लाने के लिए अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा

कोई कारण नहीं कि चश्मदीद गवाहों को इसमें गवाही क्यों नहीं देनी चाहिए थी पुलिस के सामने या अपराध करने से पहले भी उनके बयान

कहा जाता है कि मृतक राम नारायण सिंह के कारण एक एकल आग जब तक कि मृतक किसी विशेष मुद्रा में न हो। यह

यह तथ्य पहली बार तब सामने आया जब डॉक्टर की जांच की गई पुष्टि करने के लिए सत्र न्यायालय और गवाहों में

डॉक्टर के साक्ष्य के साथ उनकी गवाही ने यह पेश किया

मृतक पर हमले की कहानी में अलंकरण। इस पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, विद्वानों का तर्क

स्थापित किया गया। दूसरे शब्दों में, स्थिति यह है कि अगर हम इस हिस्से को छोड़ देते हैं प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य जो प्रकाश में आए हैं

सत्र न्यायालय में पहली बार, फिर चिकित्सा के अनुसार

सबूत, मृतक को दो गोलियां मिली होंगी जबकि यह

अभियोजन पक्ष का मामला कभी ऐसा नहीं था कि राम नारायण सिंह या कोई

अन्य अभियुक्तों ने किसी भी समय मृतक पर दूसरी गोली चलाई।

इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष को गलत साबित करता है। जिस तरह से मृतक को मारा गया था, उसके बारे में मामला।

(जोर दिया गया*)*

55. अभियुक्त के वकील ने आगे कहा कि एक

ऑक्युलर और मेडिकल साक्ष्य के बीच की स्थिरता जो रोसेक्यूशन मामले को नष्ट कर देगी, जिसका लाभ बचाव पक्ष को मिलना चाहिए। रिलायंस एन ने राम नारायण सिंह *(ऊपर)* को रखा जिसमें इस न्यायालय ने कहा हैः

" 14. जहाँ अभियोजन पक्ष के लिए गवाहों का साक्ष्य है

चिकित्सा साक्ष्य या साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत

बैलिस्टिक विशेषज्ञ, यह एक सबसे बुनियादी दोष है

अभियोजन पक्ष का मामला और जब तक कि उचित रूप से समझाया न जाए, यह पर्याप्त है

पूरे मामले को बदनाम करने के लिए। मोहिंदर सिंह बनाम। राज्य, आकाशवाणी

1953 एस. सी. *415,* इस न्यायालय ने समान परिस्थितियों में कहा कि

निम्नलिखित हैः

"एक मामले में जहां मृत्यु चोटों या घावों के कारण होती है
एक घातक हथियार, इसे हमेशा कर्तव्य माना गया है

अभियोजन पक्ष के विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा साबित करने के लिए कि यह था
चोट लगने की संभावना या कम से कम संभव

जिस हथियार के साथ और जिस तरीके से वे के कारण होने
का आरोप है। यह बुनियादी बात है कि जहाँ

अभियोजन पक्ष के पास एक निश्चित या सकारात्मक मामला है, यह संदिग्ध है

क्या वे चोटें जो अपीलार्थी को लगी हैं

बंदूक या राइफल के कारण "।

यह स्पष्ट है कि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है

अभियोजन पक्ष के मामले का भौतिक हिस्सा और यह मुश्किल होगा ऐसे साक्ष्य के आधार पर
अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है। जबकि

गवाहों के साक्ष्य की सराहना करते हुए, उच्च न्यायालय करता है

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है, लेकिन आसानी से

यह देखे बिना कि सबूत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया

न्यायालय में चश्मदीद गवाहों का सुधार करने का एक विलंबित प्रयास था उनकी गवाही और उसे
डॉक्टर की गवाही के अनुरूप लाएं।

एक गलत मामले का समर्थन करने की दृष्टि से साक्ष्य।

56. रिलायंस को चिकित्सा के बीच असंगति के रूप में रखा गया है

हरियाणा राज्य बनाम पर अभियुक्त के लिए वकील द्वारा नेत्र साक्ष्य। सिंह, *2002 (2)* एस. सी. सी. *426* जिसमें
इस न्यायालय ने टिप्पणी की है:

" *1.* जबकि यह सच है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अपने आप में एक नहीं है

सबूत का ठोस टुकड़ा, लेकिन डॉक्टर का सबूत

पोस्टमॉर्टम कराने को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है

महत्वहीन। डॉक्टर के साक्ष्य का महत्व झूठ है

मृतक व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों के संबंध में

और इसके लिए हथियार का संभावित उपयोग और यह तब होगा

अभियोजक का कर्तव्य और पुष्टि करने वाला साक्ष्य प्राप्त करने का दायित्व

अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से अभिलेख पर उपलब्ध।

XXX

XXX

XXX केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

8. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से दायर अपील के समर्थन में उठाया गया प्रमुख तर्क यह रहा है कि चिकित्सा साक्ष्य

अभिलेख पर उपलब्ध है, अभियोजन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है
मामला।

57. राम नारायण सिंह *(*ऊपर*)* मामले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि हथियार से चोट लगी थी। जिस तरह से आरोप लगाया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, अनुपात की प्रयोज्यता को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, पीडब्लू-*55* के नेत्र साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है।

58. यद्यपि अन्यथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि नेत्र या चिकित्सा साक्ष्य के बीच किसी भी विसंगति के मामले में,

नेत्र साक्ष्य प्रबल होगा, जैसा कि योगेश सिंह बनाम में देखा गया है। महाबीर सिंह और अन्य। *, (2017) 11* एस. सी. सी. *195:*

"43. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तब

इंगित करके अभियोजन पक्ष की कहानी में सेंध लगाने की कोशिश की

नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगतियाँ

सबूत। लेकिन हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं

चूंकि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि
चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य के अनुरूप था और

हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि उस हद तक, यह चश्मदीद गवाहों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा और नेत्र संबंधी साक्ष्य में कोई भौतिक विसंगति नहीं है और इस आधार पर निचली अदालतों के फैसलों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य का साक्ष्य मूल्य केवल पुष्टि करने वाला और निर्णायक नहीं है और इसलिए, मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच टकराव के मामले में, पूर्व को तब तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब तक कि चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से खारिज नहीं करता है

मौखिक साक्ष्य। *[* सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम देखें। की स्थिति

गुजरात, *(1983) 2* एस. सी. सी. *174*, मणि राम बनाम। राजस्थान राज्य, *(1993)* सप. *3* एस. सी. सी. *18*, यू. पी. राज्य बनाम कृष्ण गोपाल, *(1988) 4* एस. सी. सी. *303*, हरियाणा राज्य बनाम। भागीरथ, *(1999) 5* एस. सी. सी. *96*, धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम। गुजरात राज्य, *(2003) 9* एस. सी. सी. *322*, थमन कुमार बनाम। राज्य *(*केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़*), (2003) 6* एस. सी. सी. *380*, कृष्णन बनाम। राज्य, *(2003) 7* एस. सी. सी. *56*, खंबा राजा रेड्डी बनाम। लोक अभियोजक, *(2006) 11* एस. सी. सी. *239*, यू. पी. राज्य बनाम दिनेश, *(2009) 11* एस. सी. सी. *566*, यू. पी. राज्य बनाम। हरि चंद, *(2009) 13* एस. सी. सी. *542, [2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अब्दुल सईद बनाम। एम. पी. राज्य *(2010) 10* एस. सी. सी. *259* और भजन

सिंह बनाम। हरियाणा राज्य *(2011) 7* एस. सी. सी. *421।] "*

59. प्रबल नेत्र साक्ष्य भी सुनील में देखा गया है।

यू एंड एन. आर. वी. झारखंड राज्य, *(2013) 4* एस. सी. सी. *422* इस प्रकारः

" 24. कपिलदेव मंडलव में। बिहार राज्य *(2008) 16* एस. सी. सी. *99*, सभी

प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक था

बन्दूक के उपयोग से घायल, जबकि चिकित्सा साक्ष्य

विशेष रूप से संकेत दिया कि कोई आग्नेयास्त्र चोट नहीं पाई गई थी

मृतक। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दोनों के बीच भिन्नता की सराहना करते हुए चिकित्सीय साक्ष्य और नेत्र साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य

प्रत्यक्षदर्शियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य मूल रूप से है

विचारशील। लेकिन, जब चश्मदीद गवाहों का सबूत पूरी तरह से है

तब चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दिए गए साक्ष्य के साथ असंगत अदालतों द्वारा साक्ष्य की अलग दृष्टिकोण से सराहना की जाती है। यह.

यह देखा गया कि जब चिकित्सा साक्ष्य विशेष रूप से खारिज करते हैं

संस्करण, तब न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है कि अभियोजन पक्ष का संस्करण विश्वसनीय नहीं है। यह निर्णय स्पष्ट है

वर्तमान मामले की ओर आकर्षित "।

(जोर दिया गया*)*

60. इसी तरह, बस्तीराम वी. में। राजस्थान राज्य, *(2014) 5* एससीसी

यह देखा गयाः

" 33. इसलिए हमारे सामने सवाल यह है कि क्या "चिकित्सा

साक्ष्य "पर विश्वास किया जाना चाहिए या क्या इसकी गवाही क्या प्रत्यक्षदर्शी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑक्युलर

साक्ष्य को तब तक स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाता है

चिकित्सा प्रमाण। यह सिद्धांत हाल ही में है

गंगा भवानी बनाम में स्वीकार किया गया। रायपति वेंकट रेड्डी, *(2013)*

15 एससीसी *298*।

XXX

XXX

XXX

36. इसी तरह, एक तथ्य जो एक डॉक्टर ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया है प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है, हालांकि

यह काफी दुर्लभ होगा। दयाल सिंह बनाम। की स्थिति

उत्तरांचल, *(2012) 8* एस. सी. सी. *263*, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और

उस जाँच का संचालन करने वाले डॉक्टर की मौखिक गवाही थी

कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

मृतक। इस अदालत ने "चिकित्सा साक्ष्य" को खारिज कर दिया और इसे बरकरार रखा।

विचारण न्यायालय *(*और उच्च न्यायालय*)* का दृष्टिकोण कि गवाही

अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित चश्मदीद गवाहों की जीत होगी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की गवाही। यह था।

आयोजितः *(* एस. सी. सी पी. *286*, पैरा *41)*

" 41 ..... [टी*]* निचली अदालत ने जानबूझकर की गई खामियों को सही ढंग से नजरअंदाज किया है जाँच अधिकारी के साथ-साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट

डॉ. सी. एन. तिवारी द्वारा तैयार किया गया। का सुसंगत कथन

प्रत्यक्षदर्शी जिनका पूरी तरह से समर्थन और पुष्टि की गई थी

अन्य गवाह, और अपराध की जाँच, सहित

लाठियों की बरामदगी, जांच रिपोर्ट, एक की पगड़ी की बरामदगी
घटना स्थल से आरोपी का तत्काल आवास

एफ. आई. आर. और मृतक की चोटों के कारण मौत

बहुत कम समय में, अभियोजन पक्ष के मामले को आगे स्थापित करें

उचित संदेह। पी. डब्ल्यू. *3 [*डॉक्टर*]* की ओर से ये खामियां

और पीडब्लू *6 [*जाँच अधिकारी*]* एक जानबूझकर किया गया प्रयास है

सुनियोजित रूप से रिपोर्ट और दस्तावेज़ तैयार करने के लिए उनकी भूमिका

दोषपूर्ण तरीका जिसने मामले को पूर्वाग्रहित किया होगा
अभियोजन पक्ष और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को बरी कर दिया गया,

लेकिन न्याय करने के लिए निचली अदालत के सही दृष्टिकोण के लिए और

यह सुनिश्चित करें कि दोषी मुक्त न हो। के प्रमाण
प्रत्यक्षदर्शी जो विश्वसनीय और विश्वास के योग्य था

न्यायालय द्वारा न्यायोचित रूप से भरोसा किया गया।

9999

(जोर दिया गया*)*

61. चोट संख्या *7* के लिए गोली के ट्रैक के संबंध में बहुत कुछ था

आइड। जैसा कि मोदी के न्यायशास्त्र में पहले ही कहा जा चुका है, द ट्रैक ऑफ बुलेट

एक बार चोट लगने के बाद एक अलग रास्ता अपनाएँ। गोली चल सकती है

चोट लगने के बाद शरीर के अंदर चीट करें। प्रवेश घाव को देखते हुए

मोदी के न्यायशास्त्र में बहुत अधिक व्याख्या को दिशा से बाहर नहीं किया जा सकता है जब चोट विधि में हो सकती थी और

पीडब्लू-*55* द्वारा सुझाए गए नीर। चोट की सराहना करते हुए उच्च न्यायालय

7 इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि हरेन पांड्या अंदर गिर गए

गवाह द्वारा बताए अनुसार उसकी सीट और उसका बायां पैर ऊपर आ गया। द.

न्यायालय ने केवल इस आधार पर कार्यवाही की है कि पीड़ित चालक की सीट पर बैठा था या बगल की सीट पर फिसल रहा था। गवाह के बयान का उपरोक्त भाग यह स्पष्ट करता है कि चोट कैसे लगी

की वजह से।

जिस अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, वह अभियोजन मामले को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। *64.* उच्च न्यायालय ने पैरा *16* में कहा है कि चालक की सीट के पास बहुत कम खून पाया गया था। मृतक के कपड़े बोर बताते हैं

उसकी गर्दन और अग्र-भुजा और मोबाइल फोन और सीट के नीचे पड़ी चाबियों पर चोटों से खून बहने के संकेत थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीट के साथ-साथ मोबाइल फोन और फर्श पर पड़ी चाबियों पर भी खून था।

65. जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वह कहाँ था। उसकी लंबी जांच की गई है, कपड़े पर खून पाया गया था, कितना, कहाँ पाया गया था, यह ऑक्युलर संस्करण और एक पूरी घटना को बदनाम करने वाला नहीं है।

66. रक्त के बारे में पूछे जाने पर, पीडब्लू-*8* ने जवाब दिया है, यह निर्भर करेगा कि रक्तस्राव आंतरिक था या बाहरी। अगर आंतरिक

रक्तस्राव होने पर बाहर ज्यादा खून नहीं होगा। मात्रा की मात्रा

घटनास्थल पर रक्त चोट के प्रकार पर निर्भर करेगा। *7* गोलियों की चोटों में से *6* आंतरिक घाव थे, और अग्र-भुजा पर जहां न्यूनतम या कम रक्त संभव था, वह बाहरी था। सवाल *No.111* के जवाब में डॉक्टर ने कहा है।

67. उच्च न्यायालय ने ज्यादातर इस आधार पर कार्यवाही की है कि मारुति कार में अधिक खून पाया जाना चाहिए था। पहले की तरह

चर्चा में, यह चोट पर निर्भर करेगा कि क्या यह आंतरिक रक्तस्राव था और कोई व्यक्ति कैसे लेटा हुआ है, यह कपड़ों पर भी फैल सकता है और तथ्य यह है कि मारुति कार से खून भी बरामद किया गया है।

इसे कितनी मात्रा में बरामद किया जाना चाहिए था। यह मोबाइल फोन और चाबियों पर भी पाया गया जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था। इसके बाद तथ्य इस बात का समर्थन करते हैं कि घटना पीडब्लू-*55* के सुझाव के अनुसार हुई है।

(a) Ex. 160 : अपराध स्थल का पंचनामा दिखाएगा कि खून पाया गया था।

(ख) पूर्व। *774 :* मोबाइल एफ. एस. एल. की रिपोर्ट से पता चलेगा कि खून था

मौके पर पाया गया।

(ग) पूर्व। *547 :* सीरोलॉजी की राय इंगित करती है कि मानव रक्त

पाया गया।

((घ) भूतपूर्व। *458 :* सी. एफ. एस. एल.-जैविक विभाजन रिपोर्टः जैविक रिपोर्ट से पता चलता है कि कपास के स्वाब में बी समूह का रक्त था जो

(ई) एक्स। *451 : 5* कपास के फाहे सभी बी समूह के रक्त का संकेत देते हैं।
(च) वाई. ए. शेख *(*पीडब्लू *101)* का साक्ष्य जिसने पदच्युत किया कि वह

रुई के फाहे से खून का नमूना उठाया है।

(छ) सत्यम पटेल, पीडब्लू-*4 (*पंच गवाह*)* का साक्ष्य, जिन्होंने यह बयान दिया था कि सीट पर रक्त संबंधित समय पर देखा गया था, जिसे कपास के एक छोटे से छर्र से रगड़कर प्रयोगशाला में भेजा गया था।
(ज) पीएम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खून बहुत था।

2. 2 लीटर की मात्रा में वक्ष गुहा।

((i) पूर्व। *457 , 458* और *169:* कपड़ों के पंचनामा से पता चलता है कि कपड़ों में बी समूह का रक्त था।

68. पीडब्लू-*85* के अलावा, आर शर्मा, कांस्टेबल ने यह भी कहा है कि जिस समय मृतक को अस्पताल ले जाया गया था, उस समय खून नहीं बह रहा था

69. पोस्टमार्टम *26.3.2003* पर किया गया था। इसलिए, पोस्टमॉर्टम से *5* से *6* घंटे पहले का समय बताया गया है जो लगभग *8* बजे आता है। ए. एम. और पी. डब्ल्यू.-*55* के संस्करण के साथ मिलान।

70. यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-*55* द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। आइ. जी. पी. श्री सुमन ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया। इस प्रकार आचरण

पीडब्लू-*55* आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है, वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था। हमारी राय में, अनिल यादराम, पीडब्लू-*55* घटना के तथ्य *[2019] 8* एस. सी. आर. को सूचित करने गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिट्ठी बैंग के मालिक श्री नानुभाई एस. वाला *(*सी. डब्ल्यू.-*1)* को देसाई हॉल में। पीडब्लू-*55* ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वह किसी व्यक्ति के लिए असामान्य नहीं है। वह पहले उस जगह के मालिक को हरेन पांड्या की हत्या के बारे में सूचित करना चाहता था। वे पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं थे।

71. सी. डब्ल्यू.*-1* ने पी. डब्ल्यू.*-55* के संस्करण का भी समर्थन किया है, पी. डब्ल्यू.*-55* द्वारा सी. डब्ल्यू.*-1* को घटना का वर्णन काफी स्वाभाविक है और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है।

और सी. डब्ल्यू.*-1* नानुभाई द्वारा संस्करण की उचित पुष्टि है। जिन परिस्थितियों में शुक्ला चाचा ने अनिल यदराम, पीडब्लू*-55* को रिक्शा में लिफ्ट दी थी और उसे सी. डब्ल्यू.*-1* के घर ले गए थे, नानूभाई को पेश नहीं किया जाना अभियोजन पक्ष के बयान में कोई सेंध नहीं लगाता है। केवल गवाह कन्हैया से पूछताछ न करने के आधार पर, पीडब्लू*-55* के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब तक पीडब्लू*-55* मौके पर वापस आया, पुलिस पहले ही पहुँच चुकी थी और मृतक के शव को दूसरे वाहन में अस्पताल ले जाया गया था। अनिल यदराम ने नानुभाई सी. डब्ल्यू.*-1* को बताया कि हरेन पांड्या को गोली मार दी गई थी और "वो गाड़ी में उल्टा होकर के बड़े हैं" और उन्होंने अभियुक्तों को अपने पैरों पर खड़े होते देखा था। पीडब्लू*-55* के बयान से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे घटना की जानकारी मिली थी, वास्तव में, उसने एक स्पष्ट विवरण दिया है क्योंकि चश्मदीद गवाह ने उल्लेख किया है कि पीडब्लू*-55* या सीडब्ल्यू*-1* की अभियुक्त के खिलाफ कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नानुभाई सी. डब्ल्यू.*-1* से अदालत के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी या अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में। एक बार जब किसी गवाह से पूछताछ की जाती है, तो उसके साक्ष्य के मूल्य पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। एक बार जब उसकी जाँच की जाती है तो अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

72. यह प्रस्तुत किया गया था कि सी. डब्ल्यू.*-1* ने यह कहते हुए समयसीमा को कम करने का प्रयास किया था कि पी. डब्ल्यू.*-55* सुबह *9.45* बजे के बजाय लगभग *9.15* बजे आया था।

समय का एक मोटा अनुमान, उपरोक्त गवाह द्वारा संस्करण की शुद्धता के रूप में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। समय का अनुमान कुछ अंतर से भिन्न हो सकता है जब वर्षों के बाद अदालत में एक बयान दिया जाता है। केवल इस तथ्य से कि सी. डब्ल्यू.*-1* ने पी. डब्ल्यू.*-55* से दो बार पूछा

क्या उसने घटना देखी थी, उसने कहा 'हां' उसने घटना को दो बार देखा था। इससे अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं आती है और पीडब्लू*-55* के बयान को किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं बनाता है। हम अदालत के बयान में कोई अलंकरण या भौतिक सुधार नहीं पाते हैं।

यह प्रश्न कि क्या सी. डब्ल्यू.*-1* ने पी. डब्ल्यू.*-55* से पूछा था कि क्या वह सच बोल रहा था और धारा *161* के तहत बयान में उसे छोड़ना एक भौतिक चूक नहीं कहा जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* बयान में भौतिक तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

और धारा *161 Cr.P.C* के तहत बयान के साथ भौतिक तथ्यों के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं है. समय के सन्निकटन के बारे में भी अभियुक्त द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है।

73. ए*-1* की ओर से यह तर्क दिया गया था कि पीडब्लू*-55* ने परीक्षा में घटना के समय का उल्लेख नहीं किया था।

74. यह आग्रह किया गया कि पीडब्लू*-55* का आचरण एक चश्मदीद गवाह के साथ असंगत है। गवाह को लॉ गार्डन में नियमित पैदल चलने वालों से संपर्क करना चाहिए था। वह लॉ गार्डन नहीं गए। यह संभावना नहीं है कि उसने इस घटना को देखा होगा। उसने कहा है कि वह पुलिस के पास जाने से बहुत डरता था और उसने

शुक्ला चाचा से कहा कि वह पुलिस को बताना चाहता है। हमारी राय में, गवाह का समग्र आचरण अप्राकृतिक नहीं है क्योंकि व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से संबंधित है और निर्णय लिया है। चिट्ठी बैंग के मालिक को सूचित करना कि उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी, सामान्य नहीं है और सामान्य मानव आचरण के दौरान बहुत सामान्य आचरण है।

75. यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू *55* स्केच एक्स के बयान के आधार पर। *620* तैयार था। के साथ महत्वपूर्ण भिन्नता है धारा *161 Cr.PC* के तहत दर्ज विवरण। उनके द्वारा उल्लिखित वर्णनात्मक विशेषताएँ रेखाचित्र में भी प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। पीडब्लू-*55* के बयान को रेखाचित्र की दोषपूर्ण तैयारी से किसी भी तरह से बदनाम या दूषित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी रेखाचित्र के साक्ष्य का ज्यादा महत्व नहीं है। कभी-कभी स्केच एक गवाह द्वारा दिए गए संस्करण से मेल नहीं खा सकता है।

76. उच्च न्यायालय को स्केच एक्स द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। *620* जिसे खींचा गया था। पीडब्लू-*55* ने इस तरह के रेखाचित्र के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। रेखाचित्र नहीं लगाया गया था

पी. डब्ल्यू.-*55* को प्रतिपरीक्षा में और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कि क्या *[2019] 8* एस. सी. आर.

विसंगति, यदि कोई हो। आई. ओ. पीडब्लू-*120* ने कहा है कि एक्स। *620* पीडब्लू-*55*, अनिल यदराम पटेल की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था। यह केवल धारा *161 Cr.PC* के तहत दर्ज उनके बयान के आधार पर तैयार किया गया था। कौन सा रेखाचित्र खींचा गया था, इसे विश्वसनीय और भरोसेमंद रेखाचित्र नहीं माना जा सकता है। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त के संदर्भ में रेखाचित्र को उच्च न्यायालय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए था क्योंकि यह पीडब्लू-*55* की अनुपस्थिति में तैयार किया गया था। पीडब्लू-*101* ने कहा है कि उन्हें रेखाचित्र मिला है

विवरण के आधार पर तैयार किया गया और इसे अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री ए. ए. चौहान को सौंप दिया गया। *77.* परीक्षण पहचान परेड में गवाह द्वारा की गई पहचान को देखते हुए, पीडब्लू-*55* के नेत्र साक्ष्य में तथाकथित रेखाचित्र से कोई नुकसान नहीं होता है। जाँच की जटिल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि टी. आई. पी. के आयोजन में कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी। यह अभियुक्त की गिरफ्तारी के *20* दिनों के बाद आई. डी. *1* पर आयोजित किया गया था। उसी में आरोपी की पहचान की गई थी। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* ने भी बाद में हमलावर के रूप में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की सही पहचान की थी। यह निर्णय सुभाष और शिव शंकर बनाम में निर्भर था। यू. पी. राज्य

1987 (3) एस. सी. सी. *331* जिसमें परीक्षण पहचान परेड *3* सप्ताह के बाद की गई थी। उक्त मामले के तथ्यों में, पहचान पर विश्वास नहीं किया गया था। निर्णय अलग है और अपने स्वयं के तथ्यों पर बदल जाता है और परिस्थितियाँ।

78. उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की आंतरिक योग्यता के विवरण की जांच करे, जैसा कि इसके द्वारा देखा गया है।

यू. पी. राज्य में न्यायालय बनाम सहाय और ओआरएस। , ए. आई. आर. *1981* एस. सी. *1442*। पीडब्लू-*55* की बार-बार उसी प्रश्न पर जिरह की गई है कि मारुति फ्रंटिया गज्जर हॉल क्रॉस रोड की ओर से आई थी, जिसका

उन्होंने सामना किया था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कारण कि सुबह *7:30* बजे गेट पर पीडब्लू-*55* की उपस्थिति संदिग्ध है, यह भी गलत है क्योंकि वह वहाँ था क्योंकि उसने चिट्ठी बैंग में अपनी हैंड कार्ट खड़ी की थी और इस तथ्य की पुष्टि सीडब्ल्यू-*1*, नानुभाई द्वारा की जाती है जो पिछले *15* वर्षों से उसे जानते थे। उच्च न्यायालय द्वारा गवाह की यात्रा के समय के संबंध में नियोजित समय-सीमा कि उसे सुबह *11* बजे नहीं, बल्कि सुबह *1* बजे वापस आना चाहिए था, इस अनुमान पर आधारित है जैसे कि पीडब्लू*55* गवाह नहीं था, बल्कि एक आरोपी था। गवाह का बयान उपरोक्त पहलू से विचलित नहीं होता है। गवाह द्वारा बताए गए समय का अनुमान लगाया गया है क्योंकि उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो वी. एम. ओ. एच. डी. नहीं लिया था।

परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

देखते रहें। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का आकलन करने में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है और मामूली विसंगतियों द्वारा स्थानांतरित किया गया है जो मामले के केंद्र में नहीं जाते हैं और अभियोजन पक्ष के गवाह के मूल संस्करण को हिलाते हैं, जैसा कि विजय @चीनी बनाम में माना गया है। एम. पी. *2010 (8)* राज्य एस. सी. सी. *191*, और भजन सिंह @हर्भजन सिंह और अन्य। वी. हरियाणा राज्य

(2011) 7 एससीआर *1.*

कुर्ते का रंग भूरा होता है जबकि कुर्ते की धारियाँ लाल रंग की होती हैं। कुर्ते के रंग की पहचान में भ्रम हो सकता है और कई वर्षों के बाद स्मृति भी फीकी पड़ सकती है और लाल और भूरे रंग में ज्यादा अंतर नहीं है। यह एक छोटी सी विसंगति है जो उच्च न्यायालय के साथ भारी पड़ी है, जबकि इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। इन आरईः पोस्ट मॉर्टम में एक ही बुलट बरामद किए गए हैं

80. ए-*1* की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि बरामद की गई गोली को बैलिस्टिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था और अदालत में पेश की गई गोलियों में अंतर था।

गोलियाँ जो कभी सफेद नहीं लग सकती थीं। इसलिए, ये गोलियां पोस्टमॉर्टम में शरीर से बरामद नहीं हो सकीं जो सफेद धातु की गोलियां थीं, जिन्हें पोस्टमार्टम करने वाले चार डॉक्टरों ने देखा था। वास्तव में, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सफेद गोलियों को जब्त कर लिया गया था और उन्हें बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया था और उन्हें सी. एफ. एस. एल. से पेश किया गया था। हमारी राय में, यह आवश्यक था पीडब्लू-*8* की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य डालें कि गोलियाँ जो *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कहा गया है कि एक ही मानक हथियार से *5* गोलियां चलाई गईं। वह. मुहरों की तुलना करें। गोलियाँ ए से चलाई गई थीं। *32* रिवॉल्वर।

इन आरईः विदेशी प्रमाण

83. डॉक्टर के अनुसार, गोलियां सफेद धातु से बनी थीं। ऑटोप्सी डॉक्टर *(*पीडब्लू-*8)* श्री प्रतीक रविभाई पटेल, हालांकि, देखने पर

गोलियाँ एक्सएचएस। *18/1 , 18/2 , 18/3 , 18/4* और *18/5*, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोलियों का रंग धूसर है और वे थोड़े विकृत थे। यह प्रतिपरीक्षा नहीं है कि ये गोलियां शरीर में नहीं मिली थीं। यह स्पष्टीकरण प्राप्त करना क्रॉस-परीक्षक का कर्तव्य था कि क्या ये गोलियां जो डॉक्टर द्वारा दिखाई गई थीं और जिनके बारे में कहा गया था कि वे हरेन पांड्या के शरीर से बरामद की गई थीं, वे समान नहीं थीं। जब डॉक्टर ने गोलियों को देखा और उनकी पहचान की कि वे शरीर से बरामद की गई हैं, तो डॉक्टर के इस बयान से कोई नुकसान नहीं हुआ कि वे सफेद धातु से बनी थीं। यह डॉक्टर की धारणा है कि वे किस धातु से बनाए गए थे। गवाह द्वारा अदालत में बरामद गोलियों की उचित पहचान की गई।

सीलबंद हालत में गोलियां और सीलबंद पाँच गोलियां पंच की उपस्थिति में पुलिस निरीक्षक वाई. ए. शेख *(*पीडब्लू-*101)* को सौंप दी हैं। गवाह, फाल्गुन पांड्या *(*पीडब्लू-*2)*। इसके अलावा, *(*पीडब्लू-*101),* वाई. ए. शेख के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि उन्होंने हरेन पांड्या के शरीर से बरामद पांच गोलियां पीडब्लू-*107* को सौंप दी हैं।

जाँच ने इसे *28.3.2003* पर *PW120* को सौंप दिया था। साक्ष्य से आगे पता चलता है कि पीडब्लू-*120,* डीवाई। एस. पी., श्री गुप्ता ने उक्त पाँच गोलियों को सीलबंद हालत में सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के निदेशक के माध्यम से 'आई. डी. *1'* दिनांकित पत्र के माध्यम से 'आई. डी. *2'* मेडिसिन को भेज दिया।

25.4.2004 दिनांकित पत्र देखें। *Exh.442* प्राप्तियों का वह दस्तावेज है जिसके द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो *v.*

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

पाँच गोलियाँ केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेजी गईं। सील अक्षुण्ण और नमूने के साथ दिल्ली। *Exh.458* बताता है कि पाँच गोलियों पर पाया गया खून, कुर्ता पायजामा और कार से उठाया गया खून 'बी' समूह का था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मुहरें बरकरार पाई गई हैं और

85. पीडब्लू-*75,* श्री अशोक राज अरोड़ा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, *(*बैलिस्टिक*),* सहायक रासायनिक परीक्षक, भारत सरकार ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी गोलियां सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली से सीलबंद स्थिति में प्राप्त की जाती हैं। उन्होंने खाखी आवरण के पीछे लगी मुहर में वस्तुओं *18/1* से *18/5* की भी पहचान की है, जिसे मुद्दमल वस्तु *18/5* कहा जाता है, जो कि उन्होंने लगाई थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने लेख *18/1* से *18/5* की जांच की है, जिसका विवरण उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी जाँच में आगे कहा है कि गोलियां काले भूरे रंग की थीं लेकिन जैकेट वाली गोलियों में तांबा या एल्यूमीनियम का रंग होगा। यदि गोली सफेद धातु की है तो धातु स्टील या एल्यूमीनियम से बनी होगी लेकिन उसने न तो सफेद रंग की जैकेट की गोली को देखा है और न ही उसकी जांच की है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अदालत में जो प्रस्तुत किया गया है वह वही लेख हैं जिनकी जांच फोरेंसिक विशेषज्ञ-*(*पीडब्लू-*75)* द्वारा की गई थी। *86.* अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि गोलियों की प्रकृति का पता लगाने के लिए कपड़ों पर रासायनिक परीक्षण नहीं किया गया है

अपराध में उपयोग किया जाता है। परीक्षण के साथ-साथ उल्लंघन के चेहरे के निशान को भी किया जाना चाहिए जो सी. बी. आई. फोरेंसिक मैनुअल में निर्धारित है। परीक्षण यह है कि

यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि बिना जैकेट वाली गोलियों का उपयोग किया गया था और इसलिए रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था, उचित साक्ष्य द्वारा इसे समाप्त करना आवश्यक है। धातु बिना जैकेट वाली और जैकेट वाली दोनों गोलियों में मौजूद होगी। मामले में कोई तांबे का परीक्षण नहीं किया गया था, इसलिए यह ज्ञात नहीं है कि वास्तविक हथियार था या नहीं। वह पिस्तौल या रिवॉल्वर थी। हमारी राय में, उपरोक्त परीक्षण के अभाव में भी, साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करता है कि रिवॉल्वर का उपयोग अपराध में गोली चलाने के लिए किया गया था और यह अपराध का एक हथियार साबित हुआ है और बरामद भी किया गया है।

87. साक्ष्य से पता चलता है कि पुलिस हिरासत के दौरान

मोहम्मद असगर अली *(ए-1)* ने *26.1.2003* पर एक खुलासा बयान दिया और उनकी उपस्थिति में हथियार की बरामदगी के लिए जगह का संकेत दिया। अतिरिक्त एस. पी. चिकारा और पुलिस निरीक्षक पी. डब्ल्यू.*-3* श्री राठी।

असगर अली *(ए-1)* ने अपने प्रकटीकरण बयान *(Exh.656)* में जानकारी का उल्लेख किया है जिसके अनुसार दो हथियार-यानी एक रिवॉल्वर और एक पिस्तौल और कारतुस पूछताछ ज्ञापन के माध्यम से बरामद किए गए थे। *196* कपड़ों के साथ *Exh.1* जो ए*-1* घटना के समय पहना जाता है। पीडब्लू*-13,* श्रीनाथ सिंह, पंच गवाह और श्री चिकारा ने उपरोक्त पहलुओं को साबित किया है। ये हथियार शाहपुर के कमर फ्लैट में बट्टीवाला चूल्हे के टैंक में छिपे हुए बरामद किए गए थे। ज्ञापन प्रदर्शनी *196* के माध्यम से जब्त की गई उपरोक्त वस्तुओं को उसी दिन यानी आईडी*1* पर सील कर दिया गया और मोहम्मद असगर अली *(ए-1)* के कपड़ों के साथ सीएफएसएल, नई दिल्ली को भेज दिया गया। पीडब्लू*-75* को अग्रेषण पत्र *(Exh.443)* के साथ सामग्री वस्तुओं की एक सूची प्राप्त हुई। *32* बोर रिवॉल्वर असर सीरियल नं. बी *40350,6*। *32* बोर 'स्कॉट एंड वेबले' कारतुस और *7.65* मिमी पिस्तौल सीरियल *No.EE 0330,* सात *7.65* मिमी पिस्तौल कारतुस और एक *7.65* मिमी खाली मैगजीन जिसमें सीरियल नंबर है। *3497* और उसके कपड़े

अभियुक्त ए*-1*।

89. श्री गुप्ता *(*पीडब्लू*-120)* ने अपने बयान में कहा है कि मोहम्मद। हिरासत में लिए गए आरोपी यूसुफ मनियारी ने बयान दिया है। कि फरार आरोपी मुफ्ती सूफियान द्वारा *3.4.2003* पर उसे पांच खाली कार्ट्रिज मामले दिए गए थे। उन्हें कपड़े में बंधी उसकी दुकान से जब्त ज्ञापन *(Exh.628* दिनांक *10.7.2003)* के माध्यम से बरामद किया गया था। सूचना ज्ञापन *(Exh.639)* दिनांक *10.07.2003* के प्रकटीकरण के अनुसार तैयार किया गया था। *Mr.Arora (PW-75)* ने *16.7.2003* पर पार्सल प्राप्त किया। कुल मिलाकर, उन्होंने चार बरामद किए। *32* बोर एस एंड डब्ल्यूएल फायर किए गए कार्ट्रिज केस। जैसा कि उनके साथ तुलना करने की आवश्यकता थी। *32* सीरियल नंबर बी. *40350* वाली रिवॉल्वर उन्हें एक बार फिर मिल गई थी और उन्होंने कहा कि ये चारों हैं। *32* पार्सल *No.22* में निहित बोर से दागे गए कारतुस से दागे गए थे। *32* सीरियल नंबर बी. *40350* वाली रिवॉल्वर। उन्होंने यह भी पाया कि हालांकि रिवॉल्वर काम करने की स्थिति में थी, लेकिन रिवॉल्वर की फायरिंग पिन से छेड़छाड़ की गई थी।

90. अभियोजन पक्ष ने आग्रह किया कि यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि शरीर से बरामद छर्रों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ को भेजा जाए

यह निर्धारित करें कि उन्हें दिए गए लेख से निकाल दिया गया था या नहीं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इसके विपरीत, शरीर से छर्रों की बरामदगी स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करती है कि मृतक की मौत गोली की चोटों से हुई थी। पीडब्लू *8*, सर्जन सफेद धातु की गोलियों के बीच के अंतर से अनजान है /

जैकेट वाली गोली, सफेद धातु के रूप में एक कप्रो-निकल या जस्ता है, लेकिन सीसे की गोली भूरे रंग की काली होती है और इस प्रकार, सीसे की गोली के संबंध में कप्रो-जिंक या कप्रो-निकल जैकेट वाली गोली को सफेद रंग की धातु कहा जाता है, जबकि, भूरे रंग की।

लीड बुलेट को इंगित करेगा।

91. यह तर्क दिया गया था कि जब पीडब्लू-*75* ने पहली बार *05.05.2003* पर हथियार की जांच की थी तो उन्होंने फायरिंग पिन को क्षतिग्रस्त नहीं पाया था। गवाह।

एक बार फिर हथियार की जांच करने और क्षतिग्रस्त फायरिंग पिन की जांच करने का कारण नहीं बता सका। बचाव पक्ष ने कहा कि इन परिस्थितियों में पहचान संभव नहीं होगी। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया है कि उल्लंघन के चेहरे का निशान, यदि उपलब्ध है और पर्याप्त है, तो पिन के साथ छेड़छाड़ के मामले में पहचान प्रदान कर सकता है। डॉ. जितेंद्र कुमार सिन्हा *(*डीडब्ल्यू-*8)* के बयान पर आरोपी की ओर से रिलायंस को रखा गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने मामले से संबंधित किसी भी प्रदर्शनी को नहीं देखा है, जैसे कि आग्नेयास्त्र, अपराध कारतुस, परीक्षण कारतुस, खाली कारतुस, आदि और न ही स्टीरियोमाइक्रोस्कोप के तहत उन प्रदर्शनों की जांच करने का कोई अवसर मिला है। *(* डी. डब्ल्यू.-*8)* क्रॉस-एग्जामिनेशन में सवाल किया गया था कि क्या गोली की सतह पर जमीन और खांचे के निशान अलग-अलग होंगे।

लक्षण चिह्न। यह कहा गया था कि बाहरी निशानों के कारण स्ट्रैशन हो सकता है जिसे व्यक्तिगत विशेषता नहीं कहा जा सकता है

एक ही बात समझाते हैं। यह गलत गैर-प्रतिबद्ध जवाब था। परिस्थितियों में निचली अदालत ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत विशेषताओं का उल्लेख किया है और जॉन ई. डेविस द्वारा "व्यक्तिगत विशेषताओं" के शीर्षक के तहत "उपकरण चिह्नों का परिचय", आग्नेयास्त्रों पर भरोसा किया है, लेखक ने इस प्रकार प्रहार चिह्नों के बारे में कहा हैः

"दागे गए गोली पर "व्यक्तिगत विशेषताएँ" वे विशेषताएं हैं जो इसे अन्य सभी छिद्रों के माध्यम से दागे गए गोलियों से अलग करती हैं।

व्यावहारिक रूप से, यह शब्द भूमि और खांचे के साथ उन सूक्ष्म छापों पर लागू होता है जो किसी दिए गए बोर के भीतर अनियमितताओं की विशेषता से उत्पन्न होते हैं। इन धारियों के आधार पर गोलियों की पहचान अंततः एक विशिष्ट हथियार से की जाती है।

92. यह स्पष्ट है कि प्रत्येक दागी गई गोली में भूमि और खांचे की छाप के साथ-साथ मिनट स्ट्राई के रूप में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं।

इन धारियों के आधार पर गोलियों की पहचान अंततः विशिष्ट हथियारों से की जाती है। डी. डब्ल्यू.*-8* ने यह भी कहा है कि *95* प्रतिशत मामलों में, *[2019] 8* एस. सी. आर. दर्ज किए गए हैं।

अकेले निशान बंदूक की पहचान की अनुमति देते हैं, लेकिन फायरिंग पिन के किसी भी छेड़छाड़ की स्थिति में, विशेषज्ञ उल्लंघन के चेहरे के निशान की जांच करेगा।

जिसकी तुलना इस राय की पुष्टि करने के लिए परीक्षण किए गए कारतुसों से की जानी चाहिए कि कारतुस उक्त आग्नेयास्त्र से दागे गए हैं।

93. ए*-1* के कहने पर हथियार और उसकी खोज का खुलासा करने का कार्य और हरेन पांड्या के शरीर में मिली गोलियां

सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली को भेजा गया जिसमें यह राय दी गई है कि उन्हें मानक हथियार *(. 32* बोर की रिवॉल्वर*)* से दागा गया है, जिसे बरामद कर लिया गया है।

94. अभियोजन पक्ष द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वही

डॉ. कुलदिप जयंतीलाल जोशी *(*पीडब्लू*-20)*, सी. एम. ओ., वी. एस. अस्पताल, डॉ. अनिल शर्मा *(*पीडब्लू*-19)* और बिपिनचंद्र मेहता *(*पीडब्लू*-70)*, पंच गवाह पीडब्लू *10*, वाई. ए. शेख *(*पीडब्लू*-101)* आदि द्वारा बताए गए कारतुसों को जब्त कर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जीव विज्ञान विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद पी. डब्ल्यू.*-75*, श्री अरोड़ा ने इन्हें प्राप्त किया। हथियार को *27.04.2003* पर जब्त कर लिया गया और *2/3* मई *2003* को सी. एफ. एस. एल. को भेज दिया गया। यह एक तथ्य है कि शुरू में जब विशेषज्ञ ने पहली बार रिवॉल्वर की जांच की तो उसे इस तथ्य का एहसास नहीं हुआ कि उक्त हथियार के फायरिंग पिन से छेड़छाड़ की गई है। जब एक बार फिर से आरोपी *(*ए*-17)* के कहने पर मिले कारतुस के मामलों को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया, तो उसे एहसास हुआ कि फायरिंग पिन में छेड़छाड़ की गई थी। जो भी हो, स्ट्रीय के कहानी कहने वाले निशान स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

95. मेजर स्ट्राई, जनरल ग्रॉस काउंटर और उचित संख्या में फाइन स्ट्राई के बीच एक पत्राचार पहचान साबित करेगा। दो नहीं।

97. इस प्रकार, डी. डब्ल्यू.*-8* के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल उल्लंघन का चेहरा राय की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है यदि वे पाया जाता है एक व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र के कारण होने वाले प्रहारों के दोहराव और दोहराव का चरित्र भी एक विशेष आग्नेयास्त्र से संबंधित हो सकता है।

मामले में, दूसरी बार पाए गए फायरिंग पिन के साथ छेड़छाड़ के कारण होने वाले अंतर को नजरअंदाज करते हुए, मूल स्ट्रैशन के निशान वही रहते हैं जो प्रत्येक रिवॉल्वर के लिए व्यक्तिगत होते हैं और ऐसे किसी अन्य हथियार में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार, साक्ष्य यह साबित करने के लिए निर्णायक है कि मृतक हरेन पांड्या के शरीर से बरामद गोलियों को चलाने के लिए रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था। चिकित्सा साक्ष्य, इस प्रकार, समर्थन करता है पीडब्लू-*55* का संस्करण।

98. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले पीडब्लू-*8* को खारिज कर दिया गया है

बचाव पक्ष के गवाह डी. डब्ल्यू.-*6* के बयान पर भरोसा करते हुए जिन्होंने *5* और *6* चोटों को संचारित करने वाली चोटों के रूप में बताया। यह न्यायालय तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया बनाम. गुजरात राज्य, *(1997) 7* एस. सी. सी. *156* ने पाया है कि शव परीक्षण चिकित्सक की रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने चोटों को देखा था। तन्वीबेन पंकजकुमार दिवेतिया *(ऊपर)* में पैरा *35* में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"35 ..... हम यहाँ यह भी संकेत दे सकते हैं कि जिस डॉक्टर ने

पोस्टमॉर्टम जाँच में चोटों को देखने का अवसर मिला

मृतक काफी करीब से। किसी भी विश्वास के अभाव में

जानबूझकर गलत रिपोर्ट दिए जाने पर, उसका साक्ष्य उत्तरदायी नहीं है
खारिज कर दिया और हमारे विचार में, मामले के तथ्यों में, की राय

पोस्टमॉर्टम कराने वाले डॉक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
डॉ. शरीफ की विशेषज्ञ राय। "

(जोर दिया गया*)*

99. ईश्वरैया और अन्र में। वी. कर्नाटक राज्य, *(1994) 2* एससीसी

677, इस न्यायालय ने इस संबंध में इस प्रकार टिप्पणी की हैः

"9 ..... हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने हल्के में कहा है कि उक्त

डॉक्टर के पास शव और चोटों को देखने का कोई मौका नहीं था

मृतक का व्यक्ति और केवल पोस्ट की रिपोर्ट से

मृतक और उन्होंने एक स्पष्ट राय दी थी कि मृत्यु थी
दम घुटने के कारण और यह हत्या का मामला था। '

(जोर दिया गया*)*

स्थल मानचित्र का हस्तक्षेप

100. स्थल मानचित्र को इस आधार पर बदनाम करने की मांग की गई थी कि पी. डब्ल्यू.-*120,* सी. बी. आई. के आई. ओ. ने एक विरोधाभासी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मूल स्थल मानचित्र पेंसिल से बनाया गया था और बाद में स्याही से बनाया गया था। यह स्पष्ट था कि

बयान में कहा गया है कि उसे फिर से तैयार करने के समय, बाद में, आरोपी असगर अली के नाम का उल्लेख किया गया था क्योंकि यह उस समय तक जाना जाता था। अभियुक्त के नाम के उक्त उल्लेख से कोई नुकसान नहीं होता है और पीडब्लू-*120* द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि नाम बाद में जोड़ा गया है।

101. उच्च न्यायालय ने ए-*1* के नाम के संबंध में अंतर्वेशन और स्थल मानचित्र के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में भी संदेह व्यक्त किया है। डॉ. गुप्ता, आई. ओ., सी. बी. आई., पीडब्लू-*120* ने उक्त पहलू को निम्नलिखित तरीके से समझायाः

"प्रश्नः आपको एक्सएच-*387* दिखाया जा रहा है। सबसे नीचे, असगरली शब्द लिखा है, और क्या इसके बाद नोट-*3* में इसकी जाँच की गई है*?* जवाबः आवर्धक कांच के माध्यम से इसे देखते हुए, मैं कहता हूं कि मैं कहने में असमर्थ हूं। गवाह स्पष्ट करते हुए कहता है कि एक्सएच-*387* की साइट योजना उस समय *29/3/03* पर पेंसिल के साथ तैयार की गई थी, और प्रत्येक स्थान पर, नोटिंग पेंसिल से की गई थी। इसे आरोप पत्र में संलग्न करते समय, यह बहुत मंद था और इसलिए, इसे स्केच पेन और ड्राइंग की मदद से स्पष्ट किया गया था और पेंसिल से बनाई गई लिखावट को बाहर निकाला गया है और नीचे लिखा गया नोट आरोप पत्र दाखिल करते समय लिखा गया था। इसलिए, इस कागज पर कुछ पेंसिल के निशान हैं। 'ए', 'डी' और लॉ-गार्डन, एनसीसी ग्राउंड के स्थान पर

और एच. पी. कार आदि लिखा हुआ है, ऐसा लगता है। पूरे रेखाचित्र पर किया गया लेखन मेरे सहयोगी पी. आई. श्री विजयवीर सिंह ने अपनी पुस्तक में किया है।

मिटा दिया गया, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि असगराली ने इसे लिखा है। प्रश्नः नोट-*3* और एक्सएच *387* में असगराली का नाम लिखने के बाद आपने इसे मिटा दिया है*?*

जवाबः मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं।

यह सच नहीं है और मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि *29/3/03* पर, हम जानते थे कि हम इस मामले में असगराली के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।

उसे फंसाया जाना है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वी. एम. ओ. एच. डी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

और उसका नाम लिखा गया और बाद में जब यह पता चला कि यह *29/3/03* दिनांकित दस्तावेज़ था, तो उसका नाम बोल दिया गया।

उच्च न्यायालय को उपरोक्त बयान पर ध्यान देना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में बाद में नाम जोड़ा गया। यह स्पष्ट था कि

गवाह द्वारा स्वीकार की गई गलती।

गैर-जागरुटिबेन की परीक्षा, डब्ल्यू/ओ। हैरन पांड्य

102. अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि हरेन पांड्या की पत्नी सुश्री जागृतिबेन से पूछताछ की जानी चाहिए थी ताकि यह साबित किया जा सके कि

अपराध सुबह लगभग *7:30* बजे हुआ जैसा कि उसने धारा *161 Cr.P.C* के तहत बयान में कहा है कि मृतक सुबह लगभग *7* बजे घर से निकला था। मृतक के कुछ दोस्त और पी. ए. आदि। बाद में मौके पर पहुंचने पर उनकी जांच नहीं की गई। हमारी राय में, इसमें कोई कमी नहीं आई है क्योंकि जागृति बेन और अन्य व्यक्ति चश्मदीद गवाह नहीं थे। किसी भी संदेह के मामले में, उनसे बचाव पक्ष के गवाहों के रूप में पूछताछ की जा सकती थी।

जागरुतीबेन, भले ही जाँच की जाती, इस तथ्य को साबित कर देती कि मृतक सुबह लगभग *7* बजे लॉ गार्डन के लिए रवाना हुआ था और वह सुबह लगभग *7:10* बजे वहाँ पहुँचा होगा। उपरोक्त पहलू से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि

जागरुतीबेन की जाँच। जैसा कि समय का अनुमान अलग-अलग हो सकता है और जागृतिबेन के अनुसार, मृतक केवल लॉ गार्डन के लिए रवाना हुए जहां वे सुबह की सैर के लिए जाते थे।

इन आरईः कॉल रिकॉर्ड करें *103.* एडिएल सीखा। अभियोजन पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि मामले के दौरान आरोपी व्यक्तियों के सभी कॉल रिकॉर्ड

साजिश की पूरी अवधि और हत्या के दिन लॉ गार्डन के पास आरोपी व्यक्तियों के फोन का टावर स्थान

हरेन पांड्या अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत हैं। अभियुक्त व्यक्तियों के पास मोबाइल फोन थे और

साजिश को अंजाम देने के लिए अपने मोबाइल या लैंडलाइन फोन के माध्यम से अपराध से पहले, उसके दौरान और बाद में एक-दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थे, जैसा कि कॉल विवरण रिकॉर्ड में दर्शाया गया है। चूंकि मोबाइल फोन *No.9825491421* का उपयोग ए-*1* द्वारा किया जाता था, इसलिए लॉ गार्डन के पास के क्षेत्र में *26.3.2003* पर सुबह *7.33* बजे उनका स्थान और ए-*14* तीन नए बीएसएनएल सिम प्रदान करता था। *25.3.2003* पर *A-7, A-8* और *A-9* और लॉ गार्डन के पास *25.3.2003* और *26.3.2003* पर उनका स्थान मजबूत था।

[2019] 8 एस. सी. आर. में कुछ अभियुक्तों की उपस्थिति का पुष्टिकारक साक्ष्य।

लॉ गार्डन क्षेत्र। ए-*1,* ए-*2* और ए-*18* द्वारा भेजे गए ईमेल के प्रिंटआउट से पता चला कि वे एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उनमें से कुछ की उपस्थिति उदयपुर और अहमदाबाद में भी थी।

ईमेल संदेशों के पाठ में किसी विशेष अपराध को करने की किसी विशिष्ट योजना का खुलासा नहीं किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि निचली अदालत ने

मोबाइल फोन, सिम कार्ड के विवरण और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त फोन हैंडसेट और सिम कार्ड के उपयोग को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के साथ व्यापक रूप से निपटा गया।

इन आरईः ए-*1* और ए-*6* द्वारा प्रयुक्त मोटरबाइकः

104. अपराध के समय ए-*1* और ए-*6* द्वारा उपयोग की गई मोटरबाइक को विधिवत बरामद कर लिया गया। का पूरा सरगम मोटरबाइकसँ सम्बन्धित तथ्य निम्नलिखित अछि।

(i) ए-*10* ने पीडब्लू-*54* से मोटरसाइकिल *No.GJ*-आईएसएस-*5934* खरीदी और फरवरी *2003* के पहले सप्ताह में ए-*1* को अपनी गतिविधियों के लिए दी।

रेलवे स्टेशन जहाँ से पी. डब्ल्यू.-*24* की उपस्थिति में सी. बी. आई. ने *24/25.4.2003* की रात को इसे बरामद किया था। *(iii)* दिसंबर *2002* में, ए-*13* के निर्देश पर, पीडब्लू-*57 (*शत्रुतापूर्ण गवाह लेकिन धारा *164 Cr.PC* के तहत बयान *3* की चोरी की व्यवस्था की।

मोटर हीरो होंडा मोटरसाइकिल और उसे ए *4* को सौंप दिया। इसके बाद, ए *4* ने एक को अपने पास रखा और ए-*14* और ए-*5* को एक-एक सौंप दिया। बाद में, इन मोटरसाइकिलों का उपयोग *11.3.2003,25.3.2003* और *26.3.2003* पर अपराध करने के लिए किया गया था।

(iv) चोरी की मोटरसाइकिलों में से एक को ए-*10* ने अहमदाबाद से भागते समय *3/4.4.2003* पर पीडब्लू-*45* को सौंप दिया था। पीडब्लू-*45* ने उसे अप्सरा आराधना थिएटर में खड़ा किया और बाद में पीएस कागदापीठ द्वारा लाया गया, जहाँ से सीबीआई ने *25.4.2003* पर पीडब्लू-*45* की ओर इशारा करते हुए इसे जब्त कर लिया। *(v) No.GJ-ICH-5189* वाली एक नकली नंबर प्लेट मिली थी।

पीडब्लू-*52* से ए-*7* और ए-*8* द्वारा तैयार किया गया। यह नंबर प्लेट कमीशन के बाद दूसरी हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर लगाई गई थी।

एक अपराध।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

(vi) अहमदाबाद से भागते समय उक्त मोटरसाइकिल को ए-*10* और ए-*11* द्वारा तारापुर राजमार्ग पर छोड़ दिया गया था। नकली नंबर

प्लेट को मोटरसाइकिल से हटा दिया गया और सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया जो *12.6.2003* पर पीडब्लू-*86* की उपस्थिति में ए-*10* की ओर इशारा करते हुए धारा *27* साक्ष्य अधिनियम के तहत बरामद किए गए थे। द.

कहा मोटरसाइकिल को पी. एस. कोठ ने अपने कब्जे में ले लिया और

इसके बाद सी. बी. आई. ने पी. एस. कोठ से *12.6.2003* पर जब्त किया। अहमदाबाद में ए-*1* की उपस्थिति फोन के उपयोग से साबित होती है।

संख्या और पीडब्लू-*95* द्वारा। *105.* अभियुक्त ए-*1* के मोबाइल फोन के गायब होने के संबंध में आई. ओ., पीडब्लू-*120* से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया कि ए-*1* का मोबाइल मुद्दामल से गायब हो गया था। न तो कोई मोबाइल फोन और न ही

एक डी. आई. जी. श्री बेहरा द्वारा ए-*1* की गिरफ्तारी पर उससे कोई भी सिम कार्ड जब्त कर लिया गया था। यह वास्तव में, यूसुफभाई, पीडब्लू-*95*, जो एक स्वतंत्र गवाह हैं, जो ए-*1* के समान शाही अपार्टमेंट में रहे थे, ने साबित किया है कि ए-*1* प्रासंगिक समय के दौरान मोबाइल *No.9825491421* का उपयोग कर रहा था।

आँखों के गवाह का स्थान स्थान मानचित्र में अंकित नहीं है

106. किसी विशेष स्थान पर उपस्थिति न दिखाने के संबंध में

घटनास्थल के नक्शे में एक चश्मदीद गवाह की, अभियोजन पक्ष द्वारा तोरी सिंह और अन्न मामले में इस अदालत के एक फैसले पर निर्भरता रखी गई है। वी. उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *399*। स्पॉट मैप के संबंध में, यह देखा गया है कि यह गवाहों की सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होगा। स्पॉट मैप होगा

जहाँ तक यह सब इंगित करता है कि निरीक्षक ने खुद को मौके पर देखा था, यह स्वीकार्य है। द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर स्थल मानचित्र पर रखा गया कोई भी निशान

धारा *162 Cr.P.C* के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए निरीक्षक का गवाह अस्वीकार्य होगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" 7. हमारा मानना है कि इनमें से किसी भी तर्क का कोई बल नहीं है। आइए पहले इस तर्क को लें कि यह सबसे अधिक संभावना नहीं थी कि मृतक को शरीर के उस हिस्से पर मारा जाएगा जहां उसे वास्तव में चोट लगी थी यदि वह पूर्व में चिह्नित स्थान पर था। का-*9*। इस तर्क की वैधता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है

वह स्थान जिसे रेखाचित्र पर चिह्नित किया गया है-मानचित्र पूर्व। का-*9* उस स्थान के रूप में जहाँ मृतक को चोटें लगी थीं। सबसे पहले, मानचित्र अपने आप में मापने के लिए नहीं है, बल्कि केवल एक मोटा रेखाचित्र है और इसलिए कोई यह नहीं मान सकता है कि मानचित्र पर चिह्नित स्थान मंच के सटीक संबंध में है। दूसरे स्थान पर, *[2019] 8* एस. सी. आर. पर चिह्न।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्केच-मैप उप-निरीक्षक द्वारा रखा गया था जो स्पष्ट रूप से घटना के चश्मदीद नहीं थे। वह चश्मदीद गवाहों के बयान लेने के बाद ही इसे वहां रख सकते थे। स्केच-मैप पर स्थान का अंकन वास्तव में गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर उप-निरीक्षक के निष्कर्ष को रिकॉर्ड पर ला रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *162* के प्रावधानों को देखते हुए हमारी राय में यह स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि यह प्रभावी रूप से उप-निरीक्षक के बयान से ज्यादा कुछ नहीं है कि चश्मदीद गवाहों ने उसे बताया कि मृतक उस समय ऐसे और ऐसे स्थान पर था जब उसे मारा गया था। स्केच-मैप तब तक स्वीकार्य होगा जब तक कि यह सब इंगित करता है कि सब-इंस्पेक्टर ने खुद को मौके पर देखा था; लेकिन गवाहों द्वारा सब-इंस्पेक्टर को दिए गए बयानों के आधार पर स्केच-मैप पर लगाया गया कोई भी निशान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *162* के स्पष्ट प्रावधानों

को देखते हुए अस्वीकार्य होगा क्योंकि यह जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बयान से अधिक नहीं होगा। हम इस संबंध में भागीरथी चौधरी बनाम का उल्लेख कर सकते हैं। राजा-सम्राट, ए. आई. आर. *1926* कैल. *550* , जहाँ यह देखा गया कि जूरी के सामने नक्शे रखना गवाहों के बयान या अन्य व्यक्तियों से नक्शा तैयार करने वाले जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी होना अनुचित था और यह कि आपराधिक मामले में नक्शा बनाने वाले जांच अधिकारी को खुद जो देखा था, उससे अधिक कुछ नहीं डालना चाहिए। यही विचार कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा फिर से इब्रा अकांडा बनाम में व्यक्त किया गया था। सम्राट, ए. आई. आर. *1944* कैल. *339* , जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुलिस जाँच के दौरान गवाहों से प्राप्त कोई भी जानकारी, और मानचित्र के सूचकांक में दर्ज, संबंधित गवाहों द्वारा साबित की जानी चाहिए, न कि जाँच अधिकारी द्वारा, और यदि ऐसी जानकारी जाँच अधिकारी के साक्ष्य द्वारा साबित करने की मांग की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *162* के खिलाफ अपराध होगा।

107. प्रताप सिंह और अन्न में। वी. एम. पी., *2005 (13)* एस. सी. सी. राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही गवाहों को उस स्थान पर नहीं दिखाया गया हो जो अभियोजन पक्ष को आई. ए. एल. के दौरान ऐसे गवाहों को पेश करने से नहीं रोकता है। चूँकि पीडब्लू-*55* को स्थल योजना के साथ सामना नहीं किया गया है और गवाह से कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए उपरोक्त चूक के आधार पर उसके नेत्र साक्ष्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वी. एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

आई. ओ. नॉट ऑन स्पॉट

108. उच्च न्यायालय ने यह कारण भी बताया है कि पुलिस निरीक्षक पीडब्लू-*101* को दोपहर *2* बजे जाँच करनी थी।

इस संबंध में दोपहर *2.15* बजे पीडब्लू-*101* पर उन्होंने समझाया है कि उन्होंने हेड कांस्टेबल को कागजात सौंप दिए हैं। पोस्टमॉर्टम हो सकता है उसे दोपहर *2.15* बजे बनाया गया था, लेकिन वह उस समय पोस्टमार्टम कक्ष में मौजूद नहीं था। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में गवाहों के बयान प्रबल होने चाहिए थे।

ए-*1* से रिवॉल्वर और पिस्टोल की प्राप्तिः

109. फायरिंग पिन के साथ छेड़छाड़ के बावजूद, भौतिक प्रयास कहानी बता रहे हैं और समग्र साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं और इसमें कोई कमी नहीं आती है।

अभियोजन मामले में होता है। हमारी सुविचारित राय में हरेन पांड्या के शरीर से बरामद रिवॉल्वर और गोली के साथ ए-*1* मैच से जब्त की गई गोलियां और कारतुस। हम उठाए गए निवेदन को अस्वीकार करते हैं। ए-*1* द्वारा। यह बरामदगी अहमदाबाद में ए-*1* के किराए के फ्लैट से हुई थी।

उस स्थान और ज्ञान तक किसी की पहुंच नहीं थी। इस प्रकार, ए-*1* के संदर्भ में वसूली संदिग्ध नहीं है।

110. पीडब्लू-*76* का बयान, अख्तर ए-*1* को श्रेय दिए गए प्रकटीकरण और खोज के संबंध में बिल्कुल भी नहीं है।

26.4.2003 और एक रिवॉल्वर, पिस्तौल और कारतुस का *27.4.2003*। पीडब्लू-*76* ने मोटरसाइकिल के बारे में बयान दिया है। हमारी राय में, यह पुलिस को यह समझाना नहीं था कि आरोपी द्वारा प्रस्तुत किए गए फ्लैट पर दो ताले किसने लगाए थे। कि *2* ताले लगाने की व्याख्या करने में विफलता के लिए कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी मामले में ताला लगाने का श्रेय सी. बी. आई. को नहीं दिया जा सकता है।

111. उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपीलार्थियों के वकील द्वारा दी गई रियायत, विशाल अभिलेखों और साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े के बारे में विवादों की संख्या को देखते हुए, यह आवश्यक नहीं था कि

दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों के प्रत्येक तर्क से निपटा जाए। इसे उच्च का उचित दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता था। अदालत। उच्च न्यायालय को पूरी पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए थी कि कौन से तथ्य और परिस्थितियाँ प्रबल थीं और क्या साजिश का मामला बनाने के लिए श्रृंखला पूरी थी। यह बिल्कुल था

षड्यंत्र का पता लगाने के लिए यह आवश्यक है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना पूरी तरह से अनावश्यक था और मूल रूप से एक गलत फैसले पर आधारित है। दृष्टिकोण। उच्च न्यायालय का यह दायित्व था कि वह तिमाही *[2019] 8* एस. सी. आर. के करीब आए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचारण न्यायालय द्वारा नियोजित तर्क और विचारण न्यायालय द्वारा बहुत सावधानी के साथ विस्तृत तरीके से किए गए गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन। उच्च न्यायालय कारणों पर विचार करने में विफल रहा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है।

इन आरईः पोटा की धारा *32:*

112. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या

पोटा की धारा *32* के प्रावधानों के उचित अनुपालन के बाद इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं। पोटा की धारा *32* के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्तियों का इकबालिया बयान आपराधिक साजिश में प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति की संलिप्तता को साबित करता है। सवाल उठाया गया है कि क्या धारा *32* के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया है।

साक्ष्य अधिनियम और कुछ स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाता है पुलिस अधिकारी। हालाँकि, यह धारा *32* के प्रावधानों के अधीन है जो यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"*32.* पुलिस अधिकारियों को दिए गए कुछ इकबालिया बयानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। — *(1)* संहिता में कुछ भी होने के बावजूद

या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872 (1872* का *1)* में, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक पर दर्ज की जाती है, जिसमें से ध्वनि या छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में किसी अपराध के लिए स्वीकार्य होगा

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम।

(2) एक पुलिस अधिकारी, किसी भी स्वीकारोक्ति को दर्ज करने से पहले

उप-धारा *(1)* के तहत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में समझाएं कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो

उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता हैः
बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति चुप रहना पसंद करता है,

पुलिस अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर या प्रेरित नहीं करेगा।

स्वीकारोक्ति।

(3) स्वीकारोक्ति धमकी या प्रलोभन से मुक्त वातावरण में दर्ज की जाएगी और उसी भाषा में होगी जिसमें

व्यक्ति इसे बनाता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

(4) जिस व्यक्ति से उप-धारा *(1)* के तहत स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है, उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ पेश किया जाएगा, जो यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर लिखा या दर्ज किया गया है।

मजिस्ट्रेट, इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा और यदि यातना की कोई शिकायत है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्देश दिया जाएगा कि - सहायक सिविल सर्जन से कम रैंक के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सा जांच के लिए पेश किया जाता है और उसके बाद, वह

न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। "

114. अधिनियम की धारा *32* में निहित प्रावधानों में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं:

((i)। व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति दी जानी चाहिए।

((ख)। इसे या तो लिखित रूप में या किसी भी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या साउंडट्रैक पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

(iii)। पुलिस अधिकारी को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले अभियुक्त को लिखित रूप में यह बताना होता है कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है।

((iv)। उस अभियुक्त को कोई स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

(वी)। स्वीकारोक्ति को धमकी या प्रलोभन से मुक्त वातावरण में दर्ज किया जाएगा।

(vi)। उसी भाषा में दर्ज करने के लिए स्वीकारोक्ति जिसमें यह है

बनाया गया। *(vii)*। जिस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया है, उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सी. जे. एम. की अदालत में दर्ज दस्तावेज़ के साथ पेश किया जाएगा।

48 घंटे के भीतर स्वीकारोक्ति।

(viii)। सी. एम. एम./सी. जे. एम. द्वारा दिया गया बयान, यदि कोई हो, दर्ज करेगा।

व्यक्ति इस प्रकार प्रस्तुत करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राप्त करता है। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा यातना की कोई शिकायत है, तो उसे चिकित्सा जांच के लिए सहायक सिविल सर्जन या किसी अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

रैंक में ऊँचा।

(ix)। व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा न कि पुलिस के पास।

अभिरक्षा।

115. सी. बी. आई. की ओर से यह आग्रह किया गया कि सभी वनाच्छादित सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। प्रस्तुतिकरण का खंडन किया गया है

अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित सुश्री नित्या रामकृष्णन और अन्य विद्वान वकील।

116. सबसे पहले, हम जांच करते हैं कि धारा *32* के बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया है या नहीं। डी. एस. पी., सी. बी. आई. ने <आई. डी. *1* पर एस. पी., ए. सी. बी., गांधी नगर को इस आशय का एक पत्र लिखा कि आरोपी असगर अली ने स्वेच्छा से इकबालिया बयान देने की इच्छा व्यक्त की है। पुलिस अधीक्षक से पोटा की धारा *32* के तहत अपना बयान दर्ज करने का अनुरोध किया गया था। उक्त संचार प्राप्त करने के बाद, एस. पी., ए. सी. बी., सी. बी. आई. ने दर्ज किया है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है। एस. पी. अभियुक्त की अभिरक्षा किसी अन्य अधिकारी को सौंपने के बाद शाम *7* बजे अभियुक्त व्यक्ति को उसके सामने पेश करेगा। एस. पी. द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही दर्ज की गई थीः

" आज *18.6.2003* पर मुझे डॉ. *S.K.Gupta,* डिप्टी से एक अनुरोध प्राप्त हुआ। एस. पी., सी. बी. आई., एस. आई. सी. आई. आई., नई दिल्ली, *(*कैम्प गांधी नगर*),* सी. बी. आई. आर. सी. *5 (*एस*)/2003-SIU.I/SIC.I/CBI/New* दिल्ली में मुझसे अनुरोध करते हुए

आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002 (*पोटा*)* की धारा *32* के तहत आरोपी असगर अली का इकबालिया बयान दर्ज करें। तदनुसार, मैंने डॉ. एस. के. गुप्ता को निर्देश दिया कि वे हिरासत सौंपने के बाद शाम *7* बजे मेरे सामने आरोपी को पेश करें।
कोई और अधिकारी। *"*

117. अभियुक्त असगर अली को एस. पी. के समक्ष पेश किए जाने पर, उसने निम्नलिखित कार्यवाही दर्ज की है:

"एस के तहत कार्यवाही। *32* आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002*।

अभियुक्त असगर अली, एस/ओ मोहम्मद। *27* वर्षीय वजीर अली, आर/ओ हाउस नंबर *8/3/113*, दारुसाफा कॉलोनी, नलगोंडा, हैदराबाद को आज *18* जून, *2003* को मेरे सामने पेश किया गया। *7.00* एएसआई श्री ईश्वर चंद शर्मा द्वारा आतंकवाद निवारण अधिनियम, *2002 (*पोटा*)* की धारा *32* के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए एस. पी., सी. बी. आई./ए. सी. बी. के चैंबर में

केस नं. सी. बी. आई. आर. सी. *5 (*एस*)/2003-SIU.I/SIC.I/CBI/New* दिल्ली

(जगदीश तिवारी मामला*)* "। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

118. उसे पेश करने वाले ए. एस. आई. के कमरे से बाहर जाने के लिए कहने के बाद, केवल एस. पी. और आरोपी अंदर रह गए।

कमरा। एस. पी. ने फिर से कुछ सवाल पूछे और उन्हें मामले के सभी विवरणों से अवगत कराया और उनसे यह भी पता लगाया कि क्या वह इकबालिया बयान देना चाहते हैं। अभियुक्त को बताया गया कि वह इस तरह का बयान देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यदि ऐसा कोई बयान दिया गया था, तो उसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वह किसी डर, दबाव या लालच में थे या उन्हें पीटा गया था।

किसी को भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वह एक बयान देने के लिए सहमत हो गया और किसी भी डर, दबाव या लालच या पीटे जाने या पीटे जाने से इनकार कर दिया।

किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें बताया गया कि वह कानूनी रूप से इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं। एस. पी. ने एक निष्कर्ष भी दर्ज किया था कि उसके व्यक्ति पर कोई शारीरिक चोट, हिंसा का निशान नहीं था। एस. पी. ने अभियुक्त मोहम्मद को रखने के लिए लिखित आदेश दिया। असगर अली अपने चिंतन के उद्देश्य से यह तय करने के लिए कि क्या वह वास्तव में एक इकबालिया बयान देना चाहता था या नहीं और चिंतन की अवधि के दौरान किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं है। *18.6.2003* पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थे:

"मैंने एएसआई ईश्वर चंद शर्मा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और वह चले गए। इसके बाद, केवल मैं और आरोपी ही बचे।

कमरे के अंदर।

मैंने अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न और उत्तर पूछे

अभियुक्तों द्वारा सवाल पूछे गए।

उ. मेरा नाम असगर अली है, पुत्र मोहम्मद। वजीर अली, आयु *28* वर्ष, आर/ओ हाउस नं. *8/3/113*, दारुसाफा कॉलोनी, नलगोंडा, हैदराबाद।
प्र. आपकी शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं*?*

प्र. आपको कब और किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था*?*
उ. मुझे सी. बी. आई. ने *12.6.2003* पर जगदीश तिवारी मामले के संबंध में गिरफ्तार किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्र. क्या आप जानते हैं कि मैं एक पुलिस अधीक्षक हूँ*?*

उ. हां, मुझे पता है।

प्र. क्या आप जानते हैं कि आपको मुझसे पहले क्यों पेश किया गया*?* उ. हां, मुझे पता है कि मुझे आपकी रिकॉर्डिंग के लिए पेश किया गया है।

मेरा इकबालिया बयान।

प्र. क्या आप अपना अपराध स्वीकार करना चाहते हैं*?*

उ. हां सर।

प्र. क्या आप जानते हैं कि आप कानूनी रूप से पाँच के लिए बाध्य नहीं हैं*?* इकबालिया बयान, और यदि आप ऐसा कोई बयान देते हैं, तो इसका उपयोग आपके खिलाफ सबूत के रूप में किया जाएगा*?*

उ. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन आपने मुझे समझाया है और इसलिए मैं अब इसे समझ गया हूं।

प्र. क्या आप यह इकबालिया बयान किसी डर, दबाव या लालच में दे रहे हैं*?*

ए. नहीं। . उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर अभियुक्त द्वारा अपनी इच्छा पर दिए गए थे और प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ा गया और अभियुक्त को समझाया गया और उसने उन्हें सही स्वीकार किया और उसी पर हस्ताक्षर किए।

एस. डी./- अमान्य

मोहम्मद. असगर अली

एस. डी./- अमान्य

विनायक पी. आप्टे

पुलिस अधीक्षक

सीबीआई/ए. सी. बी., गांधी नगर "

119. 21.6.2003 पर अभियुक्त को फिर से बताया गया कि वह नहीं था

घ. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इकबालिया बयान देना। द.

एस. पी. द्वारा *21.6.2003* पर दर्ज किए गए संपादनों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* के तहत निकाला गया है।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

"इस समय, मैंने आरोपी को चेतावनी दी कि वह कानूनी रूप से इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और अगर वह ऐसा कोई बयान देता है, तो उसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

मैंने अभियुक्त के व्यक्ति की जाँच की और उसके व्यक्ति पर कोई स्पष्ट या दृश्यमान चोट या हिंसा का कोई निशान नहीं पाया। मैंने आरोपी मोहम्मद को रखने का आदेश दिया। असगर अली अकेले चिंतन के उद्देश्य से अपना मन बनाने के लिए कि क्या

वह वास्तव में अपना इकबालिया बयान देना चाहता है या नहीं। मैंने आगे निर्देश दिया कि चिंतन की अवधि के दौरान किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाए।

एस. डी./- अमान्य

मोहम्मद. असगर अली

एस. डी./- अमान्य

विनायक पी. आप्टे

पुलिस अधीक्षक

सीबीआई/ए. सी. बी., गांधी नगर "

उनके चिंतन की अवधि में, किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। एक बार चेतावनी दी गई थी। उनसे पूछा गया कि वह क्यों देना चाहते हैंएस. एस. एन. एल. बयान। उन्हें एक बार फिर इकबालिया बयान का परिणाम बताया गया कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं। निम्नलिखित द्वारा तैयार किया गया नोट है

. पी. *:*

"अब *65* घंटे से अधिक समय बीत चुका है जब अभियुक्त को चेतावनी दी गई थी और अभियुक्त को एस. पी./सी. बी. आई./ए. सी. बी., गांधीनगर के चैंबर में पेश करने का निर्देश दिया गया था। चिंतन की अवधि के दौरान,

किसी को भी उनसे मिलने या बात करने की अनुमति नहीं थी।

चैंबर ऑफ एस. पी., सी. बी. आई., ए. सी. बी., गांधी नगर में मेरे और आरोपी मोहम्मद के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है। असगर अली। इसके बाद

उससे फिर सवाल पूछे जाते हैं। प्र. *18.6.2003* के बाद से लंबी अवधि के दौरान इकबालिया बयान देने के लिए आपने क्या निर्णय लिया है*?*

प्र. मैं एक बार फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप कानूनी रूप से इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं हैं और यदि आप ऐसा कोई बयान देते हैं, तो इसका उपयोग आपके खिलाफ सबूत के रूप में किया जाएगा? उ. हां, मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

एस. डी./- अमान्य

मोहम्मद. रउफ।

एस. डी./- अमान्य

21.6.2003 "

121. इसके बाद उनका इकबालिया बयान दर्ज किया गया था।

एस. पी. ने इकबालिया बयान दर्ज करने के बाद, असगर अली ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उल्लेख किया गया है कि इकबालिया बयान पढ़ा गया है और आरोपी को समझाया गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यह सही है। एस. पी. ने बयान में एक संक्षिप्त टिप्पणी जोड़ी है कि उसने आरोपी को सूचित किया है कि वह अपना इकबालिया बयान देने के लिए बाध्य नहीं था। यदि वह देता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है। उन्होंने इसे बिना किसी डर या दबाव के स्वेच्छा से दिया है और इसे उनके द्वारा दर्ज किया गया है, आरोपी को पढ़ा गया है। अभियुक्त द्वारा इसे सुना गया है, समझा गया है और सही माना गया है और अभियुक्त द्वारा जो कुछ भी दिया गया है उसे स्वीकार किया गया है। उपरोक्त कार्यवाहियों का प्रासंगिक भाग निम्नलिखित हैः

"उपरोक्त कथन पढ़ा गया है और समझाया गया है

अभियुक्त जिसे उसने सही स्वीकार किया है।

एसडी/- असगर अली।

एसडी/- विनायक। पी. आप्टे

सुप्ट। पुलिस की सीबीआई/ए. सी. बी.

गांधीनगर

उसका इकबालिया बयान। मैंने आरोपी को यह भी बताया कि अगर वह अपना स्वीकारोक्ति बयान देता है कि उसी का उपयोग सबूत में किया जाएगा

उसके खिलाफ। मुझे विश्वास है कि अभियुक्त ने अपना केंद्रीय अन्वेषण आदेश *v* दिया है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[अरुण मिश्रा, जे।]*

स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी दबाव, भय और उग्रता के स्वीकारोक्ति कथन। स्वीकारोक्ति बयान मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया है और बार-बार पढ़ा गया है और आरोपी को समझाया गया है और पूरे स्वीकारोक्ति बयान को आरोपी द्वारा सुना, समझा और सही माना गया है। अभियुक्त द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, वही स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया है।

एसडी /

21.6.03

विनायक पी. आप्टे सुपत। में से

पुलिस सी. बी. आई/ए. सी. बी. गांधीनगर

आरोपी असगर अली को डॉ. एस. के. गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया है। एस. पी., एस. आई. सी.*-I*, सी. बी. आई., नई दिल्ली ने आज दोपहर *3* बजे गांधी नगर में शिविर लगाया।

एसडी /

21.6.03

विनायक पी.

आप्टे

सुप्ट। पुलिस का सीबीआई/ए. सी. बी.

गांधीनगर "

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा के प्रावधान

32 (1) , (2) और *(3)* पोटा का अनुपालन किया गया है।

122. 21.6.2003 पर अभियुक्त को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।

मजिस्ट्रेट, सी. बी. आई., अहमदाबाद। आरोपी को पेश करने के लिए पोटा की धारा *32 (4)* के तहत एक आवेदन भी दायर किया गया था। यह उल्लेख किया गया था कि एस. पी., सी. बी. आई., ए. सी. पी. द्वारा दर्ज किए जाने के दौरान अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी डर, धमकी या प्रलोभन के इकबालिया बयान दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने आरोपी से पूछा है कि क्या हिरासत में इकबालिया बयान दर्ज करते हुए सीबीआई द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था या उसे प्रताड़ित किया गया था, जिसका उसने नकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इकबालिया बयान दिया है। उस पर, उन्हें *4.7.2003* तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

123. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त व्यक्तियों के इकबालिया बयान दर्ज करते समय इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया है।

पोटा की धारा *32* के तहत पीडब्लू-*21* द्वारा।

124. यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*)* में इस न्यायालय के निर्णय के बल पर। नवजोत संधू आदि *(2005) 11* एस. सी. सी. *600 (* इसके बाद 'संसद हमले के मामले' के रूप में संदर्भित*)*, पोटा ने कर्तार सिंह के मामले *(1994) 3* एस. सी. सी. *569* में बताए गए दिशानिर्देशों को इसमें शामिल कर लिया है, और टाडा अधिनियम में एक सचेत सुधार हुआ है। इसलिए, टाडा मजिस्ट्रेट के समक्ष पुष्टि कार्यवाही के संबंध में इसे समझने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है। प्रासंगिक भाग निम्नलिखित हैः

"156. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पोटा ने कर्तार सिंह बनाम में बताए गए दिशानिर्देशों को इसमें शामिल कर लिया है। पंजाब राज्य, *(1994) 3* एस. सी. सी. *569* और डी. के. बसु बनाम राज्य डब्ल्यू. बी., *(1997) 1* एस. सी. सी. *416*, प्रदान करने के लिए

निष्पक्षता और तर्कसंगतता का एक तत्व
अनुच्छेद *21* के दर्शन के अनुरूप पोटा के प्रावधान और

संबद्ध संवैधानिक प्रावधान। ये स्वास्थ्यवर्धक सुरक्षा उपाय हैं -
पोटा की धारा *32* और *52* में निहित है। द पेरेंप्टरी

पोटा की धारा *32* में सन्निहित निर्देश इस प्रकार हैंः

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक के समक्ष
मजिस्ट्रेट स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ,

अड़तालीस घंटे के भीतर *[*उप-धारा *(4)* के अनुसार*]*। *(* घ*)* सी. एम. एम./सी. जे. एम. व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को दर्ज करेगा।

प्रस्तुत करें और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करें और यदि यातना की कोई शिकायत है, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा जांच के लिए पेश करने का निर्देश दिया जाएगा। बयान दर्ज करने के बाद और चिकित्सा जांच के बाद, यदि आवश्यक हो, तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा

[उप-धारा *(5)* के माध्यम से*]*।

उप-धारा *(2)* और *(3)* का अधिदेश कोई नई बात नहीं है।
टाडा के तहत भी लगभग इसी तरह के प्रिस्क्रिप्शन थे।

वास्तव में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इस तरह के जनादेश की पूर्ति की प्रक्रिया में निहित है

एक सांविधिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकारोक्ति दर्ज करना। जो अनिवार्य रूप से निहित है, शायद, स्पष्ट किया गया है। लेकिन टाडा में जिन उल्लेखनीय सुरक्षा उपायों की कमी थी, वे उप-धारा *(4)* और *(5)* में पाए जाते हैं।

157. जनादेश के पीछे उच्च उद्देश्य कि निर्माता

स्वीकारोक्ति को सी. जे. एम. द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा जिसके समक्ष उसे पेश किया जाता है ताकि वह ऐसा वातावरण प्रदान कर सके जिसमें वह पुलिस के खिलाफ शिकायत करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे यदि वह ऐसा करता है।

इच्छाएँ। यह भावना कि अदालत में पेश किए जाने के बाद वह पुलिस हिरासत की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा, उस भय मनोविकृति को कम कर देगा, यदि नहीं, जिससे वह पकड़ा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के

धारा *32* में निहित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। हालाँकि, हम यहाँ एक चेतावनी जोड़ते हैं। न्यायिक अभिरक्षा के प्रावधान को सख्ती से लागू करना और केवल इसके गैर-अनुपालन के आधार पर स्वीकारोक्ति को अमान्य करना कभी-कभी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद भी पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है।

आगे की जाँच के उद्देश्य से अभी भी आवश्यक है। उस स्तर पर किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजने से जांच में देरी हो सकती है। कभी-कभी, अभियुक्त की मदद से अन्वेषक द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों में कोई देरी नहीं हो सकती है। तथापि, धारा *32 (5)* में इस प्रावधान को पुलिस को उपलब्ध जाँच की शक्तियों के साथ सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि स्वीकारोक्ति देने वाले को न्यायिक हिरासत में भेजने की बाध्यता को हल्के में नहीं लिया जा सकता है उपेक्षा की गई। पुलिस द्वारा केवल पूछने पर पुलिस हिरासत नहीं दी जा सकती है। यह याद रखा जाएगा कि स्वीकारोक्ति देने वाले व्यक्ति को सीजेएम के समक्ष पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजना सामान्य नियम है और यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा है

इसे उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सी. जे. एम. को संतुष्ट होना चाहिए कि यह बिल्कुल आवश्यक है कि स्वीकारोक्ति देने वाला होगा

किसी विशेष कारण से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उसे पुलिस हिरासत में वापस भेजने का ऐसा तरीका केवल इस तरह से किया जा सकता था

विवेक के उचित प्रयोग के बाद असाधारण मामले। अक्सर, सीजेएम द्वारा कार्यवाही दर्ज किए जाने के तुरंत बाद धारा *32 (5)* के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजना, *[2019] 8* एस. सी. आर. के अधीन।

कुछ दिनों के बाद पुलिस द्वारा आवेदन पर विचार करने से आगे की जांच में भौतिक अंतर नहीं आ सकता है। सी. जे. एम. का यह

कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या आवेदन केवल संबंधित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में वापस लाने के लिए एक चाल है, यदि वह स्वीकारोक्ति पर विवाद करता है या यह आवश्यकता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक आवेदन है। इसलिए हमारा विचार है कि न्यायिक अभिरक्षा की आवश्यकता का पालन न करना।

यह अपने आप में स्वीकारोक्ति को दूषित नहीं करता है, हालांकि इसका गैर-अनुपालन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक होना चाहिए जिन्हें स्वीकारोक्ति का परीक्षण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

125. इस न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं

धारा *32* में किए गए विभिन्न प्रावधानों में। धारा *32* में विशेष प्रावधान किए गए हैं। टाडा में जिन उल्लेखनीय सुरक्षा उपायों की कमी थी

ये उप-धारा *(4)* और *(5)* में पाए जाते हैं। धारा *32 (5)* के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि आम तौर पर व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। असाधारण मामलों में, पुलिस हिरासत दी जा सकती है और अन्यथा नहीं। सामान्य अभिरक्षा आवश्यकता का गैर-अनुपालन स्वयं स्वीकारोक्ति को दूषित नहीं करता है। तत्काल मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और धारा *32* के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया है।

126. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि संसद पर हमले के मामले की ताकत के अनुपालन के लिए मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति या कम से कम उसका सार पढ़ना चाहिए था। धारा *32 (5)* के प्रावधान। मजिस्ट्रेट को आरोपी को पहले से ही आश्वस्त करना चाहिए कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और उसके बाद यह पर्याप्त नहीं है कि वह उसे न्यायिक हिरासत में भेज दे। अभियुक्त का बयान एस. पी. द्वारा पढ़ा जाता है और यदि उसे स्वीकार किया जाता है

सही है, उसके बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे। धारा *32 (4)* में यह अपेक्षा की गई है कि जिस व्यक्ति का इकबालिया बयान दर्ज किया गया है, उसे *48* घंटे के भीतर इकबालिया बयान के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को दर्ज करेगा और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। यदि यातना की कोई शिकायत है तो चिकित्सा जांच का आदेश देना होगा और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।

127. जब हम आदेश पत्र पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट

अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान दर्ज किया है और हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से पूछताछ की है कि क्या उनके साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* का बुरा व्यवहार किया गया था।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

या हिरासत में रहते हुए सी. बी. आई. द्वारा प्रताड़ित किया गया, एक इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए जिसका उसने नकारात्मक जवाब दिया। आरोपी से पूछा गया कि वह क्या कहना चाहता है, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने स्वैच्छिक इकबालिया बयान दिया है। फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एस. पी. रैंक के अधिकारी ने विधिवत दर्ज किया है कि उसने बयान पढ़ा है और आरोपी ने इसे सही माना है, जैसा कि धारा *32* के प्रावधानों के उचित अनुपालन में है, इसलिए मजिस्ट्रेट के लिए इसे फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी।

अभियुक्त, धारा *32 (4)* और *(5)* में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट को दिए गए कर्तव्यों का विधिवत पालन किया गया है।

128. अभियुक्त की ओर से विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट ने इकबालिया बयान वाले सीलबंद लिफाफे को खोलने की परवाह नहीं की और इसे अभियुक्त को नहीं पढ़ा। महाराष्ट्र राज्य में *v.* भारत चगनलाल राघानी और अन्य। *, (2001) 9* एस. सी. सी. *1,* इस न्यायालय ने कहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति वाले सीलबंद लिफाफे को खोलने और उसे अभियुक्त को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

"36. टाडा नियमों के नियम *15* के उप-नियम *(5)* में प्रावधान है कि टाडा अधिनियम की धारा *15* के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान को तुरंत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जो उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखता है जिसमें ऐसा इकबालिया बयान दर्ज किया गया है और ऐसा मजिस्ट्रेट इस तरह से प्राप्त इकबालिया बयान का रिकॉर्ड नामित अदालत को भेजेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकता है। नियम *15* ऐसे मजिस्ट्रेट को या तो पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए इकबालिया बयान वाले लिफाफे को खोलने या इकबालिया बयान की स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं करता है। द.

मजिस्ट्रेट, अधिक से अधिक, अभियुक्त का बयान दर्ज कर सकते हैं यदि कथित उत्पीड़न, यातना या इसी तरह के संबंध में किया जाता है। यदि नियम *15* के उप-नियम *(5)* में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को इकबालिया बयान की स्वैच्छिक प्रकृति का पता लगाना है, तो धारा *15* का एक पुलिस अधिकारी को इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए यह सही नहीं था कि

अभिनिर्दिष्ट न्यायाधीश की ओर से,

"मजिस्ट्रेट की ओर से अभियुक्त से सवाल करना अनिवार्य था कि क्या उन्होंने उक्त बयान स्वेच्छा से दिए थे या अन्यथा और इसका गठन *[2019] 8* एस. सी. आर. के रूप में किया जाना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इकबालिया बयानों के रिकॉर्ड का एक हिस्सा जो थे

उसे भेज दिया। "

नामित न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में भी गलती की है कि मजिस्ट्रेट ने उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया था जो उन पर ठीक से लगाए गए थे।

टिप्पणियाँ:

"यदि उसने इकबालिया बयानों के नीचे एक ज्ञापन दर्ज किया होता कि उसने उक्त बयानों में कथनों के बारे में आरोपी से सवाल किया था और उसने उक्त इकबालिया बयानों को स्वैच्छिक और सही माना होता, तो उस स्थिति में, इकबालिया बयानों ने अदालत को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया होता कि वे किसी भी प्रभाव से मुक्त हैं। मजिस्ट्रेट से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह इस अर्थ में एक वरिष्ठ डाकिया का

पद ग्रहण करे, इकबालिया बयान प्राप्त करे और उन्हें दूसरे लिफाफे में रखकर टाडा अदालत को भेजे। जिस क्षण उसे इकबालिया बयान मिलते हैं, उसे यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें उसके पास क्यों भेजा जाता है? उन्हें उनके साथ क्या करने की आवश्यकता है? यदि मजिस्ट्रेट ने सावधानी बरती होती, तो उसके लिए यह हुआ होता कि उसे अभियुक्त से सवाल करने की आवश्यकता है कि क्या उन्होंने वास्तव में बयान में दर्ज तरीके से स्वीकार किया है और उस घटना में, सामान्य रूप से, वह नीचे एक ज्ञापन देना नहीं भूलती।

इकबालिया बयान। इकबालिया बयानों के नीचे इस आशय का उनका लेखन बहुत मददगार होता।

न्याय के लिए "

इसलिए, अनावश्यक हैं।

129. अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया आवेदन पुलिस रिमांड के लिए नहीं था, बल्कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए था

अभिरक्षा। इस प्रकार, जब अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे पता नहीं था कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना है। चूंकि किसी भी यातना की कोई शिकायत नहीं थी और एस. पी. ने यह तथ्य भी दर्ज किया था कि उनके शरीर पर यातना या चोट या हिंसा का कोई निशान नहीं था, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। *130.* आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अन्य में निर्णय। वी. गुजरात राज्य, *(2014) 7* एस. सी. सी. *716* जिसमें *11* महीनों के बाद इकबालिया बयान दिया गया था और अभियुक्त को यह प्रतिबिंबित करने के लिए केवल *15* मिनट का समय दिया गया था कि क्या वे इकबालिया बयान देना चाहते हैं।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[अरुण मिश्रा, जे।]*

और उसके बाद यह दर्ज किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि

मामला यह भी नहीं दर्शाता था कि इसे पढ़ा गया था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उक्त मामले में इसे पुलिस अधीक्षक द्वारा पढ़ा गया था। जो भी हो सकता है। तत्काल मामले में आवश्यकता को पूरा कर दिया गया है क्योंकि एस. पी. ने पढ़ा है और इस तरह से दर्ज किया गया है कि उसने पढ़ा है और इसे सही माना गया है और उसके बाद आरोपी ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। मूल बयान हिंदी भाषा में दर्ज किए गए थे जो अभियुक्त व्यक्तियों को उनके अपने शब्दों में पता था।

131. नाथू बनाम पर भरोसा करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *56,* अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

पुलिस हिरासत को बढ़ाना स्वीकारोक्ति की सत्यता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त है। तत्काल मामले में, स्वीकारोक्ति को *4.6.2003* से *22.6.2003* तक दर्ज किया गया है। तत्काल मामले में अभियुक्तों को मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था और कुछ को एक मामले से दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया था और फिर पुलिस रिमांड पर लिया गया था, और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसी कोई लंबी हिरासत नहीं थी ताकि केवल पुलिस हिरासत के तथ्य के कारण किसी भी तरह से इकबालिया बयान को संदिग्ध बनाया जा सके। पुलिस हिरासत का प्रभाव यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इकबालिया बयान पर पुलिस हिरासत का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्तों को सोचने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था

जो तत्काल मामले में दिया गया था। उनके पास कानूनी सहायता भी थी क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी के बाद अधिवक्ताओं के साथ भी संवाद किया था और फिर एस. पी. ने उन्हें इस तरह का बयान देने के परिणामों के बारे में लिखित रूप में समझाया था। एस. पी. ने यह सुनिश्चित किया कि वे किसी भी भय या लालच आदि के अधीन न हों और उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। इसके बाद इकबालिया बयान

बयान दिया गया था। चिंतन के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया था। अतः उपरोक्त निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। *132.* ए-*1* की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया है कि वह *17.4.2003* से *23.5.2003* तक पुलिस हिरासत में रहा।

इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए भेज दिया गया और फिर से *12.6.2003* पर पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। एक अन्य पोटा मामले में उसके कबूलनामे के बाद, ए-*1* को *16.5.2003* से *23.5.2003* तक पुलिस हिरासत में वापस भेज दिया गया। इस प्रकार, ए-*1* ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी *10* मिनट की पेशी के दौरान बोलने का आत्मविश्वास खो दिया था और उसे यकीन नहीं था कि उसे पुलिस के पास भेजा जा सकता है। फिर से रिमांड। हमारी राय में यह दलील निराधार है। इसे लंबी पुलिस हिरासत नहीं कहा जा सकता है। जब कई आरोपी व्यक्ति विभिन्न मामलों में शामिल होते हैं और एक आरोपी को *[2019] 8* एस. सी. आर. की एक श्रृंखला में शामिल पाया जाता है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें लंबे समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया था या उन्होंने यह विश्वास खो दिया था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा। *133.* अभियुक्त की ओर से विद्वान वकील ने आगे कहा कि शिवप्पा बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए। कर्नाटक राज्य,

(1995) 2 एस. सी. सी. *76,* इकबालिया बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी जांच की जानी चाहिए। तत्काल मामले में, पोटा की धारा *32* के तहत, चूंकि एक प्रस्थान है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को स्वीकारोक्ति दी गई है, इसलिए धारा *164 Cr.P.C* के आधार पर उपरोक्त निर्णय आकर्षित नहीं होता है, अन्यथा जब हम धारा *164 Cr.P.C* के संबंध में निर्धारित उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हैं।

शिवप्पा *(ऊपर)* में, हमारी राय में धारा *32 (1), (2)* और *(3)* के तहत एस. पी. और धारा की उप-धारा *4* और *5* के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट

32 इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन किया है जिसमें इस न्यायालय ने कहा हैः

" 6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *164* की सरल भाषा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *164* के तहत किसी आरोपी के इकबालिया बयान दर्ज करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति का पता लगाने के लिए जांच पर जोर देते हैं। यह जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *164* के तहत एक आरोपी के इकबालिया बयान को दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट के कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होती है। मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रश्न पूछने में विफलता जिससे वह स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति का पता लगा सके, किसी अभियुक्त के स्वीकारोक्ति के साक्ष्य मूल्य से इतना भौतिक रूप से विमुख करता है कि उस पर कार्रवाई

करना सुरक्षित नहीं होगा। न केवल रूप में बल्कि संक्षेप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *164* के प्रावधानों और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों का पूर्ण और पर्याप्त अनुपालन अनिवार्य है और इसका गैर-अनुपालन मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में स्वीकारोक्ति दर्ज करने और स्वीकारोक्ति देने के लिए जाता है।

विश्वास के अयोग्य।

केंद्रीय सर्वेक्षण ब्यूरो को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इकबालिया बयान, अभियुक्त से उस अभिरक्षा के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए जिससे उसे पेश किया गया था और इस तरह की अभिरक्षा में उसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियोजन में रुचि रखने वाले स्रोत से किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव के बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जो अभी भी किसी अभियुक्त के दिमाग में छिपा हुआ है। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच में पता चलता है कि इस तरह के अनुमान के लिए आधार है, तो उसे आरोपी को अपना बयान देने के लिए कहने से पहले विचार करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और खुद को आश्वस्त करना चाहिए कि विचार के समय, वह पूरी तरह से पुलिस के प्रभाव से बाहर है। एक अभियुक्त से विशेष रूप से यह कारण पूछा जाना चाहिए कि वह ऐसा बयान क्यों देना चाहता है जो निश्चित रूप से मुकदमे के दौरान उसके स्वार्थ के खिलाफ होगा, भले ही वह बाद में वापस लेने का प्रयास करे।

स्वीकारोक्ति। सावधानी बरतने के अलावा, चेतावनी धारा *164* की उप-धारा *(2)* के पहले भाग में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि अभियुक्त एक बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो इसका उपयोग उसके खिलाफ मुकदमे में अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में सबूत के रूप में किया जा सकता है, अर्थात, उसे स्पष्ट भाषा में, किसी भी प्रकार की अनुमानित यातना या दबाव से सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाना चाहिए।

पुलिस के रूप में बाहरी एजेंट या इस तरह के मामले में यदि वह बयान देने से इनकार करता है और उसे यह आश्वासन दिया जाता है कि भले ही उसने स्वीकारोक्ति देने से इनकार कर दिया हो, उसे पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा।

पुलिस हिरासत "।

134. आलोक नाथ दत्ता और ओआरएस में निर्णय। वी. स्टेट ऑफ वेस्ट अल *(2007) 12* एस. सी. सी. *230,* अभियुक्त की ओर से धारा *164 Cr.P.C* पर आधारित है। धारा *32* उसी से अलग है। रिमांड के लिए अधिकृत है और उसने सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

उपरोक्त कारणों से निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

135. संसद पर हमले के मामले *(*उपरोक्त*)* के बल पर, इसने स्वीकार किया कि स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता के दोहरे परीक्षण पर भौतिक विवरणों में पुष्टि की जानी चाहिए। यह स्वीकारोक्ति की सच्चाई के साथ समृद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"*36.* फिर हमारे पास शंकरिया बनाम का मामला है। राजस्थान राज्य, *(1978) 3* एस. सी. सी. *435,* तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया। जे. सरकारिया ने स्वीकारोक्ति का मूल्यांकन करने के लिए लागू किए जाने वाले दोहरे परीक्षणों का उल्लेख कियाः *(1)*

क्या स्वीकारोक्ति पूरी तरह से स्वैच्छिक थी, और *(2)* यदि ऐसा है,

क्या यह सच और भरोसेमंद है। विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि यदि पहला परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है तो दूसरा परीक्षण लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर न्यायालय ने एक व्यापक विधि का संकेत दिया जिसके द्वारा स्वीकारोक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। कहा गया थाः *(* एस. सी. सी पी. *443,* पैरा *23)*

"न्यायालय को स्वीकारोक्ति की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और मामले की आसपास की परिस्थितियों और संभावनाओं के आलोक में बाकी सबूतों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। यदि इस तरह की जांच और तुलना पर, स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है

घटनाओं की एक संभावित सूची हो और स्वाभाविक रूप से बाकी सबूतों और आसपास की परिस्थितियों के साथ फिट बैठता है, यह हो सकता है दूसरे परीक्षण को संतुष्ट करने के लिए लिया जाए।

37. परमानंद पेगु बनाम। असम राज्य, *(2004) 7* एस. सी. सी. *779,* इस न्यायालय ने इस अभिव्यक्ति की पुष्टि करते हुए

प्यारे लाल भार्गव बनाम में प्रयुक्त सामग्री विवरण। राजस्थान राज्य, *1963* सप. *(1)* एस. सी. आर. *689* ने इस प्रकार स्थिति स्पष्ट कीः *(* एस. सी. सी पी. *790,* पैरा *20)*

"'भौतिक विवरणों की पुष्टि' अभिव्यक्ति का उपयोग करके, न्यायालय ने सुब्रमण्य गौंडन बनाम में जो स्पष्ट किया गया है, उसके विपरीत कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। मद्रास राज्य, *1958* एस. सी. आर. *428,* आवश्यक पुष्टि की सीमा के संबंध में। उपरोक्त अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि संपूर्ण सामग्री विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यह पर्याप्त है कि स्वीकारोक्ति की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप व्यापक पुष्टि है, जैसा कि सुब्रमण्यम गौंडन मामले में बताया गया है।

पैरा *18* और *19* में कानूनी स्थिति का विश्लेषण भी सार्थक है। ध्यान देंः *(* एस. सी. सी पी. *788)*

"*18.* इस प्रकार एक स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, स्वीकारोक्ति की सच्चाई का अदालत द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। यह तथ्य कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से धमकी और प्रलोभन से मुक्त की गई है, इसकी सच्चाई का अनुमानित प्रमाण माना जा सकता है। फिर भी, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो यह इंगित करती हैं कि स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है

पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सही है जिस स्थिति में यह अपना बहुत कुछ खो देता है प्रमाणिक मूल्य।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

19. स्वीकारोक्ति की सच्चाई के बारे में आश्वस्त होने के लिए, इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में विवेक का एक नियम विकसित किया है कि अदालत को अन्य साक्ष्यों से पुष्टि करने पर विचार करना चाहिए।
हालांकि, प्रत्येक सामग्री विशेष के संबंध में पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर पर, होना चाहिए

पुष्टि ताकि समग्र रूप से लिया गया स्वीकारोक्ति अन्य साक्ष्य द्वारा साबित तथ्यों में फिट बैठता है। वास्तव में, अदालत को सभी कोणों से आश्वासन मिलना चाहिए कि वापस लिया गया स्वीकारोक्ति वास्तव में स्वैच्छिक थी और यह सच रही होगी।

136. उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, यह मामले की प्रकृति और तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले में परिस्थितियाँ और साक्ष्य कि क्या इकबालिया बयान सच्चा है और इसकी पुष्टि की गई है। यह हर मामले में देखा जाना चाहिए। संसद पर हमले के मामले *(*उपरोक्त*)* में पोटा अधिनियम की धारा *52 (2)* के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाए जाने के तुरंत बाद कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा। अनुभाग *52 (3)* यह प्रावधान है कि उसकी गिरफ्तारी की जानकारी तुरंत परिवार के किसी सदस्य या किसी रिश्तेदार को दी जाएगी। धारा *52 (4)* में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी व्यवसायी से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ के दौरान। इस संदर्भ में संसद पर हमले के मामले में इस न्यायालय द्वारा टिप्पणियां की गई हैं:

" 182. संसद ने सलाह दी कि एक मिरांडा वी पेश किया जाए। एरिजोना, *384* यू. एस. *436,* ने सुरक्षा का आदेश दिया जिसे नंदिनी सत्पथिव में काफी हद तक दोहराया गया था। पी. एल. दानी, *(1978) 2* एस. सी. सी. *424,* स्पष्ट रूप से धारा *52* की उप-धारा *(2)* और *(4)* में गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से परामर्श करने और अनुमति देने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने का दायित्व अधिनियमित करना।

उसे वकील से मिलना है। इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन का घोषित उद्देश्य कैदी के लिए एक निष्पक्ष और मानवीय दृष्टिकोण के एक तत्व को एक अन्यथा कठोर कानून में अभियुक्त के लिए कठोर परिणामों के साथ पेश करना था। इन प्रावधानों को खाली नहीं माना जाना चाहिए।

औपचारिकताएँ। यह नहीं कहा जा सकता है कि उप-धारा *(2)* और *(4)* के तहत इन दायित्वों के उल्लंघन का स्वीकारोक्ति पर कोई संबंध और प्रभाव नहीं है। यह उम्मीद करना बहुत अधिक है कि हिरासत में एक व्यक्ति

पोटा अपराधों के संबंध को जानना चाहिए

स्वीकारोक्ति और उसके लिए उपलब्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में पोटा के प्रावधानों का विवरण।

अन्यथा होना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अलावा वकील की उपस्थिति और सलाह *v.*

गिरफ्तार व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने से, उसे पुलिस अधिकारी के समक्ष इकबालिया बयान देने के निहितार्थ को समझने में मदद मिलेगी और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में रहने के अधिकार जैसे अन्य अधिकारों के बारे में जागरूक होने में भी सक्षम बनाएगा। यह तथ्य कि धारा *32 (4)* के अनुसार सी. जे. एम. के समक्ष पेश किए जाने के बाद वह पुलिस हिरासत में नहीं होगा, वह सी. जे. एम. के समक्ष पुलिस आचरण या उसके बारे में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगा।

उसका इलाज किया गया। सी. जे. एम. के सामने पेश होने के तुरंत बाद खुद को फिर से पुलिस हिरासत में लेने का डर पुलिस के खिलाफ कुछ भी बोलने के खिलाफ एक अवरोधक कारक होगा। यही कारण है कि धारा *32* की उप-धारा *(5)* में न्यायिक अभिरक्षा का प्रावधान पेश किया गया है। यही उद्देश्य धारा की उप-धारा *(3)* के पीछे प्रतीत होता है।

164 सी. आर. पी. सी., हालांकि उसमें विचार की गई स्थिति कुछ अलग है।

183. एक अन्य प्रावधान के दायित्व का उल्लंघन, अर्थात्,

धारा *52* की उप-धारा *(3)*, जो डी. के. बसु *(*उपर्युक्त*)* दिशानिर्देशों पर आधारित है, ने स्वीकारोक्ति पर कार्रवाई करने में कठिनाई को और बढ़ा दिया है। धारा *52 (3)* में आदेश दिया गया है कि गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत परिवार के किसी सदस्य को या उसकी अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को तार, टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी और इस तथ्य को दर्ज किया जाएगा।

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा। पी. डब्ल्यू. *80* पोटा के तहत आई. ओ. ने केवल इतना कहा कि "अभियुक्तों के करीबी रिश्तेदारों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था जैसा कि मुझे रिकॉर्ड से पता चला"। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रिश्तेदार को दी गई जानकारी के संबंध में आरोपी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा कोई रिकॉर्ड तैयार किया गया था या नहीं। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि मोहम्मद के नाम से अफजल का रिश्तेदार। बारामूला के गुलाम बोहरा को फोन के माध्यम से सूचित किया गया। किसी भी गवाह ने इस संबंध में बात नहीं की थी। गिरफ्तारी ज्ञापन के अवलोकन से संकेत मिलता है कि गुलाम बोहरा का नाम और उनका फोन नंबर "रिश्तेदारों को सूचित किया जाना है" कॉलम के विपरीत नोट किया गया है। ऐसा लगता है कि अफजल के गिरफ्तारी ज्ञापन को गिलानी के भाई द्वारा सत्यापित किया गया था, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार, यहाँ मौजूद था।

पुलिस सेल। लेकिन, यह उप-धारा *(3)* के अनुपालन के बराबर नहीं है क्योंकि वह न तो परिवार का सदस्य है और न ही रिश्तेदार, और न ही एक करीबी दोस्त के रूप में जाना जाता है। हम इस चूक की ओर इशारा कर रहे हैं।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इस कारण से कि यदि संबंधों को सूचित किया गया था, तो उन व्यक्तियों के साथ बैठक की व्यवस्था करने की पूरी संभावना थी
वकील या अन्यथा कानूनी सलाह लेना।

137. यह अभियुक्तों का मामला नहीं है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उन्हें कानूनी पेशेवर से परामर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया था

अधिनियम की धारा *52* के तहत पुलिस द्वारा। पोटा अधिनियम की धारा *52* यहाँ नीचे दी गई है:

"52. गिरफ्तारी। — *(1)* जहाँ एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, वह

गिरफ्तार व्यक्ति का अभिरक्षा ज्ञापन तैयार करेगा।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस थाने में लाते ही कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाएगा।

(3) जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत परिवार के किसी सदस्य को या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को तार, टेलीफोन या किसी अन्य माध्यम से दी जाएगी और इस तथ्य को दर्ज किया जाएगा।

गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा।

(4) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी व्यवसायी से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

अभियुक्त व्यक्तिः बशर्ते
कि इस उप-धारा की कोई भी बात कानूनी व्यवसायी को इस अवधि के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार नहीं देगी।

पूछताछ "।

संसद पर हमले के मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों से मामला आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता मिल रही थी और वे कभी भी इससे वंचित नहीं थे, और यह उनका मामला नहीं है कि उन्होंने स्वीकार करने से पहले विचार की अवधि के दौरान वकील की सहायता मांगी थी और उन्हें इससे इनकार कर दिया गया था।

138. संसद पर हमले के मामले में, इस न्यायालय द्वारा इस कथन के आलोक में टिप्पणी की गई है कि स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है

वास्तव में संभावनाओं और मानव आचरण के प्राकृतिक पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से न्याय किया गया, हालांकि इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि वे प्रशंसनीय और प्रेरक थे।

139. अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पोटा की धारा *32* के तहत किए गए सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान निर्माता के अलावा किसी और के खिलाफ स्वीकार्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संसद पर हमले के मामले पर विचार किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा हैः

"*49.* अब, आइए हम इस प्रश्न की जांच करें कि क्या पोटा की धारा *32 (1)* किसी सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान को अपने दायरे में लेती है। पोटा की धारा *32 (1),* जो एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति को मुकदमे में स्वीकार्य बनाती है, सह-अभियुक्त द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के उपयोग के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती है। धारा *32 (1)* के समापन भाग में शब्द ये हैंः

"ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में किसी अपराध के लिए स्वीकार्य होगा।

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत।

प्रस्तुत करना कि "सह-अभियुक्त", आदि शब्दों को टाडा के *1993* के संशोधन द्वारा प्रचुर सावधानी के साथ शामिल किया गया था, इसलिए नहीं कि टाडा के असंशोधित खंड में सह-अभियुक्त के कबूलनामे को शामिल नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ के अनुसार वकील, वाक्यांश "ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में स्वीकार्य होगा" केवल निर्माता के खिलाफ स्वीकार्यता को प्रतिबंधित नहीं करता है

स्वीकारोक्ति। यह उन सभी पर लागू होता है जिन पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा है।

स्वीकारोक्ति देने वाले के साथ बशर्ते कि वे भी स्वीकारोक्ति से प्रभावित हों। विद्वान वरिष्ठ वकील "ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में" महत्वपूर्ण शब्दों पर प्रकाश डालते हैं और तर्क देते हैं कि स्वीकारोक्ति न केवल निर्माता के खिलाफ स्वीकार्य होगी बल्कि निर्माता के मुकदमे में भी स्वीकार्य होगी जो संयुक्त रूप से एक परीक्षण हो सकता है।

अन्य अभियुक्तों के साथ। हमारा ध्यान सी. आर. पी. सी. और पी. ओ. टी. ए. के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया है जो एक संयुक्त परीक्षण प्रदान करते हैं। जिसे अभियुक्त पर न केवल पोटा के तहत अपराधों के लिए बल्कि आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है। हम कोई कठिनाई नहीं पाते हैं।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कि एक संयुक्त मुकदमा हो सकता है और "ऐसे व्यक्ति का मुकदमा" अभिव्यक्ति एक ऐसे मुकदमे को शामिल कर सकती है जिसमें स्वीकारोक्ति करने वाले आरोपी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जाता है।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

दूसरा आरोपी। इससे क्या यह पता चलता है कि एक अभियुक्त द्वारा किया गया इकबालिया बयान, विशिष्ट शब्दों के अभाव में, दूसरों के खिलाफ समान रूप से स्वीकार्य है? हमारा मानना है कि इसका जवाब नकारात्मक होना चाहिए। धारा *32 (1)* के एक सादे पाठ पर, एक पुलिस अधिकारी के सामने एक आरोपी द्वारा किया गया इकबालिया बयान स्वीकार्य होगा।

अपने मुकदमे के दौरान स्वीकारोक्ति देने वाले के खिलाफ। यह कुछ अन्य अभियुक्तों के साथ एक संयुक्त मुकदमा हो सकता है; लेकिन, हम धारा की भाषा का विस्तार नहीं कर सकते हैं ताकि सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति को स्वीकार्यता के दायरे में लाया जा सके। इस तरह का खिंचाव

कानून की भाषा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, विशेष रूप से उस कानून के मामले में जो गंभीर दंडात्मक परिणामों वाले व्यक्ति के पास जाता है।

[अहमदी, जे. *(*जैसा कि वे तब थे*)* की टिप्पणियों के माध्यम से, निरंजन सिंह-करम सिंह पंजाबी बनाम. जितेंद्र भीमराज बिज्जया, *(1990) 4* एस. सी. सी. *76,* एस. सी. सी. पी. *86* , जिनका उल्लेख कर्तार सिंह मामले में अनुमोदन के साथ किया गया था। हम अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होने की उम्मीद करेंगे।

सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति को स्वीकार्यता के जाल के भीतर लाने के लिए अनुभाग में प्रयुक्त होने वाले शब्द निर्माता के स्वीकारोक्ति के बराबर होंगे। अभियुक्त के लिए इस तरह के महत्व और गंभीर परिणाम का एक साक्ष्य नियम नहीं हो सकता था।

एक अपर्याप्त भाषा में व्यक्त किया गया। हमें ऐसा लगता है कि पोटा के निर्माताओं द्वारा एक विचार पर एक सचेत प्रस्थान किया गया था।

*"*सह-अभियुक्त*"* आदि शब्दों को छोड़ कर, इसके फायदे और नुकसान। टाडा के *1993* के संशोधन द्वारा धारा *15 (1)* में सचेत रूप से जोड़े गए ये विशिष्ट शब्द ताकि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयानों को शामिल किया जा सके, जब पोटा लागू किया गया था तो वे संसद के ध्यान से न बच पाए होते। जाहिरा तौर पर, संसद ने अपने विवेक में सोचा होगा कि सबूत के सामान्य कानून के तहत सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान से संबंधित कानून को अपना प्रभाव रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कि कर्तार सिंह मामले में टिप्पणियों से प्रेरित है।

पैरा *255* पर। इसलिए, पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति को आगे बढ़े बिना और टाडा के तहत प्राप्त कानूनी स्थिति को बदले बिना स्वीकारोक्ति देने वाले के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि *"*सह-अभियुक्त*"* आदि शब्द टाडा की धारा *15 (1)* में जोड़े गए थे।

50. इसलिए, हमारा विचार है कि इन सभी महत्वपूर्ण विचारों को ध्यान में रखते हुए, सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को धारा *32 (1)* के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, यह *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

इस प्रकार है कि धारा *32 (1)* के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए इस मामले में पहले और दूसरे आरोपी के इकबालिया बयान सह-आरोपी के खिलाफ या एक-दूसरे के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि इस तरह के इकबालिया बयानों को न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा *30* के तहत विचार में नहीं लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबालिया बयान या किसी व्यक्ति के पुलिस हिरासत में रहने के दौरान किया गया इकबालिया बयान नहीं हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा *25* और *26* के अधिदेश को ध्यान

में रखते हुए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित किया जाए, न कि सह-अभियुक्त के बारे में। यदि कोई स्वीकारोक्ति है जो उसके अनुसार प्रमाण के लिए योग्य है

साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के साथ, निश्चित रूप से, उक्त स्वीकारोक्ति पर पोटा के तहत मुकदमे का सामना कर रहे सह-अभियुक्त के खिलाफ विचार किया जा सकता है। लेकिन, यहाँ ऐसा नहीं है। "

इस न्यायालय ने केवल यह निर्धारित किया है कि सह-अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अभियुक्त का इकबालिया बयान स्वीकार्य नहीं है और जब टाडा सह-अभियुक्त के खिलाफ बयान को स्वीकार्य बनाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सह-अभियुक्तों को टाडा की धारा *15 (1)* में जोड़ा गया था। इस अभिव्यक्ति के माध्यम से कि वे विज्ञापन के खिलाफ स्वीकार्य थे, पोटा की धारा *32* में उपयोग नहीं किया गया है। यह प्रासंगिक है और

इसके निर्माता के खिलाफ *ssible*।

140. दूसरी ओर, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने केहर सिंह बनाम में निर्णय पर भरोसा किया है। राज्य *(*दिल्ली प्रशासन*), (1988) 3*

609 , जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 278. धारा के विश्लेषण से यह देखा जाएगा कि धारा *10* तभी लागू होगी जब अदालत को यह विश्वास हो कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास धारा है।

एक साथ मिलकर अपराध करने की साजिश रची। दूसरे शब्दों में, इस बात का प्रथम दृष्टया सबूत होना चाहिए कि वह व्यक्ति साजिश में एक पक्ष था, इससे पहले कि उसके कृत्यों का उपयोग उसके सह-साजिशकर्ता के खिलाफ किया जा सके। एक बार जब ऐसा प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हो जाता है, तो कथित इरादे पर पहली बार विचार करने के बाद, सामान्य इरादे के संदर्भ में साजिशकर्ताओं में से किसी एक द्वारा कहा गया, किया गया या लिखा गया कुछ भी दूसरों के खिलाफ प्रासंगिक है। यह न केवल षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से बल्कि यह साबित करने के लिए भी प्रासंगिक है कि अन्य

व्यक्ति इसमें एक पार्टी था। यह सच है कि सुब्बा की टिप्पणियाँ

राव, जे., सरदार सरदूल सिंह कवीशर बनाम में। की स्थिति

महाराष्ट्र, *(1964) 2* एस. सी. आर. *378* ने केंद्रीय अन्वेषण विधेयक *v.* के विवाद का समर्थन किया।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

कि सह-षड्यंत्रकारियों के बीच साक्ष्य की स्वीकार्यता अंग्रेजी कानून की तुलना में *(*एस. आई. सी. अधिक*)* उदार होगी। विद्वान न्यायाधीश ने कहाः *(* एस. सी. आर पी. *390)*

"उक्त अधिनियमों का साक्ष्य मूल्य दो तक सीमित है।

परिस्थितियां, अर्थात्, कि कार्य उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में और उनमें से किसी एक द्वारा इस तरह के इरादे पर विचार किए जाने के बाद की अवधि के संबंध में होंगे। अभिव्यक्ति 'उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में' बहुत व्यापक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग इसे व्यापक बनाने के लिए किया गया है।

अंग्रेजी कानून में 'आगे बढ़ाने में' शब्दों की तुलना में दायरा; परिणामस्वरूप, साजिश रचने के बाद, किसी सह-साजिशकर्ता द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, साजिश के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले दूसरे के खिलाफ सबूत होगी या

उसे छोड़ने के बाद।

9999

141. हमारी राय में, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के लिए धारा *32 (5)* के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। द. स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य नहीं कहा जा सकता है। धारा *32* के प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया है।

142. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि

स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग त्रुटिपूर्ण थी। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया

एकांतवास और उन्हें उस समय के बारे में सूचित नहीं किया गया था जब उन्हें बुलाया जाएगा। पीडब्लू-*21* ने स्वीकार किया है कि उनमें से किसी ने भी उसे बीच में नहीं बुलाया। हमारी राय में, विचार करने का समय दिया गया था जो इस मामले में पर्याप्त था और अभियुक्त को यह कहने का अवसर देने के बाद कि क्या वे यह स्वीकार करना चाहते हैं कि इसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है, यह उपरोक्त सिद्धांत के पालन का मामला था और यह मामला नहीं है कि अभियुक्त ने उस अवधि के दौरान कानूनी सहायता मांगी थी और वे इससे वंचित थे। स्वीकारोक्ति के प्रभाव के कानूनी पहलू को अभियुक्त व्यक्तियों को पहले से ही विधिवत सूचित कर दिया गया था।

इतने सारे शब्द लिखने में, और चिंतन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था ताकि स्वीकारोक्ति करने के परिणाम पर विचार किया जा सके। और कुछ नहीं। किसी वकील द्वारा सलाह दी जा सकती थी। इस प्रकार, प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से नहीं

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला, जहां यह विचार के समय के दौरान नहीं पूछा गया था, इस धारणा पर भी कि यह आवश्यक था, किसी भी पूर्वाग्रह के कारण नहीं कहा जा सकता है

अभियुक्त व्यक्तियों को चिंतन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, क्या वे स्वीकारोक्ति करना चाहते थे क्योंकि इसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *21,22 (3)* और *20 (3)* से प्राप्त किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मुख्य मामले में भी वकीलों ने उनकी सहायता की थी

जब रिमांड आदि की मांग की गई थी। यह निवेदन कि पीडब्लू-*21* ने कहा है कि पुलिस हिरासत की स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक प्रकृति पर कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो कि वकील के अनुसार स्थापित न्यायशास्त्र के

खिलाफ है, इस कारण से भी असमर्थनीय है कि धारा *32* एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाती है।

143. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि दक्कन/हैदराबाद क्षेत्र के ए-*1* की पृष्ठभूमि के मुसलमान के लिए 'सुरक्षा', 'प्रबंध', 'पूर्वा', 'नेत्रित्व', 'अनुसर', 'हत्या', 'संपर्क' आदि जैसे शब्दों का उपयोग, जो अत्यधिक संस्कृत शब्द हैं, कभी भी अनायास नहीं होगा। ए-*1* की पृष्ठभूमि जैसे हैदराबाद के रहने वाले मुसलमान और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना मान्य नहीं है। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले, उपरोक्त शब्दों को संस्कृतकृत नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, यह एक मुसलमान की शैक्षिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करेगा जिसमें वह है।

145. पीडब्लू-*21* द्वारा स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग को बदनाम करने के लिए यह भी प्रस्तुत किया गया था कि स्वीकारोक्ति दर्ज करना मानवीय रूप से संभव नहीं था। लगातार *37* घंटे तक। इंगित किए गए चार्ट को ध्यान में रखते हुए *39* घंटे के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि पीडब्लू-*21* द्वारा लिया गया समय सटीक नहीं है और इसकी गणना अभियुक्त को दिए गए प्रतिबिंब समय के आधार पर की गई है। इस संबंध में पीडब्लू-*21* ने इस प्रकार कहा हैः

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

" 227. एक्सएच। *228* और पूर्व। *229* केवल *4* घंटे पहले समाप्त हुआ था।

उ. यह रिकॉर्ड देखने पर सच है कि आरोपी रेहान का बयान *11.25 PM* पर *6.6.2003* पर पूरा किया गया था जबकि मैं रिकॉर्ड *(E. 232)* से जो देख सकता हूं वह यह है कि *16* घंटे से अधिक समय बीत चुका है।

और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि

आरोपी परवेज का इकबालिया बयान शुरू हो गया था

ठीक सुबह *4* बजे।

प्रस्तुतिकरण गलत गणना पर आधारित है और पीडब्लू-*21* के निक्षेपण द्वारा समझाया गया है। कुल रिकॉर्डिंग की अवधि *20* से *22* घंटे है और *39* घंटे नहीं है।

146. यह तर्क दिया गया कि जब अभियुक्त ने एक

एक गिलास पानी, यह इकबालिया बयान को विश्वास के योग्य नहीं बनाता है। एक पुलिस अधिकारी से इन सभी पहलुओं को याद रखने और कई वर्षों तक उनके बारे में बताने की अपेक्षा नहीं की जाती है और इस आधार पर बयानों को बदनाम नहीं किया जा सकता है कि आरोपी ने पानी मांगा था या नहीं।
147. यह भी आग्रह किया गया कि मोहम्मद परवेज को उस समय सिविल अस्पताल में पेश किया गया था जब बयान दर्ज किया गया था, जो इकबालिया बयान को अविश्वसनीय बनाता है। उनके क्रूस के दौरान ऐसा कोई सवाल नहीं था

सुबह *10* बजे अस्पताल में परवेज शेख, ए-*9* की उपस्थिति के बारे में पीडब्लू-*21* की जांच की गई है। ए-*9* को पोटा की धारा *32* के तहत आवश्यकतानुसार *48* घंटों के भीतर *9.6.2003* पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक था। न ही उसने इकबालिया बयान के लिखित प्रत्यावर्तन में ऐसा कहा कि वह उस समय

अस्पताल में था जब इकबालिया बयान दर्ज किया गया था। पीडब्लू-*21* द्वारा स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग को बदनाम करना आवश्यक था ताकि इसे प्रतिपरीक्षा में रखा जा सके और उसका स्पष्टीकरण लिया जा सके। प्रतिपरीक्षा प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि सार का विषय है जैसा कि मारौती बंसी तेली बनाम में आयोजित किया गया है। बधाई बनाम तुकाराम कुंबी, ए. आई. आर. *1945* नागपुर *60*, कर्निदन सारदा बनाम। शैलजा कांता मित्रा, ए. आई. आर. *1940* पटना *683*, ए. ई. जी. कैरापिएट बनाम। ए. वाई. डर्डेरियन, ए. आई. आर. *61* कैल. *359* , और जय शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1906*।

148. सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एक महीने के बाद एक ही दिन स्वीकारोक्ति वापस लेने के संबंध में, कारणों से यह स्पष्ट है अदालत द्वारा दर्ज किया गया है कि उन्होंने वापस लेने के लिए अलग-अलग कारण दिए हैं। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को व्यक्तिगत रूप से सुना है। ए-*1* ने कहा है कि खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे।

ए-*2* ने *[2019] 8* एस. सी. आर. कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह एक तथ्य था कि मुठभेड़ के डर से उन्होंने बयान दिया है। ए-*2* में कहा गया है कि स्वीकारोक्ति जबरन प्राप्त की गई है। ए-*4* का कहना है कि उन्हें स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था। ए-*5* का कथन भी ऐसा ही है। ए *6* में कहा गया है कि उन्होंने कोई इकबालिया बयान नहीं दिया है, उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए गए हैं। ए-*7* का कहना है कि हुक या क्रूक द्वारा, उसे यह स्वीकारोक्ति करने के लिए कहा गया था और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। ए-*8* कहता है कि उसे स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था। जब उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो *2* दिनों के लिए अंधा लगा दिया गया। ए-*9* कहता है कि स्वीकारोक्ति जबरन की जाती है, उसे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने लिखित स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर किए। ए-*12* का कहना है कि उसका कबूलनामा जबरन किया गया था और उसे धमकी के तहत प्राप्त किया गया था। ए-*13* ने भी ऐसा ही बयान दिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने पेश किए जाने पर पहले अवसर पर अपना इकबालिया बयान वापस नहीं लिया है। पीछे हटने के कारण भी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। अभिलेख पर उचित सुरक्षा उपायों और अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के पालन के बाद जिन विवरणों के साथ इकबालिया बयान दर्ज किए गए हैं, वे इस तथ्य का संकेत हैं कि वापस लेने के कारण, जैसा कि कहा गया है, सही नहीं हैं। इस बात का कोई आरोप नहीं है कि पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया था। इसके अभाव में, यह विश्वास पैदा नहीं करता है कि उन्होंने खाली कागजों आदि पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सामान्य बयान था कि वे कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए डर में थे। तथ्य यह है कि बयान एस. पी. द्वारा दर्ज किए गए हैं, जो धारा *32* के तहत परिकल्पित एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जिन्हें मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हल्के में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

149. मोहम्मद अमीन और अन्र में। वी. केंद्रीय जांच ब्यूरो,

2008 (15) एस. सी. सी. *49* इस न्यायालय ने कहाः

" *69.* यदि अपीलार्थियों के इकबालिया बयानों की जांच उपरोक्त गणना किए गए कारकों के आलोक में की जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा इकबालिया बयान दर्ज करने के एक वर्ष से अधिक समय के बाद जबरदस्ती, धमकी, यातना आदि के संबंध में लगाए गए आरोप एक दोषपूर्ण आरोप हैं।

बाद की सोच और उनके अधिवक्ताओं की सरलता के उत्पाद। सी. आर. पी. सी. की धारा *313* के तहत उनके द्वारा दिए गए बयान भी विचार के बाद दिए गए थे क्योंकि कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्ता ए-*4* से ए-*8* ने अपने इकबालिया बयानों से पीछे क्यों नहीं हटे जब उन्हें पहले पेश किया गया था
अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट और उसके बाद इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें एक से अधिक तरीकों से कानूनी सहायता प्राप्त थी। इसलिए, हमारा मानना है कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता ए-*4* से ए-*8* और ए-*10* केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* के इकबालिया बयानों पर भरोसा करके कोई त्रुटि नहीं की।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

और हमें स्वीकारोक्ति को त्यागने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है

अपीलकर्ता ए-*4* से ए-*8* और ए-*10* "।

चूँकि कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, यातना की कोई स्पष्ट शिकायत नहीं थी, स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक प्रतीत होती है और सभी आरोपी व्यक्तियों को

न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। स्वीकारोक्ति को बाद में वापस लेने का कोई परिणाम नहीं है, यह एक पश्चात्वर्ती विचार है।

150. सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह आग्रह किया कि ए-*4* और ए-*5* को दिनांक *1* के टिफिन बम मामले में दोषी ठहराया गया है जिसमें हिंदू इलाकों की ओर जाने वाली बसों में टिफिन बम लगाए गए थे और निचली अदालत ने आई. पी. सी. की धारा *120* बी और पोटा अधिनियम की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *307* के तहत अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में ए-*1* और ए-*3* को भी दोषी ठहराया है। यही हिंदू समुदाय में आतंक पैदा करने की आपराधिक साजिश की श्रृंखला का हिस्सा है जिसके कारण हरेन पांड्या की हत्या हुई है। संबंधित मामला हिंदू नेताओं को समाप्त करने और गोधरा के बाद की घटनाओं का बदला लेने के लिए एक कड़ी और साजिश का हिस्सा भी प्रदान करता है। पीडब्लू-*39* ने *6.6.2003* पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-*14* के समक्ष टीआईपी कार्यवाही में आरोपी ए-*1* और ए-*3* की भी पहचान की है। हमें हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में प्रस्तुत किए गए सबूतों के आलोक में प्रस्तुतियों की जांच करनी होगी।

सम्मेलन और सहयोग

151. चूँकि निर्णय टाडा, भारतीय दंड संहिता की धारा *120* ए और साक्ष्य अधिनियम की धारा *10* पर आधारित था, इसलिए यह संसद पर हमले के मामले में निर्णय है जो एक मार्गदर्शन प्रदान करता है क्योंकि यह पोटा की धारा *32* के प्रावधान पर था। सी. बी. आई. का तर्क है कि

पोटा की धारा *32* के तहत दर्ज सभी अभियुक्तों का इकबालिया बयान

स्वैच्छिक और इस प्रकार उस पर भरोसा किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति विनायक प्रभाकर आप्टे, एस. पी. सी. बी. आई. *(*पी. डब्ल्यू.-*21)* द्वारा साबित की गई है।

इन आरईः ए-*1* का सम्मेलन *(*मोहम्मद असगर अली*)*

152. ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने स्वीकार किया कि उसे सह-आरोपी अब्दुल रउफ ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण के लिए तैयार होने के लिए कहा था

अन्य लड़कों के साथ। उन्हें अब्दुल रउफ द्वारा *Rs.20,000/-* दिया गया और वे हैदराबाद से कलकत्ता चले गए। कलकत्ता के एक परवेज ने उन्हें बांग्लादेश ले जाने का वादा किया। लगभग डेढ़ महीने तक वे बांग्लादेश में थे और वह ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* के साथ लगातार संपर्क में थे। ढाका में रहने के दौरान उन्हें अफदान का नाम दिया गया था, *[2019] 8* एस. सी. आर.

बांग्लादेश। शिविर में उन्हें लगभग एक महीने तक पिस्तौल, बंदूक, एल. एम. जी., ग्रेनेड आदि जैसे आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने प्रशिक्षण के लिए कराची जाने से पहले सुलेमान से बात की, जो मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों से व्यथित था। उन्हें रसूल दल द्वारा उदयपुर जाने के लिए कहा गया था, जहां उन्हें अत्याचार का बदला लेने के लिए अहमदाबाद ले जाया जाएगा और हैदराबाद के मूल निवासी होने के नाते, कोई भी उन्हें अहमदाबाद में पहचान नहीं पाएगा और हिंदुओं के बीच आतंक पैदा किया जा सकता है।

153. यह आगे स्वीकार किया गया कि दिसंबर *2002* में, वह उदयपुर पहुंचा और अफदान यूसुफ के नाम पर मुसाफिरखाना में रहा।

31.12.2002 5.1.2003 तक। यह ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* द्वारा कबूल किया गया था।

उसका ईमेल कि एक सोहेल खान उसे अहमदाबाद ले जाने के लिए उदयपुर आएगा। *<ID1]* पर, सोहेल खान, सलीम पाशा और हाजी फारूक टाटा इंडिका कार में उदयपुर गए और वे सुबह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वे पहले हाजी फारूक के आवास पर गए और उसके बाद सोहेल खान के घर गए, जहाँ से उन्हें बापूनगर के लोखंडवाली चॉल ले जाया गया। उन्होंने ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* से संपर्क किया और मुसाफिरखाना का पता दिया और उन्हें अहमदाबाद भी बुलाया। उन्हें सोहेल खान का मोबाइल नंबर यानी *9426034937* दिया गया और इस दोस्त के बारे में सोहेल खान को भी बताया गया। वह सोहेल खान और परवेज के साथ गया और शफी को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास होटल गार्डन ले आया। इसके बाद ए-*1* और शफी को एम. बी. फ्लैटों में ले जाया गया और वहां से सुंदरमनगर के शाही अपार्टमेंट में ले जाया गया। उसे दिया गया था सिम कार्ड नंबर वाला मोबाइल फोन। *9825498421* और एक सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल भी। वह आधुनिक साइबर कैफे के माध्यम से सुलेमान *(*रसूल पार्टी*)* के संपर्क में था। मार्च *2003* में ए-*10* और ए-*11* उनसे मिलने गए। सोहेल खान ने भाजपा नेता जगदीश तिवारी को अपना पहला निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने दंगों के दौरान भीड़ का नेतृत्व किया था। परवेज ने उन्हें जगदीश तिवारी की दुकान दिखाई।

153 (ए*)*। *9.3.2003* पर, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* जगदीश तिवारी को निशाना बनाने के लिए उनके स्थान पर गए, लेकिन जगदीश तिवारी उक्त मार्ग से नहीं गुजरे। *10.3.2003* पर, उन्होंने जगदीश तिवारी का पीछा किया, लेकिन वे जगदीश तिवारी को नहीं मार सके। तदनुसार उन्होंने सोहेल खान को सूचित किया और जगदीश को मारने का फैसला किया गया।

तिवारी अपनी दवा की दुकान पर। आई. डी. *1* पर, शफीउद्दीन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से दवा माँगी।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

और जब जगदीश तिवारी दवा निकालने के लिए झुके, तो ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने उन पर गोली चला दी और गोली सीधे उनके पेट में चली गई। उन्होंने दूसरी गोली भी चलाई, लेकिन गोली बाहर नहीं आ सकी। जगदीश तिवारी रेफ्रिजरेटर के पीछे छिप जाता है। उन्होंने तुरंत सोहेल खान को अपने मोबाइल नंबर पर फोन किया। *9426739927* , लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया जा सका, इसलिए उन्होंने परवेज को अपने मोबाइल नंबर पर सूचित किया। *9426227349* घटना के बारे में और उसे सोहेल खान को भी सूचित करने के लिए कहा। इसके बाद, उन्होंने सोहेल खान के घर पर अपनी शर्ट बदली और हथियार से नाखुश थे और

वह उसे वापस करना चाहता था। ए-*11* और ए-*10* ने उन्हें रॉयल अपार्टमेंट में छोड़ दिया।

153 (बी*)*। *17/18.3.2003* को, सोहेल खान ने हरेन पांड्या को अपने अगले लक्ष्य के रूप में नामित किया। मुफ्ती सूफियान ने उनकी हत्या का आदेश दिया। सोहेल

खान ने उन्हें बताया कि हरेन पांड्या लॉ गार्डन में सुबह टहलने जाते थे और उन्हें वहीं मार दिया जा सकता था।

153 (सी*)*। *23.3.2003* पर, सोहेल खान उन्हें लॉ गार्डन ले गया और यूनुस और परवेज उनसे मिले। उस दिन हरेन पांड्या ने ऐसा नहीं किया था।

लॉ गार्डन में आएं। *24.3.2003* पर, वह जुम्मा मस्जिद गए और जहाँ उनकी मुलाकात अनस, रेहान और गोरु से हुई। *25.3.2003* पर, उन्हें जालिवाली मस्जिद के शौचालय में अनस द्वारा छह गोलियों के साथ काले रंग की भरी हुई रिवॉल्वर दी गई। गोरु उसे लॉ गार्डन ले गया। वह हरेन पांड्या के साथ चला, लेकिन वर्दी में एक आदमी को देखकर उसने हरेन को नहीं मारने का फैसला किया।

पांड्या बगीचे के अंदर गया और उसे मारने की योजना छोड़ दी और गोरु के साथ शाहपुर वापस आ गया। हथियार अनस को वापस कर दिया गया।

माचिसवाला और शाहनवाज़ ने उन्हें अगले दिन काम पूरा करने के लिए कहा।

153 (डी*)*। अगले दिन जालीवाली मस्जिद के अंदर अनस माचिन्सवाला ने उन्हें भरी हुई रिवॉल्वर दी। यह स्वीकार किया गया कि हरेन पांड्या

ड्राइवर सीट की खिड़की से उतरकर यूनुस की मोटरबाइक से भाग गया। वे शाहपुर मिल परिसर गए और उन्होंने सोहेल खान को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। उन्हें रेहान चला रहा था और सोहेल खान और अनस माचिसवाला ऑटो रिक्शा में इंतजार कर रहे थे। पांच खाली कारतुस अनस माचिसवाला को सौंप दिए गए और उन्हें रखा गया। यूनुस की पिस्तौल उसके साथ खुद को बचाने के लिए। इसके बाद वे शाही अपार्टमेंट गए और वहां तीन दिन रहे। सुरक्षा के कारण, सोहेल खान ने उन्हें शाही अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहा। अनस माचिसवाला, सोहेल खान और मुफ्ती सूफियान ने उनके काम की सराहना की। उन्हें कनोदर गांव में सिकंदर के घर पर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया *[2019] 8* एस. सी. आर.

उसे रखने के लिए और वह कनोदर मस्जिद में रुका था। बाद में, उन्हें शाहपुर पुलिस स्टेशन के पीछे फ्लैट नंबर *4*-बी में स्थानांतरित कर दिया गया।

153 (ई)। अगले दिन सोहेल खान ने जुहापुरा, अफजल मस्जिद के पास ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को फोन किया। उन्हें मोहम्मद का फोन आया। अयूब कौन

होटल में बुलाया गया। उनके ठहरने की व्यवस्था सिल्वर फ्लैट नंबर *2* में की गई थी, जहाँ डॉ. हारून रहते थे और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* भी वहाँ लगभग एक सप्ताह तक रहता था। उन्होंने अफजल मस्जिद में साइबर स्पेस कैफे में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना जारी रखा। कहा जाता है कि हरेन की हत्या के बाद उसके साथ हुए दुर्व्यवहार से वह बेहद नाराज था

पांड्या ने रउफ को पत्र लिखने पर उनसे आग्रह किया कि उन्हें पाकिस्तान में सुलेमान को इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए, लेकिन अगले दिन उन्हें कोई संदेश नहीं मिला

और इसलिए, अगले दिन उन्होंने हैदराबाद जाने का फैसला किया। *7.4.2003* पर जब अयूब उसके लिए खाना लाया, तो उसने उससे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने का अनुरोध किया, मुंबई के लिए अपने लिए टिकट लिया। वह खुद बहुत उलझन में था और पसीना बहा रहा था और उसने अयूब को सच्ची कहानी सुनाई और अयूब बहुत डर गया। हैदराबाद में, वह इफ्तिखार के घर गया और वहां रउफ से मिला और सुलेमान से बात करने के बाद उसे पाकिस्तान ले जाने का अनुरोध किया। उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि वह डर गया था, इसलिए वह अकेले बांग्लादेश जाने की योजना बना रहा था। रउफ ने उसे यह भी बताया कि हाजी फारूक और परवेज पुलिस से छिपकर हैदराबाद पहुंच गए थे। हैदराबाद से कलकत्ता और बांग्लादेश जाते समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। स्वीकारोक्ति पर उनके हस्ताक्षर थे। *154.* यह आग्रह किया गया कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की स्वीकारोक्ति में भौतिक विवरणों में पुष्टि का अभाव है। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने अपने कबूलनामे में कहा कि वह पहले से ही मौके पर खड़ा था। पीडब्लू-*55* का भी यही कथन है। ए-*1* के स्वीकारोक्ति में चश्मदीद गवाह की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है। पीडब्लू-*55* ने उस पर चिल्लाने का दावा किया है।

आरोपी ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* का इकबालिया बयान खिड़की के ऊपर लुढ़कने के बारे में नहीं है, बल्कि हरेन पांड्या के पानी पीने की बात करता है। शूटिंग का समय। " जैसे गाड़ी खादी करके पानी पीने के लिए लिए बॉटल का ढक्कन खोला मैं गाड़ी की तरफ घूमा और ड्राइवर की तरफ से थोड़ा खुले शीशे से हरेन पांड्या पर पंच फायर किये का उपयोग करते हैं। हमारी राय में, कार से पानी की बोतल की गैर-वसूली बिल्कुल भी सामग्री नहीं है जैसा कि उसने किया था।

विचाराधीन अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। कार में पाई गई हर सामग्री को जब्त करने की आवश्यकता नहीं थी। गवाह पीडब्लू-*55* ने यह भी कहा है कि हरेन पांड्या ने बोतल से पानी पिया। ए *1* की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की ओर से कोई विरोधाभास नहीं किया गया है।

155. ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के इकबालिया बयान को रिकॉर्ड पर कई अन्य सबूतों जैसे फोन कॉल, फोन कॉल की वसूली द्वारा समर्थित किया गया है।

हथियार, वाहन, कमरों को किराए पर लेना आदि। यह प्रस्तुत किया गया था कि आचरण

और हथियार और समय बिताना जो एक हत्यारे के लिए मौके से भागने के लिए कीमती होना चाहिए। अभियुक्त के लिए खाली कारतुस रखना उचित नहीं था। घटना स्थल से उनके ठीक होने की संभावना थी। यदि उसने उन्हें घटना स्थल पर फेंक दिया था, तो हमारी राय में, आरोपी ए के लिए यह असामान्य नहीं था। *1* उन्हें ले जाने के लिए और वह मौके से भागना चाहता था क्योंकि उसने उन्हें मौके पर फेंकने और सबूत छोड़ने में समय बर्बाद नहीं किया।

156. अभियुक्त ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* की ओर से, यह था

उन्होंने कहा कि सी. बी. आई. का मामला यह है कि ए-*9* ने ए-*7* को सुबह *7:18* बजे *26.3.2003* पर यह कहने के लिए फोन किया था कि ए-*1* लॉ गार्डन में नहीं आया है। हत्या के बाद सुबह *7:30* बजे ए-*1* ने लॉ गार्डन से कुछ किलोमीटर दूर से ए-*14* पर फोन किया था। *8: 17* बजे, ए-*1* को फिर से किसी *15-17* किमी से ए-*14* कहा जाता है। दूर। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये ए-*7* और ए-*9* या ए-*1* द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोन थे या स्वीकारोक्ति को छोड़कर बातचीत की प्रकृति को दिखाने के लिए। यहां तक कि उन संख्याओं में से एक का सेल स्थान भी गायब है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस सिद्धांत को अंकित मूल्य पर लेने का मतलब है कि ए-*1* सुबह *7:19* बजे से पहले उस स्थान पर नहीं पहुंचा था। इसके अलावा, वह आवश्यक रूप से सुबह *7.29* बजे से पहले उस स्थान से चला गया होगा क्योंकि उस स्थान तक पहुंचने में *4* से *5* मिनट लगेंगे जहां से सुबह *7:33* बजे कॉल की गई थी। हत्या के लिए समय सीमा इस प्रकार सी. बी. आई. मामले के अनुसार बाहरी सीमा पर सुबह *7:19* से *7:28* बजे के बीच है, अगर स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह और भी कम है क्योंकि यह कहता है कि ए-*1* श्री पांड्या के आने से कुछ मिनट पहले चाहता था।

157. घटना के बाद ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने अपने मोबाइल से ए-*14* सोहेल के मोबाइल पर कॉल किया।

7.33.27 इन मोबाइल फोन का स्थान लॉ गार्डन क्षेत्र में ए-*1* असगर अली की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ये तथ्य हैं

एक्श द्वारा साबित किया गया। *467 (9825494421* का सीडीआर*)* और पूर्व द्वारा भी। *775 .* पीडब्लू *33* हेमंत कुमार रतिलाल पटेल, सहायक। वस्त्रपुर टेलीफोन एक्सचेंज के डिवीजनल इंजीनियर ने टावर के स्थान के आधार पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर के स्थान को साबित किया। ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू पर विस्तार से विचार किया है।

158. 25.3.2003 पर हरेन पांड्या की हत्या का एक परित्यक्त/निरस्त प्रयास किया गया था। सी. डी. आर. और कॉल रिकॉर्ड की उपस्थिति का संकेत देते हैं ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* उक्त तिथि को लॉ

गार्डन के क्षेत्र में। घटना के बाद *26.3.2003* पर सोहेल के मोबाइल पर कॉल किया गया और कहा गया कि काम पूरा हो गया है। सी. बी. आई. कॉल रिकॉर्ड इसका समर्थन करते हैं

एक ही। *159.* हमारी राय में, एक या दो मिनट का शायद ही कोई फर्क पड़ता है जब कॉल से दूरी तय करना संभव होता है।

ए-*1* से ए-*14* को कुछ ही मिनटों में और *15* से *17* कि. मी. की दूरी से बनाया गया था। *45* मिनट में कॉल करें। सेल फोन लोकेशन भी ऑक्युलर संस्करण का समर्थन करता है और इस तथ्य को विश्वास दिलाता है कि हत्या लॉ गार्डन के पास हुई थी। इसके अलावा, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को ट्रैक करने के लिए, नलगोंडा में एक लैंडलाइन का उपयोग किया गया था। यह साबित हुआ कि ए-*1* ने फोन *No.9825494251* का उपयोग किया था। स्वीकारोक्ति में भी संख्या बताई गई है। घटना की अगली तारीख को भी, फोन का उपयोग ए *1* द्वारा किया गया था, जो अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया गया है।

160. सम्मान के साथ स्वीकारोक्ति के पुष्टिकारक प्रमाण हैं।

161. उन्हें उदयपुर पहुँचने और उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29)* से संपर्क करने के लिए ईमेल के माध्यम से ए-*18* से एक संदेश भी मिला। उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29)* ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की थी। ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* आईडी*1* पर उदयपुर पहुँचे और एक दिन के लिए मुस्लिम मुसाफिरखाना में रुके। प्रविष्टि सं। *8682 (* प्रदर्शनी *299)* उनके ठहरने के संबंध में आगंतुक रजिस्टर में बनाई गई थी। इसके बाद, वह उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29)* के साथ उनके घर पर *2-3* दिनों तक रहे और चेतक सर्कल गए और कंप्यूटर केंद्र में एक कंप्यूटर का उपयोग किया। इसकी पुष्टि उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू*)* ने की थी। *29)* अपने बयान में। उसने हीरो होंडा की एक चोरी की बाइक भी खरीदी, इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू-*57 (*शत्रुतापूर्ण गवाह*)* ने इस बयान में की थी।

वह सलीम पाशा से मिला और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* उदयपुर पहुँचा और एक दिन के लिए मुस्लिम मुसाफिरखाना में रुका। यह तथ्य था

मुश्ताक अहमद मुनीर *(*पीडब्लू-*63)* के स्वामित्व वाले बापूनगर के लोखंडवालीचली में एक कमरे में रखा गया, जिसे मुश्ताक अहमद मुनीर *(*पीडब्लू-*63)* ने अपने बयान *(*प्रदर्शनी *652)* में साबित किया था। उसने यह भी स्वीकार किया था कि जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर गोली चलाने के बाद उसने मोबाइल नंबर पर ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* को फोन किया था। *9426039937 .* ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने आगे स्वीकार किया कि *25.3.2003* पर, हरेन पांड्या को मारने का एक परित्यक्त प्रयास किया गया था। सीडीआर कॉल रिकॉर्ड ने लॉ गार्डन के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति का संकेत दिया था। उसने कबूल किया कि *26.3.2003* पर, घटना के बाद, उसने ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* को फोन किया और कहाः काम हो गया। "उसने आगे स्वीकार किया कि उसने पिस्तौल को एक पॉलिथीन बैग में लपेटा और इसे शाही अपार्टमेंट में चूल्हे के मिट्टी के तेल के टैंकर में रखा गया था। उक्त हथियार ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के कहने पर जब्त ज्ञापन प्रदर्शनी *196* के माध्यम से बरामद किया गया था।

162. उनके खिलाफ समग्र साक्ष्य को देखते हुए, हमारा विचार है कि हरेन पांड्या और पोटा की हत्या के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया है।

अपराध को दरकिनार किया जाना चाहिए और निचली अदालत के आदेश के अनुसार दोषसिद्धि और सजा को बहाल किया जाना चाहिए।

इन रेः ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)*

163. ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने प्रस्तुत किया कि यह एक मामला है

साजिश जो पूरी तरह से पोटा के तहत स्वीकारोक्ति पर आधारित है जो पुलिस हिरासत की अनुचित लंबी अवधि के बाद प्राप्त की गई थी। यह तर्क दिया जाता है कि साजिश का रंग केवल स्वीकारोक्ति के उपयोग से दिया जाना चाहिए। रिलायंस को केहर सिंह *(ऊपर)* पर रखा गया है, जिस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, के. आर. पुरुषोत्तमन बनाम के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। केरल राज्य, *(2005) 12* एस. सी. सी. *631,* जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 13. एक साजिश का गठन करने के लिए, एक अवैध कार्य या अवैध माध्यमों से एक कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दिमाग की बैठक *[2019] 8* एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली और प्राथमिक शर्त और यह आवश्यक नहीं है कि सभी साजिशकर्ताओं को साजिश के प्रत्येक विवरण का पता होना चाहिए। न ही यह आवश्यक है कि हर साजिशकर्ता हर साजिशकर्ता के कार्य में सक्रिय भाग ले।

क्रियाएँ। षड्यंत्रकारियों के बीच समझौते का अनुमान आवश्यक निहितार्थ से लगाया जा सकता है। अधिकांश मामलों में, षड्यंत्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित होते हैं, क्योंकि षड्यंत्र शायद ही कभी एक खुला मामला होता है। षड्यंत्र के अस्तित्व और उसके उद्देश्यों का अनुमान आमतौर पर मामले की परिस्थितियों से लगाया जाता है और

साजिश में शामिल अभियुक्त का आचरण। जबकि

षड्यंत्र के साक्ष्य की सराहना करते हुए, अदालत का यह दायित्व है कि वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य को नियंत्रित करने वाले जाने-माने नियम को ध्यान में रखे। प्रत्येक दोषपूर्ण परिस्थिति को विश्वसनीय साक्ष्य और परिस्थितियों द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। सिद्ध घटनाओं की एक श्रृंखला बनानी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है, और अपराध के खिलाफ कोई अन्य परिकल्पना संभव नहीं है। दंड संहिता में आपराधिक साजिश एक स्वतंत्र अपराध है। द.

गैरकानूनी समझौता दंड संहिता के तहत अपराध के गठन के लिए अनिवार्य है न कि एक उपलब्धि के लिए। षड्यंत्र

दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच योजना या समायोजन शामिल है।

जो व्यक्त या निहित या आंशिक रूप से व्यक्त और आंशिक रूप से निहित हो सकता है। योजना के बारे में केवल जानकारी, यहां तक कि चर्चा भी अपने आप में साजिश नहीं होगी। षड्यंत्र का अपराध होगा

समझौते की समाप्ति तक जारी रखें।

164. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे जांच ब्यूरो, हैदराबाद बनाम के निर्णय पर भरोसा किया है। के. नारायण राव,

2) 9 एस. सी. सी. *512,* जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार राय दीः

" 24. आपराधिक साजिश के अपराध के तत्व यह हैं कि उन व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए जो हैं

कथित षड्यंत्र करना और उक्त समझौता किसी अवैध कार्य को करने के लिए या अवैध माध्यमों से ऐसा कार्य करने के लिए होना चाहिए जो अपने आप में अवैध नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अपराधी का सार

षड्यंत्र एक अवैध कार्य करने के लिए एक समझौता है और इस तरह के समझौते को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा या उसके द्वारा साबित किया जा सकता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों द्वारा और सामान्य मामले में। अनुभव हो कि षड्यंत्र को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी केंद्रीय अन्वेषण का आधार हो।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

उपलब्ध है। तदनुसार, पहले और बाद की परिस्थितियाँ साबित हुईं

अभियुक्त की संलिप्तता। भले ही कुछ कृत्य साबित हुए हों यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे अभियुक्त व्यक्तियों के बीच किए गए समझौते के अनुसरण में किए गए थे

जो कथित साजिश के पक्षकार थे। इस तरह के निष्कर्ष

अपराध के संबंध में सिद्ध परिस्थितियाँ केवल तभी खींची जा सकती हैं जब

ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य तर्कसंगत स्थिति के लिए अक्षम हैं।

व्याख्या करें। दूसरे शब्दों में, साजिश का अपराध नहीं हो सकता है

माना जाता है कि केवल संदेह और अनुमानों पर स्थापित किया गया था या अनुमान जो ठोस और स्वीकार्य द्वारा समर्थित नहीं हैं

सबूत "।

165. यह तर्क दिया जाता है कि सी. बी. आई. बरी किए जाने के फैसले को उलटना चाहती है, जहाँ

अदालत ने निर्धारित कानून के आधार पर स्वीकारोक्ति को खारिज कर दिया है

अदालत है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण हो तो बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया जाना चाहिए, निर्धारित मापदंड के अनुसार कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्थान राज्य बनाम। इस्लाम और ओआरएस। , *(2011) 6* एससीसी *343,* में

इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 16. बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने वाले अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत का हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना है जब

ऐसा करने के लिए सम्मोहक और ठोस कारण हैं। इस प्रकार,

ऐसे मामलों में, यह न्यायालय आमतौर पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक किः

(i) साक्ष्य के मूल्यांकन में कुछ स्पष्ट दुर्बलता के कारण निष्कर्ष दूषित हो जाता है। *(* यू. पी. राज्य बनाम सहाय, *(1982) 1* एस. सी. सी. *352* एस. सी. सी. पैरा *20-22:* आकाशवाणी पैरा *19-21.)*

((ii) निष्कर्ष विकृत है। *(* एम. पी. बनाम राज्य बच्चुदास, *(2007)*

9 एस. सी. सी. पैरा *10* में एस. सी. सी. *135* और पंजाब राज्य बनाम। परवीन

कुमार, *(2005) 9* एस. सी. सी. *769* एस. सी. सी. पैरा *9.)*

((iii) आदेश में कानून और तथ्य की पर्याप्त त्रुटियां होती हैं। *(* राजेश कुमार बनाम। धरमवीर, *(1997) 4* एस. सी. सी. *496* एस. सी. सी. पैरा में

5.)

((iv) आदेश कानून की गलत धारणा या साक्ष्य के गलत मूल्यांकन पर आधारित है। *(* यू. पी. राज्य बनाम अब्दुल *(1997) 10* एस. सी. सी. *135;* यू. पी. राज्य बनाम प्रेमी, *(2003) 9* एस. सी. सी. *12* एस. सी. सी. में

पैरा *15.)*

(v) उच्च न्यायालय ने एक गलत दृष्टिकोण अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। *(* राज्य टी. एन. वी. सुरेश, *(1998) 2*

एस. सी. सी. पर एस. सी. सी. *372* पैरा *31* और *32;* एम. पी. बनाम राज्य पलटन

मल्लाह, *(2005) 3* एस. सी. सी. पैरा *8* पर एस. सी. सी. *169।)*

(vi) दोषमुक्ति अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है। *(* अरुणाचलम बनाम। पी. एस. आर. साधनानथम, *(1979) 2* एस. सी. सी. *297* एस. सी. सी. पैरा *4* पर।*)*

(vii) उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को उलटने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है। *(* गौरी शंकर शर्मा बनाम। यू. पी. राज्य, *(1990)* सप। एससीसी *656)*

(viii) निर्णय गंभीर कानूनी दुर्बलताओं से दूषित है। *(* महाराष्ट्र राज्य बनाम। नरसिंहराव गंगाराम पिंपल, *(1984) 1*

एस. सी. सी. पैरा *45* पर एस. सी. सी. *446:* आकाशवाणी पैरा *45.)*

17. बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए, यह न्यायालय यह ध्यान रखता है कि

अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को बरी करने के आदेश द्वारा मजबूत किया जाता है और यदि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित है और रिकॉर्ड पर सामग्री पर आधारित है, तो इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालाँकि, यदि इस न्यायालय की राय है कि बरी करना एक उचित दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है, तो वह पूरी सामग्री की समीक्षा कर सकता है और बरी करने को रद्द करने वाले न्यायसंगत निर्णय पर आने के लिए अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई सीमा नहीं होगी। *[* राज्य *(*दिल्ली प्रशासन*)* बनाम देखें। लक्ष्मण कुमार, *(1985) 4* एस. सी. सी. *476* एस. सी. सी. पैरा *45* और धर्म बनाम। निर्मल सिंह, *(1996) 7* एस. सी. सी. *471* एस. सी. सी. पैरा *4* पर।*]* "

इस न्यायालय ने आगाह किया है कि यदि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित नहीं है, तो यह न्यायालय पूरी सामग्री की समीक्षा कर सकता है और कोई नहीं होगा

बरी किए जाने के निर्णय को निरस्त करते हुए न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद *136* के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता पर सीमा।

166. ए*-4 (*कलीम अहमद करीमी*)* हरेन पांड्या की हत्या की साजिश का हिस्सा था। *7.12.2002* पर वे उनके साथ उदयपुर गए। ए*-13 (*मुफ्ती सूफियान*)* और दो अन्य उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू*-29)* के घर गए। उन्होंने उदयपुर के एक पी. सी. ओ. से ए*-18* से भी बात की। उसे तीन चोरी की हीरो होंडा मोटरसाइकिलें मिलीं।

हुसैनमियान अमिरमियान शेख *(*पीडब्लू*-57)* ए*-13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के निर्देश पर। उसने एक मोटरसाइकिल अपने पास रखी और बाकी दो ए*-5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए*-14 (*सोहेल खान पठान*)* को सौंप दिए। *24.4.2003* पर, उन्होंने ए*-1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को जूनी जामा मस्जिद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.*

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

167. अभियोजन पक्ष ने पोटा की धारा *32* के तहत इकबालिया बयान पर भरोसा किया है, हालांकि ए*-4 (*कलीम अहमद करीमी*)* *25.4.2003* से *5.6.2003* तक पुलिस हिरासत में था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। *17.6.2003* तक अभिरक्षा। इसके बाद *24.6.2003* पर, उसे चिंतन के लिए समय दिए जाने के बाद उसने स्वीकारोक्ति दी। जिस दिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उस दिन उन्होंने अपने इकबालिया बयान पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए। बाद में, उन्होंने स्वीकारोक्ति वापस लेते हुए कहा कि उनके हस्ताक्षर जबरन प्राप्त किए गए थे।

168. अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल ज्ञान

योजना का गठन षड्यंत्र नहीं होगा जैसा कि के. आर. पुरुषोत्तमन बनाम में देखा गया है। केरल राज्य *(ऊपर)*। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह नहीं माना जाएगा कि षड्यंत्र केवल संदेह और अनुमानों या निष्कर्षों पर स्थापित किया गया है जो ठोस और स्पष्ट रूप से समर्थित नहीं हैं।

स्वीकार्य प्रमाण।

169. रिलायंस को आगे सीबीआई बनाम पर रखा गया है। वी. के. नारायण

राव *(2012) 9* एस. सी. सी. *512* और केहर सिंह *(ऊपर)*। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि हुसैनमियान अमिरमियान शेख *(*पीडब्लू-*57)* ने ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* के निर्देश पर तीन मोटरसाइकिलें चुरा ली हैं और उन्हें ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को दे दिया है। हुसैनमियान अमिरमियान शेख *(*पीडब्लू-*57)* मुकर गया है और उसने कहा है कि उसने मोटरसाइकिलों की चोरी के संबंध में *11.4.2003* पर कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपराध शाखा में कोई बयान नहीं दिया था और मजिस्ट्रेट के सामने लिखित कागज पर केवल उनके हस्ताक्षर लिए गए थे। उन्होंने धारा *164 Cr.PC* के तहत भी अपने बयान का खंडन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हस्ताक्षर जबरदस्ती के तहत दिए गए थे। धारा *164 Cr.PC* के तहत बयान सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है और दिल्ली राज्य बनाम में आयोजित पुष्टि की आवश्यकता है। श्री राम लोहिया, आकाशवाणी *1960* एससी *490*। *170.* ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष ने जावेद अब्दुल राशिद खान के बयान पर भरोसा किया है।

पठान *(*पीडब्लू-*45)* जिसने कथित तौर पर *[2019] 8* एस. सी. आर. के बाद दो मोटरसाइकिलों का निपटारा किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घटना। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अप्सरा सिनेमा से बरामद मोटरसाइकिल

उसकी उपस्थिति में जब्त कर लिया गया और उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसे पीएस कागदापिठ में मोटरसाइकिल दिखाई गई थी। उन्होंने रेलवे स्टेशन से बरामद सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल की बरामदगी से इनकार किया है। गवाह द्वारा इसका समर्थन नहीं करने के कारण मोटरसाइकिलों की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है और विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मोटरसाइकिलों का उपयोग हरेन पांड्या की हत्या के अपराध में किया गया था। मोटरसाइकिलों की कथित चोरी की तारीख *2002* है, जो हरेन पांड्या की हत्या की साजिश से बहुत पहले की है, जो मार्च *2003* में रची गई थी। इस खरीद का मतलब हरेन पांड्या की हत्या की कोई साजिश नहीं हो सकती थी।

171. ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि हथियारों की खरीद के आरोप के संबंध में

सूरत उसके इकबालिया बयान पर आधारित है, जो कानून में दूषित है और इसलिए अस्वीकार्य है। इस संबंध में धारा *32* के तहत स्वीकारोक्ति ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* के खिलाफ आरोप का उपयोग नहीं

किया जा सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने संसद पर हमले के मामले में कहा था। उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला।

न ही उसने किसी खोज की ओर अग्रसर किया। स्वीकारोक्ति अप्रमाणित है। ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को पोटा *12/2003* में और वर्तमान मामले में पोटा की धारा *3 (3)* के तहत साजिश के सामान्य आरोप के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। शस्त्र अधिनियम भी, इन सजाओं से वह पहले ही गुजर चुका है। हरेन पांड्या की हत्या की कथित साजिश से पहले की अवधि से संबंधित सभी आरोपों के लिए उन्हें सजा दी गई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें आई. पी. सी. की धारा *120*-बी और आई. पी. सी. की धारा *302* के तहत अपराध करने से बरी कर दिया है।

172. यह स्पष्ट है कि हालांकि हुसैनमियान अमिरमियान शेख *(*पीडब्लू-*57)* मुकर गए हैं, लेकिन उनका बयान धारा *164, Cr.PC (*प्रदर्शनी *546)* के तहत दर्ज किया गया था। ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के इकबालिया बयान का समर्थन भावेशभाई नागिनदास शाह *(*पीडब्लू*)* की उपस्थिति में पीएस कागदापीठ से मोटरसाइकिलों की बरामदगी द्वारा किया जाता है। *103)* जब्त ज्ञापन *628* प्रदर्शित करें। भावेशभाई नागिनदास शाह *(*पीडब्लू *103)* पीएस कागदापीठ से मोटरसाइकिल की बरामदगी की पुष्टि करते हैं। भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50)* ने भी जब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी *356* के माध्यम से पीएस कोठ क्षेत्र से मोटरसाइकिल की बरामदगी की पुष्टि की है। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के कहने पर हथियार भी बरामद किया गया था। इसलिए, ए-*4 (*कलीम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.)* की स्वीकारोक्ति की पुष्टि होती है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

अहमद करीमी*)* द्वारा खरीदे गए हथियार की बरामदगी द्वारा

कि उसने फरवरी *2002* में सूरत से दो हथियार खरीदे हैं। *11.3.2003* पर जगदीश तिवारी की गोली मारने की घटना के बाद, वह *17/18.3.2003,22.3.2003,24.3.2003* और *25.3.2003* की बैठकों में शामिल हुआ था, जहाँ हरेन पांड्या की हत्या के तौर-तरीके तैयार किए गए थे। उसने ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* से *17/18.3.2003* पर प्राप्त हथियार को अपनी दुकान में रखा। *24.3.2003* पर, उन्होंने तीन हथियार सौंपे जो थे ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* को अपनी दुकान पर रखा। *25.3.2003* पर, उन्होंने हरेन पांड्या पर एक असफल प्रयास के बाद ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* से उन हथियारों को वापस प्राप्त किया। बाद में रात में, उन्होंने फिर से ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* को हथियार सौंप दिए क्योंकि अगले दिन हरेन पांड्या को मार दिया जाना था।

173. यह भी स्पष्ट है कि उसने जुनैद के बंगले में चोरी की गई मोटरसाइकिलों की प्लेटों की संख्या बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* की गोलियों के कारतुस, जिन्हें कथित तौर पर हरेन पांड्या पर गोली मारी गई थी और उन्हें ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* को सौंप दिया गया था, जिन्हें अंततः बरामद कर लिया गया। घटना के कुछ दिनों बाद, वह ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के निर्देश पर ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को कनोदर में सिकंदर भाई के पास आश्रय प्रदान करने के लिए ले गया, जिन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* रखने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को शाहपुर फ्लैट में छोड़ दिया। इस प्रकार, साजिश का समर्थन इकबालिया बयान द्वारा किया जाता है कथन। ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* ने साजिश रची थी और वह स्पष्ट रूप से हरेन पांड्या की हत्या की साजिश का हिस्सा था। ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को निचली अदालत ने दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (2)* के तहत। आई. पी. सी. की धारा *172* के साथ पठित धारा *120*-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, उन्हें डिफ़ॉल्ट खंड के साथ *5,000* रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखा है और पुष्टि की है और सजा को घटाकर *5,000/-* रुपये के जुर्माने के साथ जेल में पहले से ही बिताए गए समय तक कर दिया गया है, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, वह *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6 महीने के लिए आर. आई. से गुजरना होगा। उच्च न्यायालय ने ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को आई. पी. सी. की धारा *120*-बी के तहत आरोपों और पोटा की धारा *3 (2) (*ए*)* के तहत दंडनीय धारा *3 (1)* के तहत अपराध के आरोप से बरी कर दिया है। उन्होंने वाहन और हथियार खरीदे।

और साजिश में उसकी सक्रिय भूमिका के कारण, वह पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (1)* और मुकदमे के आदेश के अनुसार आई. पी. सी. की धारा *120* बी, जिसे आई. पी. सी. की धारा *3 (3)* के साथ पठित किया जाता है, के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। अदालत।

इन आरईः ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)*

174. अभियुक्त की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के कहने पर कथित रूप से बरामद किए गए ईमेल मनगढ़ंत हैं। संबंधित प्रदर्शनों पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे जैसा कि पंच गवाह संजय रमेशभाई ब्राह्मण *(*पीडब्लू-*65)* की गवाही से स्पष्ट है। यह भी तर्क दिया जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *65* बी को देखते हुए अभियुक्तों के कॉल रिकॉर्ड अस्वीकार्य हैं। यह अभियुक्तों के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं करता है क्योंकि वे एक-दूसरे को जानते थे और इस प्रकार एक ही क्षेत्र में उनकी उपस्थिति या एक-दूसरे से बात करना नहीं चाहिए।

किसी भी संदेह को जगाएं। बी. एस. एन. एल. कॉल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से तारीखों के यादृच्छिक क्रम और जानकारी के गायब टुकड़ों के कारण कंप्यूटर से उत्पन्न नहीं होते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* की धारा *65* बी के संदर्भ में, रिकॉर्ड को मूल कंप्यूटर से पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा *65* ए और *65* बी के तहत आवश्यकताएं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872* पूरा नहीं हुआ है।

174 (ए*)*। जहाँ तक अनस मश्चिसवाला *(*ए *5)* के इकबालिया बयान का संबंध है, *24* घंटे चिंतन करने की प्रक्रियात्मक सुरक्षा

समय का विधिवत पालन किया गया। उन्हें सभी सावधानियां दी गई थीं। स्वैच्छिकता सुनिश्चित की गई थी। किसी भी शारीरिक चोट के कोई संकेत नहीं मिले।

जाँच, न ही उसे किसी भी तरह से धमकी दी गई थी। *174 (* बी*)*। ए *5* के कबूलनामे में यह सामने आता है कि यह मुफ्ती सूफियान *(*ए *13)* ही थे जिन्होंने *2002* के दंगों का बदला लेने के लिए सभी को उकसाया था।

वह *(ए 5)* टिफिन बॉक्स बमों के लिए अन्य लड़कों को उकसाने की अपनी भूमिका का वर्णन करता है। ए *5* उस हथियार प्रशिक्षण का वर्णन करता है जो उसने पाकिस्तान में लिया था। उन्होंने अन्य लोगों का भी नाम लिया जिन्होंने पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण के बाद, वह कराची में रहा, जहाँ वह लगातार सोहेल खान *(ए 14-*फरार*)* के संपर्क में था, जो बदले में बहुत दोस्ताना था।

रसूल पार्टी *(ए 18-*फरार*)* के साथ। ए *5* में आगे कहा गया है कि अहमदाबाद लौटने के बाद, उन्हें कलीम *(ए 4)* द्वारा सूचित किया गया था कि तीन हीरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.*

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

*174 (*सी*)*। ए *5* उन हथियारों के बारे में भी बताता है जो ए *5* और ए *4* द्वारा सूरत से लाए गए थे। *A14* द्वारा *A5* को तीन सिम कार्ड दिए गए थे। ए *5*, ए *7 (*रेहान*)* और ए *8 (*गोरु*)* के फोन में एक-एक जोड़ा जाएगा। परवेज, गोरु और रेहान नामों के लिए कोड शब्द "पी", "जी" और "आर" भी ए *5* द्वारा उनके फोन में दिए गए थे। यह ए *14* के उदाहरण पर किया गया था। जगदीश तिवारी पर हमले के संबंध में, ए *5* का कहना है कि जब वह एक दिन ए *13*, ए *14* और ए *4* के साथ बैठे थे, तो ए *14* ने कहा था कि मेडिकल स्टोर के तिवारी ने सांप्रदायिक दंगों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तिवारी को "मेहमन" द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। जगदीश तिवारी को *11.03.2003* पर गोली मार दी गई थी। ए *5* बताता है कि उसे अगले दिन इसके बारे में पता चला। इस घटना के बाद ए *4* ने दोनों आग्नेयास्त्रों को वापस ले लिया।

*174 (*डी*)*। यह आगे कहा गया है कि *15* और *16* मार्च को ए *13* ने उसे *(ए 5)* बताया कि हरेन पांड्या को आगे मार दिया जाएगा। *A5* अंदर था

17 और *18* मार्च, *2003* को जूनी जामा मस्जिद में हुई बैठकों में भाग लेना। ए *14*, ए *8*, ए *7* और ए *4* ने भी उन बैठकों में भाग लिया। ए *14* ने अगले लक्ष्य के रूप में हरेन पांड्या का नाम लिया क्योंकि ए *14* के अनुसार, हरेन पांड्या ने सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुसलमानों पर अत्याचार किया था, इसके अलावा पालदी मस्जिद के विध्वंस में एक बड़ा नेतृत्व किया था। ए *5* वर्णन करता है कि कैसे लॉ गार्डन की रेकी करने का कार्य पहली बार ए *12* को सौंपा गया था और ए *12* की विफलता पर, इसे परवेज को सौंपा गया था। *23.03.03* और *24.03.03* की घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। *23.03.03* पर हरेन पांड्या लॉ गार्डन में नहीं आए थे। *24.03.03* पर, हरेन पांड्या द्वारा उपयोग की जाने वाली मारुति फ्रंट कार का पंजीकरण संख्या लॉ गार्डन में नोट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि हरेन पांड्या को मारने के पहले प्रयास को निरस्त करने के बाद, *25.03.03* की रात को मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटों को *A4* और *A14* द्वारा बदल दिया गया था। *174 (*ई*)*। *26.03.2003* की सुबह, *A5* ने *A6* को एक भरी हुई पिस्तौल और *A1* को एक भरी हुई रिवॉल्वर सौंपी। अल द्वारा कार्य शुरू करने के बाद

ऑटोरिक्शा ए *6* ने पिस्तौल और हेलमेट को ऑटोरिक्शा में रखा, लेकिन अल ने किसी भी आग्नेयास्त्र को देने से इनकार कर दिया, लेकिन पांच खाली सौंप दिए। कारतुस।

पीडब्लू-*108* ने आंध्र प्रदेश से ए *5* को गिरफ्तार किया। उसे ए *4* और ए *12* के साथ गिरफ्तार किया गया था। पिस्तौल और दोनों का प्रकटीकरण, खोज और जब्ती ई-मेल प्रिंटआउट पी. डब्ल्यू.-*65 (*पंच गवाह*)* द्वारा समर्थित हैं। इस गवाह की उपस्थिति में ए *5* के कहने पर पिस्तौल मिली थी।

ईमेल-आईडी और पासवर्ड ए *5* द्वारा दिए गए थे। इस गवाह की उपस्थिति में ईमेल के प्रिंटआउट निकाले गए। इस गवाह ने उपरोक्त के संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन किया। प्रदर्शनी *685* शस्त्र अधिनियम के तहत ए *5* सहित कई अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए पीडब्लू-*115* द्वारा दी गई मंजूरी है। अन्य आरोपी ए *1*, ए *3* और ए *6* हैं। शस्त्र अधिनियम की धारा *39* के तहत यह मंजूरी पीडब्लू-*115* द्वारा दी गई थी, जो उस समय अहमदाबाद शहर के प्रभारी पुलिस आयुक्त थे। वीडियो

अधिसूचना दिनांक *28.02.02*, गुजरात राज्य को पोटा के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। केवल अधिसूचित क्षेत्र में आग्नेयास्त्र रखना पोटा की धारा *4* के अनुसार एक अपराध है।

176. पीडब्लू-*87* ने ए *5* के आग्रह पर खोजे गए हथियार से जुड़े मामलों के बारे में राय दी। यह गवाह सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी था। पीडब्लू-*87* ने राय दी कि शरीर से बरामद गोली जगदीश तिवारी को ए *5* के कहने पर मिली *7.65* मिमी की पिस्तौल से दागा गया था। जगदीश तिवारी की दुकान से बरामद तीन खाली कारतुस भी उसी हथियार से दागे गए थे, जो शस्त्र अधिनियम, *1959* के अनुसार एक आग्नेयास्त्र है। पीडब्लू *87,65,108* और *120* के साक्ष्य में कोई अंतर विसंगतियां नहीं हैं।

177. अभियुक्त व्यक्तियों के अंतर सेलुलर मोबाइल संचार के लिए,

पीडब्लू-*11*, पीडब्लू-*17*, पीडब्लू-*33* पीडब्लू-*36* और पीडब्लू-*46* की गवाही विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। इनके अलावा, पीडब्लू *25,26,35,40* भी पुष्टि प्रदान करते हैं।

सबूत। इस साक्ष्य के बावजूद, ए *5* से मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी न होना, वास्तव में, उसके खिलाफ एक दोषपूर्ण परिस्थिति होगी।

178. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ए-*5* ने साजिश के सभी चरणों में, शुरुआत से ही, हत्या तक, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरेन पांड्या और उसके बाद खुद सहित विभिन्न अभियुक्तों का फरार होना। वह विभिन्न मस्जिदों में कई बैठकों में मौजूद थे, जहां साजिश के विभिन्न पहलुओं को गढ़ा गया और उन्हें लागू किया गया। उन्होंने अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों की खरीद, संचालन और भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। *7.65* वास्तव में उसके कहने पर एमएम पिस्तौल की खोज की गई और उसे बरामद किया गया।

केंद्रीय अन्वेषण का कोई बड़ा महत्व नहीं हो सकता है। एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

पीडब्लू-*69* से संबद्ध अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है। सबसे पहले, यह गवाह ए *5* का पहला चचेरा भाई था। दूसरा, उनका सीआरपीसी की धारा *164* का बयान रिकॉर्ड में है। किसी भी प्राधिकरण को कभी कोई शिकायत नहीं की गई कि इस बयान को जबरन निकाला गया था।

179. इस प्रकार, उन्हें उचित रूप से दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पोटा की धारा *3 (1)* आर/डब्ल्यू *3 (3)* के साथ-साथ हरेन पांड्या की हत्या के अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा *120* बी और *120* बी के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *3 (1)* आर/डब्ल्यू *3 (3)* के तहत अपराध करने की सजा सुनाई गई। वही पुनर्स्थापित किया जाता है।

इन आरईः ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरश्वाला*)*

180. ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* की ओर से वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने कहा कि घटना के समय लॉ गार्डन क्षेत्र में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

स्थापित किया गया। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अभियोजन पक्ष के अनुसार वह मस्जिद में दिनांक *1* की बैठक में मौजूद था। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने उसे बताया कि ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को हरेन पांड्या की हत्या के लिए मोटरसाइकिल पर लॉ गार्डन ले जाएगा। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* के मोबाइल उपकरण में सिम कार्ड भी प्रदान किया। ए-*1 (*मोहम्मद असगर*)* द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अधिनियम की धारा *27* के तहत प्रकटीकरण ज्ञापन के आधार पर खोज की गई है।

अली*)* पिस्तौल के बारे में और यह श्रीनाथ सिंह शंभौ सिंह *(*पीडब्लू-*13)* की उपस्थिति में बरामद किया जाता है। मोबाइल नंबर का सी. डी. आर. कॉल रिकॉर्ड। *9426325774* रिकॉर्ड पर रखा गया है।

181. पिस्तौल का प्रकटीकरण ज्ञापन *196* प्रदर्शित करता है और प्रदर्शनी *195* के माध्यम से इसकी जब्ती रिकॉर्ड पर साबित हुई है। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* के इकबालिया बयान से पता चला कि उन्हें अपने इकबालिया बयान के पहलू पर विचार करने के लिए *72* घंटे का समय दिया गया था। उन्होंने परवेज और गोरु के साथ पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेने के बारे में बताया। *29.5.2002* पर एएमटीएस विस्फोटों में उसकी भूमिका का विवरण देने के बाद, उन्होंने इसे भी खरीद लिया

ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* द्वारा दिए गए धन से देश में बनी रिवॉल्वर। मसाक ने उन्हें नेताओं को मारकर लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए कहा। उन्हें बताया गया कि *15-20* मेहमानों को अहमदाबाद आना है और ए *4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को उन सभी के लिए व्यवस्था करनी है। *9.3.2003* पर, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के मोबाइल पर कॉल किया और बताया कि उन्हें सिदी सैयद जलीवाली *[2019] 8* एस. सी. आर. में मिलना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मस्जिद। वे ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* से भी मिले और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने उन्हें आतंक पैदा करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया गया था। पहला लक्ष्य जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* था। *18.3.2003* पर, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* ने उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि यह हरेन पांड्या थे जिन्हें हत्या के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उनकी हत्या के साथ, गुजरात में एक आतंक पैदा हो जाएगा। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* हरेन पांड्या को मारने के लिए रेकी कर रहा था। *25.3.2003* पर, ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* ने ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* को फोन किया और उसे अल फजल मस्जिद के पास पान गल्ला आने के लिए कहा। *25.3.2003* पर, हरेन पांड्या को मारने का असफल प्रयास किया गया था। *26.3.2003* पर, उसे लेने की आवश्यकता थी आरोपी ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* लॉ गार्डन में मोटरसाइकिल पर सवार था ताकि हरेन पांड्या को मार सके। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने उनसे कहा कि उन्हें लॉ गार्डन में हीरो होंडा मोटरसाइकिल दी जाएगी। ए-*4 (*कलीम अहमद*)*

करीमी*)* ने उसे यह भी बताया कि उसे एक पिस्तौल दी जाएगी और अगर किसी को

उनका पीछा करते हुए, वह हवा में गोलीबारी कर सकता था। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* को ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* के लिए एक नया सिम कार्ड मिला जिसका उपयोग ए-*8 (*मोहम्मद रियाज @गोरु*)* के मोबाइल फोन में किया गया था। सुबह *7* बजे उन्हें मेहमन को लॉ गार्डन ले जाना था। सूर्योदय में बंगला सोसायटी, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* ने दोनों हीरो होंडा मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदल दी और ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने उन्हें पंजीकरण संख्या वाली मोटरसाइकिल दी। *1110* . वह उस मोटरसाइकिल पर सुबह साढ़े छह बजे लकी रेस्तरां गया। उन्होंने जुहापुरा में संदेश समाचार पत्र खरीदा और सुबह *6.56* बजे लकी रेस्तरां पहुंचे और तब तक ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* वहां पहुंच गए और उन्हें जलीवाली मस्जिद में बुलाया और बाथरूम में ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने उन्हें पिस्तौल दी और कहा कि वह बंद था और उसमें सामान भरा हुआ था। इसके बाद वे ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के साथ नेहरू ब्रिज गए। उन्होंने हेलमेट पहना था और ठाकुरदास हॉल के गेट के पास उन्होंने अखबार पढ़ने का नाटक किया था। उन्होंने ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* को विपरीत दिशा से गुजरते हुए देखा और उन पर सिर हिलाया। उन्होंने *4* से *5* गोलियों की आवाज सुनी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हेलमेट पहना। लगभग डेढ़ से डेढ़ मिनट के बाद, मेहमन उनके पास आया और उनके साथ रहने लगा।

पिलियन सवार। वह गुजरात कॉलेज से गांधीधाम रेलवे स्टेशन से नेहरू ब्रिज की ओर गए। वहाँ से वे शाहबुद्दीन दरगाह से शाहपुर मिल परिसर गए, जहाँ उनकी मुलाकात ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* और ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* से हुई, जो एक ऑटोरिक्शा में इंतजार कर रहे थे। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* दो ऑटोरिक्शा बदलने के बाद अपनी मोटरसाइकिल पर ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के साथ चला गया।

वह अपने आवास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.* में गए। एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

जुहापुरा में। हरेन की मृत्यु के बारे में जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई।

पांड्या।

182. उनके इकबालिया बयान की पुष्टि अल्पेश रणछोड़भाई पटेल *(*पीडब्लू-*11),* श्रीनाथ सिंह शंभू सिंह *(*पीडब्लू-*13),* मनोजकुमार बलदेवभाई *(*पीडब्लू-*17),* हेमंतकुमार रतीलाल पटेल *(*पीडब्लू-*33)* और राजेंद्र सिंह एस. चिकारा *(*पीडब्लू-*110)* ने की है। वे सिम कार्ड की बरामदगी के गवाह हैं। बी. एस. एन. एल. सिम कार्ड, जिनका षड्यंत्र के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया गया था, से संबंधित गवाहों में अल्पेश रणछोड़भाई पटेल *(*पीडब्लू-*11)* और मनोजकुमार बलदेवभाई *(*पीडब्लू-*17)* शामिल हैं।

ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* ने धारा *313, Cr.PC* के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में कहा कि अपराध साबित करने वाली परिस्थितियां उक्त साक्ष्य से साबित होती हैं। राजेंद्र सिंह एस. चिकारा *(*पीडब्लू-*110)* खोज के समय कमर फ्लैट में मौजूद थे। के दौरान उपयोग की जाने वाली मोटरबाइक ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* द्वारा एक अपराध किया गया था और उसे जावेद अब्दुल राशिद खान पठान *(*पीडब्लू-*45)* को सौंप दिया गया था। यह स्पष्ट है कि ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* ने भी साजिश के दौरान और उस तारीख को रसद सहायता प्रदान की है।

हरेन पांड्या की हत्या। उन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को न केवल लॉ गार्डन तक चलाया, बल्कि अखबार पढ़ने के बहाने ठाकरभाई देसाई हॉल के पास भी इंतजार किया, जब तक कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर

अली) ने उन्हें सौंपा गया काम पूरा नहीं कर लिया और उन्हें वापस शाहपुर मिल परिसर ले गए। उसे एक पिस्तौल भी दी गई थी जिस पर नंबर नहीं था। *EE330* द्वारा

ए-*5* (अनस माचिसवाला) अपनी सुरक्षा के लिए और ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) की सुरक्षा के लिए भी। ए-*6* की निकटता (मोहम्मद यूनुस)

सारेशवाला) समूह के बाकी सदस्यों के साथ, ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) को लॉ गार्डन ले जाने और अखबार पढ़ने के बहाने हरेन पांड्या की हत्या तक इंतजार करने और उसके बाद ए-*1* (मोहम्मद असगर अली) को शाहपुर मिल परिसर में ले जाने और हथियार और वाहन सौंपने और सावधानीपूर्वक विवरण के साथ सब कुछ पूरा करने का उनका स्पष्ट कार्य सभी इकबालिया बयानों में परिलक्षित होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

183. अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी अनिलराम यादवराम पटेल (पीडब्लू-*55*) ने घटना स्थल पर ए-*6* (मोहम्मद यूनुस सरेशवाला) की उपस्थिति के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने मोबाइल नंबर के कॉल विवरण रिकॉर्ड के आधार पर ए-*6* (मोहम्मद यूनुस सरेशवाला) के स्थान का पता लगाने के लिए बीएसएनएल अधिकारी (पीडब्लू-*33*) हेमंतकुमार रतिलाल पटेल के साक्ष्य पर भरोसा किया है। *9426325774* . आरोप है कि ए-*5* (अनस)

माचिसवाला) ने मोबाइल नंबर के ए-*7* (रेहान पुथावाला) को तीन सिम कार्ड दिए थे। *9426325765* , ए-*8* (मोहम्मद रियाज) जिनके पास मोबाइल है नहीं। *9426325774* और मोबाइल का ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख)

नहीं। *9426325768* . यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीएसएनएल अधिकारी (पीडब्लू-*33*) हेमंतकुमार रैतलाल पटेल ने अपने बयान में *26.3.2003* की सुबह उपरोक्त तीन मोबाइल नंबरों के कॉल विवरण और स्थान दिए हैं। उनके अनुसार, *26.3.2003* पर निम्नलिखित कॉल किए गए थेः

ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख) ने ए-*7* (रेहान) से संपर्क किया।

आई.

पुथावाला) *7* बजे दो बारः *18: 35* और *7: 18: 43* . उनके अनुसार, ए-*9* का स्थान लॉ गार्डन था और ए-*7* का स्थान नेहरू था।

पुल।

ii. 7 बजेः *34: 43* ए-*9* (मोहम्मद परवेज शेख) द्वारा ए-*7* (रेहान पुथावाला) को एक और कॉल किया गया था, लेकिन तकनीकी अंतराल के कारण उनके स्थान का पता नहीं चल सका।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उस तारीख को सुबह *7* बजे से लेकर शाम तक ए-*6* (मोहम्मद यूनुस सारेसवाला) द्वारा कोई कॉल या रिसीव नहीं किया गया था।

8.30 मैं। इसलिए, घटना स्थल पर ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* की उपस्थिति निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की गई है।

184. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि बी. एस. एन. एल. अधिकारी *(*पी. डब्ल्यू.-*33),* हेमंतकुमार रैतलाल पटेल द्वारा प्रस्तुत सी. डी. आर. टाइप किए गए प्रारूप में है और किसी भी मामले में,

यह साक्ष्य अधिनियम की धारा *65* बी के तहत अस्वीकार्य है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* हरेन पांड्या की हत्या के बाद ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को शाहपुर मिल परिसर ले गया था। पुनर्प्राप्ति के संबंध में ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* द्वारा ले जाए गए पिस्तौल के मामले में, यह तर्क दिया जाता है कि यह ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* के कहने पर बरामद नहीं किया गया था, बल्कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* द्वारा किए गए कथित प्रकटीकरण से बरामद किया गया था, जो केवल बयान देने वाले को बाध्य करता है और ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* के खिलाफ साक्ष्य अधिनियम की धारा *27* के तहत यह अस्वीकार्य है क्योंकि यह केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो वी. एमओएचडी है।

परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

प्रकटीकरण के निर्माता को बांधता है। इस प्रकार, हरेन पांड्या की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए उन्हें दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। *185.* हमारे विचार में, अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुतियाँ निराधार हैं। अल्पेश रणछोड़भाई पटेल *(*पीडब्लू-*11),* श्रीनाथ सिंह

शंभौ सिंह *(*पीडब्लू-*13),* मनोजकुमार बलदेवभाई *(*पीडब्लू-*17),* हेमंतकुमार रतिलाल पटेल *(*पीडब्लू-*33)* और राजेंद्र सिंह एस. चिकारा *(*पीडब्लू-*110)* इकबालिया बयान की पुष्टि करने वाले गवाह हैं। वे सिम कार्ड की बरामदगी के भी गवाह हैं। अल्पेश

रणछोड़भाई पटेल *(*पीडब्लू-*11)* और मनोजकुमार बलदेवभाई *(*पीडब्लू-*17)* बीएसएनएल सिम कार्ड के गवाह हैं, जिनका उपयोग एक घटना के दौरान एक-दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किया गया था। *7. 5* मिमी की पिस्तौल की खोज जिसमें नं. फ्लैट नंबर *4/*बी से ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के कहने पर ई. ई. *330,* कमर फ्लैट बातीवाला चूल्हे से थे और श्रीनाथ सिंह शंभौसिंह *(* पीडब्लू-*13)* उस खोज का गवाह था। अपनी गवाही में, उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने आरोपी द्वारा उन्हें दिए गए दो हथियारों को छिपा दिया था। जयंतीभाई विट्ठलदास सुथार *(*पीडब्लू-*27)* ने ए*/12,* सनराइज अपार्टमेंट, जुहापुरा में ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेशवाला*)* के घर पर लैंडलाइन नंबर साबित किया था और उक्त तथ्य को ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* ने भी स्वीकार किया था। मोबाइल फोन लोकेशन के रिकॉर्ड से भी सबूतों से साबित होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का पता चलता है। राजेंद्र सिंह एस. चिकारा *(*पीडब्लू-*110)* कामर फ्लैट में मौजूद थे जब यह खोज की गई थी। अपराध के दौरान इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जावेद अब्दुल राशिद खान पठान *(*पीडब्लू-*45)* को सौंप दी गई, जो अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध करने लगे। वह ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को मौके पर ले गया था और उसे भी वापस ले आया था और एक हथियार भी ले गया था। समूह के बाकी सदस्यों के साथ उसकी निकटता और हरेन पांड्या की हत्या की साजिश में उसकी संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत द्वारा ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेसवाला*)* को आई. पी. सी. की धारा *120* बी के तहत और पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के तहत दोषसिद्धि और सजा उचित पाई गई है।

इन आरईः ए-*7 (*रेहान पुथवाला*)*

186. ए-*7 (*रेहान पुथवाला*)* के खिलाफ सबूत यह है कि *9.3.2003* पर वह ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के साथ जालीवाली मस्जिद में मौजूद था।

ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)*, ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)*, ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)*, जहां ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने खुलासा किया कि जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* उनका लक्ष्य होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंगों में उसकी भूमिका और कार्य को हैदराबाद से आए मेहमन *(*ए-*1-*मोहम्मद असगर अली*)* द्वारा पूरा किया जाएगा। *17/18.3.2003* को, वह जूनी जामा मस्जिद में बैठक में शामिल हुआ, जहाँ ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने खुलासा किया कि हरेन पांड्या उनका अगला निशाना होगा और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* हत्या को अंजाम देगा। उन्होंने जूनी जामा मस्जिद में आई. डी. *1* पर आयोजित बैठक में भी भाग लिया, जहाँ ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने ए-*12 (*शाहनवाज़ गांधी*)* को लॉ गार्डन में हरेन पांड्या की रेकी का काम सौंपा। ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* ने अपने मोबाइल का उपयोग करके ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को फोन किया जिसमें ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के नंबर क्रमशः मामा और अंकल के रूप में संग्रहीत किए थे। *24.3.2003* पर, वह जूनी जामा में बैठक में मौजूद थे

मस्जिद जहाँ ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को ए-*4 (*कलीम अहमद*)* ने फोन करके बुलाया था। ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के निर्देश पर ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को स्थलाकृति से परिचित कराने के लिए लॉ गार्डन ले गया। उक्त बैठक में, उन्हें हरेन पांड्या की हत्या के बाद ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* की सुरक्षा के लिए नेहरू ब्रिज पर मौजूद रहने का काम सौंपा गया था। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* ने अगली सुबह उपयोग करने के लिए उसे बी. एस. एन. एल. का एक सिम कार्ड सौंपा। मोबाइल का सी. डी. आर. नं. *9825398516* और मोबाइल नंबर का प्रिंट आउट लें। *9426325775* प्रदर्शनी के माध्यम से क्रमशः *469* और *310* का उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका से और उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। हालाँकि, उन्होंने प्रशिक्षण के लिए जाने वाले सभी लोगों को पूर्ण रसद सहायता प्रदान की है। वह था। दुबई से अनस माचिसवाला *(*ए-*5)* और कलकत्ता से अन्य लोगों ने भी संपर्क किया। वह ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* के नियमित संपर्क में था और उसने अपने उन दोस्तों की मदद की है जो कलकत्ता में मुश्किल में थे। उसके पूछने पर, उसे ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने सूचित किया कि ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* @मेहमन, जो हैदराबाद से आ रहा है, हरेन पांड्या को मारने का काम करेगा और बाकी सदस्यों को केवल रसद सहायता प्रदान करनी होगी। उन्होंने पुरानी जुम्मा मस्जिद में सोहेल खान पठान *(*ए-*14)* और अनस माचिसवाला *(*ए-*5)* द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया, जहां ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)* को ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* द्वारा लॉ गार्डन की रेकी करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)* ऐसा नहीं कर सके थे। उनका अपना मोबाइल नंबर था। *9825398516* , जहाँ उसने मोबाइल नंबर खिलाया।

9825498241 ए-*1 (*मोहम्मद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

असगर अली*)* और मोबाइल नं. *9825311510* ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* क्रमशः मेहमन और चाचा के रूप में। यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने नेहरू पुल के कोने पर ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* के आने का इंतजार किया था। वह उन्हें शाहपुर मिल्स कम्पाउंड ले गया जहाँ ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* एक ऑटोरिक्शा में उनका इंतजार कर रहे थे। ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* और ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस*)* को हेलमेट और हथियार सौंपने के लिए वह ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सारेशवाला*)* के साथ भी गया। सारेशवाला*)* ने उन्हें हरेन पांड्या की हत्या के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। नकली नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वह ए-*8 (*मोहम्मद रियाज @गोरु*)* के साथ भी गया। उसकी मोबाइल फोन निर्देशिका ने जाँच में एक प्रमुख भूमिका दी और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से हर स्तर पर उसकी सक्रिय भूमिका और स्पष्ट कार्य दिखाई देता है।

188. यह भी स्पष्ट है कि ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* ए-*10 (*परवेज खान पठान*)*, ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* का करीबी दोस्त है। उन्होंने विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* को अपना इकबालिया बयान दिया है और इसकी पुष्टि उन्होंने की थी। दहियाभाई माथुरभाई पटेल *(*पीडब्लू-*91)*। हालांकि हुसैनमियान अमिरमियान शेख *(*पीडब्लू-*57)* ने अपने बयान का समर्थन नहीं किया है, फिर भी उन्होंने कहा है कि वह ए-*4 (*कलीम अहमद करीमी*)* को ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के माध्यम से जानते थे और ए-*7 (*रेहान*)* सहित सभी अभियुक्तों को भी जानते थे।

पुथावाला*)*। "स्टार नंबर प्लेट" दुकान के मालिक शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियान *(*पीडब्लू-*52)* ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ए-*8 (*मोहम्मद रियाज @गोरु*)* और ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* ने नंबर प्लेट के लिए संपर्क किया था और डिलीवरी भी ली थी और मई *2003* के अंत में, उन्होंने अपनी दुकान सीबीआई अधिकारी को दिखाई थी जहां से नंबर प्लेट तैयार की गई थी। नकली पंजीकरण संख्या वाली मोटरसाइकिल। जीजे-*1*-सीएच-*5189* मूल रूप से गौरांग गांधी के थे। यह मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी और मूल मालिक गौरांग गांधी ने चोरी किए गए वाहन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित नहीं करने का अनुरोध किया था। जैसा कि पहले बताया गया है, नकली नंबर प्लेट तारापुर राजमार्ग के पास झाड़ियों से मिली थी और यह ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* था जो मोटरसाइकिल को तारापुर राजमार्ग पर छोड़ गया था, जबकि वह और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* भरूच से सूरत, पुणे और हैदराबाद भाग रहे थे और यह मोटरसाइकिल पीएस कोठ को मिली थी। मोटरसाइकिल की खोज का प्रमाण पीएस कोठ में तैनात पीएसआई भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50)* ने दिया है। हरेन पांड्या की हत्या के बाद, अभियुक्तों द्वारा नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी ताकि वे खुद को *[2019] 8* एस. सी. आर. के चंगुल से बचा सकें।

कानून। सिराजभाई मुस्तफाभाई *(*पीडब्लू-*60)* ने अन्य अभियुक्तों के साथ ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के अपने पैन पार्लर जाने के बारे में बताया है।

189. पोटा की धारा *50* के तहत ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* को कुलदिप चंद कपूर *(*पीडब्लू-*117)* द्वारा दी गई मंजूरी; स्टार नंबर प्लेट की दुकान से बाहर की ओर इशारा करने से संबंधित जांच अधिकारी डॉ. सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* का बयान; और नकली नंबर प्लेट बनाने के खुलासे के पंच गवाह बाबरभाई

मालजिभाई रबारी *(*पीडब्लू-*34)* का बयान और स्टार नंबर बुक की रफ बिल बुक की ओर इशारा करना और जब्त करना विनायक प्रभाकर आप्टे *(*पीडब्लू-*21)* द्वारा दर्ज ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के कबूलनामे की पुष्टि करने के लिए मजबूत पुष्टि करने वाले सबूत हैं।

190. जाहिर है कि उन्हें बीएसएनएल सिम कार्ड दिया गया था।

(अनस माचिसवाला*)*। उन्होंने ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)* द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल को *28.3.2003* पर अनम फ्लैट्स, दरयापुर की पार्किंग में खड़ा किया। हरेन पांड्या की हत्या के *2-3* दिनों के बाद ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)* के निर्देश पर वह ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* के साथ शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियान *(*पीडब्लू-*52)* के पास गया और नंबर वाली झूठी नंबर प्लेट तैयार की। *5189 .* इस तथ्य को शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियां *(*पीडब्लू-*52)* ने दस्तावेज़ प्रदर्शनी *379* और बाबरभाई मालजिभाई रबारी *(*पीडब्लू-*34)* द्वारा दस्तावेज़ प्रदर्शनी *311* के माध्यम से अपने बयान से साबित किया है। *191.* यह अभियुक्त की ओर से श्री राजू अमाचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि ए-*6 (*मोहम्मद यूनुस सरेशवाला*)*, जो अहमदाबाद के एक स्थानीय निवासी हैं, को एस्कॉर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सी. डी. आर. *(*प्रदर्शनी *310)* उस संख्या का स्थान दिखाने में विफल रहा है जिसका उपयोग ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* द्वारा *26.3.2003* पर किया जा रहा था और सी. डी. आर. साक्ष्य में अस्वीकार्य था।

अभियोग केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

अभियुक्तक विरुद्ध सत्यसँ बहुत दूर आ आधारहीन सेहो छल। द. शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियां *(*पीडब्लू-*52)* का प्रमाण है

शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियान *(*पीडब्लू-*52)* की दुकान पर कंप्यूटर और उसे ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के कहने पर बनाई गई नंबर प्लेट के रूप में पहचानने के लिए एक भौतिक वस्तु के रूप में अदालत में नंबर प्लेट के साथ सामना नहीं किया गया है। *192.* हमारी राय में प्रस्तुतियाँ निराधार हैं। शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियान *(*पीडब्लू-*52)* के झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है और यह स्पष्ट है कि वह एक विश्वसनीय गवाह है और मोटरसाइकिल की नकली नंबर प्लेट आरोपी द्वारा तैयार की गई थी जिसे बरामद किया गया था और इसका उपयोग अपराध के समय किया गया था। शेख मोहम्मद रियाज हुसैनमियान पिरमियां *(*पीडब्लू-*52)* ने ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* द्वारा नंबर प्लेट के लिए उनसे संपर्क करने के बारे में स्पष्ट किया है। ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* और ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* के कहने पर सीबीआई अधिकारियों को उस जगह के बारे में पता चला जहां नंबर प्लेट तैयार की गई है। मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी और तारापुर राजमार्ग के पास झाड़ियों से नकली नंबर प्लेटें मिली हैं। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ने मोटरसाइकिल को तारापुर राजमार्ग पर झाड़ी में छोड़ दिया था। मोटरसाइकिल की बरामदगी भगवान सिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50)* द्वारा साबित की गई है, जिसकी पुष्टि अल्पेश रणछोड़भाई राठौड़ *(*पीडब्लू-*86-*पंच गवाह*)* द्वारा की गई है।

जांच अधिकारी, सी. बी. आई. और डॉ. सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)*। वाहन का उपयोग हरेन पांड्या की हत्या में किया गया था और अभियुक्तों द्वारा नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी ताकि वे खुद को हरेन पांड्या के चंगुल से बचा सकें। कानून और पहचान को रोकना। ए-*7 (*रेहान पुथावाला*)* के खिलाफ अपराध साबित हुआ जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था।

193. रेहान पुथवाला पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा, पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120* बी आर/डब्ल्यू धारा *302* के तहत उचित पाई गई है।

हरेन पांड्या की हत्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन आरईः ए-*8 (*मोहम्मद रियाज़ @गोरू*)*

194. विद्वान वकील का यह तर्क है कि ए-*8 (*मोहम्मद रियाज*)* के खिलाफ कोई रिकॉर्ड या लिखित सबूत नहीं है कि उसने नंबर प्लेट के लिए आदेश दिया है। यह भी माना जाता है कि स्टार नंबर प्लेट की कार्यपुस्तिका में बदलाव किए गए थे। नंबर प्लेट को अपराध से जोड़ने का कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने स्थानीय पुलिस हिरासत में पहले से ही लावारिस बाइक उठा ली है और आरोपी पर उसे थोप दिया है। प्रत्येक

मई के महीने में ही मोटरसाइकिल के बारे में पता था और *12.6.2003* पर पीएस कोठ से मोटरसाइकिल की बरामदगी की कोरियोग्राफी की गई थी अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप। अदालत के निर्देशों के बावजूद, कोई प्रसारण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कहा जाता है कि मोटरसाइकिल

अप्सरा सिनेमा की पार्किंग से नंबर प्लेट *8973* बरामद की गई थी।

कागदापीठ पीएस द्वारा *9/10.4.2003* पर और इसे सीबीआई द्वारा *25.4.2003* पर जब्त कर लिया गया था। हालांकि, जावेद अब्दुल राशिदखान पठान *(*पीडब्लू-*45)* कागदापीठ पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल दिखाए जाने से इनकार करते हैं और यह भी कहते हैं कि सीबीआई ने उनकी उपस्थिति में इसे जब्त नहीं किया था। यह भी तर्क दिया जाता है कि मूल मालिक अशोकभाई उपरोक्त मोटरसाइकिल के अंबालाल शाह *(*पीडब्लू-*36)* ने बयान दिया है कि जिस दिन से उन्होंने मोटरसाइकिल की चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, उस दिन से लेकर आईडी*1* तक वह अपनी चोरी की मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ करने के लिए नियमित रूप से *(*हर दिन*)* कागदापीठ पुलिस स्टेशन जाते थे। इस प्रकार यह पूरी तरह से

यह समझ में नहीं आता कि बाइक बरामद होने पर अमदुजी पब्जी चावड़ा *(*पीडब्लू-*46)* ने उन्हें तुरंत सूचित क्यों नहीं किया। *195.* आगे यह आरोप लगाया गया है कि भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50)* ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बरामद मोटरसाइकिल के बारे में मई *2003* में किए गए प्रसारण से संकेत मिलता है कि सीबीआई को नंबर प्लेट की बरामदगी के समय मोटरसाइकिल के बारे में पता था और बाद में दोनों के बीच संबंध बनाया गया था।

196. ए-*8* को *78* घंटे का प्रतिबिंब समय दिया गया था। सभी आवश्यक

जहाँ ए *8* का नाम अब्दुल करीम था। इसके अलावा, उन्होंने अन्य व्यक्तियों जैसे कलीम *(*ए *4),* अनस *(*ए *5),* यूनुस *(*ए *6),* परवेज *(*ए *9)* शाहनवाज *(*ए *12)* और रसूल खान पार्टी *(*ए *18-*फरार*)* के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के बारे में भी बताया। रेहान के साथ उनके जुड़ाव का एक विशिष्ट उदाहरण *(*ए *7)* हरेन पांड्या की हत्या के बाद आया था। यह हीरो होंडा मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को बदलने के संबंध में था, जो स्टार नंबर प्लेट की दुकान पर किया गया था। *A8* इस उद्देश्य के लिए *A7* के साथ गया था। नंबर प्लेट पंजीकरण सं। अनस *(*ए *5)* ने इस कार्य के लिए जीजे*-1-*सीए*-5189* का सुझाव दिया था। नंबर प्लेट बदलने से पहले, उन्होंने असगर अली *(*ए *1)* को *25.03.03* पर लॉ गार्डन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए काले रंग की हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था; इसे अनस *(*ए *5)* द्वारा प्रदान किया गया था। हरेन पांड्या की हत्या की योजना को उस दिन *(*यानी *25.03.03* पर*)* रद्द कर दिया गया था क्योंकि उस जगह पर बहुत भीड़ पाई गई थी। अगले दिन, यानी *26.03.03* पर, यह यूनुस *(A6)* था जिसे हरेन पांड्या की हत्या के लिए अल को लॉ गार्डन ले जाने का काम सौंपा गया था।

198. कुल मिलाकर, ए *8* का इकबालिया बयान ए *6* के समान है। हालाँकि उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उनके इकबालिया बयान को जबरन निकाला गया, लेकिन मुकदमा चलाया गया।

अदालत ने उनके देर से वापस लेने को ध्यान में रखते हुए इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया, जिसे कानूनी सलाह पर माना गया था, किसी भी न्यायिक अधिकारी को कोई पूर्व शिकायत नहीं की गई थी और एस. पी. द्वारा धारा *32,* पोटा के सभी सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था।

199. पीडब्लू*-21,* पीडब्लू*-120* और पीडब्लू*-91* समकालीन रिकॉर्ड साबित करते हैं।

ए*-8* के इकबालिया बयान के संबंध में, माँग, प्रारंभिक पूछताछ, जो सावधानी बरती गई थी और पोटा की धारा *32 (4)* के तहत पुष्टि प्रक्रिया। इसके अतिरिक्त, ए*-7* के अपराध को साबित करने के लिए जाँच किए गए सभी गवाहों से ए*-9* के *[2019] 8* एस. सी. आर. को साबित करने के लिए जाँच की जाती है।

सहभागिता भी। पुष्टि करने वाले साक्ष्य पीडब्लू *11,* पीडब्लू*-17,* पीडब्लू*-21,* पीडब्लू*-45,* पीडब्लू*-52,* पीडब्लू*-60,* पीडब्लू*-77,* पीडब्लू*-91,* पीडब्लू*-114,* पीडब्लू*-117* और पीडब्लू*-120* से भी सामने आते हैं। पीडब्लू*-119* और पीडब्लू*-33* के जमा *(*के रूप में काम करना*)*

बी. एस. एन. एल., अहमदाबाद में क्रमशः उप-मंडल अभियंता और मंडल अभियंता सेल फोन रिकॉर्ड के संबंध में हैं।

200. 25.03.03 A8 पर *A1* को लॉ गार्डन ले जाया गया। हरेन पांड्या

ए*-6* को सौंपा गया था। यह ए*-14* के उदाहरण पर किया गया था, ऐसा न हो कि बार-बार मिलने से ए*-8* का आवरण उड़ जाए। इसके अलावा, हरेन पांड्या की हत्या के बाद, चोरी की गई हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए एक नकली नंबर प्लेट प्राप्त की गई थी। नकली नंबर प्लेट पर पंजीकरण संख्या अंकित है। जी. जे.*-1-*सी. एच.*-5189,* जबकि मोटरबाइक में पहले प्लेट वाली पंजीकरण संख्या थी। जीजे *2164.* पी. डब्ल्यू.*-52* की दुकान, स्टार नंबर प्लेस पर नकली नंबर प्लेट बदली गई थी। ए*-8* का पीडब्लू*-52* से पूर्व परिचय था। चोरी

की मोटरबाइक ए-*13 (*फरार आरोपी*)* के कहने पर पीडब्लू-*57* के माध्यम से खरीदी गई थी। नंबर प्लेट ए-*10* के कहने पर मिली थी, जिसने मोटरसाइकिल को तारापुर राजमार्ग पर छोड़ दिया था।

201. ए-*8* को *03.04.03* पर परिमल गार्डन से गिरफ्तार किया गया था।

पीडब्लू-*114* और डीडब्ल्यू-*3* के बयान इस पहलू को दर्शाते हैं। डीडब्ल्यू-*3* ए *8* के पड़ोस में रहता था। इस गवाह ने कहा कि ए *8* को पुलिस रात में ले गई थी; समय लगभग *2:30;* तारीख *2* या *3* अप्रैल, *2003* थी। डी. डब्ल्यू.-*3*

घटना के लगभग तीन साल बाद अपदस्थ किया गया। कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं। यह बहुत अविश्वसनीय है कि अदालत के समन प्राप्त करने से पहले, इस गवाह को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था, न ही उसने ए-*8 (*डी. डब्ल्यू. *3* के पड़ोसी के बेटे*)* के संबंध में कोई पूछताछ की थी। समान रूप से, वह खुद सही तारीख के बारे में अनिश्चित है। इसलिए, भले ही, तर्क देते हुए, उनके कथन पर विश्वास किया जाए, फिर भी यह अभियोजन पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अतः ए-*8* की गिरफ्तारी पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं है।

202. कॉल के प्रारूप में कथित विसंगतियों के बारे में

अभिलेख, ये अभियोजन पक्ष के मामले को गलत साबित करने के लिए नहीं जाएंगे। गिरफ्तारी के समय उसकी जेब से सिम कार्ड मिला था। मोबाइल नंबर। *9426007240* और *9825384241 (*हच*)* आई. एम. ई. आई. संख्या *448478527477630* वाले मोबाइल फोन के साथ ए *8* से संबंधित था। अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ए-*8 (*मोहम्मद रियाज @गोरु*)* को निचली अदालत ने धारा के तहत अपराध करने के लिए सही तरीके से दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी

3 (1) पोटा की धारा *3 (3)* के साथ-साथ धारा *120* बी और केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* के तहत पढ़ें।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

120 हरेन पांड्या की हत्या के लिए बी को आई. पी. सी. की धारा *307* के साथ पढ़ा जाता है। वही पुनर्स्थापित किया जाता है।

इन आरईः ए-*9 (*मोहम्मद परवेज शेख*)*

203. संक्षेप में, बयान में पाकिस्तान में उनके प्रशिक्षण और वहां से लौटने के विवरण के साथ-साथ एएमटीएस विस्फोटों में उनकी जानकारी और भूमिका, जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर हमला और हरेन पांड्या की हत्या का उल्लेख किया गया है। ए *9* में निभाई गई भूमिका का विवरण भी दिया गया है।

साजिश के पूरे क्रम में दूसरों द्वारा। *60* उन्हें चिंतन के लिए घंटों का समय दिया गया था। अनुरोध *04.06.03* पर दिया गया था। बयान *07.06.03* पर दर्ज किया गया था। बयान दर्ज करने के बाद इच्छाशक्ति की फिर से पुष्टि की गई। ए *9* ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। शाम *4.5* बजे उसकी हिरासत पीडब्लू-*120* को सौंप दी गई। अगले दिन रविवार होने के कारण, उन्हें पी. डब्ल्यू.-*91* के सामने *10.35* पर *09.06.03* पर पेश किया गया। पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई। पुलिस के हाथों किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी की कोई शिकायत नहीं की गई थी। उसके बाद न्यायिक रिमांड का वारंट पूर्व है। *324 .*

(ए-*12),* सोहेल खान *(*ए-*14)* और यूनुस *(*ए-*6)* सभी पाकिस्तान में प्रशिक्षण के लिए गए थे। दो कोडित संदेश भी भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, ए-*18* और ए-*18* की पत्नी की ओर से एक-एक; पहले वाले को ए-*4* के लिए भेजा गया था, दूसरे को ए-*8* और ए-*6* के लिए पत्र के रूप में भेजा गया था।

205. ए-*9* जालीवल्ली मस्जिद में *09.03.03* पर हुई बैठक में उपस्थित थे। उनका कहना है कि उपस्थित लोगों में ए-*4* और ए-*14* शामिल थे। वहाँ, ए *14* का खुलासा हुआ

दो बातें। पहला, कि जगदीश तिवारी उनका निशाना होंगे और दूसरा कि हैदराबाद से दो 'मेहमानों' को भी बुलाया गया था; दोनों ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था। कहा जाता है कि जगदीश तिवारी पर गोलीबारी हुई थी

ए-*9* का ज्ञान एक समाचार पत्र के माध्यम से। इसके बाद उनकी मुलाकात ए-*7* और ए-*12* से हुई। उनके साथ ए-*9* ए-*4*, ए-*5*, ए-*12* और ए-*14* से जूनी जामा मस्जिद में मिला। इस बार हरेन पांड्या उनके निशाने पर आए। हरेन पांड्या

कहा जाता है कि उन्होंने दंगों के दौरान और पालदी मस्जिद के विध्वंस में भी बहुत सक्रिय रूप से काम किया था। ए-*14* ने खुलासा किया कि एक शार्पशूटर इसे पूरा करने के लिए बाहर से आया था।

206. ए-*9* में कहा गया है कि उसे सौंपा गया पहला कार्य इसके लिए था

लॉ गार्डन की रेकी करना। यह पहले ए-*12 [2019] 8* एस. सी. आर. के बाद से उनके हाथ में था।

जामा मस्जिद *22.03.03* पर, यह कार्य *A9* को *A-14* द्वारा सौंपा गया था। ए-*14* में लॉ गार्डन में/उसके आसपास हरेन पांड्या की गतिविधियों के कुछ पहलुओं का खुलासा किया गया है: कि हरेन पांड्या हर दिन लॉ गार्डन में सुबह की सैर के लिए जाते थे, और ठाकरभाई देसाई हॉल की ओर से प्रवेश करते हुए, हरेन पांड्या अपनी सफेद मारुति फ्रंट कार चिल्ड्रन पार्क के पास खड़ी करते थे। अपना लक्ष्य न देख पाने पर *22.03.03* की बैठक के बाद सुबह, *A9* एक बार फिर अपनी मोटरसाइकिल पर *24.03.03* पर लॉ गार्डन गया। इस अवसर पर उन्हें हरेन पांड्या मिले। उन्हें अपनी मारुति फ्रंट कार का असर भी मिला।

पंजीकरण सं। जीजे-*1*-एपी-*4606*। इसके बाद *25.03.03* और *26.03.03* पर क्या हुआ, इसका भी *A9* द्वारा उल्लेख किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि *25.03.03* पर हरेन पांड्या की हत्या की योजना को क्यों निरस्त कर दिया गया था। इन दोनों दिनों में, ए-*9*, एच. ए. कॉलेज के सामने लॉ गार्डन के आसपास मौजूद था। अंत में, उन्होंने हरेन पांड्या को ए-*1* द्वारा मारे जाते देखा। ए-*9* ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ए-*1* का अनुसरण न करे। उपरोक्त के अलावा, ए-*9* विभिन्न सह-साजिशकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों का विवरण भी प्रदान करता है। ए-*7* की संख्या *9825398156* थी, ए-*1* की संख्या *9825498421* थी और ए-*5* की संख्या *9825311510* थी। ए-*7* के मोबाइल फोन के माध्यम से अल को *23.03.03* पर सुबह *7* बजे लॉ गार्डन पहुंचने के लिए कहा गया था।

207. रक्षा ने पूरी प्रक्रिया पर हमला किया

स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड करना। विशेष रूप से, ए-*9* के स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिक रिकॉर्डिंग को असंभव बताया गया था। इसके लिए, पीडब्लू*21* के बयान के कुछ पहलुओं को सेवा में लगाया गया था। डी. के. बसु के मामले में दिशानिर्देशों के अनुपालन के हिस्से के रूप में आरोपी को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था। पीडब्लू-*21* ने उल्लेख किया था कि ए-*9* का इकबालिया बयान दर्ज करने में लगभग *12* घंटे और *50* मिनट का समय लगा था। वहाँ कोई नहीं था।

स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय किसी भी प्रकार का व्यवधान। रिकॉर्डिंग सुबह लगभग *4* बजे शुरू हुई और शाम *4:30* बजे समाप्त हुई। ए-*9* को सिविल अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत किया गया था-*07.06.03* पर। चिकित्सा कागजात *(*उदा. *773)* अन्य अभियुक्तों के साथ अपनी उपस्थिति दिखाएँ। सी. बी. आई. के श्री आई. सी. शर्मा ने लिया था।

ए-*7*, ए-*8*, ए-*9*, ए-*10* और ए-*11* सुबह *10* बजे के आसपास चिकित्सा जांच के लिए। उपरोक्त स्थिति के साथ, रक्षा विवाद यह था कि वहाँ हो सकता है

बयान की कोई निर्बाध रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। इस प्रकार, पीडब्लू-*21* ने खुद को नुकसान पहुंचाया। इसलिए एक इकबालिया बयान दिया जाता है, संदिग्ध।

208. उपरोक्त बचाव दलीलों में कोई सार नहीं है।

बचाव पक्ष ने पी. डब्ल्यू.-*21* को वापस बुलाने के लिए नहीं कहा ताकि उपरोक्त पहलुओं के बारे में उससे पूछताछ की जा सके। भले ही मेडिकल पेपर देर से पेश किए गए हों, लेकिन जांच का केंद्रीय कारण कुछ भी नहीं।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

बचाव पक्ष को उसे वापस बुलाने के लिए कहने से रोक दिया। इस प्रकार यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पीडब्लू-*21* ने खुद को नुकसान पहुंचाया। वास्तव में, पीडब्लू-*21* हर *48* घंटे में आरोपी व्यक्तियों को चिकित्सा जांच के लिए भेजने के लिए कर्तव्यबद्ध था। चिकित्सा परीक्षण के लिए बाहरी समय-सीमा डी. के. बसु दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की गई है। इस आदेश का ईमानदारी से अनुपालन अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ए-*9* को दिए गए *60* घंटे के प्रतिबिंब समय के दौरान, उन्हें चिकित्सा जांच के लिए नहीं भेजा गया था। पूर्व का एक अवलोकन। *772* यह दर्शाता है कि ए-*9* को आखिरी बार सुबह *9.35* बजे *03.06.03* पर सिविल अस्पताल भेजा गया था। यह पहलू ए-*9* को चिकित्सा जांच के लिए *07.06.03* पर भेजने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

209. अंत में, जबरन निष्कर्षण का बचाव विवाद

स्वीकारोक्ति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यदि केवल अस्वीकार किया जाना है। कथित यातना का कोई सबूत नहीं है। इसकी पुष्टि करने वाला कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर, ए-*9* के स्वीकारोक्ति के लिए पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध है। समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुए, निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराया और पोटा की धारा *3 (3)* के साथ पठित धारा *3 (1)* के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा *120* बी और आई. पी. सी. की धारा *120* बी के साथ-साथ हत्या के लिए भी सजा सुनाई।

हरेन पांड्या। वही पुनर्स्थापित किया जाता है।

इन आरईः ए-*10 (*परवेज खान पठान*)*

210. ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे साजिश का हिस्सा नहीं थे।

हरेन पांड्या को मारना। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* को कुछ घंटों के बाद हत्या की जानकारी मिली। अन्य अभियुक्तों के साथ उनकी भागीदारी साजिश नहीं होगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों का बदला लेने की सामान्य साजिश के लिए दंडित किया गया है। उन पर एक बार नहीं बल्कि दो बार मुकदमा चलाया गया है और उन्हें दंडित किया गया है और उन्होंने *8* साल से अधिक समय तक जेल में बिताए हैं। अभिरक्षा। वे जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* के मामले में भी आरोपी थे। हरेन पांड्या की हत्या के बारे में पूर्व पोस्ट फैक्टो जानकारी का स्वीकारोक्ति सबूत में अस्वीकार्य है। पोटा सुरक्षा उपायों की धारा *32* के तहत उनके बयान स्वीकार्य नहीं हैं।

हम किस पहलू पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उसे नकार चुके हैं।

211. ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि हरेन पांड्या की हत्या में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। उन्होंने एक

साक्ष्य अधिनियम की धारा *27* के तहत प्रकटीकरण जिससे वसूली होती है

अपने घर से कुछ साहित्य के बारे में और यह कि उन्होंने खुलासा किया है कि नंबर प्लेट हटाने और *4/5.4.2003* पर हवा निकालकर बाइक को अयोग्य बनाने के बाद तारापुर राजमार्ग पर उनके द्वारा एक मोटरबाइक छोड़ी गई थी।

जाँच अधिकारी, सी. बी. आई. *(*पी. डब्ल्यू.-*120)* ने नंबर प्लेट वाली नंबर प्लेट बरामद की। *5189* झाड़ियों से, हालांकि, उसे कोई बाइक नहीं मिली, वह पास के कोठ पुलिस स्टेशन में गया, जहाँ उसे पता चला कि मई *2003* में, कोठ पुलिस स्टेशन को तारापुर पर एक लावारिस बाइक मिली थी

राजमार्ग।

212. आरोपी की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि बाइक भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू *50)* द्वारा नहीं चलाई जा सकती थी, पीएसआई कोठ पुलिस स्टेशन ने *5.4.2003* पर कहा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि टायरों को उतार दिया गया और नीचे फेंक दिया गया। इसे पुलिस स्टेशन नहीं लाया जा सकता था। कोठ पुलिस स्टेशन ने प्रसारण किया था

यह खबर मई *2003* में आई थी और इस तरह सी. बी. आई. को इसके बारे में पता चला। भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50)* के बयान पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की गई है कि मोटरसाइकिल के सामने की ओर देखते हुए एक सफेद रंग की नंबर प्लेट थी, लेकिन उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। *3.5.2003* पर, जब मोटरसाइकिल जब्त की गई, तो वह खड़ी स्थिति में थी, इसलिए वह इसे पुलिस स्टेशन ले आया और हर पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल के बारे में प्रसारित किया क्योंकि यह लावारिस पाई गई थी। द.

प्रकटीकरण कथन प्लेट को हटाने और फेंकने की संख्या को संदर्भित करता है।

213. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* का असली भाई है और पूरी अवधि के दौरान साजिश में, उसकी मुख्य भूमिका आवास, हथियार, गोला-बारूद, मोबाइल फोन और सिम कार्ड प्रदान करने की थी। जनवरी *2003* में ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने उन्हें बताया कि ए-*13* के निर्देशों के अनुसार

वे अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर भी गए और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* को लोखंडवाली चली लाए। उन्होंने और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* ने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3* के ठहरने की व्यवस्था की थी। *(* मोहम्मद शफीउद्दीन*)* एमबी कॉम्प्लेक्स में और बाद में फ्लैट *No.401,* रॉयल अपार्टमेंट में। उन्होंने अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी *(*पीडब्लू-*44)* को फ्लैट के लिए *5,000/-* रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया। इस तथ्य की पुष्टि अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी *(*पीडब्लू-*44-*शत्रुतापूर्ण गवाह*)* ने अपने बयान में की थी। उन्होंने सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल भी खरीदी।

नहीं। जी. जे.-*1* एसएस-*5934* अब्दुल समद अब्बासाली *(*पीडब्लू-*54)* से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* द्वारा फरवरी *2003* में ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*),* शूटर के लिए प्रदान किया गया। इस तथ्य की पुष्टि अब्दुल समद अब्बासाली *(*पीडब्लू-*54)* ने अपने बयान में की थी। उन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। जगदीश तिवारी पर हमले से लगभग *5-6* दिन पहले, उन्हें ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने ए-*4 (*कलीम अहमद*)* की दुकान पर बुलाया था, जहां ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* ने खुलासा किया कि ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* के निर्देशों के अनुसार, जगदीश तिवारी उनका निशाना थे। उन्होंने इशारा किया कि जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के निर्देश पर ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को उसकी दुकान। *7.3.2003* पर, उन्होंने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* से दो हथियार एकत्र किए और उन्हें ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* को दे दिया।

214. अभियोजन पक्ष का कहना है कि *9.3.2003* पर ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* ने गर्भपात कर दिया। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर प्रयास जहां वह ए-*11 (*मोहम्मद*)* के साथ

फारूक*)* ने ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* और ए-*3 (*मोहम्मद*)* के साथ मोटरसाइकिलों का आदान-प्रदान करने के लिए अफजल कोल्ड ड्रिंक में उनका इंतजार किया। शफीउद्दीन*)*। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर *11.3.2003* पर हमले के बाद, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ने उन्हें अपने मोबाइल पर दो बार फोन किया। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर हमला करने के बाद वे उनके घर गए और कपड़े बदले। उन्होंने ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* के साथ उन्हें रॉयल अपार्टमेंट में छोड़ दिया।

215. ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू*)* पर हमले के तीन-चार दिन बाद

39) , ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के निर्देश पर, उन्होंने जयपुर जाने के लिए ए-*3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* को एसटी बस स्टैंड पर गिरा दिया। *1.4.2003* पर, उन्हें ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* द्वारा सूचित किया गया कि

रॉयल अपार्टमेंट में फ्लैट *No.401* खाली कर दिया गया है। आई. डी. *1* पर वह अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी *(*पीडब्लू-*44)* के पास गया और भुगतान की गई अग्रिम राशि में से *3,500/-* रुपये का चेक एकत्र किया। इसके बाद, ए *14 (*सोहेल खान पठान*)* के निर्देश पर, उसने सुजुकी समुराई और हीरो होंडा मोटरसाइकिलों को जावेद अब्दुल राशिदखान पठान *(*पीडब्लू-*45)* को सौंप दिया और उन्हें किसी पार्किंग स्थान पर रखने के लिए कहा। इस तथ्य की पुष्टि जावेद अब्दुल राशिदखान पठान *(*पीडब्लू-*45)* ने अपनी पुस्तक में की थी।

निक्षेपण *(558* प्रदर्शित करें*)*। *4.4.2003* के बाद, वह ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* के साथ हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर अहमदाबाद से भाग गया।

इसकी नंबर प्लेट हटाने के बाद तारापुर राजमार्ग पर छोड़ दिया गया। इसके बाद, वह भरूच गया और अख्तर अली और उस्मान अली के झूठे नामों पर रहा। आई. डी. *1* को वे सूरत गए और बिस्मिल्लाह *[2019] 8* एस. सी. आर. में रहे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक झूठे नाम के होटल में और सूरत से वह पुणे होते हुए हैदराबाद गया और होटल ब्लूस्टार में रुका। भरुच और हैदराबाद में उनके प्रवास के बारे में स्वीकारोक्ति की पुष्टि प्रदर्शनी *757* और *527* द्वारा की गई थी।

अर्थात् आगंतुक दोनों होटलों का पंजीकरण करता है। उनकी मुलाकात हैदराबाद में ए-*4 (*कलीम अहमद*)*, ए-*5 (*अनस माचिसवाला*)*, ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)*, ए-*13 (*मुफ्ती सूफियान*)* और ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* से हुई। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में *26.4.2003* पर एक समाचार पत्र में खबर देखने पर, उन्होंने ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* के साथ वापस जाने का फैसला किया। अहमदाबाद। हरिकिशन हरपाल मीणा *(*पीडब्लू-*23)* ने पंच गवाह के रूप में ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के खिलाफ आरोपों को साबित किया था। राजेंद्र सिंह एस. चिकारा *(*पीडब्लू-*110)* ने गांधीनगर में तैनात केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में कार्यरत हरिकिशन हरपाल मीणा *(*पीडब्लू-*23)* को ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* के कहने पर तैयार किए गए ज्ञापन को इंगित करने में पंच गवाह के रूप में बुलाया था। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* ने फरार भाई ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने साजिश को अंजाम देने के लिए सभी रसद सहायता प्रदान की है और उन लोगों के रहने की व्यवस्था की है जो बाहर से आए थे और उनके परिवहन, मोटरसाइकिल, हथियार और गोला-बारूद प्रदान किए थे।

216. इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने सभी रसद सहायता प्रदान की है

साजिश को अंजाम देने में शुरू से ही ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* द्वारा समर्थित था। आई. डी. *2* पर वे सी. बी. आई. कार्यालय, गांधीनगर से टाटा सुमो जीप में गए और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* उन्हें गुजरात हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में हाउस *No.206*, ब्लॉक *No.61*, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद ले गया, जहाँ वह तीन दिनों तक रहा और वहाँ से फ्लैट *No.902*, ए-*3* ब्लॉक, धोबी की चॉल, रखियाल के पास गया, जहाँ वह भी तीन दिनों तक रहा और फिर हाउस *No.522*, ब्लॉक *No.105*, बापूनगर गया। मोमीन मस्जिद के पास, जो ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* और ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* का घर है और वहाँ से एक बजाज कावासाकी बॉक्सर मोटरसाइकिल जिसका पंजीकरण संख्या है। जीजे*1* बीजी*3849* को जब्त कर लिया गया था।

अपनी आर. सी. पुस्तक के साथ, जिसके लिए ज्ञापन प्रदर्शनी *270* तैयार किया गया था और हरिकिशन हर्पाल मीणा *(*पीडब्लू-*23)* के साथ-साथ ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

217. अब्दुल बांकी अब्दुल बारी अंसारी *(*पीडब्लू-*44)* ने पुष्टि की थी कि उन्होंने रॉयल अपार्टमेंट में फ्लैट रुपये के निश्चित किराए पर किराए पर लिया था। *1,400 / -* और *5,000/-* रुपये जमा किए गए थे। अप्रैल *2003* में इसे खाली कर दिया गया था और किराए की राशि काटने के बाद, उन्होंने ए-*10 (*परवेज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v.)* के पक्ष में जारी किए गए चेक के माध्यम से ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* को *3,400* रुपये वापस कर दिए थे।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

खान पठान*)* ने गुजरात औद्योगिक सहकारी बैंक में बचत बैंक खाते *No.2244* से पैसे निकाले और इसे ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* द्वारा भुनाया गया था। इस तथ्य को सत्येंद्र श्रीरामायन पांडे *(*पीडब्लू-*105),* उप-निरीक्षक, सी. बी. आई. ने साबित किया था, जिन्होंने सी. बी. आई. को जब्त कर लिया था। उक्त चेक बुक और उपरोक्त खाता संख्या का बैंक विवरण भी प्राप्त किया। *2244* गुजरात औद्योगिक सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक शांतिकुमार नर्मदाशंकर पांड्या *(*पीडब्लू-*37)* भी थे।

मैग्नेट सिस्टम कार पार्किंग, कालुपुर रेलवे स्टेशन से *17.4.2003* पर एक परित्यक्त स्थिति में पाया गया था। *218.* नकली पंजीकरण संख्या वाली एक अन्य मोटरसाइकिल। जीजे-*1* सीडी *8973* अप्सरा-आराधना रंगमंच में पाया गया था। इस मोटरसाइकिल का मूल पंजीकरण नंबर जीजे-*1* सीएच-*6692* था और इसका मालिक रुतुल अशोक शाह थे और उनके पिता अशोकभाई अंबालाल शाह *(*पीडब्लू-*36)* ने कहा था कि यह मोटरसाइकिल न्यू क्लॉथ मार्केट से चोरी हुई थी। सूचना पर

अप्सरा-आराधना सिनेमा के प्रबंधक कमलेश बामनराव मराठे *(*पीडब्लू-*40)* द्वारा उपरोक्त मोटरसाइकिल के अधिकारियों द्वारा लाई गई थी।

कागदापिठ पुलिस स्टेशन। यह भी स्पष्ट है कि जानकी रविशंकर पांड्या *(*पीडब्लू-*25)* ने सी. बी. आई. के एक पत्र के जवाब में हीरो होंडा स्प्लेंडर के संबंध में पंजीकरण पत्र प्रस्तुत किए थे, जिन पर पंजीकरण संख्या थी। जीजे

1 सीजे-*6692* और अनिल मेहता के स्वामित्व वाले सुजुकी समुराई के साथ-साथ बजाज कावासाकी बॉक्सर का पंजीकरण संख्या। जी. जे.-*1* बी. जी.-*3849* वीडियो *278, [2019] 8* एस. सी. आर. प्रदर्शित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुशील कुमार एस. गुप्ता *(*पीडब्लू-*120)* और अर्पेस रणछोड़भाई राठौड़ *(*पीडब्लू-*86)* की उपस्थिति में ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के कहने पर तारापुर-बगोदरा राजमार्ग के पास बिना किसी नंबर के पाया गया। यह भगवान सिंह सामंतसिंह राठौड़ *(*पीडब्लू-*50),* प्रभारी, पीएसआई, कोठ पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त किया गया

था। इसके बाद छह सीडी और लिखित सामग्री तैयार की गई। ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के आवासीय स्थान से भी पता चला जो गुजरात में गोधरा की घटना के बाद मुसलमानों की दुर्दशा को दर्शाता है।

उपरोक्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से हरेन पांड्या की हत्या की साजिश में ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* की भूमिका को साबित करते हैं और उसने

पोटा के तहत और हरेन पांड्या की हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

इन आरईः ए-*11 (*मोहम्मद फारुक*)*

219. ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* की ओर से विद्वान वकील श्री शादान फरासत ने तर्क दिया है कि ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* के खिलाफ स्वीकारोक्ति के अलावा कोई सबूत नहीं है। आरोप है कि उन्होंने

ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* के साथ जब बाइक तारापुर राजमार्ग पर छोड़ दी गई थी। इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसके खिलाफ दूसरा आरोप यह है कि वह लोगों के एक समूह के साथ गया था जो

ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* को फरवरी *2003* में उदयपुर से अहमदाबाद ले जाया गया और यह अपने आप में कोई अपराध नहीं है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि हरेन पांड्या की हत्या की योजना केवल *18.5.2003* पर बनाई गई थी। जगदीश तिवारी *(*पीडब्लू-*39)* पर हमले की साजिश सहित सामान्य साजिश के लिए उन्हें सजा सुनाई गई है। यह तर्क दिया जाता है कि उसे हरेन पांड्या की हत्या से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसलिए, उसके बरी होने के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए।

220. यह अभियोजन पक्ष का मामला है और साक्ष्य से पता चलता है कि ए *11 (*मोहम्मद फारूक*)* ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* का करीबी सहयोगी और ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* का दोस्त था। वह मुतफी सूफियान के प्रभाव में था और उसके माध्यम से वह ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के संपर्क में आया। उनके निर्देश पर, ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* उदयपुर से ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* लाने के लिए ए-*14 (*सोहेल खान पठान*)* के साथ जाने के लिए सहमत हो गया। उनके साथ तुर्क सलीम पासा भी थे। मजारीरुले इस्लाम *(*पीडब्लू-*49)* और उन्होंने टाटा इंडिका कार चलाई।

असगर अली*)* को *23.1.2003* पर अहमदाबाद लाया गया था। पहले ही दिन, ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* के स्थान पर रहे और उसके बाद, उन्होंने तवाभाई यूसुफभाई शेख *(*पीडब्लू-*66)* के माध्यम से मोहम्मद जलिस अहमद राजपूत *(*पीडब्लू-*68)* के संपर्क में रहने के लिए एमबी परिसर में रहने की व्यवस्था की। इसके बाद वे वहाँ रुक गए। शाही अपार्टमेंट। साजिद इब्राहिम पटेल *(*पीडब्लू-*47)* ने साबित किया है कि सिम कार्ड नं. *9825677207* उसे उसकी दुकान से बेच दिया गया था जिसका इस्तेमाल हरेन पांड्या की हत्या के बाद हैदराबाद भागने के दौरान किया गया था। तुर्क सलीम पासा

आवेदन कंपनी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। बिस्मिल्लाह होटल के प्रबंधक मुबीनुद्दीन पीरसाबमिया शेख *(*पीडब्लू-*116)* ने बयान दिया है कि अख्तराली साबिराली और फजलभाई गनीभाई के नाम से दो व्यक्ति यहां रुके थे। नकली नामों में सूरत। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वे ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* थे। सिम कार्ड खरीदने के बाद ए-*10 (*परवेज खान पठान*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*)* मोटरसाइकिल को तारापुर राजमार्ग पर छोड़ कर भरूच से सूरत भाग गए।

221. उस्मान खान नवाब खान *(*पीडब्लू-*29) (*प्रदर्शनी *295),* तुर्क सलीम पासा मजारीरुले इस्लाम *(*प्रदर्शनी *365),* तवाभाई यूसुफभाई शेख *(*प्रदर्शनी *429)* और मोहम्मद जलिस अहमद राजपूत *(*प्रदर्शनी *431)* के सहायक साक्ष्य हैं। *222.* अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से यह आग्रह किया गया कि देर से दर्ज की गई ऐसी घटना की प्राथमिकी संदिग्ध है। प्रस्तुतियाँ हालांकि *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आकर्षक के पास खड़े होने के लिए पैर नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि कार लॉ गार्डन के पास चिट्टी बैंग में खड़ी थी और हरेन की कार का चश्मा पांड्या काले रंग के थे और काफी ऊपर लुढ़के हुए थे और गोलीबारी के दौरान वे बगल की सीट पर गिर गए। जाहिर है, खुद को बचाने के लिए, उन्होंने लेटने की कोशिश की और ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* द्वारा उन पर लगातार एक के बाद एक गोलियां चलाई गईं। इस दौरान उनके पैर ऊपर आ गए। चूँकि चश्मे काले थे, जाहिर है कि दूसरों के लिए इसे लेना संभव नहीं था

इस तथ्य पर ध्यान दें कि हरेन पांड्या वाहन में मृत पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शी-अनिल यादराम पटेल *(*पीडब्लू-*55)* चिट्टी बैंग के मालिक को सूचित करने गए हैं और जब तक वह वापस आ पाते, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और हरेन पांड्या को अस्पताल ले जा रही थी। यह तथाकथित देरी की व्याख्या करता है और घटनास्थल की स्थिति को समझाता है और काले चश्मे के कारण, राहगीर के लिए इस तथ्य पर तुरंत ध्यान देना संभव नहीं था कि कार के अंदर क्या हुआ था, जो चिट्टी बैंग के किनारे खड़ी थी। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है और साक्ष्य से पता चलता है कि हरेन पांड्या के परिवार के सदस्य, उनके पी. ए. और अन्य राजनीतिक नेता भी इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच गए थे। *223.* अभियुक्त के खिलाफ उपलब्ध समग्र साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे निचली अदालत ने पोटा की धारा *3 (1)* और धारा *3 (3)* के साथ-साथ हरेन पांड्या की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा *120* बी और धारा *120* बी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बहाल किया जाता है।

इन आरईः ए. सी. यू. एस. डी. नं. *2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)*

224. मोहम्मद अब्दुल कादर के बेटे मोहम्मद अब्दुल रउफ को निचली अदालत ने पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें पोटा के साथ-साथ आईपीसी के तहत अन्य सभी अपराधों के संदेह का लाभ दिया गया था। कोई अपील पसंद नहीं की जाती है

उच्च न्यायालय में राज्य/सी. बी. आई. द्वारा उसे बरी किए जाने के खिलाफ। अब सवाल यह है कि पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दी जाने वाली सजा क्या होगी। निचली अदालत ने ए-*2 (*मोहम्मद रउफ*)* को पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दोषी ठहराया है और उसे *7* साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि के साथ-साथ जुर्माने की राशि यानी, *Rs.10,000/-* की पुष्टि की है और उसे बरकरार रखा है। कठोर कारावास की सजा को पहले से जेल में बिताए गए अवधि यानी *5* साल में संशोधित किया गया है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, सी. बी. आई. केंद्रीय जांच ब्यूरो *v.* में है।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

अपील करें। पोटा की धारा *3 (3)* के तहत न्यूनतम सजा *5* साल है और अब तक *8* साल बीत चुके हैं और आरोपी पहले ही *5* साल से थोड़ा अधिक गुजर चुका है। आगे हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बुलाया जाता है क्योंकि सी. बी. आई. ने निचली अदालत के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करना पसंद नहीं किया। पोटा के तहत दोषसिद्धि और सजा के बारे में उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

इन आरईः ए*-3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)*

225. ए*-3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के संबंध में, निचली अदालत ने धारा *120* बी के साथ धारा *307* के तहत दोषसिद्धि दर्ज की है।

3, 000 रुपये के जुर्माने के साथ। उसे उन सभी अन्य अपराधों के लिए भी संदेह का लाभ दिया गया था जिन पर उसे पोटा के तहत आरोप लगाया गया था। आईपीसी के तहत। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई दोषसिद्धि और सजा को भी बरकरार रखा है। चूंकि ए*-3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* के खिलाफ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी, इसलिए आगे हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

इन आरईः ए*-12 (*शाहनवाज गांधी*)*

226. ए*-12 (*शाहनवाज गांधी*)* के संबंध में, उन्हें केवल पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दोषी ठहराया गया था और निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी।

5 साल के कठोर कारावास से गुजरना। उच्च न्यायालय ने पोटा की धारा *3 (3)* के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है और उसे बरकरार रखा है।

227. बरी किए गए ए*-2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)*, ए*-3 (*मोहम्मद शफीउद्दीन*)* और ए*-12 (*शाहनवाज गांधी*)* के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी और चूंकि उन्होंने ए*-2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* को पूरी तरह से सुनाई गई सजा पूरी कर ली है।

ए *2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*)* के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि और दी गई सजा के फैसले में उनके खिलाफ आगे कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी।

सी. बी. आई. द्वारा निचली अदालत का निर्णय।

इन आरईः आपराधिक आवेदन संख्या*./2019* @विशेष छूट याचिका *(*सी. आर. एल.*) 2017* का *NO.5530*

आपराधिक आवेदन संख्या*/2019 @SPECIAL* छोड़ने की याचिका *(*सी. आर. एल.*) 2016* का *NOS.9028-9029*

228. छुट्टी दे दी गई।

229. जैसे ही आरोपी फरार हुआ, सम्मान के साथ अलग से मुकदमा चलाया गया

मोहम्मद को। जुनैद शेख। *230.* हरेन पांड्या की हत्या और पोटा के तहत जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास के उपरोक्त आरोपों के अलावा आरोपी -

मोहम्मद. जुनैद शेख पर भारतीय दंड संहिता की धारा *174* ए *(*संक्षेप में, *"*आई. पी. सी*".)* के तहत भी मुकदमा चलाया गया था क्योंकि वह फरार था। एक अलग मुकदमा चलाया गया था जिसमें उन्हें जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास और हरेन पांड्या की हत्या के संबंध में अपराध के लिए निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें आईपीसी की धारा *174* ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। निचली अदालत ने *2003* के मामले में आई. पी. सी. की धारा *174* ए के तहत उक्त अपराध के लिए आरोपी को अलग फैसले और दिनांक आई. डी. *2* के आदेश के माध्यम से दोषी ठहराया है।

231. अभियुक्त द्वारा दायर अपील पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर सजा में बदलाव किया। *21* लाख और

जुर्माने के भुगतान में चूक के उल्लंघन में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा कायम रहेगी। जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है। पीड़ित होने पर सी. बी. आई. ने अपील दायर की है।

232. हालांकि, इस मामले में निचली अदालत ने जगदीश तिवारी को जान से मारने के प्रयास और हरेन पांड्या की हत्या का मामला पाया है

अभियोजन मामले के अनुसार तरीके और तरीके से किया गया है। हालाँकि, वर्तमान अभियुक्त एम. जे. शेख के संबंध में, यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष संदेह की परिधि से परे अपने अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं है।

233. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, कहा जाता है कि वह मुफ्ती सूफियान के स्थान पर मुंबई में रहा था, निचली अदालत ने पाया है कि हालांकि मुफ्ती सूफियान के साथ उसकी मुंबई यात्रा साबित हुई है, लेकिन कोई साजिश नहीं थी।

मुंबई में स्थापित नहीं किया गया था। धारा *164 (1) Cr.P.C* के तहत उनका बयान शुरू में एक गवाह के रूप में दर्ज किया गया था जिसे ध्यान में नहीं रखा गया है। अभियुक्त पर किया गया पॉलीग्राफ परीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पालन किए जाने वाले निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुसार नहीं था और अदालत की किसी भी अनुमति के बिना था। यहां तक कि इस बयान को भी श्री जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास या हरेन पांड्या की हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। वह घटना की तारीख को मुख्य आरोपी-मोहम्मद असगर अली के साथ नहीं था और जब वह हरेन पांड्या की हत्या करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था, तो कहा जाता है कि वह तीन दिनों तक केंद्रीय जांच ब्यूरो वी. एम. एच. डी. में रहा था।

परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

आवास जो मुफ्ती सूफियान के कहने पर आरोपी एम. जे. शेख से लिया गया था। श्री जगदीश तिवारी की हत्या के प्रयास की साजिश में अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है।

234. हमने निचली अदालत के फैसले और इस मामले में दर्ज किए गए सबूतों का अध्ययन किया है। हम संतुष्ट हैं कि संदेह का लाभ विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से बढ़ाया गया है। मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही *17* महीने की सजा काट चुका है और *Rs.21* लाख का जुर्माना भी चुका चुका है, इस प्रकार, उसके खिलाफ हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया जाता है। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

लिखित याचिका *(*सी. आर. एल.*) 2019* का *NO.26*

235. श्री हरेन की हत्या की आगे की जांच का निर्देश देने के लिए सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा याचिका दायर की गई है। पांड्या जो *26.3.2013* पर हुआ था। अन्य सहायक राहत की भी मांग की गई है।

236. रिट याचिका *21.1.2019* पर इस आधार पर दायर की गई थी कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया है और संदेह व्यक्त किया है *29.8.2011* दिनांकित निर्णय पारित करते समय जाँच की शुद्धता। यह प्रस्तुत किया गया था कि इससे पहले एक आपराधिक विविध आवेदन *No.15506/2007* मृतक के पिता विट्ठलभाई पांड्या बनाम द्वारा दायर किया गया था। मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई और दो अन्य। हालाँकि, गुजरात के उच्च न्यायालय ने *16.6.2008* पर याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद मृतक हरेन पांड्या की पत्नी ने मामला दर्ज कराया।

एक याचिका, विशेष सी. आर. एल.। आवेदन *No.2327/2011,* उच्च न्यायालय में *[2019] 8* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अहमदाबाद में गुजरात का, जिसे खारिज कर दिया गया था। अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर पारित दिनांक *1* के निर्णय और आदेश के माध्यम से कि मृतक के पिता श्री विट्ठलभाई डी. पांड्या द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था और इस न्यायालय में आपराधिक अपीलों के लंबित होने के कारण, उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर सामग्री का पुनर्मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। न्यायिक औचित्य और अनुशासन न्यायालय को मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने से रोकता है। चूँकि यह न्यायालय अध्याय *IV* के तहत पूर्ण अधिकार क्षेत्र के तहत इस मुद्दे को अधिकृत रूप से निपटाने के लिए विषय-वस्तु पर विचार कर रहा था।

भारत का संविधान।

237. वर्तमान रिट याचिका तब दायर की गई है जब इस न्यायालय में दायर आपराधिक अपीलों पर पिछले दो महीनों से सुनवाई चल रही थी। यह.

यह उल्लेख नहीं किया गया था कि आपराधिक अपीलों की सुनवाई पहले से ही डब्ल्यू. ई. एफ. *1.11.2018by* इस न्यायालय में की जा रही थी जिसमें सुनवाई *31.1.2019* पर समाप्त हुई थी। वर्तमान रिट याचिका को माननीय की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सीकरी और अब्दुल नजीर, जे. जे. *8.2.2019* पर। पीठ ने उसी पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जिसने माननीय से आदेश प्राप्त करने के बाद गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अपीलों की सुनवाई की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके

बाद, इस मामले को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और इसकी सुनवाई की गई है और आपराधिक अपील के साथ इसका फैसला किया जा रहा है।

238. रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि उच्च न्यायालय ने माना है कि की गई जांच गलत और गलत दिशा में है।

मोहम्मद का बयान। आजम खान को एक आपराधिक मुकदमे में *3.11.2018* पर दर्ज किया गया था जिसे सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसरबी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ के मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था। मामले में आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था। आजम खान ने कहा है कि सोहराबुद्दीन ने उसे बताया था कि हरेन पांड्या को मारने का ठेका उसे आई. पी. एस. अधिकारी जी. डी. वंजारा ने दिया था और सोहराबुद्दीन के सहयोगी तुलसीराम प्रजापति ने नईम खान और शाहिद रामपुरी के साथ मिलकर हरेन पांड्या की हत्या कर दी थी। आजम खान के बयान को अनुलग्नक पी-*1* के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर इंडियन एक्सप्रेस द्वारा अनुलग्नक पी-*2* के रूप में दायर *5.11.2018* पर एक समाचार रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। आजम खान ने खुलासा किया है कि उन्होंने *2010* में सी. बी. आई. को जानकारी दी थी। सी. बी. आई. ने इस जानकारी पर कोई ध्यान नहीं दिया।

239. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'गुजरात फाइल्स-एनाटॉमी ऑफ ए कवर-अप' नामक एक पुस्तक एक पत्रकार सुश्री राणा अयूब द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन्होंने उसने जाँच केंद्र ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन *v* पर उसके द्वारा किए गए ऑपरेशन का कुछ विवरण दिया था।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

गुजरात पुलिस के अधिकारी, वाई. ए. शेख, जिन्होंने हरेन पांड्या की हत्या के मामले में जांच शुरू की थी, इससे पहले कि उसे सी. बी. आई. को सौंप दिया गया था, शूटर आरोपी मोहम्मद असगर अली पहले से ही पुलिस हिरासत में था और *29.3.2003* दिनांकित साइट मैप में असगर अली का नाम था, जो *7.11.2018* पर वेबसाइट पर प्रकाशित मुख्य लेख था, उस पर भी भरोसा किया गया है। डी. जी. वंजारा का बयान टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था जिसने सी. बी. आई. को बताया कि सोहराबुद्दीन हरेन पांड्या की हत्या में शामिल था। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक *21.9.2013* में प्रकाशित हुई थी। एक फोटो स्केच जो तैयार किया गया था, वह मोहम्मद असगर अली, ए-*1* की उपस्थिति से मेल नहीं खाता था, बल्कि तुलसीराम प्रजापति से मेल खाता था।

समाचार पत्र की रिपोर्ट दिनांकित *5.11.2007* काउंटर करेंट में प्रकाशित हुई। श्री विट्ठलभाई पांड्या और सुश्री जागृतिबेन पांड्या के आरोपों के संबंध में पी-*8* अनुलग्नक के रूप में दायर किया गया है। श्री पांड्या ने आउटलुक दिनांक *1* में प्रकाशित एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी हत्या होने की संभावना है।

240. आपराधिक अपीलों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह किया गया है। इस तरह

जब वह अपनी कार की खिड़की के शीशे को लुढ़का रहे थे, तो *7* चोटों के साथ *5* गोलियां मिली थीं। पीडब्लू-*55* विश्वसनीय गवाह नहीं है। मुफ्ती सूफियान के परिवार को गुजरात पुलिस की निगरानी में होने के बावजूद पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई और वहां स्थानांतरित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि बैलिस्टिक साक्ष्य नेत्र संबंधी संस्करण का समर्थन नहीं करते हैं। बरामद और जाँच की गई गोलियों में अंतर था। घाव की दिशा पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ताकि नेत्र संबंधी संस्करण पर संदेह किया जा सके।

अपराध कार में नहीं हुआ है। अभियुक्तों के बयान विश्वसनीय नहीं थे। जांच में गड़बड़ी पाई गई। इस प्रकार, मामले में आगे की जांच के निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। रिलायंस को विनय त्यागी बनाम पर रखा गया है। इरशाद अली *(2013) 5* एस. सी. सी. *762* जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि एक निष्पक्ष और उचित जांच की दो अनिवार्यताएँ हैं, जांच होनी चाहिए

निष्पक्ष, ईमानदार और न्यायपूर्ण जो कानून के अनुसार है और दूसरा, सक्षम अधिकार क्षेत्र के समक्ष मामले की सच्चाई को सामने लाने पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य। , *(2014) 2* एस. सी. सी. *532,* अदालत ने कहा कि जांच का उद्देश्य अंततः सच्चाई की खोज करना और अपराधी को लाना है।

बुक करें। सी. बी. आई. ने नियमावली के पैरा *6.11* में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं की है। *5* , अध्याय *VI*। सी. बी. आई. को प्रेस *[2019] 8* एस. सी. आर. नियमावली के अध्याय *VIII* के पैरा *8.22* के अनुसार विचार करना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मीडिया में महत्वपूर्ण मामले से संबंधित आरोपों के बारे में रिपोर्ट। उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बावजूद, सी. बी. आई. ने सी. बी. आई. नियमावली के पैरा *23.20* में परिकल्पित कदम नहीं उठाए हैं। यह संभावना है कि जी. डी. वंजारा

हरेन पांड्या की हत्या की साजिश में शामिल था और इसमें राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता की संभावना है। आजम खान की गवाही से पता चलता है कि उन्होंने *8* साल पहले सीबीआई को जानकारी दी थी। सीबीआई ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हरेन पांड्या के पिता और पत्नी को अब उपलब्ध जानकारी का लाभ नहीं मिल रहा था। तत्काल मामले में जाँच एजेंसी का आचरण पुनः जाँच का आदेश देने के लिए एक उपयुक्त आधार बनाता है जैसा कि ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्र में देखा गया है। वी. गुजरात राज्य और अन्य। *(2004) 4* एससीसी *158*। यदि जाँच या अभियोजन में कमी दिखाई देती है या स्पष्ट कमियों को छिपाने की वास्तविकताओं को छिपाने की कोशिश में पर्दा उठाकर महसूस किया जा सकता है, तो अदालतों को कानून के ढांचे के भीतर उचित रूप से लोहे के हाथ से निपटना होगा। पूजा पाल बनाम। भारत संघ *(2016) 3* एस. सी. सी. *135,* इस न्यायालय ने ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख *(ऊपर)* में की गई टिप्पणियों पर फिर से भरोसा किया है।

241. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण और विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने आग्रह किया है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

और परिस्थितियों और आजम खान के बयान और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री, यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें आगे की जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने मृतक के पिता और मृतक हरेन पांड्या की पत्नी के बयान पर भरोसा किया है। जैसा कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों में परिलक्षित होता है, उनके मामलों में पारित आदेश भी दिए गए हैं

रिकॉर्ड में।

242. सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा है कि मृतक के पिता द्वारा दायर याचिका में जांच की मांग की गई थी।

2008 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, उसी के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी ने भी वर्ष *2012* में गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त आधार पर खारिज कर दिया गया था कि न्यायिक औचित्य और अनुशासन उच्च न्यायालय को गुण-दोष में प्रवेश करने से रोकता है क्योंकि इस न्यायालय को आपराधिक अपीलों में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज साक्ष्य और निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना है। जिन्हें अंततः इस न्यायालय द्वारा सुना गया है और सुनवाई *31.1.2019* पर समाप्त हुई है। याचिका विचारणीय नहीं है और एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ दायर की गई है। आजम खान का बयान एक विचार के बाद दिया गया है और इस मामले से संबंधित नहीं है।

उस मामले में प्रश्न जिसमें उसने अपदस्थ किया है।

पी. आई. एल. का मंच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v* है। एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

दुरुपयोग किया गया। यह समाचार पत्रों की रिपोर्टों या रिपोर्टों पर आधारित नहीं हो सकता है

पत्रिकाएँ। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने कुसुम लता बनाम पर भरोसा किया है। भारत संघ, *(2006) 6* एस. सी. सी. *180,* रोहित पांडे बनाम। भारत संघ *(2005) 13* एस. सी. सी. *702;* और होलिको पिक्चर्स *(*प्राइवेट*)* लिमिटेड बनाम। प्रेम चंद्र मिश्रा, *2007 (14)* एस. सी. सी. *281*।

243. श्री मेहता ने रिपोर्ट के साक्ष्य मूल्य के संबंध में आगे कहा है कि समाचार पत्र में निहित तथ्य रिपोर्ट करते हैं।

ये केवल सुनी-सुनाई बातें हैं और इसलिए साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं। उसके पास है

लक्ष्मी राज शेट्टी बनाम पर भरोसा किया। तमिलनाडु राज्य *(1988) 3* एस. सी. सी. *319*। उन्होंने आगे राजीव रंजन सिंह *'*ललन*' (VIII) v.* पर भरोसा किया है। भारत संघ *(2006) 6* एस. सी. सी. *613* ने तर्क दिया कि ऐसी जनहित याचिकाएं हैं। एक आपराधिक मामले में न्याय के पाठ्यक्रम में बाधा डालता है और बनाए रखने योग्य नहीं है। पी. आई. एल. व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्यों या किसी अप्रत्यक्ष विचार के लिए दायर नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए और करना चाहिए

अकेले कार्यवाही में पर्याप्त रुचि के लिए एक जनहित याचिका दायर करने का अधिकार है। किसी मामले में दिए गए अनावश्यक हस्तक्षेप से कभी-कभी अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान हो सकता है और कभी-कभी आरोपी के लिए भी पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। रिलायंस को गुलजार अहमद आज़मी बनाम पर रखा गया है। भारत संघ *(2012) 10* एस. सी. सी. *731,* और अशोक कुमार पांडे बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य *(2004) 3* एस. सी. सी. *349*। श्री मेहता ने तहसीन पूनावाला बनाम में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले पर भी भरोसा किया है। भारत संघ, *(2018) 6* एस. सी. सी. *72,* यह प्रस्तुत करने के लिए कि तत्काल मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा पी. आई. एल. के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

244. चूंकि रिट याचिका *22.1.2014* पर दायर की गई है, जब यह अदालत अंततः दिसंबर *2018* से आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर रही थी और अधिकांश दस्तावेज और आधार इसी तरह के हैं, सुनवाई के

दौरान हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण से पूछा कि जब इस अदालत द्वारा आपराधिक अपीलों की सुनवाई लगभग उसी आधार के आधार पर की जा रही थी कि जनहित याचिका क्यों दायर की गई है। यदि यह आवश्यक महसूस किया गया कि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो संबंधित व्यक्तियों या सी. पी. आई. एल. द्वारा मामले में आगे की जांच या पुनः जांच के लिए आवेदन क्यों नहीं दायर किया गया और वही दस्तावेज कैसे प्राप्त किए गए हैं।

और याचिका दायर की जो आपराधिक अपील का हिस्सा है। श्री प्रशांत भूषण ने स्वीकार किया कि कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं

विद्वान वकील द्वारा जो आपराधिक अपीलों में अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हो रहा है। याचिका दायर करने के लिए उन्होंने उक्त वकील के साथ परामर्श किया था। अलग से फाइल करना उचित माना गया था।

याचिका।

245. जिस तरह से रिट याचिका दायर की गई है, हम उससे खुश नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से संयोजन में कार्य करते हुए दायर किया गया है

अभियुक्त के वकील के रूप में मामले में अभियुक्त व्यक्तियों ने याचिकाकर्ता को दस्तावेजों की आपूर्ति की है और परामर्श किया है। श्री तुषार मेहता ने यह भी बताया कि वकील की उपस्थिति

सी. पी. आई. एल. की ओर से पेश होना और उनमें से एक अभियुक्त की ओर से पेश होना, दिनांकित *8.2.2019* आदेश में रिट याचिका में भी दर्ज किया गया है। दिनांकित *8.2.2019* आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आपराधिक अपीलों में एक आरोपी के वकील की उपस्थिति याचिकाकर्ता सीपीआईएल की ओर से श्री प्रशांत भूषण और श्री रोहित के सिंह, अधिवक्ताओं के साथ दर्ज की गई है। श्री प्रशांत भूषण ने उपरोक्त स्थिति को इस आधार पर समझाने की कोशिश की कि उनके क्लर्क ने आपराधिक अपीलों में एक आरोपी व्यक्ति की ओर से पेश होने वाले उक्त विद्वान वकील की उपस्थिति गलत तरीके से दी है। हालाँकि, जैसा कि श्री प्रशांत भूषण ने स्वीकार किया है, उक्त वकील जानकारी, दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने में उनके साथ जुड़े थे। जो भी हो सकता है। तथ्य यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने आगे के लिए इस रिट याचिका को दायर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मामले में जांच। यदि अभियुक्त ऐसा चाहते थे तो उन्हें केवल आपराधिक अपीलों में एक उचित आवेदन दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, न कि जनहित याचिका दायर करके, वह भी सीपीआईएल के माध्यम से। इसे आगे की जांच के लिए रिट याचिका दायर करने का एक उचित तरीका नहीं कहा जा सकता है, इसका उद्देश्य तिरछा, अनुचित और अनुशासन के खिलाफ है, विशेष रूप से जब आपराधिक अपीलों की सुनवाई अंततः की जा रही थी और यह न्यायालय मामले के नियंत्रण में था और निर्णय अंततः *31.1.2019* पर सुरक्षित रखा गया है। प्रासंगिक समय जब याचिका दायर की गई थी, जाहिर है कि याचिकाकर्ता सी. पी. आई. एल. आपराधिक अपीलों की सुनवाई के बारे में अच्छी तरह से जानता था और यह तथ्य रिट याचिका में नहीं कहा गया है कि पिछले कई महीनों से आपराधिक अपीलों की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जा रही थी। यह चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है कि अभियुक्तों ने जनहित याचिका की आड़ में याचिका दायर करने के लिए उपरोक्त तरीके का सहारा लिया है

और अपने स्वार्थ के लिए सी. पी. आई. एल. को दस्तावेजों की आपूर्ति की है और लगभग उसी आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले पर हमला किया है और जो भी नई सामग्री दायर की गई है, हम उसके बाद उसके मूल्य पर चर्चा करेंगे।

246. मोहम्मद का बयान। आजम खान, जिनसे सेशन केस नं. *177/2013* आदि में गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, उन पर भरोसा किया गया है, उन्होंने कहा कि सोहराबुद्दीन ने उन्हें बताया कि शाहिद रामपुरी, नईम खान और उन्हें हरेन पांड्या को मारने का ठेका मिला था और उन्होंने उन्हें मार दिया था।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

वह दुखी हुआ और सोहराबुद्दीन से कहा कि उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी है। इसके बाद सोहराबुद्दीन ने उन्हें बताया कि हत्या का यह अनुबंध दिया गया था

श्री वंजारा द्वारा। हमारी राय में, आजम खान द्वारा दिया गया उपरोक्त बयान पूरी तरह से एक आपराधिक मामले के संदर्भ से बाहर था जिसमें उन्होंने गवाही दी थी। यह स्पष्ट रूप से एक विचार के रूप में एक प्रयास था

विवाद के लिए अप्रासंगिक किसी अन्य मामले के बारे में कथन। पैरा *3* में गवाह की प्रतिपरीक्षा में, उसने निम्नलिखित बयान दिया है:

"3. सी. बी. आई. अधिकारी ने साल में दो बार मेरा बयान दर्ज किया

2010. मैंने अपने जाने की पूरी कहानी सी. बी. आई. अधिकारी को बताई।

प्रतापगढ़ के लिए उदयपुर और वहाँ से वापस उदयपुर आने के लिए
और फिर जेल में शाहिद रामपुरी से मिलने के लिए हैदराबाद जाना और

नईम खान हैदराबाद में और नईम खान को आपूर्ति करने का आश्वासन दिया

मुख्य परीक्षा। इस कहानी को छोड़ने का कारण
सी. बी. आई. हो सकता है जब मैंने उन्हें हत्या की कहानी सुनाई हो।

गृह मंत्री हरियन पांड्या। मैंने सीबीआई अधिकारी के सामने बताया

और गृह मंत्री श्री हरियन पांड्या की हत्या
सोहराबुद्दीन के कहने पर तुलसीराम और एक लड़के की हत्या

तुलसीराम और मुदस्सर द्वारा हामिद लाला

सोहराबुद्दीन। मेरे बयान में इस चूक का कोई कारण नहीं है।
सी. बी. आई. द्वारा दर्ज। मैंने सी. बी. आई. अधिकारी से कहा कि

राजस्थान टूल्स कंपनी जोधपुर से पैसे की वसूली करें

मेरे पहले के बयान में उपरोक्त चूक का कोई कारण नहीं है
सी. बी. आई. '।

(जोर दिया गया*)*

247. आजम खान ने कहा है कि सीबीआई ने उनका दो बार बयान दर्ज किया है।

वर्ष *2010* में, लेकिन वह सी. बी. आई. द्वारा दर्ज अपने बयान में चूक का कोई कारण देने में असमर्थ रहे। अन्यथा भी दिया गया बयान

15 साल से अधिक समय के बाद पूरी तरह से अविश्वसनीय और एक पश्चात्वर्ती विचार है और यह उस मामले से जुड़ा नहीं था जिसमें इसे बनाया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से एक प्रेरित और झूठ का पुलिंदा प्रतीत होता है क्योंकि वह पिछले बयान में चूक का कोई कारण नहीं दे सके जिसमें यह मुद्दा भी शामिल नहीं था।

248. सुश्री राणा अयूब की एक पुस्तक पर भी भरोसा किया गया है।

"एक बार सच्चाई सामने आने के बाद, *(XXX)* घर चला जाएगा। उसे जेल भेजा जाएगा। "वकील ने आगे हरेन पांड्या के पिता श्री विट्ठल पांड्या के बयान पर आधारित आउटलुक के एक लेख पर भरोसा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वास्तविक हत्यारे के बारे में संदेह किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं थी। राणा अयूब की पुस्तक का कोई उपयोग नहीं है। यह अनुमानों, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है और इसका कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। किसी व्यक्ति की राय साक्ष्य के दायरे में नहीं है। वहाँ एक है राजनीतिक रूप से प्रेरित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गोधरा घटना के बाद गुजरात में जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, इस तरह के आरोप और जवाबी आरोप असामान्य नहीं हैं और कई बार उठाए गए हैं और इन्हें असमर्थनीय और बाद में सोचा गया पाया गया है।

249. मृतक के परिवार द्वारा हरेन पांड्या के पिता श्री विट्ठल पांड्या और सुश्री जागृति बेन द्वारा लगाए गए आरोपों पर आते हुए,

मृतक की पत्नी, श्री विठ्ठल भाई पांड्या की ओर से दायर याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया है। यह आग्रह किया गया कि मृतक हरेन पांड्या की पत्नी सुश्री जागृतिबेन पांड्या को आरोप पत्र में गवाह के रूप में उद्धृत किया जाए। *16.11.2006* पर, अभियोजन पक्ष ने जागृतिबेन पांड्या सहित गवाहों को छोड़ने के लिए अंतिम पर्सी और पर्सी प्रस्तुत की। इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि आवेदक ने आगे की जांच से इनकार करते हुए पारित आदेश को चुनौती नहीं दी। इसी तरह का एक आवेदन समाचार पत्र की रिपोर्टों के आधार पर *18.12.2006* पर प्रस्तुत किया गया था जिसे *25.6.2007* पर भी पोटा न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आदेश की एक प्रति मृतक की पत्नी आवेदक को भी प्रदान की गई थी। इसके बाद, मृतक के पिता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसका निर्णय *20.6.2008* के फैसले और आदेश के माध्यम से किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

"*24.* शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित अपीलों में, आवेदक जो न तो गवाह है और न ही शिकायतकर्ता है, ने तीन अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी है, अर्थात् *[1]* आदेश डी. टी. डी।

18 / 12 / 2006 आवेदन *Ex.855 [2]* आदेश *dtd* के नीचे पारित किया गया। *26 / 3 / 2007* आवेदन *Ex.898 [3]* अंतिम निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के नीचे पारित किया गया। *25 / 6 / 2007 2003* के विशेष मामले *[*पोटा*] No.10* में विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा पारित। ऑर्डर डी. टी. डी. देखें।

18/12/2006 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.*

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

आवेदन *Ex.855* और ऑर्डर *dtd* के नीचे पारित किया गया। *26 / 3 / 2007* आवेदन *Ex.898* के तहत पारित, विद्वान विशेष अदालत *[*पोटा*]* ने आवेदक के बेटे श्री हरेन पांड्या की हत्या से संबंधित मामले की पुनः जांच/आगे की जांच के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया है। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस समय आवेदक द्वारा आगे की जांच/पुनर्निरीक्षण के लिए पहला आवेदन *Ex.855* प्रस्तुत किया गया था, उसी समय विशेष अदालत *[*पोटा*]* द्वारा *122* अभियोजन पक्ष के गवाहों और *7* बचाव पक्ष के गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी और *202* पृष्ठों के आरोपी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके थे और मुकदमा चलाया जा चुका था

अंतिम छोर पर था। यहां तक कि जब *Ex.898* आवेदन को विद्वान विशेष न्यायालय *[*पोटा*]* द्वारा *26/3/2007* पर खारिज कर दिया गया था, तब भी विद्वान निचली अदालत ने विशेष रूप से कहा था कि आवेदक को उक्त आदेश की प्रति तत्काल प्रदान की जाए ताकि यदि वह चाहे तो उसे उच्च मंच से संपर्क करने में सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि अभी भी कुछ समय है जब न्यायालय उसके बाद निर्णय देगा।

28/3/2007 और *4/*पर दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को पूरा करना

4/2007 . रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि आवेदन *Ex.855 dtd* के नीचे आदेश पारित किया गया है। *18/12/2006* आवेदक को *22/12/2006* पर भेजा गया था और आदेश की प्रति पारित की गई थी। *26 / 3 / 2007* आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया था

दिन अर्थात *26/3/2007* पर। डी. टी. डी. क्रम में। *26 / 3 / 2007* , यह विशेष रूप से था

विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आवेदक को यदि वह चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए कानूनी सहायता सेवा भी प्रदान की जाएगी। फिर भी, आवेदक ने उपरोक्त दो आदेशों को तुरंत चुनौती नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों की दलीलें *28/3/2007* और *4/4/2007* पर सुनी गईं।

इसके बाद, अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने का अंतिम निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश विद्वान विशेष न्यायालय *[*पोटा*]* द्वारा *25/6/2007* पर पारित किया जाता है और उपरोक्त सभी आदेशों को चुनौती दी जाती है।

आवेदक द्वारा नवंबर *2007* के महीने में। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने या तो मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है।

आवेदन *Ex.855* और *898* के नीचे पारित उपरोक्त आदेशों को तुरंत और/या उचित समय के भीतर चुनौती दी और मुकदमे को आगे बढ़ाने और समाप्त करने की अनुमति दी। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता

है कि आवेदक ने विशेष रूप से अपील ज्ञापन में अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दी है। *25/6/2007* कि वह अंतिम निर्णय और आदेश *[2019] 8* एस. सी. आर. को चुनौती नहीं दे रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दृढ़ विश्वास डी. टी. डी. *25 / 6 / 2007* अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराना। अगर

अर्थात्, उस मामले में, अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील। *25 / 6 / 2007* पोटा की धारा *34* के तहत बनाए रखने योग्य नहीं होगा, दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है।

26. पांड्या की हत्या की आगे की जांच और/या पुनः जांच के लिए उनकी प्रार्थना के समर्थन में यह आरोप लगाया जाता है कि यह एक राजनीतिक हत्या थी। आवेदक द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को आरोप पत्र में गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था और मृतक हरेन पांड्या की जागृतिबेन विधवा को हालांकि गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन उसे हटा दिया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरोप पत्र *8/9/2003* पर दाखिल किया गया था और आवेदक नहीं था

गवाह के रूप में उद्धृत। फिर भी, आवेदक ने कुछ नहीं किया। बंद करना

गवाह को छोड़ने के लिए पर्सी और पर्सी विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा *16/11/2006* पर प्रस्तुत की गई थी और उक्त पर्सी की प्रमाणित प्रति आवेदक द्वारा *16/4/2007* पर लागू की गई थी जो वास्तव में *25/4/2007* को आवेदक को दी गई थी। फिर भी, आवेदक ने आवेदन *Ex.855* और *898* के नीचे पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी और मुकदमे को समाप्त करने की अनुमति दी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि विलंब की व्याख्या करने वाले आवेदनों में किए गए कथन भी बहुत अस्पष्ट और/या सामान्य प्रकृति के हैं। यहां तक कि आवेदक ने आवेदनों *Ex.855* और *898* के नीचे पारित आदेशों की प्रतियों की प्राप्ति और गवाहों को छोड़ने के लिए समापन पर्सी की प्रमाणित प्रति के संबंध में सही तथ्य नहीं बताए हैं।

मामला देरी के तकनीकी आधार पर पराजित नहीं होता है, हमने गुण-दोष के आधार पर भी प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया है। आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ-साथ सी. बी. आई. की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने भी योग्यता के आधार पर अदालत को संबोधित किया है और हमने सुना है कि संबंधित पक्षों की ओर से योग्यता के आधार पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने योग्यता के आधार पर मामले की सराहना की है ताकि पर्याप्त न्याय मिल सके और यह देखा जा सके कि विलंब के तकनीकी आधार पर मेधावी मामले को पराजित न किया जाए। *29.* यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हरेन पांड्या की विधवा जागृतिबेन को पहले ही आरोप पत्र में गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, फिर भी, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* थी।

एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[अरुण मिश्रा, जे।]*

गवाह के रूप में जाँच नहीं की गई और उसे गवाह के रूप में छोड़ दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अगर उससे गवाह के रूप में पूछताछ की गई होती, तो सच्चाई सामने आ सकती थी। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि जागृति बेन ने भी *19/8/2006* पर 'तहलका' में प्रकाशित अपने साक्षात्कार में आशंका जताई थी कि उनसे गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की जाएगी और यह सच हो गया है।

250. उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि जागृति बेन की जाँच न करना आगे की जाँच के लिए कोई आधार नहीं है। उच्च न्यायालय ने

यह भी देखा गया कि *19.8.2006* पर 'तहलका' में प्रकाशित साक्षात्कार में सुश्री जागृति बेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उनके पास राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में कोई सबूत/सामग्री नहीं है। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोप पर आगे की जांच या पुनः जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। आई. ओ. ने कहा है कि जाँच के दौरान उन्हें मृतक के पिता श्री विट्ठलभाई पांड्या के अस्पष्ट बयान के आधार पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संबंध में कोई सामग्री नहीं मिली, राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ आगे की जाँच का आदेश देना संभव नहीं था। आवेदक के पास कोई सामग्री नहीं है

राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की सामग्री की पुष्टि करें। सामग्री के अभाव में, आगे की जाँच या पुनः जाँच के लिए कोई आदेश नहीं हो सकता है। उस पर

योग्यता, आवेदक आगे की जाँच या पुनः जाँच के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। *251.* जागरुतीबेन के पास वापस आते हुए, वह एक चश्मदीद गवाह नहीं थी, निश्चित रूप से, और उसे कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है और यह स्पष्ट है

उसने बताया है कि मृतक सुबह की सैर के लिए लगभग *0645* बजे*/0700* बजे घर से निकला था। इस प्रकार, समाचार पत्र की रिपोर्ट में संदेह उठाया गया था कि इसे पहुंचने में आधा घंटा नहीं लगा होगा लॉ गार्डन। लॉ गार्डन तक पहुँचने में *10* मिनट लग जाते। जागरुतीबेन को गिराए जाने का समर्पण स्वीकार करने के लिए बहुत कमजोर है। उसने असली हमलावरों के किसी और होने के बारे में कोई कहानी नहीं बताई है और अगर उससे पूछताछ की गई होती, तो उसका बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता कि मृतक सुबह केवल टहलने के लिए घर से निकला था। समय का आकलन *15* से *20* मिनट या आधे घंटे तक भी भिन्न हो सकता है। जागरुतीबेन द्वारा समाचार पत्रों में समय के अनुमान के आधार पर और जिसके आधार पर लॉ गार्डन में सुबह *7:30* बजे की घटना पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता है। मृत हरेन पांड्या अपने बयान के अनुसार लॉ गार्डन के लिए रवाना हो गए थे। वह मामले में जाँच के लिए एक चश्मदीद गवाह नहीं थी। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उसे रोक दिया है और उसने किसी भी आंशिक कहानी का खुलासा किया होगा जो मामले के लिए सामग्री थी।

252. गुजरात उच्च न्यायालय के विट्ठल भाई के मामले में उपरोक्त निर्णय के खिलाफ एसएलपी को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

15.7.2009 . इस अदालत ने देरी को माफ कर दिया और एसएलपी को खारिज कर दिया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि कोई जांच आवश्यक नहीं थी, अंतिम रूप ले चुका है।

253. इसके बाद मृतक की पत्नी ने एक और प्रयास किया, हालांकि वह इसके बाद कोई याचिका दायर करने की हकदार नहीं थी

मृतक के पिता द्वारा निचली अदालत के समक्ष की गई प्रार्थना को देखते हुए दायर किया गया था क्योंकि पिता ने आवेदनों पर पारित आदेशों पर सवाल उठाया था

उसके द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया। फिर भी, उन्होंने विशेष सी. आर. एल. दायर किया।

आवेदन *No.2327/2011* जिसका निर्णय दिनांक *6.2.2012* के आदेश द्वारा किया गया था। गुजरात के उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है और कहा हैः

"*4.* गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक श्री जे. एम. पांचाल ने गुजरात राज्य की ओर से दायर किए गए हलफनामे पर भरोसा करते हुए वस्तुतः दोहराया है,

साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के अलावा, इस माननीय न्यायालय द्वारा सीआरएल में दिए गए *29.8.2011* दिनांकित निर्णय और आदेश से उत्पन्न एसएलपी के लंबित होने के बारे में तथ्य। *2007* की अपील *No.975* और संबद्ध अपीलें। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह की याचिका और याचिका याचिकाकर्ता के ससुर द्वारा विशेष में नीचे *Exh.855* और *Exh.898* के तहत आगे की जांच/पुनः जांच के लिए पहले की गई थी।

2003 का मामला *[*पोटा*] No.10* खारिज कर दिया गया

नामित विचारण न्यायालय और *2008* की अग्रिम आपराधिक अपील, *2008* की *18* और *2007* की *1324* के साथ-साथ इस न्यायालय के समक्ष विलंब माफी आवेदन को भी सी. ए. वी. के अनुसार देरी को माफ करने के बाद एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।
दिनांक *16.6.2008* का निर्णय और इसलिए, ऐसे परिदृश्य में, जब विषय वस्तु सभी औचित्य और न्यायिक अनुशासन में अपील करने के लिए विशेष अनुमति *(*सी. आर. एल.*)* संख्या *9785-9796/2011* और अपील करने के लिए विशेष अनुमति *(*सी. आर. एल.*)* संख्या *9797-9808/2011* के लिए याचिका *(*ओं*)* में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो यह वांछनीय है कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसे संहिता की धारा *482* के साथ पढ़ा जाता है।

दंड प्रक्रिया, *1973*। *5.*
मान लीजिए, उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू अनियंत्रित बने हुए हैं

जैसा कि राज्य वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

6. प्रथम दृष्टया, विषय वस्तु और इस याचिका की प्रार्थना इस प्रकार है -

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही से उद्भूत

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका *(*ओं*)* संख्या *(*ओं*) 9785-9796 / 2011 [* गुजरात राज्य द्वारा दायर*]* और विशेष के लिए याचिकाएँ

अपील की अनुमति *(*सी. आर. एल.*)* सं. *9797-9708/2011 [*सी. बी. आई. द्वारा दायर*]*।

इन परिस्थितियों में, इस स्तर पर, इस याचिका पर विचार करना

अपराधों की पुनरावृत्ति और पुनर्वितरण के क्षेत्र में होगी।
अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री का मूल्यांकन करना और इसलिए,

औचित्य और न्यायिक अनुशासन इस न्यायालय को इससे हतोत्साहित करता है

अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के गुण-दोष में प्रवेश करना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद *226* के साथ-साथ धारा के तहत
482 दंड प्रक्रिया संहिता, *1973*, शीर्ष के बाद से

अदालत इस मुद्दे को निपटाने के लिए इस विषय पर विचार कर रही है।

के अध्याय *IV* के तहत अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र में अधिकृत रूप से
भारत का संविधान "।

(जोर दिया गया*)*

254. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मामला अंतिम रूप ले चुका है। एक बार फिर,

आपराधिक अपीलों में, हमने गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच की है क्योंकि मामला गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या से संबंधित है। आजम खान के बयान और राणा अयूब की पुस्तक सहित अभिलेख पर रखी गई सामग्री के गुण-दोष पर हमारी राय में, अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर कोई मामला नहीं बनाया गया है ताकि आगे की जांच या पुनः जांच का निर्देश दिया जा सके। उस उद्देश्य के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। एसएलपी की बर्खास्तगी के कारण मामला पहले ही अंतिम रूप ले चुका है। अन्यथा भी याचिका समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की रिपोर्टों पर आधारित रही है। यह इस न्यायालय द्वारा कुसुम लता बनाम में देखा गया है। भारत संघ, *(2006) 6* एस. सी. सी. *180* कि समाचार पत्र की रिपोर्ट सबूत का गठन नहीं करती हैं। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए ताकि संदेश अंदर जाए सही निर्देश कि तिरछे उद्देश्य से दायर याचिका को अदालतों की मंजूरी नहीं है।

255. जैसा कि हम आदेश के साथ आपराधिक अपीलों पर निर्णय ले रहे हैं,

हम अभियोजन मामले की सच्चाई और निष्पक्षता के साथ निपटा है हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करें

ये न केवल अनावश्यक थे, बल्कि चिकित्सा/फोरेंसिक साक्ष्य के गलत मूल्यांकन और रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की अनदेखी पर आधारित थे।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

256. रोहित पांडे बनाम। भारत संघ, *(2005) 13* एस. सी. सी. *702*, रिट याचिका एक युवा द्वारा समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी।

वकील। याचिका *12.2.2004* पर दायर की गई थी। इस न्यायालय ने कहा कि

257. इन होलिको पिक्चर्स *(*प्रा.*)* लिमिटेड वी. प्रेम चंद्र मिश्रा, *(2007) 14* एस. सी. सी. *281,* यह देखा गया कि याचिकाएं इस पर आधारित हैं - उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के किसी भी प्रयास के बिना समाचार पत्र रिपोर्ट करते हैं।

258. लक्ष्मी राज शेट्टी बनाम। तमिलनाडु राज्य, *(1988) 3* एस. सी. सी. *319,* इस न्यायालय ने कहा है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि

एक समाचार पत्र में निहित तथ्य केवल सुनी-सुनाई बात है और इसलिए अदालत में पेश होने वाले बयान के निर्माता की अनुपस्थिति में साक्ष्य में अस्वीकार्य है और बयान देने वाले ने रिपोर्ट किए गए तथ्य को स्वीकार किया है। *259.* राजीव रंजन सिंह *'*ललन*' (viii) v.* भारत संघ, *(2006) 6* एस. सी. सी. *613,* इस न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिका व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए दायर नहीं की जा सकती है।

विचार करें। अभियोजन पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामले में अनावश्यक निष्कर्ष कभी-कभी अभियुक्त के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है।

260. गुलजार अहमद आज़मी बनाम। भारत संघ, *(2012) 10* एस. सी. सी. *731,* यह देखा गया कि यह प्रभावित पक्ष को निवारण की मांग करने के लिए है।

261. रिलायंस को भी सिमरजीत सिंह मान बनाम पर रखा गया है। भारत संघ और ए. एन. आर. *, (1992) 4* एस. सी. सी. *653* जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

आदेश की शुद्धता, जब तक कि ऐसा पक्ष एक नाबालिग, एक पागल व्यक्ति या किसी अन्य विकलांगता से पीड़ित न हो जो कानून
किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि अगले मित्र, को अपनी ओर से न्यायालय में जाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त के रूप में मान्यता देता है। यदि कोई अभिभावक या अगला मित्र ऐसे विकलांग पीड़ित पक्ष के लिए और उसकी ओर से कार्यवाही शुरू करता है, तो यह प्रभावी रूप से पीड़ित पक्ष द्वारा शुरू की गई कार्यवाही है न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी उसके परिणाम में कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हिस्सेदारी नहीं है। वर्तमान मामले में हमारे समक्ष याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है; यदि किसी भी मामले को जांच का केंद्रीय आधार बनाने की मांग की जाती है।

आईओएचडी। परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इसका मतलब यह है कि दोनों दोषियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अगर दोनों दोषियों ने ऐसा सोचा होता, तो वे पहले की कार्यवाही में विवाद उठा सकते थे, लेकिन एक तीसरा पक्ष, कुल मिलाकर दोनों दोषियों के खिलाफ शुरू किए गए मुकदमे के लिए अजनबी, दर्ज की गई दोषसिद्धि की शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

उनके खिलाफ। यदि इसकी अनुमति दी गई थी तो कोई भी और प्रत्येक व्यक्ति अदालतों द्वारा दिन-ब-दिन दर्ज की गई दोषसिद्धि को चुनौती दे सकता था, भले ही दोषी व्यक्ति ऐसा करने की इच्छा न रखते हों और ऐसा करने के लिए इच्छुक हों।

निर्णय को स्वीकार करें। यदि पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करता है, तो यह ए. आर. अंतुले बनाम के मामले में अलग आधार पर खड़ा हो सकता है। आर. एस. नायक *(1988) 2* एस. सी. सी. *602*। हालाँकि, हमें यह कहने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए कि ऐसे सभी मामलों में पीड़ित पक्ष के पास संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत एक उपाय है। जब तक कोई पीड़ित पक्ष कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विकलांगता के तहत नहीं है, तब तक यह असुरक्षित होगा।

और किसी भी तीसरे पक्ष को उसके खिलाफ निर्णय पर सवाल उठाने की अनुमति देना खतरनाक है। उदाहरण के लिए एक ऐसे मामले को लें जहां आई. पी. सी. की धारा *324* के तहत एक व्यक्ति को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। अभियुक्त निर्णय से काफी संतुष्ट है लेकिन एक तीसरा पक्ष अनुच्छेद *32* के तहत इस पर सवाल उठाता है और सफल हो जाता है। दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया जाता है और एक नया मुकदमा शुरू होता है जो आई. पी. सी. की धारा *302* के तहत आरोपी को दोषी ठहराने में समाप्त होता है। द.

व्यक्ति को

तीसरे पक्ष के एकतरफा कार्य के लिए पीड़ित होना आरोपी होगा*!* ऐसी कई स्थितियों को इस बात पर जोर देने के लिए इंगित किया जा सकता है कि यदि ऐसे तीसरे पक्ष की अवांछित कार्रवाई पर विचार किया जाता है तो इसमें शामिल खतरे पर जोर दिया जा सकता है। मुकदमों की एक पूरी श्रृंखला के बाद शीर्ष अदालत द्वारा दोषसिद्धि में समाप्त होने वाले मामलों की निवारक निरोध के साथ तुलना नहीं की जा सकती है

ऐसे मामले जहां किसी मित्र या निकट संबंधी को बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने की अनुमति है। इसलिए, हम संतुष्ट हैं कि न तो संहिता के प्रावधानों के तहत और न ही किसी अन्य क़ानून के तहत किसी तीसरे पक्ष के अजनबी को दोषसिद्धि की शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति है।

किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नेता द्वारा शुरू की गई ऐसी जनहित याचिका, जिसकी दोषियों के भविष्य में वास्तविक रुचि है, पर विचार किया जाना चाहिए। एस. पी. गुप्ता बनाम संघ का भारत, *(1981)* सप. एस. सी. सी. *87* भगवती, जे. ने कहाः *(* एस. सी. सी पी. *219*, पैरा *24)*

"लेकिन हमें यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि जनता का सदस्य, जो इस तरह के मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाता है, वह व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी से काम कर रहा है

प्रेरणा या अन्य तिरछा विचार। अदालत को राजनेताओं और अन्य लोगों द्वारा अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

ये टिप्पणियां जनहित याचिका में 'लोकस स्टैंडी' के सवाल पर चर्चा करते हुए की गई थीं। 'लोकस स्टैंडी' नियम के दायरे का विस्तार करते हुए सावधानी के इन शब्दों का उच्चारण किया गया था। इन शब्दों को हमें इस याचिका पर विचार करने से रोकना चाहिए। यह कृष्ण स्वामी बनाम में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत संघ, *(1992) 4* एस. सी. सी. *605*।

8. जनता दल बनाम में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार अधिक उपयुक्त है। एच. एस. चौधरी, *(1992) 4* एससीसी *305*। यह *22* जनवरी, *1990* को सी. बी. आई. द्वारा दर्ज की गई एक एफ़. आई. आर. को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका थी, जो इस मुख्य आरोप के आधार पर थी कि कुछ नामित और अनाम व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश में प्रवेश किया था, जिसके अनुसरण में उन्होंने अवैध रूप से धन प्राप्त किया था।

सहायता के लिए स्विस अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने के लिए विद्वान न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष एक आवेदन एक जाँच करना, जिसका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। अ.

आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और अपने आदेश में बताए गए कारणों के लिए सी. बी. आई. और राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि एफ़. आई. आर. क्यों होनी चाहिए। निरस्त नहीं किया जाता है। अपील पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश का यह मानना सही था कि अधिवक्ता वादी के साथ-साथ हस्तक्षेप करने वालों का कोई 'अधिकार क्षेत्र' नहीं था। निर्णय के पैराग्राफ *45* में पाई गई प्रासंगिक टिप्पणियां

नीचे पढ़ेः *(* एस. सी. सी पी. *329*, पैरा *45)*

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

इस प्रकार के आपराधिक मामले में दर्ज और जांच की गई
निर्दिष्ट अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध, यह उनके और उनके लिए है

अकेले ऐसे सभी सवाल उठाने और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए

उचित समय से पहले उनके खिलाफ शुरू किया गया
मंच और जनता की आड़ में तीसरे पक्ष के लिए नहीं

हित वादी "।

(जोर दिया गया*)*

उस मामले में, अधिवक्ता वादी के अलावा, कुछ राजनीतिक दल

जैसे जनता दल, भाकपा *(*मार्क्सवादी*)*, भारतीय कांग्रेस

(समाजवादी*)* और एक डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा ने भी संपर्क किया

यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उनके अनुरोध की अस्वीकृति पर सवाल उठाता है

आपराधिक कार्यवाही में कोई भी 'लोकस स्टैंडी' और उसी का जवाब दिया
जैसा कि ऊपर बताया गया है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण को नकारता है।

श्री सोधी द्वारा इस याचिका की स्थिरता के समर्थन में किया गया।

हालाँकि, हम व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं।

यहाँ पहले निकाले गए अवलोकनों में "।
262. रिलायंस को अशोक कुमार पांडे बनाम पर रखा गया है। राज्य

डब्ल्यू. बी., *(2004) 3* एस. सी. सी. *349,* जिसमें यह देखा गया है कि एक व्यथित पक्ष जो किसी आदेश से प्रभावित है, को आदेश की वैधता, वैधता या शुद्धता पर सवाल उठाकर निवारण की मांग करने का अधिकार है, जब तक कि व्यथित पक्ष नाबालिग या पागल व्यक्ति न हो या किसी अन्य अक्षमता आदि से पीड़ित हो, निर्णय पर फिर से सवाल उठाने के लिए।

263. याचिकाकर्ता की ओर से ए. आर. पर निर्भरता रखी गई है।

अंतुले वी। रामदास श्रीनिवास नायक और अन्र। , *(1984) 2* एस. सी. सी. *500* जिसमें श्री आर. एस. नायक द्वारा दर्ज की गई निजी शिकायत को विचारणीय माना गया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले के खिलाफ। यह आग्रह किया गया कि कोई भी व्यक्ति अदालत के ध्यान में इस तथ्य को ला सकता है जो

अपराध और एक विशेष न्यायाधीश ऐसी शिकायत पर या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर या इस तथ्य के बारे में अपनी जानकारी पर भी संज्ञान ले सकता है कि अपराध किया गया है।

प्रतिबद्ध। तत्काल मामले में निर्णय का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि पी. आई. एल. के मंच का दुरुपयोग किया गया है, हमने मामले की जांच की है और इसे बेमानी पाया है। इसके अलावा, यह एक निजी *[2019] 8* एस. सी. आर. का मामला नहीं है।

एक अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज की गई है। सीबीआई ने मामले की पूरी तरह से और बारीकी से जांच की गई और आरोपी व्यक्तियों के बीच साजिश स्थापित की गई है। वहाँ विशाल है

आपराधिक अपीलों में चर्चा किए गए साक्ष्य का आज अलग से निर्णय लिया गया

अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में निर्णय। यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच किसी भी तरह से अनुचित, एकतरफा, असफल या गलत तरीके से की गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने उस फैसले में कहा था जिसे हमने दरकिनार कर दिया है। यह आश्चर्यजनक है कि इस तथ्य का उल्लेख करने के बावजूद कि अपील लंबित थी, उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है। पूरी निष्पक्षता में, ऐसी याचिका अभियुक्त के कहने पर सी. पी. आई. एल. द्वारा दायर नहीं की जानी चाहिए थी, यह स्पष्ट रूप से

पी. आई. एल. के मंच का दुरुपयोग है। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा या याचिकाकर्ता या आपराधिक अपीलों में किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति द्वारा केवल एक आवेदन को प्राथमिकता दी जा सकती थी। अन्यथा भी, हमने गुणों के आधार पर कोई ऐसी सामग्री या आधार नहीं पाया है जो आगे निर्देशित करने के योग्य हो।

मामले में जाँच या पुनः जाँच। फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, जिन्हें हमने दरकिनार कर दिया है, रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य पर विचार किए बिना एकतरफा दृष्टिकोण पर आधारित थीं

और साक्ष्य के पूरी तरह से गलत मूल्यांकन पर जो स्पष्ट रूप से विकृत था।

264. रिलायंस को बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम पर भी रखा गया है। भारत संघ और अन्य। , ए. आई. आर. *1984* एस. सी. *802* जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि जहां कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन जो गरीबी या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है, और ऐसे मामले में, जनता का कोई भी सदस्य जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है, अनुच्छेद *32* के तहत राहत के लिए अदालत का रुख कर सकता है और अनुच्छेद *226* के तहत भी, ताकि मौलिक अधिकार न केवल अमीरों और कल्याण के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी सार्थक हो सकें जो अभाव और अभाव का जीवन जी रहे हैं और जो जागरूकता, दृढ़ता और संसाधनों की कमी के कारण न्यायिक निवारण की मांग करने में असमर्थ हैं। न्यायालय ईमानदारी से कार्य करने वाले जनता के किसी भी सदस्य को न्यायिक कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का समर्थन करने की अनुमति दे सकता है और उसे देना चाहिए। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि अनुच्छेद *32* के प्रावधान विशेष रूप से यह इंगित नहीं करते हैं कि कौन अदालत का रुख कर सकता है। उस संबंध में इस तरह के प्रावधान के अभाव में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे कानून ने ऐसी प्रकृति की कार्रवाई को बनाए रखने की शक्ति प्रदान की है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है जो राहत के लिए संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत याचिका में रुचि रखता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो *v.* एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

उपरोक्त प्रस्ताव पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, याचिका को ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार ईमानदारी से दायर किया गया नहीं कहा जा सकता है। यदि यह परिवार के सदस्यों के कहने पर है, तो उनके अधिकारों पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है और इस न्यायालय तक पहुंचा दिया गया है। अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व पूरे समय और आपराधिक अपीलों में सक्षम वकीलों द्वारा किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता सी. पी. आई. एल. और सी. पी. आई. एल. को पूरी निष्पक्षता से सामग्री की आपूर्ति करके याचिका दायर करने में उनका हाथ था, उन्हें पी. आई. एल. के रूप में याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आरोपी व्यक्तियों या आपराधिक अपील में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर से आवेदन दायर किया जाना चाहिए था। जब सभी संबंधितों को पता चला कि याचिका दायर करने से पहले पिछले *2* महीनों से इस न्यायालय में अपील की सुनवाई हो रही थी,

जब अपील सुनवाई के लिए ली जाती है तो रिपोर्टों में प्रकाशन भी एक उचित परिदृश्य नहीं है और न्याय के पाठ्यक्रम में अनुचित हस्तक्षेप के समान हो सकता है।

265. हमने अभियोजन पक्ष के मामले के झूठ के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रस्तुतियों के गुण-दोष पर विचार किया है और

आपराधिक अपीलों में जांच और यह पाया गया है कि गुण-दोष के आधार पर सी. पी. आई. एल. द्वारा अभियोजन मामले पर संदेह करने के लिए उठाई गई दलीलें आधारहीन हैं, विस्तृत चर्चा के माध्यम से जो हमने आज अलग-अलग निर्णय द्वारा तय की गई आपराधिक अपीलों पर विचार करते समय की हैं।

हमने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के फैसले को दोहराया है। *266.* बहस के दौरान, हमने सी. पी. आई. एल. की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण से सवाल किया था कि कैसे

वह सी. पी. आई. एल. द्वारा दायर मामले में वकील के रूप में पेश हो सकता है क्योंकि वह सी. पी. आई. एल. की कार्यकारी समिति का सदस्य है। के नियम को देखते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक नैतिकता भाग *VI* के अध्याय *II* की धारा *I* में निहित है, नियम *8* यहाँ नीचे निकाला गया है:

"8. एक अधिवक्ता किसी संगठन या संस्था के पक्ष या विपक्ष में किसी अदालत या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण में या उसके समक्ष पेश नहीं होगा।

समिति या निगम यदि वह कार्यपालिका का सदस्य है

ऐसे संगठन या संस्था या समाज की समिति या

निगम "। कार्यकारी समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, में कोई भी समिति या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, जो कुछ समय के लिए संगठन या संस्था, समाज या निगम के मामलों के सामान्य प्रबंधन के साथ निहित है:

बशर्ते कि यह नियम उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होगा

न्यायमित्र के रूप में या बार काउंसिल, निगमित लॉ सोसाइटी या बार एसोसिएशन की ओर से शुल्क के बिना।

267. नियम *8* केवल तभी अपवाद बनाता है जब ऐसा सदस्य न्यायमित्र के रूप में या बार काउंसिल की ओर से बिना किसी शुल्क के उपस्थित हो रहा हो।

निगमित विधि सोसायटी या बार एसोसिएशन। सी. पी. आई. एल. जैसी संस्था कोई अपवाद नहीं है। श्री प्रशांत भूषण के विद्वान वकील ने कहा है कि उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके नियम *8* के अधिकारों पर सवाल उठाया था। उपरोक्त नियम *8* की शक्तियों को बचाने के लिए, बार काउंसिल द्वारा अदालत में बयान दिया गया था कि वे नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं, हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बार काउंसिल ने बयान देने के बावजूद नियमों में संशोधन नहीं किया है। नियम मनमाना है और वह प्रकट हो सकता है।

268. हम पूरे परिदृश्य से खुश नहीं हैं। नियम *8* के उल्लंघन में उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है, इस आधार पर कि

269. परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि याचिका को ईमानदारी से दायर किया गया नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा भी, याचिका योग्यता से रहित है। यह. मुख्य रूप से वही प्रश्न उठाते हैं जिन पर चर्चा की गई है

अपील करें। आगे निर्देश देने के लिए ऐसी कोई सामग्री नहीं है मामले में जाँच या पुनः जाँच।

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो *v* को आराम दिया जाना चाहिए था। एम. एच. डी. परवेज अब्दुल कयूम *[*अरुण मिश्रा, जे।*]*

आखिरकार परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका भी खारिज हो जाती है।

इस न्यायालय द्वारा बार-बार मामले को उठाना अनुज्ञेय नहीं है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुचित था। यही राजनीतिक प्रतिशोध के बराबर है।

इस प्रकार याचिका खारिज की जा सकती है।

निष्कर्ष

2012 का आपराधिक आवेदन *NOS.140,142-146* और *149-151*

270. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम ए-*1 (*मोहम्मद असगर अली*)* पर निचली अदालत द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को बहाल करते हैं।

(2012 की आपराधिक अपील सं. *149), ए-4 (*कलीम अहमद*) (2012* की आपराधिक अपील*), ए-5 (*अनस माचिसवाला*) (2012* की आपराधिक अपील*), ए-6 (*मोहम्मद यूनुस सारेशवाला*) (2012* की आपराधिक अपील*)*

*2012) , ए-7 (*रेहान पुथावाला*) (2012* की आपराधिक अपील *No.143), ए-8 (*मोहम्मद रियाज @गोरु*) (2012* की आपराधिक अपील *No.144), ए-9*

(पोटा की धारा *3 (1)* और *3 (3)* के तहत मोहम्मद परवेज शेख*) (2012* की आपराधिक अपील संख्या *140), ए-10 (*परवेज खान पठान*) (2012* की आपराधिक अपील*)* और ए-*11 (*मोहम्मद फारूक*) (2012* की आपराधिक अपील*)* और *120*-बी और आई. पी. सी. की धारा *120*-बी के साथ पठित धारा अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। से।

2012 का आपराधिक आवेदन *NOS.141,147* और *148*

271. तथापि, ए-*2 (*मोहम्मद अब्दुल रउफ*) (2012* की आपराधिक अपील *No.147), ए-3 (*मोहम्मद। शफीउद्दीन*) (2012* की आपराधिक अपील *No.148)* और ए-*12 (*शाहनवाज़ गांधी*) (2012* की आपराधिक अपील *No.141),* सी. बी. आई. ने उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की और ए-*3 (*मोहम्मद. शफीउद्दीन*)* और ए-*12 (*शाहनवाज गांधी*)* ने निचली अदालत द्वारा और ए-*2 (*मोहम्मद*)* के मामले में उन्हें दी गई सजा को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। अब्दुल रउफ*)* जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है, आगे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उनके खिलाफ अपील खारिज कर दी जाती है। *(* अभियुक्तों के नामों का उपयोग निचली अदालत के फैसले के अनुसार किया गया है*)*।

2012 का आपराधिक आवेदन *NOS.83-94*

272. गुजरात राज्य द्वारा दायर अपीलों का निपटारा आपराधिक अपील संख्या में दिए गए निर्णय के संदर्भ में किया जाता है। *140-151 2012* से।

[2019] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक आवेदन संख्या*./2019* @विशेष छूट

273. अभियुक्त मोहम्मद के संबंध में। शेख, एक अलग मुकदमा चलाया गया था। आई. पी. सी. की धारा *174* ए के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा में, जैसा कि आदेश दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उन्हें निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा *174* ए के तहत बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जाती है। अभियुक्त की अपील भी खारिज कर दी जाती है।

2019 की लिखित याचिका *(*आपराधिक*) NO.26*

274. मामले में आगे की जांच या जांच के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है

Rs.50,000/- याचिकाकर्ता द्वारा एक महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा किया जाना है।

मामलों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी